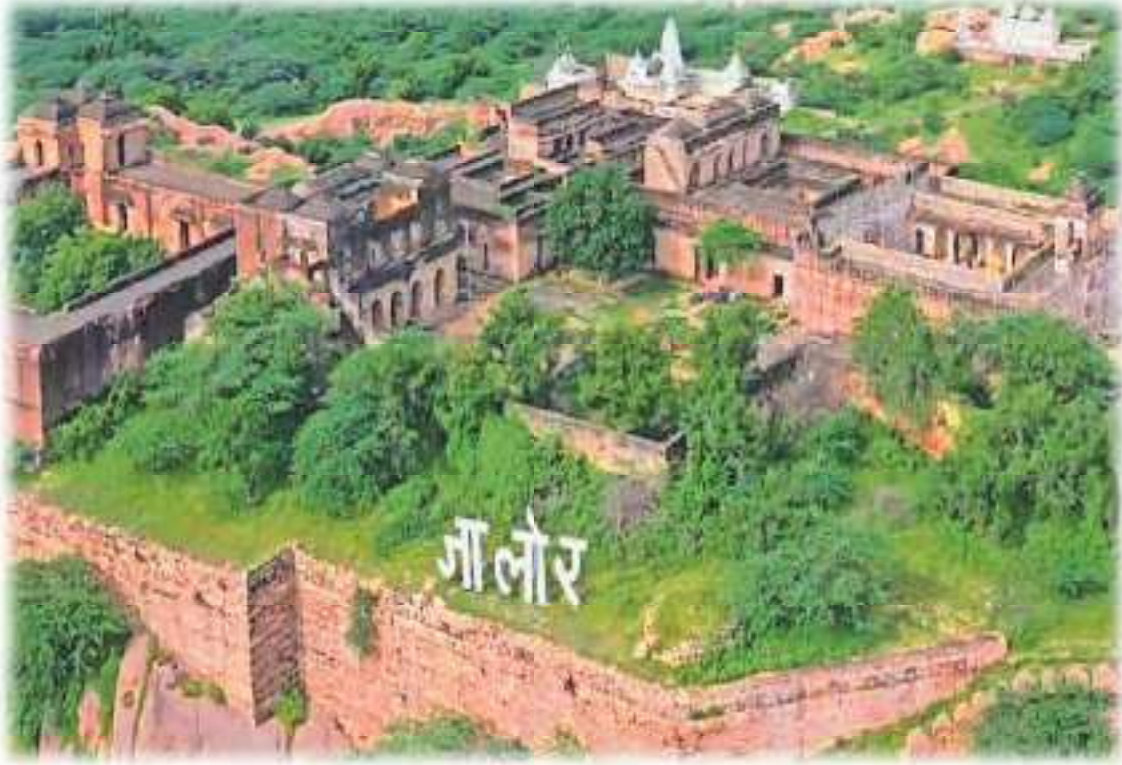


जिला आपदा प्रबन्धन योजना जिला – जालोर



वर्ष 2025
जिला प्रशासन
व
आपदा प्रबंधन केन्द्र (EOC)
जालोर

विषय – सूची

अध्याय	प्रस्तावना	पृष्ठ संख्या
0	जालोर जिला-एक नजर	4-9
1	जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य	10-11
1	आपदा प्रबंधन एक्ट 2005	12-68
2	अध्याय-2 जिले की विपदा, जोखिम की संवेदनशीलता, जोखिम से निपटना	69-81
2	जिले में मुख्य अन्य सम्भावित आपदाएँ व कार्य योजना	
2	सूखा	82-86
2	बाढ़	86-90
2	सड़क दुर्घटना	90-95
2	अग्नि दुर्घटना	95-101
2	भूकम्प	101-104
2	साम्प्रदायिक तनाव	105
2	ओलावृष्टि	105
2	रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ	105
2	ताप (लू) व शीतघात	106-107
2	भीतघात	106-107
2	आतंकवाद/बम विस्फोट	108-111
3	अध्याय-3 Institutional Arrangement for DM	112
4	अध्याय-4 Prevention and Mitigation Measures	112
5	अध्याय-5 Preparedness and Mitigation Measures	112
6	अध्याय-6 Capacity Building and Training Measures	113
7	अध्याय-7 Response and Relief Measures	113
8	अध्याय-8 Reconsutruction,Rehabilitation and Recovery	114
9	अध्याय-9 Financial,Respirces for implementation of DDMP	114
10	अध्याय-10 Procedured and methodology for monitoring evalnution, updation and maintainence of DDMP	115
11	अध्याय-11 Coordination Mechanism for implementation of DDMP	115
12	अध्याय-12 Standard Operating Procedures (SOPs) and Checklist	116-117
13	अध्याय-13 Miscellaneous	118-119
संलग्नक	संलग्नक परिशिष्ट 1 से 53	120-233
14	परिशिष्ट - 1 पंचायत समितिवार प्रभारी अधिकारी/सहायक प्रभारी अधिकारी	120
15	परिशिष्ट - 2 ई0ओ0सी0 प्रयोजनार्थ उपलब्ध सामग्री का विवरण	120
16	परिशिष्ट - 3 रेत के कट्टों की व्यवस्था	120-21
17	परिशिष्ट - 4 बाढ़ से प्रभावित होने वाले प्रमुख सड़क मार्ग	121-22
18	परिशिष्ट - 5 बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विस्थापित स्थल	122
19	परिशिष्ट - 6 जालोर जिले के नजदीकी जिलों में प्राईवेट नावों का विवरण	123
20	परिशिष्ट - 7 गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र व ना.सु. विभाग के अधीन होम गार्ड्स का विवरण	123-24
21	परिशिष्ट - 8 ग्रामीण स्तर पर ग्रामवार/तहसीलवार तैराकों का विवरण	124-28
22	परिशिष्ट - 9 वाटर टैंकर्स मालिकों का उपखण्डवार विवरण	129-32
23	परिशिष्ट - 10 जनरेटर मालिकों का विवरण	132-33
24	परिशिष्ट - 11 सहायता विभाग के सर्च एवं रेस्क्यू उपकरण	133-37
25	परिशिष्ट - 12 भारत स्काउट गाईड केन्द्र तथा उपलब्ध सामग्री का विवरण	137
26	परिशिष्ट - 13 गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के पास उपलब्ध बाढ़ राहत सामग्री	138
27	परिशिष्ट - 14 जवाई नदी से प्रभावित होने वाले ग्रामों का विवरण	138
28	परिशिष्ट - 15 जवाई बांध/नदी के अधीन आने वाले बांधों का विवरण	138-39

29	परिशिष्ट - 16 अपरुद्ध होने वाले भागों का डाईवर्जन की स्थिति	139
30	परिशिष्ट - 17 कन्वेक्टर एवं लोडर मशीनरी का विवरण	140-152
31	परिशिष्ट - 18 मुख्य कोजवे, सबमर्सिबल ब्रीज की सूची	153
32	परिशिष्ट - 19 9.500 मीटर से अधिक लंबाई के मुख्य सड़क जो नदियों से कोसिंग है	153
33	परिशिष्ट - 20 एम्बुलेंस सेवा	154
34	परिशिष्ट - 21 जिले में स्थित निजी चिकित्सा संस्थानों का विवरण	155-56
35	परिशिष्ट - 22 मेडिकल स्टोर्स की सूची	157-59
36	परिशिष्ट - 23 चिकित्सा संबंधी उपकरणों की सूची	159
37	परिशिष्ट - 24 स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाएँ	160
38	परिशिष्ट - 25 पुलिस जाब्ला	160
39	परिशिष्ट - 26 पुलिस वाहन उपलब्धता	161
40	परिशिष्ट - 27 पुलिस लाइन जालोर में उपलब्ध सामग्री	161
41	परिशिष्ट - 28 ई.ओ.सी. प्रयोजनार्थ उपलब्ध वायरलेस	162
42	परिशिष्ट - 29 जिले में उपलब्ध वायरलेस संचार व्यवस्था	162-63
43	परिशिष्ट - 30 थोक व रिटेलर स्तर पर खाद्यान्न, एजपीजी गैस रिजर्व स्थिति	164-65
44	परिशिष्ट - 31 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मण्डारन की स्थिति	165
45	परिशिष्ट - 32 उचित मूल्य दुकानों की स्थिति	166
46	परिशिष्ट - 33 केरोसीन रिजर्व स्टॉक का विवरण	166
47	परिशिष्ट - 34 जिले में थोक व्यापारियों का विवरण	166
48	परिशिष्ट - 35 जिले में स्थित पेट्रोल पम्पों का विवरण	167-71
49	परिशिष्ट - 36 जिले में स्थित हलवाई	171-72
50	परिशिष्ट - 37 किराणा थोक व्यापारी	172-74
51	परिशिष्ट - 38 सब्जी विक्रेता	174-75
52	परिशिष्ट - 39 जिले में पंजीकृत एम्बुलेंस वाहनों की स्थिति	175-78
53	परिशिष्ट - 40 4x4 वाहनों की सूची	178-86
54	परिशिष्ट - 41 भारत स्काउट गाइड के आपदा प्रबन्धन केन्द्र	187
55	परिशिष्ट - 42 वन मण्डल का प्रशासनिक ढांचा	187
56	परिशिष्ट - 43 बाढ़ से प्रभावित निचले क्षेत्र एवं ठहराव स्थल	188
57	परिशिष्ट - 44 भामाशाह, चेरीटेबल ट्रस्ट एवं स्वयंसेवी संगठन	188-89
58	परिशिष्ट - 45 एनसीसी, एनएसएस एवं स्काउड (आपदा मित्र)	190-98
59	परिशिष्ट - 46 टेन्ट व्यापारियों की सूची	198
60	परिशिष्ट - 47 रानीवाड़ा डेयरी के दूध समितियों का विवरण	199
61	परिशिष्ट - 48 जालोर जिले में हुई वर्षा का विवरण 1951 से 2016 तक	200-1
62	परिशिष्ट - 49 नदियों से प्रभावित क्षेत्रों की सूची	202-4
63	परिशिष्ट - 50 सिंचाई विभाग के बांध एवं उससे प्रभावित होने वाले ग्रामों की सूची	204
64	परिशिष्ट - 51 पंचसमिति के बांध, एनीकट व खडीन की सूची	205-08
65	परिशिष्ट - 52 जिला, जालोर के महत्वपूर्ण दूरभाष नंबरों की सूची	209-24
66	परिशिष्ट - 53 भू.अ.निरीक्षक वृत्त तथा पटवार मण्डलों की सूची दूरभाष नंबर	225-33

जालोर जिला-एक नजर

जिले का कुल क्षेत्रफल	10640 वर्ग किमी.							
जिले की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011)	पुरुष				महिला		योग	
	936634				892096		1828730	
जिले में कुल साक्षरता प्रतिशत	(पु.) 70.67%				(म.) 38.47%		(कुल) 55.58%	
उपखण्ड मुख्यालय	तहसील	पंचायत समिति			नगरपरिषद / नगरपालिका	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	पटवार मण्डल
9	10	10	ग्राम पंचायत कुल स. / प. स. के सदस्यों की सं.	2/3	305	896	285	71
1	जालोर	जालोर	जालोर	29 / 17	जालोर, सांघौर / आहोर, भीनमाल, सायला			
2	आहोर	आहोर	आहोर	40 / 23				
3	सायला	भाद्राजून	सायला	44 / 25				
4	भीनमाल	सायला	भीनमाल	21 / 21				
5	जसवन्तपुरा	भीनमाल	जसवन्तपुरा	25 / 19				
6	रानीवाडा	जसवन्तपुरा	रानीवाडा	32 / 27				
7	बागोडा	रानीवाडा	बागोडा	28 / 23				
8	सांघौर	बागोडा	सांघौर	32 / 25				
9	चितलवाना	सांघौर	चितलवाना	37 / 17				
10	चितलवाना	सरनाऊ	योग	17 / 18				
				305 / 212				

जालोर जिला एक नजर

जालोर जिला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में 24°37' उत्तरी अक्षांश से 25°35' उत्तरी अक्षांश तथा 71°58' पूर्वी देशान्तर से 73°34' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जिले का क्षेत्रफल 10640 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जिले की कुल जनसंख्या 1828730 है। जिले की उत्तर पश्चिम सीमा बाड़मेर जिला, उत्तर पूर्वी सीमा पर पाली जिला, दक्षिण पूर्व सीमा पर सिरोही जिला तथा दक्षिण में गुजरात राज्य की सीमा लगती है।

भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से जिले का अधिकांश भाग चतुर्थ युगीन व अभिनूतन कालीन जमावों से आच्छादित है। ये जमाव वायु परिवहित रेत (बालू), नवीन कच्छारी मिट्टी प्राचीन कच्छारी मिट्टी तथा गिळ के रूप में जिले के अधिकांश घातल पर दृष्टिगोचर होते हैं। घट्टानों में मालानी ज्वालामुखी तथा जालोर ग्रेनाइट प्रमुख हैं। शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क जलवायु वाला जिला होने के कारण यहाँ वार्षिक एवं दैनिक तापान्तर अधिक रहता है। वर्षा का वार्षिक औसत 43.4 सेंटीमीटर है। जनवरी सबसे ठण्डा महिना होता है और न्यूनतम तापमान 1 या 2 डिग्री सेन्टिग्रेड से कम हो जाता है। मई-जून में तापमान सर्वाधिक रहता है। औसत दैनिक उच्चतम तापमान 42 या 45 डिग्री सेन्टिग्रेड रहता है। जालोर की समुद्रतल से उँचाई 173.73 मीटर है।

जिले की जन संख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1828730 है। जिनमें पुरुष जनसंख्या 936634 एवं महिला जनसंख्या 892096 है। वहीं लिंगानुपात 952 एवं बाल लिंगानुपात जीरों से छः वर्ष तक 891 है। जनसंख्या घनत्व 172 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है।

जिले में कुल साक्षरता 54.86 प्रतिशत है। जिनमें पुरुष साक्षरता 70.67 प्रतिशत तथा स्त्री साक्षरता 38.47 प्रतिशत है।

तहसील स्तर पर जनसंख्या

क्र. सं.	तहसील नाम	जनसंख्या			कुल जनसंख्या (0-6) वर्ष
		कुल व्यक्ति	पुरुष	महिला	
1.	सायला	263393	133647	129746	47741
2.	जसवंतपुरा	157009	78892	78117	26930
3.	आहोर	189189	93999	95190	29136
4.	जालोर	157217	79947	77270	25839
5.	भीनमाल	248753	127606	121147	45293
6.	रानीवाडा	206831	106586	100245	36335
7.	सांचौर	243524	126387	117137	43599
8.	चितलवाना	211059	110555	100504	39335
कुल ग्रामीण		1676975	857619	819356	294208
9.	आहोर (M)	16867	8588	8279	2401
10.	जालोर (M)	54081	28456	25625	7391
11.	भीनमाल (M)	47932	24856	23076	7403
12.	सांचौर (M)	32875	17115	15760	5254
कुल शहरी		151755	79015	72740	22449

प्रशासनिक ढांचा

प्रशासनिक दृष्टि से जालोर जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर कार्यालय तथा विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालय स्थित हैं। जिले में कुल 896 आबाद 889 एवं गैर आबाद 07 राजस्व ग्राम है। जिले में कुल 304 ग्राम पंचायत मुख्यालय है। जिले में 9 उपखण्ड कार्यालय क्रमशः जालोर, सायला, आहोर, भीनमाल, बागोडा, जसवंतपुरा, रानीवाडा, सांचौर, चितलवाना है। इसी तरह 10 तहसीलें क्रमशः जालोर, सायला, आहोर, भाद्राजून, भीनमाल, बागोडा, जसवंतपुरा, रानीवाडा, सांचौर एवं चितलवाना है, उपतहसील जीवाणा, रामसीन है तथा 10 पंचायत समिति मुख्यालय क्रमशः जालोर, सायला, आहोर, भीनमाल, रानीवाडा, जसवंतपुरा, सांचौर, चितलवाना सरनाऊ, एवं बागोडा है, जिले में कुल 305 ग्राम पंचायत तथा 2 नगरपरिषद, जालोर, सांचौर तथा 03 नगरपालिका आहोर, सायला व भीनमाल है पटवार मण्डल कुल 285 तथा भु.अ.नि वृत्त 71 है। राजनैतिक दृष्टि से जालोर व सिरोही जिला एक संसदीय क्षेत्र है वही जालोर जिले में पांच विधान सभा क्षेत्र यथा आहोर, जालोर, भीनमाल, रानीवाडा व सांचौर है।

पुलिस व्यवस्था

जालोर जिले में पुलिस व्यवस्था के तहत जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय है व जालोर, भीनमाल, आहोर में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा , जिले में कुल पुलिस थाना शहरी 05 , पुलिस थाना ग्रामीण 14, पुलिस चौकी 16, कारागार (बन्दी गृह सहित) 03 व संज्ञेय अपराध 3910 स्थापित है ।

न्यायिक व्यवस्था

जिले में न्यायिक व्यवस्था के तहत जालोर जिला मुख्यालय पर जिला सत्र न्यायाधीश कार्यालय है वही जालोर में 1 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं 1 मुख्य

न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय है जबकि जालोर में 2 अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल व सांचौर में एक-एक अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय है वही जिले में 4 मुंसिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय है।

चिकित्सा व्यवस्था

चिकित्सा व्यवस्था के तहत जिला मुख्यालय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय है वही 10 ब्लॉकों पर 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 74 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 430 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 1 क्षय निवारण केन्द्र है वही आयुर्वेद व्यवस्था के तहत जिले में 3 आयुर्वेद चिकित्सालय है वही जिले में 4 होम्योपैथिक चिकित्सालय है वही जिला मुख्यालय पर एक नवीन ट्रौमा सेन्टर भवन बना हुआ है।

शिक्षा व्यवस्था

जालोर जिले में वर्तमान में जालोर में दो व भीनमाल में एक राजकीय महाविद्यालय संचालित है वही जिले में 824 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, 1957 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है साथ ही जिले में कुल नीजी 925 एवं सरकारी 1856 विद्यालय संचालित है जबकि एक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) तथा जालोर व रानीवाड़ा में आईटीआई है। इसी प्रकार निजी शिक्षण संस्थानों की दृष्टि से जालोर व भीनमाल में बीएड कॉलेज तथा जालोर में विधि कॉलेज चल रहे हैं। सांचौर में एक निजी महाविद्यालय भी चल रहा है।

कृषि उत्पादन

जालोर जिले में कृषि उत्पादन के तहत प्रमुख पैदावारों में बाजरा, गेहूँ, मूंग, मोठ व चने की फसलें हैं वही ईसबगोल जिसे घोड़ा जीरा कहते हैं तथा सरसों का उत्पादन प्रमुखता है। जिले में खरीफ व रबी आधारित फसलें होती हैं।

पशुधन

जालोर जिले में वर्तमान में 03 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, 20 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, 51 पशु चिकित्सालय एवं 209 पशु चिकित्सालय उप केन्द्र हैं, साथ ही 01 जिला रोग निदान केन्द्र भी संचालित है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

जालोर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में 642 उचित मूल्य की दुकानें हैं जिनमें शहरी क्षेत्र में 58 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 584 दुकानें संचालित हो रही हैं। जिले में एपीएल योजना के तहत राशन कार्ड 163744 हैं वही बीपीएल योजना के तहत 65318 तथा स्टेट बीपीएल राशन कार्ड 13968 तथा अन्त्योदय अन्न योजना के कार्ड धारक 21497 हैं। जिले में एलपीजी गैस / गैस एजेंसी / राजीव गांधी ग्रामीण गैस एजेंसी सहित जिले में कुल 25 गैस एजेंसी हैं।

ग्रेनाईट उद्योग -

जालोर जिले में ग्रेनाईट उद्योग पूर्णतया विकसित अवस्था है जालोर शहर के 3 अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों में आज लगभग 800 ग्रेनाईट इकाईयां हैं वही बिशनगढ़, भागली, बागरा, सियाणा, आकोली व रामसीन में गैर व मान्यता प्राप्त लगभग 100 अतिरिक्त ग्रेनाईट इकाईयाँ स्थापित हैं जिसमें कुल अनुमानित 2 हजार करोड़ का निवेश हो रहा है। जालोर में ग्रेनाईट की विभिन्न किस्म की टाईल्स तैयार की जाती हैं।

जिले की लोक संस्कृति

जालोर की प्रमुख लोक संस्कृति में जालोर का गैर नृत्य प्रमुख है जिसमें आहोर तहसील क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों के लोक कलाकारों ने गैर व ढोल नृत्य के माध्यम से अपनी लोक कलाओं का प्रदर्शन किया है वहीं नवरात्रि के दौरान डांडिया नृत्य, होली पर महिलाओं का लूर नृत्य एवं पुरुषों द्वारा बजाया जाने वाला चंग नृत्य तथा गैर नृत्य प्रमुखता से लिये हुए हैं।

जिले का हस्तशिल्प

जालोर जिले में हस्तशिल्प उद्योग के अन्तर्गत लेटा का खेसला, भीनमाल व सांचौर का ऊनी पट्टू व दरी पट्टी जालोर व आहोर पंचायत समिति के अनेक ग्रामों में मिट्टी के खिलोने, जालोर, भीनमाल व रानीवाड़ा क्षेत्र में चमड़े की जूती आदि प्रमुख रूप से बनाई जाती है। इसी प्रकार जालोर के ग्रेनाइट की घड़िया, चकले, नेम प्लेट, खरल, एसट्रे एवं टेबले आदि भी बनाई जाती है तो जालोर में लकड़ी के खिलोने व पुराने फर्नीचर का निर्माण भी किया जाता है।

जालोर जिले के दर्शनीय स्थल

जिले में राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा तीन संरक्षित स्मारक घोषित किये गये हैं। जिसमें जालोर का ऐतिहासिक दुर्ग (स्वर्णगिरि दुर्ग) जो कि 1200 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा नगर के मध्य तोपखाने के नाम से जाना जाता है, इसे परमार राजा भोज ने अपने शासनकाल के दौरान आठवीं शताब्दी में यहाँ बनवाया था, जो कि कालान्तर में राठौड़ों के समय तोपे रखे जाने के कारण तोपखाना हुआ और तीसरा भाद्राजून की कलात्मक छतरियाँ हैं। इसके अतिरिक्त तहसील भीनमाल में स्थित कोटकास्ता दुर्ग भी एक प्राचीन धरोहर है। जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में अरावली की पर्वत श्रृंखला में सुन्धा पर्वत पर मां चामुण्डा का मंदिर व जालोर में कनकाचल पर्वत पर सिरें मंदिर प्रमुख हैं। अन्य दर्शनीय स्थलों में सेवाड़ा (रानीवाड़ा) का पातालेश्वर महादेव मंदिर, रामसीन में आपेश्वर महादेव मंदिर, मोदरा में आशापुरी माताजी का मंदिर, भीनमाल में वराहरयाम का मंदिर, क्षेमकरी माताजी का मंदिर व 72 जिनालय जैन मंदिर, भाण्डवपुर का जैन मंदिर, मांडवला का जहाज मंदिर, सांचौर का सती दाक्षायणी मंदिर, गोलासन का हनुमान मंदिर, जालोर के पास जागनाथ महादेव मंदिर, विशनगढ का कैलाश धाम, भाद्राजून की पहाड़ियों पर सुभद्रा माता का मंदिर (धुम्बड़ा) एवं विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा (सांचौर) आदि प्रमुख हैं।

राज्य सरकार द्वारा चितलवाना तहसील के राजस्व ग्राम रणखार में वन्य जीव मुख्यतः जंगली गधा, चिकारा एवं प्रवासी पक्षियों के संरक्षण को देखते हुए इसे संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है।

जिले की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं :-

नर्मदा नहर परियोजना

नर्मदा नहर गुजरात के सरदार सरोवर बांध से 458 कि.मी. से चलती हुई राजस्थान के सांचौर जिले के सीलू ग्राम में पहुँची है जहाँ से विभिन्न वितरिकाओं के द्वारा जालोर व बाडमेर जिले को सिंचाई सुविधा मुहैया हो रही है। नर्मदा नहर से जिले में सिंचाई व पेयजल के लिए अलग-अलग योजनाओं को स्वीकृत किया गया है जिसमें एफआर प्राजेक्ट, डीआर प्रोजेक्ट, ईआर प्रोजेक्ट, बाण्डी सिणधरा सिंचाई परियोजना प्रमुख है।

जिले की प्रमुख समस्याएँ

जालोर जिले की प्रमुख समस्याओं में जालोर जिले में उपलब्ध पीने के पानी में फ्लोराईड्स की अधिकता होने के कारण यहाँ के निवासियों में फ्लोरोसिस की बीमारी है जिसके कारण 50 वर्ष से अधिक के लोगों के घुटनों में दर्द या घुटनों का टेढ़ा-मेढ़ा हो जाना सामान्य है । इसी प्रकार जालोर जिले के प्रवासी बन्धु दक्षिण भारत में व्यवसाय करते रहते हैं तथा जिले में ब्रोडगेज बन जाने के बावजूद भी रेल परिवहन व्यवस्थाओं की कमी महसूस हो रही है वही जालोर जिले के ग्रेनाइट पत्थर की स्लरी भी एक प्रकार की समस्या है जिसका निदान किया जाना है ।

(Chapter) अध्याय-1

1.1 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य

पृथ्वी एवं प्रकृति की शुरुआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है, परन्तु आज भी प्राकृतिक आपदाएँ एवं अन्य आकस्मिक घटनाएँ मनुष्य के नियंत्रण में नहीं हैं। कल युग में प्रौद्योगिक और आद्योगिक विकास ने मनुष्यकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिए हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं के कारण विनाशकारी प्रभाव पड़ता है जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है।

भारत देश भी प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़/चक्रवात, भूकम्प सूखा, ओलावृष्टि, लू-तापघात आदि से ग्रस्त है जिनसे मानव जीवन को अधिकतम क्षति होती है। सूखा व बाढ़ जैसी आपदाओं से फसल और वनस्पति को भारी नुकसान के अलावा पशु धन के साथ-साथ निजी तथा सार्वजनिक सम्पतियाँ भी नष्ट हो जाती हैं। 1999 में उड़ीसा में आये तूफान , 2001 में गुजरात का भूकम्प तथा वर्ष 2013 में उत्तराखण्ड में आई बाढ़ त्रासदी विनाश के ताजे उदाहरण हैं। इसके साथ ही देश एवं विदेश में बाढ़ एवं तूफान जैसी आपदाएँ आज कल आम हो गयी है। जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना बनाने के उद्देश्य निम्न है:-

- (1) जिला में संभावित आपदाओं से होने वाले खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर पूर्व तैयारियों की समीक्षा कर निर्धारित करना।
- (2) जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
- (3) अपना न्यूनीकरण (Minimisation) के विभिन्न पहलुओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
- (4) जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
- (5) आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वयन करना।
- (6) राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबंधन औजार बनाना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारु रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो की अत्यन्त महत्वपूर्ण

होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति-आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है:-

- (क) आपदा संबंधी कार्यों के राही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
- (ख) इससे संबंधित समस्त विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
- (ग) कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
- (घ) उपलब्ध सुविधा और स्रोतों की सूची तैयार करना।
- (ङ) स्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
- (च) सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।
- (छ) राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

गुजरात के भुज में 26.1.2001 को आये विनाशकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देश को जूझना पड़ा था। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16 फरवरी 2001 को राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय ने पिछले साल की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर के आयुध डिपो में आग, बीकानेर के लुणकरणसर में बाढ़ तथा पिछले साल के सुखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने व बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाये ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबन्धन योजना में प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख होगा। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सके।

उत्तराखण्ड राज्य में 16 एवं 17 जून, 2013 में घटित प्राकृतिक आपदा बाढ़ त्रासदी से भी प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश को भी इस आपदा से जूझना पड़ा था। मानव क्षति, पशु क्षति, सम्पदा क्षति भारी तादाद में हुई थी, जो कि एक ताजा उदाहरण ही कहा जा सकता है।

1.2 AUTHORITY AND THE DISASTER MANAGEMENT ACT, 2005

For prevention and mitigation effects disasters and for undertaking a holistic, co-ordinated and prompt response to any disaster situation it has been decided by the government to enact a law on disaster management to provide for requisite institutional mechanisms for drawing up and monitoring the implementation of the disaster management plans, ensuring measures by various wings of Government. To achieve this objective the disaster management Bill was introduced in the parliament.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1- The Government has decided to enact a law on disaster management to provide for requisite institutional mechanisms for drawing up and monitoring the implementation of the disaster management plans, ensuring measures by various wings of Government for prevention and mitigating effects of disasters and for undertaking a holistic, coordinated and prompt response to any disaster situation.

2- The Disaster Management Bill, 2005 provides for setting up of a National Disaster Management authority under the chairmanship of the Prime Minister, State Disaster Management Authorities under the chairmanship of the chief ministers and District Disaster Management Authorities under the chairmanship of district Magistrates. The Bill also provides for concerned ministries or Departments to draw up Department wise plans in accordance with the National Disaster Management plan. It provides for constitution of a National Disaster Response Force and setting up the National Institute of Disaster Management. The Bill provides for the constitution of the National fund for Disaster Response and the National fund for disaster Mitigation and similar funds at the state and District levels. The Bill provides for specific role for local Bodies in disaster management including Panchayati Raj Institutions as well as Urban Local Bodies like municipalities.

3- The proposed enactment will facilitate effective steps for the mitigation of disasters, prepare for and coordinate effective response to disasters, as also matters connected therewith or incidental thereto.

4- The Bill seeks to Achieve the above objects. ACT 53 OF 2005

The Disaster Management Bill having been passed by both the house of parliament received the assent of the president on 23rd December, 2005 it came on the statute Book as THE DISASTER MANAGEMENT ACT, 2005 (53 OF 2005)

THE DISASTER MANAGEMENT ACT 2005 (53 OF 2005)
[23rd December, 2005]

An Act to provide for the effective management of disasters and for matters connected therewith or incidental thereto. Be it enacted by parliament in the Fifty-sixth Year of the republic of India as follows:-

CHAPTER 1 PRELIMINARY

(1) Short title, extent and commencement:- (1) This Act may be called the Disaster Management Act, 2005

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on such date as the central Government may, by notification in the Official Gazette appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Act and for different states, and any reference to commencement in any provision of this Act in relation to any state shall be construed as a reference to the commencement of that provision that state.

2. Definitions- In this Act unless the context otherwise requires-

(a) "affected area" means an area or part

(b) "capacity - building" includes-

(i) Acquiring or creating resources identified under sub-clause

(ii) (iii) organization and training of personnel and coordination of such training for effective management of disasters,

(C) "Central Government" means the ministry or Department of the Government of India having administrative control of disaster management;

(D) "Disaster" means a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or man made causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of property, or damage to, or degradation of, environment, and is of such a nature

or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area;

Disaster Management Act, 2005

(e) "disaster management" means a continuous and integrated process of planning organising, coordinating and implementing measures which are necessary or expedient for-

(i) Prevention of danger or threat of any disaster;

(ii) Mitigation or reduction of risk of any disaster or its severity or consequences;

1 Sections 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 75, 77 and 79 came into force on 28-7-2006, tilde S.O. 1216 (E), Dated 28 th July, 2006

section 7, 9, 11, 12, 13, 35, 37, 42, 43, 49, 50, sub-section (1) of section 70 and section 76 came into force on 30-10-2006 sections 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 sub- section (2) of section 70, section 71, 72, 73, 74, 78 and 79 shall come into force on 1-8-2007, vide

S.O.0.722 (E), Dated 7 th May, 2007 Sections 44 and 45 come into force on 17-3-2008, vide SO. 517 (E) dated 17 th, 2008.

[Sec. 2]

- (iii) Capacity building;
 - (iv) preparedness to deal with any disaster;
 - (v) prompt response to any threatening disaster situation or disaster;
 - (vi) assessing the severity or magnitude of effects of any disaster;
 - (vii) evacuation, rescue and relief;
 - (viii) rehabilitation and reconstruction;
 - (f) "District Authority" means the District Disaster Management Authority constituted under sub-section (1) of section 25;
 - (g) "District plan" means the plan for disaster management for the district prepared under section 31;
 - (h) "Local Authority" includes panchayati Raj institutions, municipalities, a District board, cantonment board, town planning authority or Zila parishad or any other body or Authority, by whatever name called, for the time being invested by law, for rendering essential services or, with the control and management of civil services, within a specified local area;
 - (i) "mitigation" means measures aimed at reducing the risk, impact or effects of a disaster or threatening disaster situation;
- Disaster Management Act, 2005 [Sec. 2]
- (i) "National Authority" means the National Disaster Management Authority established under sub-section (1) of section 3;
 - (K) "National Executive committee" means the executive committee of the National Authority Constituted under sub-Section (1) of section 8;
 - (l) " National Plan" means the plan for disaster management for the whole of the country prepared under section 11;
 - (m) "Preparedness" means the state of readiness to deal with a threatening disaster situation or disaster and the effects thereof;
 - (n) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act
 - (o) "reconstruction" means construction or restoration of any property after a disaster;
 - (p)" resources" includes manpower, service materials and provisions;
 - (q) "state Authority" means the state disaster management Authority established under sub-section (1) of section 14 and includes the Disaster Management Authority for the union Territory constituted under that section;
 - (r) "state Executive committee" means the executive committee of a state Authority constituted under sub-section (1) of section 20;
 - (s) "state Government " means the Department of Government of the state having administrative control of disaster management and includes administrator of the Union territory appointed by the president under article 239 of the constitution;
 - (t) "state Plan" means the plan for disaster management for the whole of the state prepared under section 23

The Disaster Management Act. 2005 [Sec. 3]

CHAPTER- II

THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

3. Establishment of National Disaster Management Authority- r-(1) with effect from such date as the central Government may, by notification in the official Gazette appoint in this behalf, there shall be established for the purposes of this Act, an authority to be known as the National Disaster Management Authority
- (2) The National Authority Shall consist of the Chairperson and such number of other member not exceeding nine, as may be prescribed by the central Government and, unless the rules otherwise provide the National authority shall consist of the following:-
- (a) the prime Minister of India, who shall be the chairperson of the National Authority ex officio;
- (b) other member, not exceeding nine, to be nominated by the chairperson of the National Authority
- (3) The Chairperson of the National Authority may designate one of the members nominated under clause (b) of sub-section (2) to be the vice chairperson of the National Authority;
- (4) The term of Office and conditions of service of members of the National Authority shall be such as may be prescribed.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 3 seeks to establish the National Disaster Management Authority (hereinafter called the National Authority) and provide for its composition

- 4 Meetings of National Authority - (1) The National Authority shall meet as and when necessary and at such time and place as the chairperson of the National Authority may think fit.
- (2) The Chairperson of the National Authority shall preside over the meetings of the National Authority
- (3) If for any reason the Chairperson of the National Authority is unable to attend any meeting of the National Authority, the *Vice Chairperson of the National Authority shall preside over the meeting.
- The Disaster Management Act, 2005 [sec.3]

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 4 seeks to make provisions for the meetings of the National Authority

5- Appointment of officers, and other employees of the National Authority -The Central Government shall provide the national Authority with such Officers, consultants and employees, as it considers necessary, for carrying out the functions of the National Authority

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 5 Seeks to create an obligation on the Central Government to provide the National Authority with officers, consultants and other employees, a considered by it, for carrying out the functions of the National Authority.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 6]

6. Powers and functions of National Authority -(1) Subject to the rovisions of this Act, the National Authority shall have the responsibility for laying down the policies, plans and guidelines for disaster management for ensuring timely and effective response to disaster.

(2) Without prejudice to generality of the provision contained in subsection

(1) the National Authority may-

(a) lay down policies on disaster management

(b) approve the National plan;

(c) approve plans prepared by the ministries or departments of the Government of India in accordance with the National plan;

(d) lay down guideline to be followed by the state Authority in drawing up the state plan;

(e) lay down guidelines to be followed by the different ministries or Departments of the Government of India for the purpose of integrating the measure for revention of disaster or the mitigation of its effects in their development plans and projects;

(f) coordinate the enforcement and implementation of the policy and plan for disaster management;

(g) recommend provision of funds for the purpose of mitigation;

(h) Provide such support to other countries affected by major disasters as may be determined by the Central Government

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 6]

(i) take such other measures for the prevention of disaster, or the mitigation, or preparedness and capacity building for dealing with the threatening disaster situation or disaster as it may consider necessary;

(i) lay down board policies and guidelines for the functioning of the National institute of Disaster Management;

(3) The Chairperson of the National Authority shall, in the case of emergency, have power to exercise all or any of the powers o the National Authority but exercise of such powers shall be subject to a post factoratification by the National Authority

COMMENTS

As per Notes on clauses of the Bill

Section 6 seeks to lay down the responsibility and functions of the National Authority and provides for exercise of the powers of the Authority by its Chairperson, in the case of emergency, subject to post facto ratification by the national Authority.

7. Constitution of Advisory committee by National Authority - (1) The National Authority may constitute an advisory committee consisting of experts in the field of disaster management and having practical experience of disaster management at the national, state or Disast level to make recommendations on different aspects of disaster management.

(2) The Members of the Advisory Committee shall be paid such allowances as may be prescribed by the central Government in consultation with the National Authority.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 7]

COMMENTS

As per Notes on clauses of the Bill

Section 7 seeks to provide for constitution of an advisory Committee by the National. Authority and also the Central Government to prescribe allowances to be paid to the members of the Advisory Committee.

8. Constitution of National Executive Committee-(1) The Central Government shall, immediately after issue of notification under sub- section (1)

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 7]

of section 3, constitute a National Executive committee to assist the National Authority in the performance of its functions under this Ad

(2) The National Executive Committee shall consist of the following members namely:-

(a) the Secretary to the Government of India Charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the disaster management, who shall be chairperson, ex officio;

(b) the Secretaries to the Government of India in the Ministries or Departments having administrative control of the agriculture, atonic energy, defense, drinking water supply, environment and forests, finance (expenditure), health power, rural development science and technology space, telecommunication, urban development, water resources and the chief of the integrated defense staff of the chiefs of staff committee, ex officio.

(3) The Chairperson of the National Executive Committee may invite any other officer of the Central Government or a state Government for taking part in any meeting of the National Executive Committee and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the Central Government in consultation with the National Authority.

(4) The Procedure to be followed by the National executive committee in exercise of its powers and discharge of its functions shall be such as may be prescribed by the Central Government.

COMMENTS

As per Notes on clauses of the Bill

Section 8 seeks to provide for the constitution of the National Executive committee to assist the National Authority it also seeks to authorise the Central Government to prescribe the powers functions and procedure of the National Executive Committee.

9. Constitution of sub- committees --(1) The National Executive committee may, as and when it considers necessary, constitute one or more sub-committees, for the efficient discharge of its functions.

(2) The National Executive Committee shall, from amongst its members, appoint the chairperson of the sub Committee referred to in sub section

(1)

(3) Any person associated as an expert with any sub-committee may be paid such allowance as may be prescribed by the central Government.

The Disaster Management Act 2005 [Sec.7]

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 9 seeks to provide for the constitution of sub committees by the National Executive Committee and enables the Central Government to prescribe and make payment of allowance to any person associated as an expert in any sub committee.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 10]

10. Powers and functions of National Executive Committee-(1) The National Executive committee shall assist the National Authority in the discharge of its functions and have the responsibility for implementing the policies and plans of the National Authority and ensure the Compliance of directions issued by the central Government for the purpose of disaster management in the country.

(2) Without Prejudice to the generality of the provisions contained in subsection (1), the National Executive Committee may-

- (a) act as the coordinating and monitoring body for disaster management;
- (b) prepare the National plan to be approved by the National Authority;
- (c) Coordinate and. monitor the implementation of the National Policy;
- (d) lay down guidelines for preparing disaster management plans by different ministries or Departments of the Government of India and the state Authorities;
- (e) Provide necessary technical assistance to the state Governments and the state Authorities for preparing their disaster management plans in accordance with the guidelines laid down by the National Authority;
- (f) monitor the implementation of the National plan and the plans prepared by the ministries or Departments of the Government of India;
- (g) monitor the implementation of the guidelines laid down by the National Authority for integrating of measures for prevention of disasters and mitigation by the Ministries or departments in their development plans and projects;
- (h) monitor, coordinate and give directions regarding the mitigation and preparedness measures to be taken by different Ministries or Departments and agencies of the Government;

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 10]

(i) Evaluate the preparedness at all Governmental level for the purpose of responding to any threatening disaster situation or disaster and give directions, where necessary, for enhancing such preparedness;

(j) plan and coordinate specialised training programme for disaster management for different levels of officers, employees and voluntary rescue workers;

- (k) Coordinate response in the event of any threatening disaster situation or disaster;
- (l) lay down guidelines for, or give directions to, the concerned ministers or Departments of the Government of India, the state Governments and the state Authorities regarding measures to be taken by them in response to any threatening disaster situation or disaster;
- (m) require any Department or Agency of the Government to make available to the National or state Authorities such men or material resources as are available with it for purposes of emergency response, rescue and relief;
- (n) advise assist coordinate the activities of the Ministries or Departments of the Government of India, state Authorities statutory bodies, other Governmental or non-Governmental organisations and others engaged in disaster management;
- (o) provide necessary technical assistance or give advice to the state Authorities and district Authorities for carrying out their functions under this Act.
- (p) prompt general education and awareness in relation to disaster management; and
- (q) perform such other functions as the National Authority may require it to perform.

COMMENTS

As per Notes on clauses to the bill

section 10 seeks to prescribe the powers and functions of the National Executive Committee.

11. National Plan -(1) There shall be drawn up a plan for disaster management for the whole of the country to be called the National Plan.

(2) The National Plan shall be prepared by the National Executive Committee having regard to the National policy and in consultation with the

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 10]

State Governments and expert bodies or organisations in the field of disaster management to be approved by the National Authority

(3) The National Plan Shall include-

(a) Measures to be taken for the prevention of disasters, or the mitigation of their effects;

(b) measures to be taken for the integration of mitigation measures in the development plans;

(c) measures to be taken for preparedness and capacity building to effectively respond to any threatening disaster situations or disaster;

(d) roles and responsibilities of different Ministries or Departments of the Government of India in respect of measures specified in clauses (a), (b) and (c)

(4) The National Plan shall be reviewed and updated annually

(5) Appropriate Provisions shall be made by the Central Government for financing the measures to be carried out under the National Plan.

(6) Copies of the National plan referred to in sub-sections (2) and (4) shall be made available to the ministries or Departments of the Government of India and such Ministries or Departments shall draw up their own plans in accordance with the National.

COMMENTS

As per Notes on clauses of the Bill

Section 11 seeks to make it mandatory to prepare the National Disaster management

Plan for the whole of the country. it lays down the board coverage of the plan and the requirements of consultation in the preparation of the plan. It provides for annual review and

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 14]

Updating of the National plan it enjoins upon the Central Government to make provisions for financing the activities to be carried out under the National Plan. It also provides for the Ministries or Departments of the Government of India to draw up their own plans in accordance with the national Plan.

12. Guidelines for minimum standards of relief - The National Authority shall recommend guidelines for the minimum standards of relief to be provided to persons affected by disaster, which shall include-

- (i) The minimum requirements to be provided in the relief camps in relation to shelter, food, drinking water, medical cover and sanitation;
- (ii) the special provisions to be made for widows and orphans;
- (iii) ex gratia assistance on account of loss of life as also assistance on account of damage to houses and for restoration of means of livelihood
- (iv) such other, relief as may be necessary.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 12 seeks to provide for laying down the guidelines by the National Authority for minimum standards of relief and spells out certain important aspects to be included in the guidelines.

13. Relief in loan repayment etc - The National Authority may, in cases of disasters of severe magnitude, recommend relief in repayment of loans or for grant of fresh loans to the persons affected by disaster on such concessional terms as may be appropriate.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 13 seeks to empower the National Authority, in cases of disasters of severe magnitude, to give directions regarding relief in repayment of loans or for grant of fresh loans on concessional terms to the persons affected by such disasters.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 14]

CHAPTER III

STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITIES

14. Establishment of state Disaster Management Authority -(1) Every State Government shall, as soon as may be after the issue of the notification under sub-section

(1) of Section 3, -by notification in the official Gazette establish a state Disaster Management Authority for the state with such name as may be specified in the notification of the state Government.

(2) A state Authority shall consist of the Chairperson and such number of other members, not exceeding nine; as may be prescribed by the state Government and, unless the rules otherwise provide, the state Authority shall consist of the following members, namely:-

(a) the Chief minister of the state, who shall be chairperson, ex officio;

(b) other members not exceeding eight to be nominated by chairperson of the state Authority.

(c) The Chairperson of the state Executive Committee, ex officio

(3) The chairperson of the state Authority may designate one of the members nominated under clause (b) of sub-section (2) to be the vice chairperson of the state Authority

(4) The Chairperson of the state Executive committee shall be; the chief executive officer of the state Authority, ex officio; Provided that in the case of a union territory having legislative Assembly, except the Union territory of Delhi, the chief Minister shall be the Chair person of the Authority established under this section and in case of other Union territories, the Lieutenant Governor or the Administrator shall be the Chairperson of that Authority : Provided further that the Lieutenant Governor of the Union Territory of Delhi shall be the Chairperson and the Chief Minister thereof shall be the Vice- Chairperson of the state Authority.

(5) The term of Office and conditions of service of members of the state Authority shall be such as may be prescribed.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 14 seeks to provide for the establishment of the state Disaster Management Authority (hereinafter called the state Authority) by the state government provides for the composition of the state Authority

The Disaster Management Act., 2005 [Sec. 14]

15. Meetings of the state Authority- (1) The state Authority shall meet as and when necessary and at such time and place as the chairperson of the state Authority may think fit.

(2) The Chairperson of the state Authority shall preside over the meetings of the state Authority

(3) If for any reason, the Chairperson of the state Authority is unable to attend the meeting of the state Authority, the Vice- Chair person of the state Authority shall preside at the meeting.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 15 Seeks to provide for the frequency, venue and presiding Authority for the meetings of the state Authority.

16. Appointment of officers and, other employees of state Authority-

The State Government shall provide the state Authority with such Officers, consultants and employees, as it considers necessary, for carrying out the functions of the state Authority

COMMENTS

As Per Notices on Clauses of the Bill

Section 16 seeks to enjoin upon the state Government concerned to provide the state Authority with such officers consultants and other employees, as it consider necessary for carrying out the functions of the state Authority

17. Constitution of Advisory committee by the state Authority -(1) A State Authority may, as and when it considers necessary, constitute an advisory committee, consisting of experts in the field of Disaster management and having practical experience of disaster management to make recommendations on different aspects of disaster management.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 19]

(2) The members of the Advisory Committee shall be paid such allowances as may be prescribed by the state Government.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 17 seeks to provide for the constitution of an advisory committee by the state authority and also seeks to enable the state government to prescribe allowances and to make payment of such allowances to the members of the Advisory committee

18 Powers and functions of State Authority - (1) Subject to the provisions of this Act a state Authority shall have the responsibility for laying down policies and plans for disaster management in the state.

(2) without prejudice to the generality of provisions contained in subsection.

(1) the state Authority may-

(a) lay down the state disaster management policy -

(b) approve the state plan in accordance with the guidelines laid down by national Authority,

- (c) approve the disaster management plans prepared by the departments of the government of the state;
 - (d) lay down guidelines to be followed by the departments of the government of the state for the purposes of integration of measures for prevention of disasters and mitigation in their development plans and projects and provide necessary technical assistance therefore.
 - (e) coordinate the implementation of the state plan
 - (f) recommend provision of funds for mitigation and preparedness measures;
 - (g) review the development plans of the different departments of the state and ensure that prevention and mitigation measures are integrated therein;
 - (h) review the measures being taken for mitigation, capacity building and preparedness by the departments of the Government of the state and issue such guidelines as may be necessary
- (3) The Chairperson of the state Authority shall, in the case of emergency, have power to exercise all or any of the power of the state Authority but the exercise of such powers shall be subject to a post facto ratification of the state Authority
- The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 19]

COMMENTS

As Per Notes on Clauses of the Bill

Section 18 Seeks to lay down the responsibility and functions of the state Authority and provides for exercise of the powers of the state Authority by its Chairperson in the case of emergency, subject to post facto ratification by the state Authority

19. Guidelines for minimum standard of relief by state Authority - The State Authority shall lay down detailed guidelines for providing standards of relief to persons affected by disaster in the state. Provided that such standards shall in no case be less than the minimum standards in the guidelines laid down by the National Authority in this regard.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 19 seeks to provide for laying down detailed guidelines by the state Authority for minimum standards of relief, which will not be less than the minimum standards laid down in the guidelines by the National Authority

20 Constitution of state Executive committee - (1) The State Government shall, immediately after issue of notification under sub-section (1) of section 14, constitute a state executive committee to assist the state Authority in the performance of its functions and to coordinate action in accordance with the guidelines laid down by the state Authority and ensure the compliance of directions issued by the state Government under this Act.

(2) The State Executive Committee shall consist of the following members, namely:-

- (a) The chief secretary to the State Government, who shall be chairperson, ex officio;
- (b) Four secretaries to the Government of the state of such Departments as the state Government may think fit, ex officio.
- (3) The chairperson of the state Executive committee shall exercise such power and perform such functions as may be prescribed by the state Government and such other powers and functions as may be delegated to him by the state Authority
- (4) The procedure to be followed by the state executive committee in exercise of its powers and discharge of its functions shall be such as may be prescribed by the state Government.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec.19]

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 20 seeks to provide for the constitution of the state Executive Committee to assist the state Authority it also seeks to authorise the state Government to prescribe the powers, function and procedure of the state Executive committee. In addition, delegation of powers and functions to the state Executive Committee by the State Authority is envisaged.

21. Constitution of sub- committees by state Executive Committee-

- (1) The State Executive committee may, as and when it considers necessary, constitute one or more sub- committees, for efficient discharge of its functions.
- (2) The State Executive Committee shall, from amongst its members, appoint the Chairperson of the sub- committee referred to in sub- section
- (3) Any person associated as an expert with any sub- committee may be paid such allowances as may be prescribed by the state Government.

22. Functions of the State Executive Committee-

- (1) The State Executive committee shall have the responsibility for implementing the National plan and state plan and act as the coordinating and monitoring body for management of disaster in the state.
 - (2) Without prejudice to the Generality of the provisions of sub- section (1), the state Executive Committee may-
 - (a) Coordinate and monitor the implementation of the National Policy, the National plan and the state Plan,
- Disaster Management Act. 2005 [Sec. 22]
- (b) Examine the vulnerability of different parts of the state to different parts of the state to different forms of disasters and specify measures to be taken for their prevention or mitigation,
 - (c) lay down guidelines for preparation of disaster management plans by the Departments of the Government of the State and the District Authorities;
 - (d) Monitor the implementation of disaster management plans prepared by the departments of the Government of the State and District Authorities,

(e) monitor the implementation of the guidelines, laid down by the state Authority for integrating of measures for prevention of disasters and mitigation by the Departments in their development plans and projects;

Disaster Management Act. 2005 [Sec. 22]

(f) evaluate preparedness at all Governmental or non-Governmental levels to respond to any threatening disaster situation or disaster and give direction, where necessary, for enhancing such preparedness;

(g) Coordinate response in the event of any threatening disaster situation or disaster;

(h) give directions to any Department of the Government of the state or any other Authority or body in the State regarding actions to be taken in response to any threatening disaster situation or disaster;

(i) promote general education, awareness and community training in regard to the forms of disasters to which different parts to the state are vulnerable and the measures that may be taken by such community to prevent the disaster, mitigate and respond to such disaster;

(j) advise, assist and coordinate that activities of the Departments of the Government of the state, District Authorities, statutory bodies and other Governmental and non Governmental organisations engaged in disaster management;

(k) Provide necessary technical assistance or give advice to District Authorities and local Authorities, for carrying out their functions effectively;

(l) advise the state Government regarding all financial matters in relation to disaster management

(m) examine the construction, in any area in the state and if is of the opinion that the standards laid for such construction for the prevention of disaster is not being or has not been followed, may direct the District Authority or the local Authority, as the case may be, to take such action as may be necessary to secure compliance of such standards,

(n) Provide information to the National Authority relating to different aspects of disaster management;

(o) lay down, review and update state level response plans and guidelines and ensure that the District level plans are prepared, reviewed and updated;

(p) ensure that communication systems are in Order and the disaster management drills are carried out periodically;

(q) perform such other functions as may be assigned to it by the state Authority or as it may consider necessary.

Disaster Management Act. 2005 [Sec. 22]

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 22 seeks to specify the responsibility and functions of the state Executive Committee

23. State Plan (1) There shall be plan for disaster management for every state to be called. The state Disaster Management plan.

(2) The State plan shall be prepared by the state Executive committee having regard to the guidelines laid down by the National Authority and after such consultation with local Authorities, District Authorities and the people's representatives as the state Executive committee may deem fit.

(3) The state plan prepared by the state Executive committee under subsection.

(2) shall be approved by the state Authority

(4) The state Plan. shall include,-

(a) the vulnerability of different parts of the state to different forms of disaster's.

(b) the measures to be adopted for prevention and mitigation of disaster's

(c) the manner in which the mitigation measures shall be integrated with the development plans and projects;

(d) the capacity- building and preparedness measures to be taken;

(e) the roles and responsibilities of each Department of the Government of the state in relation to the measures specified in clauses (b), (c) and (d) above;

(f) the roles and responsibilities of different Departments of the Government of the state in responding to any threatening disaster situation or disaster;

(5) The State plan shall be reviewed and updated annually

(6) Appropriate provisions shall be made by the state Government for financing for the measures to be carried out under the state Plan.

(7) Copies of the state Plan referred to in sub-sections (2) and (5) shall be made available to the Departments of the Government of the state and such Departments shall draw up their own plans in accordance with the state plan.

Disaster Management Act, 2005 [Sec. 22]

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 23 seeks to make it mandatory for the state to have the state Disaster Management Plan. It lays down the broad coverage of the plan as well as the requirements of consultation in the preparation of the state Plan. It Provides for annual review and updating the state Plan. It enjoins upon the state Government to make provisions for financing the activities to be carried out under the state Plan. it also provides for the Departments of the state Government to draw up their own plans in accordance with the state plan.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec.25]

24. Powers and functions of state Executive Committee in the event of threatening disaster situation- for the purpose of, assisting and protecting the community affected by disaster or providing relief to such community or, preventing or combating disruption or dealing with the effects of any threatening disaster situation, the state Executive committee may?

- (a) control and restrict, vehicular traffic to, from or within, the vulnerable or affected area;
- (b) control and restrict the entry of any person into, his movement within and departure from, a vulnerable or affected area;
- (c) remove debris, conduct search and carry out rescue operations;
- (d) Provide shelter, food, drinking water, essential provisions, healthcare and service in accordance with the standards laid down by the National Authority and state Authority;
- (e) give direction to the concerned Department of the Government of the state, any district authority or other authority, within the local limits of the state to take such measure or steps for rescue, evacuation or providing immediate relief saving lives or property, as may be necessary in its opinion;
- (f) require any Department of the Government of the state or any other body or Authority or person in charge or any relevant resources to make available the resources for the purposes of emergency response, rescue and relief;
- (g) require experts and consultants in the field of disasters to provide advise and assistance for rescue and relief;

The Disaster Management Act, 2005 [Sec.25]

- (h) Procure exclusive or preferential use of amenities from any Authority or person as and when required;
- (i) construct temporary bridges or other necessary structures and demolish unsafe structures which may be hazardous to public;
- (j) Ensure that non -Governmental organisations carry out their activities in an equitable and non discriminatory manner;
- (k) Disseminate information to public, to deal with any threatening disaster situation or disaster;
- (l) take such steps as the Central Government or the state Government may direct in this regard or take such other steps as are required or warranted by the form of any threatening disaster situation or disaster.

COMMENTS

As Per Notes on Clauses of the Bill

section 24 seeks to lay down the powers and functions of the state executive committee in the event of a disaster or a threatening disaster situation.

CHAPTER IV

DISTRICT DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

25. Constitution of District Disaster Management Authority-

(1) Every State Government shall, as soon as may be after issue of notification under sub-section (1) of section 14, by notification in the official Gazette, establish

a District Disaster Management Authority for every district in the state with such name as may be specified in that notification.

(2) The District Authority shall consist of the Chairperson and such number of other members, not exceeding seven, as may be prescribed by the state Government, and unless the rules otherwise provide, it shall consist of the following namely:-

(a) the collector or District Magistrate or Deputy Commissioner, as the case may be, of the District who shall be chairperson, ex officio;

(b) the elected representative of the local Authority who shall be the co Chairperson, ex officio: Provided that in the Tribal Areas, as referred to in the sixth schedule to the Constitution, the chief executive Member of the

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 25]

District council of autonomous District, Shall be the co-Chairperson, ex officio;

(c) the Chief Executive officer of the District Authority, a officio;

(d) the Superintendent of Police, ex officio;

(e) the chief Medical officer of the District, a officio;

(f) not exceeding two other District level officers, to be appointed by the state Government.

(3) in any District where Zila Parishad exist, the Chairperson thereof shall be the co- Chairperson of the District Authority

(4) The State Government shall appoint an Officer not below the rank of Additional Collector or Additional District Magistrate or Additional Deputy Commissioner, as the case may be, of the District to be the Chief Executive officer of the District Authority to exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the state Government and such other powers and functions as may be delegated to him by the District Authority

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 25 seeks to provide for the establishment of the District Disaster Management Authority for every District and provides its composition.

26. Power of Chairperson of District Authority-

(1) The Chairperson of the District Authority shall, in addition to presiding over the meetings of the District Authority, exercise and discharge such power and functions of the District Authority as the District Authority may delegate to him.

(2) The chairperson of the District Authority shall, in the case of an emergency, have power to exercise all or any of the powers of the District Authority but the exercise of such powers shall be subject to ex post facto ratification of the District Authority.

(3) The District Authority or the Chairperson of the District Authority may, by general or special order, in writing, delegate such of its or his powers and functions under sub section (1) or (2), as the case may be, to the chief Executive Officer of the District Authority, subject to such conditions and limitations, if any as it or he deems fit.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 30]

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 26 seeks to provide power to prescribe the powers and functions of the Chairperson of the District Authority

27 Meetings - The District Authority shall meet as and when necessary and as such time and place as the chairperson may think fit

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 27 Seeks to provide for the frequency and venue of the meetings of the District Authority

28 Constitution of Advisory Committees and there Committees - (1) The District Authority may, as and when it considers, necessary, constitute one or more advisory committees and other committees. for the efficient discharge of its functions.

(2) The District Authority shall, from amongst its members, appoint the chairperson of the committee referred to in sub-section (1)

(3) Any person associated as an expert with any committee or sub-committee constituted under sub- section (1) may be paid such allowances as may be prescribed by the state Government

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 28 seeks to empower the District Authority to constitute section 28 seeks to empower the District Authority to constitute committees or sub committees and also enables it to make payment of allowances to any person associated as an expert with these committees, at the rates to be prescribed by the state Government.

29. Appointment of officers and other employees of District Authority-
The State Government shall provide the District Authority with such officers consultants and other employees as it considers necessary for carrying out the functions of District Authority.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 29 seeks to enjoin upon the state Government to provide the District Authority with officers consultants and other employees for carrying out its functions.

30. Powers and functions of District Authority -(1) The District Authority shall act as the District planning, Coordinating and implementing body for disaster management and take all measures for the purposes of disaster.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 30]

Management in the District in accordance with the guidelines laid down by the National Authority and the state Authority

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the District Authority may-

(i) prepare a disaster management plan including District response plan for the District;

(ii) coordinate and monitor the implementation of the National Policy, state Policy, National Plan, state plan and district Plan,

identified and measures for the prevention of disasters and the mitigation of its effects are undertaken by the departments of the Government at the District level as well as by the local Authorities;

(iv) ensure that the guidelines for prevention of disasters, mitigation of its effects, preparedness and response measures as laid down by the National authority and the state Authority are followed by all Departments of the Government at the District level and the local Authorities in the District;

(v) give directions to different Authorities at the District level and local Authorities to take such other measures for the prevention or mitigation of disasters as may be necessary;

(vi) lay down guidelines for prevention of disaster management plans by the Department of the Government at the District level and local Authorities in the District;

(vii) monitor the implementation of disaster management plans prepared by the departments of the Government at the District level;

(viii) lay down guidelines to be followed by the Departments of the Government at the District level for purposes of integration of measures for prevention of disasters and mitigation in their development plans and projects and provide necessary technical assistance therefore

(ix) monitor the implementation of measures referred to in clause

(x) review the state of capabilities for responding to any disaster or threatening disaster situation in the District and give directions to the relevant Departments or Authorities at the District level for their up gradation as may be necessary;

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 30]

(xi) review the preparedness measures and give directions to then concerned Departments at the District level or other concerned Authorities

Where necessary for bringing the preparedness measures to the levels required for responding effectively to any disaster or threatening disaster situation;

(xii) organise and coordinate specialised training programmes for different levels of Officers, employees and voluntary rescue workers in the District;

(xiii) facilitate community training and awareness programmes for prevention of disaster or mitigation with the support of local Authorities. Governmental and non-Governmental organisations;

(xiv) set up, maintain, review and upgrade the mechanism for early warnings and dissemination of proper information to public;

(xv) prepare review and update district level response plan and guidelines;

(xvi) Coordinate response to any threatening disaster situation or disaster;

(xvii) ensure that the Departments of the Government at the District level and the local Authorities Prepare their response plans in accordance with the District response plan;

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 31]

(xviii) lay down guidelines for, or give direction to, the concerned Department of the Government at the District level or any other Authorities within the local limits of the District to take measures to respond effectively to any threatening disaster situation or disaster;

(xix) advise, assist and coordinate the activities of the Departments of the Government at the District level, statutory bodies and other Governmental and non Governmental organisations in the District engaged in the disaster management;

(xx) Coordinate with, and give guidelines to, local authorities in the District to ensure that measures for the prevention or mitigation of threatening disaster situation or disaster in the District are carried out promptly and effectively,

(xxi) Provide necessary technical assistance or give advise to the local Authorities in the District for carrying out their functions;

the Disaster Management Act, 2005 [Sec. 31]

(xxii) review development plans prepared by the Departments of the Government at the District level, statutory Authorities or local Authorities with a view to make necessary provisions therein for prevention of disaster or mitigation;

(xxiii) Examine the constructions in any area in the District and, if it is of the opinion that the standards for the prevention of disaster or mitigation laid down for such construction is not being or has not been followed, may direct the

concerned Authority to take such action as may be necessary to secure compliance of such standards

(xxiv) identify buildings and places which could, in the event of any threatening disaster situation or disaster, be used as relief centers or camps and make arrangements for water supply and sanitation in such buildings or places;

(xxv) Establish Stockpiles of relief and rescue materials or ensure preparedness to make such materials available at a short notice;

(xxvi) provide information to the state Authority relating to different aspects of disaster management;

(xxvii) encourage the involvement of non Governmental organisations and voluntary social-welfare institutions working at the grassroots level in the District for disaster management;

(xxviii) ensure communication systems are in order, and disaster management drills are carried out periodically;

(xxix) perform such other functions as the state Government or State Authority may assign to it or as it deems necessary for disaster management in the District.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 30 seeks to provide the power to prescribe the powers and functions of the District Authority

31. District Plan- (1) There shall be a plan for disaster management for every District of the State.

(2) The District Plan shall be prepared by the District Authority, after consultation with the local Authorities and having regard to the National Plan and the state plan, to be approved by the State Authority

(3) The District Plan shall include -

(a) the areas in the District vulnerable to different forms of disasters;

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 31]

(b) The measures to be taken, for prevention and mitigation of disaster, by the Departments of the Government at the District level and local Authorities in the District;

(c) The Capacity-building and preparedness- measures required to be taken by the Departments of the Government at the District level and the local Authorities in the District to respond to any threatening disaster situation or disaster;

(d) The response plans and procedures in the event of a disaster, providing for-

(i) allocation of responsibilities to the Departments of Government at the district level and the local Authorities in District;

(ii) prompt response to disaster and relief thereof;

(iii) Procurement of essential resources;

(iv) establishment of communication link; and

(v) the dissemination of information to the public;

(e) such other matters as may be required by the state authority

- (4) The District Plan shall be reviewed and updated annually.
- (5) The copies of the District Plan referred to in sub-sections (2) and (4) shall be made available to the Departments of the Government in the District.
- (6) The District Authority shall send a Copy of the District Plan to the State Authority which shall forward it to the State Government.
- (7) The District Authority shall, review from time to time, the implementation of the plan and issue such instructions to different Departments of the Government in the District as it may deem necessary for the implementation thereof;

COMMENT

As per Notes on Clauses of the Bill Section 31 seeks to make it mandatory to have disaster management plan for every District. It lay Down the Broad aspects to be covered by the District Plan. mandates consultation with Zila Parishad and the municipality in the preparation of the plan, and provides for annual review and updating the plans. it also seeks to authorise the District Authority to review the implementation of the District Plan and issue Directions to different Departments of the Government in the District for its implementations.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 31]

32. Plans by different Authorities at District level and implementation -Every office of the Government of India and Government at the District level and the local authorities shall, supervision of the District Authority-

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 34]

- (3) prepare a disaster management plan setting out the following namely:-
 - (i) provisions for prevention and mitigation measures as provided for in the District Plan and as is assigned to the Department or Agency concerned;
 - (ii) Provisions for taking measures relating to capacity building and preparedness as laid down in the District Plan.
 - (iii) the response plans and procedures, in the event of, any threatening disaster situation or disaster;
- (b) Coordinate the preparation and the implementation of its plan with those of the other organisations at the District level including local Authority, Communities and other stakeholders;
- (c) regularly review and update the plan, and
- (d) submit a Copy of its disaster management plan, and of any amendment thereto, to the District Authority

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 32 seeks to make it mandatory for every office of the Government of India and of the State Government at the District level and the local Authorities to prepare a disaster management plan. It seeks to lay down the broad coverage of the plan and provides for coordination of its preparation and implementation

with local Authority, communities and other stakeholders. It also provide for the regular review and updating the plan

33. Requisition by the District Authority- The District Authority may by order require any officer or any Department at the District level or any local Authority to take such measures for the prevention or mitigation of disaster or to effectively respond to it, as may be necessary, and such Officer or Department shall be bound to carry out such Order.

COMMENTS

As per Notes. on Clauses of the Bill

Section 33 seeks to empower the District Authority to give directions to any officer or any Department at the District level or any local Authority to take necessary measures for prevention or mitigation of a disaster or to effectively respond to it.

34. Powers and functions of District Authority in the event of any threatening disaster situation or disaster- for the purpose of assisting, protecting or providing relief to the community, in response to any threatening disaster situation or disaster, the District Authority may-

- (a) give directions for the release and use of resources available with any Department of the Government and the local Authority in the District;
- (b) control and restrict vehicular traffic to, from and within, the vulnerable or affected area;
- (c) Control and restrict the entry of any person into, his movement within and departure from, a vulnerable or affected area;
- (d) remove debris, conduct search and carry out rescue operation;
- (e) Provide shelter food, drinking water and essential provision, healthcare and service;
- (f) Establish emergency communication systems in the effected area; (g) make arrangements for the disposal of the unclaimed dead bodies;
- (h) recommend to any Department of the Government of the State or any Authority or body under that Government at the District level to take such measures as are necessary in its opinion;
- (i) require experts and consultants in the relevant fields to advise and assist as it may deem necessary;
- (j) procure exclusive or preferential use of amenities from any Authority or person;
- (k) construct temporary bridges or other necessary structures and demolish structures which may be hazardous to public or aggravate the effects of the disaster;
- (l) ensure that the non-Governmental organisations carry out their activities in an equitable and non discriminatory manner;
- (m) take such other steps as may be required or warranted to be taken in such a situation.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 34 seeks to lay down the powers and functions of the District Authority in the event of any threatening disaster situation or disaster.

CHAPTER V

MEASURES BY THE GOVERNMENT FOR DISASTER MANAGEMENT

35. Central Government to take measures-

(1) Subject to the provisions of the Act, the Central Government shall take all such measures as it deems necessary or expedient for the purpose of disaster management. (2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1) the measures which the Central Government may take under that sub-section include measures with respect to all or any of the following matters, namely:-

(a) Coordination of actions of the Ministries or Departments of the Government of India, state Governments National authority, state Authorities, Government and non Governmental organisations in relation to disaster management

(b) ensure the integration of measures for prevention of disasters and mitigation by ministries or Departments of the Government of India into their development plans and projects;

(c) ensure appropriate allocation of funds for prevention or disaster, mitigation, capacity-building and preparedness by the Ministries or Departments of the Government of India;

The Disaster Management Act 2005 [Sec. 36]

(d) ensure that the Ministries or Departments of the Government of India take necessary measures for preparedness to promptly and effectively respond to any threatening disaster situation or disaster;

The Disaster Management Act 2005 [Sec. 36]

(e) Cooperation and assistance to state Governments, as requested by them or otherwise deemed appropriate by it

(f) deployment of naval, military and air forces, other armed forces of the Union or any other civilian personnel as may be required for the purposes of this Act

(g) Coordination with the United Nations agencies, international organisations and Governments of foreign countries for the purposes of this Act.

(h) Establish institutions for research, training, and Developmental programmes in the field of disaster management;

(i) such other matters as it deems necessary or expedient for the purpose of securing implementation of the provisions of this Act.

(3) The Central Government may extend such support to other countries affected by major disaster as it may deem appropriate.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 35 seeks to enjoin upon the Central Government to take measures, as it deems necessary or expedient, for the purpose of disaster management. It also specifies some of the matters with respect to which such measures are required to be taken by the Central Government.

36. Responsibilities of Ministries or Departments of Government of India It shall be the responsibility of every Ministry or Department of the Government of India to-

- (a) take measures necessary for prevention of disasters mitigation, preparedness and capacity-building in accordance with the guidelines laid down by National Authority;
- (b) integrate into its development plans and Projects, the measures for prevention or mitigation of disasters in accordance with the guidelines laid down by the National Authority;
- (c) respond effectively and promptly to any threatening disaster situation or disaster in accordance with the guidelines of the National Authority or the directions of the National Executive committee in this behalf;

The Disaster Management Act 2005 [Sec. 36]

- (d) review the enactments administered by it, its policies, rules and regulations, with a view to incorporate therein the Provisions necessary for prevention of disasters, mitigation or preparedness;
- (e) Allocate funds for measures for prevention of disaster, mitigation, capacity-building and preparedness;
- (f) provide assistance to the National Authority and state Governments for
 - (i) drawing up mitigation, preparedness and response plans, capacity building, data collection and identification and training of personnel in relation to disaster management;
 - (ii) carrying out rescue and relief operations in the affected area;
 - (iii) assessing the damage from any disaster;
- carrying out rehabilitation and reconstruction;
- (g) make available its resources to the National executive committee or a state Executive committee for the purposes of responses of responding promptly and effectively to any threatening disaster situation or disaster including measures for-
 - (i) providing emergency communication in a vulnerable or affected area;
 - (ii) transportation personnel relief to and from the affected area;
 - (iii) providing evacuation, rescue, temporary shelter or other immediate relief;
 - (iv) setting up temporary bridges jetties and loading places;
 - (v) providing drinking water, essential provision health care, and service in an affected area;
- (h) take such other actions as it may consider necessary for disaster management

COMMENTS

As per Notes on Clauses of The Bill

Section 36 seeks to specify the responsibility of the Ministries or Departments of the Government of India in regard to prevention, mitigation, Preparedness and response. It also spells out some of the actions to be taken by the Ministries of Departments for this purpose.

The Disaster Management Act 2005 [Sec. 36]

37. Disaster Management plans of Ministers or Departments of Government of India - (1)

Every Ministry or Department of the Government of India shall-

(a) Prepare a disaster management plan specifying the following particulars, namely;-

(i) The measures to be taken by it for prevention and mitigation of disasters in accordance with the National Plan

(ii) the specifications regarding integration of mitigation measures in its development plans in accordance with the guidelines of the National Authority and the National Executive Committee;

(iii) its roles and responsibilities in relation to preparedness and capacity-building to deal with any threatening disaster situation or disaster;

(iv) its roles and responsibilities in regard to promptly and effectively responding to any threatening disaster situation or disaster;

(v) the present status of its preparedness to perform the roles and responsibilities specified in sub- clauses (iii) and (iv);

(vi) the measures required to be taken in order to enable it to perform its responsibilities specified in sub-clauses (iii) and (iv); (b) review and update annually the referred to in clause (a);

The Disaster Management Act 2005 [Sec 38]

(c) Forward a copy of the plan referred to in clause (a) or clause (b), as the case may be, to the Central Government which Government shall forward copy thereof to the National Authority for its approval,

(2) Every Ministry or Department of the Government of India shall- (a) make while preparing disaster management plan under clause (a) of sub section (a) provisions for financing the activities specified therein; (b) furnish a status report regarding the implementation of the plan referred to in clause (a) of sub-section (1) to the National Authority, as and when required by it.

COMMDENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 37 seeks to make it mandatory for every Ministry Or Department of the Government of India to prepare a disaster management plan. It specifies.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 38]

Certain aspects for which the particular are to be included in the plan. it also provides for annual review and updating of the plan and for approval of the original or updated plan by the National Authority it enjoins upon the Ministries

or Department concerned to make provision for financing of the activities specified in the plan and to furnish a status report regarding the implementation of the plan to the National Authority, as and when required by it.

38. State Government to take measures- (1) Subject to the provision of this Act, each State Government shall take all measures specified in the guidelines laid down by the National Authority and such further measures as it deems necessary or expedient, for the purpose of disaster management. (2) The measures which the State Government may take under sub-section (1) include measures with to all or any of the following matters, namely:-

coordination of actions of different Departments of the Government of the state, the state Authority, District Authorities, local Authority and other non-Governmental organisations.

(b) cooperation and assistance in the disaster management to the National Authority and National Executive committee, the State Authority and the state Executive Committee, and the District Authorities;

(c) Cooperation with, and assistance to the Ministries or Departments of the Government of India in disaster management as requested by them or otherwise deemed appropriate by it;

(d) allocation of funds for measures for prevention of disaster, mitigation, capacity - building and preparedness by the Departments of the Government of the State in accordance with the provisions of the state Plan and the District Plans;

(e) ensure that the integration of measures for prevention of disaster or mitigation by the Departments of the Government of the State in their development plans and projects;

(f) integrate in the state Development plan, measures to reduce or mitigate the vulnerability of different parts of the state to different disasters;

(g) ensure the preparation of disaster management plans by different Departments of the State in accordance with the Guidelines laid down by the National Authority and the State Authority;

The Disaster Management Act 2005 [Sec. 38]

(h) establishment of adequate warning systems up to the level of vulnerable communities;

(i) ensure that different Departments of the Government of the State and the direct Authorities take appropriate preparedness measures;

(j) ensure that in a threatening disaster situation of disaster, the resources of different departments of the Government of the State are made available to the National Executive committee or the state Executive committee of the district Authorities, as the case may be, for the purposes of effective response, rescue and relief in any threatening disaster situation or disaster;

(k) Provide rehabilitation and reconstruction assistance to the victims of and disaster; and (l) such other matters as it deems necessary or expedient for the purpose of securing effective implementation of provisions of this Act.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 38 seeks to make it mandatory for the state Governments to take measures for the purpose of disaster managements. It also specifies some of the matters with respect of which such measures are required to be taken by the state Governments.

39. Responsibilities of Departments of the State Government- It shall be the responsibility of every departments of the Government of a State to-

(a) take measures necessary for prevention of disasters. mitigation, preparedness and capacity -building in accordance with the guidelines laid down by the National Authority and the State Authority;

(b) integrate into its development plans and projects, the measures for prevention of disaster and mitigation;

(c) allocation funds for prevention of disaster, mitigation, capacity building and preparedness;

(d) respond effectively and promptly to any threatening disaster situation or disaster in accordance with the state plan and in accordance with the guidelines or directions of the National

executive committee and the. State Executive Committee;

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 38]

(e) review the enactments administered by it, its policies, rules and regulations with a view to incorporate therein the provisions necessary for prevention of disasters; mitigation or preparedness;

(f) provide assistance. as required by the National executive committee the state Executive Committee and District Authorities, for- (i) drawing up mitigation, preparedness and response plans, capacity- building, data collection and identification and training of personnel in relation to disaster management;

(ii) assessing the damage from any disaster;

(iii) carrying out rehabilitation and reconstruction;

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 40]

(g) make provision for resources in consultation with the state Authority for the implementation of the District Plan by its Authorities at the District level;

(h) make available its resources to the National Executive Committee or the state Executive committee or the District Authorities for the purposes of responding promptly and effectively to any disaster in the state including measures for-

(i) providing emergency communication with a vulnerable or effected area;

(ii) Transporting personal and relief goods to and from the affected area;

(iii) providing evacuation, rescue, temporary shelter or other immediate relief

(iv) carrying out evacuation of persons or live-stock from an area of any threatening disaster situation of disaster;

(v) setting up temporary bridges jetties and landing places;

(vi) Providing drinking water, essential provisional, healthcare and services in an affected area;

(i) such other actions as may be necessary for disaster management.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 40]

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 39 seeks to specify the responsibility of every Department of the Government of a state in regard to prevention, mitigation, preparedness and response to disasters.

40. Disaster Management plan of Departments of State - (1) Every Department of the State Government, in conformity with the Guidelines laid down by the state Authority, shall-

(a) prepare a disaster management plan which shall lay down the following :-

(i) the types of disasters to which different parts of the state are vulnerable;

(iii) integration of strategies for the prevention of disaster or the mitigation of its effects or both with the development plans and programmes by the Department;

(iii) the roles and responsibilities of the Department of the State in the event of any threatening disaster situation or disaster and emergency support function it is required to perform,

(iv) present status of its preparedness to perform such role or responsibilities or emergency support function under sub- clause (iii) (v) the capacity -building and preparedness measures proposed to be put into effect in order to enable the Ministers or Departments or the Government of India to discharge their responsibilities under Section 37;

(b) annually review and update the plan referred to in clause (a) and;

(c) furnish a Copy of the plan referred to in clause (a) or clause (b), as the case may be, to the state authority

(2) Every Department of the state Government, while preparing the plan under sub-section (1) shall make provisions for financing the activities specified therein.

(3) Every Department of the State Government shall furnish an implementation status report to the state executive committee regarding the implementation of the disaster management plan referred to in sub section (1)

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 40]

COMMENTS

As per Notice on Clauses of the Bill

Section 40 Seeks to make it mandatory for every department of a state Government to prepare a disaster management plan and make provisions for financing of the plan it also lays down the broad coverage of the plan. provides for annual review and updating of the plan and furnishing of a status report on its implementation to the state Executive Committee and enjoins upon the state Government to make provisions for financing the activities specified therein.

CHAPTER VI

LOCAL AUTHORITIES

41. Functions of the local Authority -(1) Subject to the Directions of the District Authority a local Authority shall-

- (a) ensure that its Officers and employees are trained for disaster management;
- (b) ensure that resources relating to disaster management are so maintained as to be readily available for use in the event of any threatening disaster situation or disaster;
- (c) ensure all construction projects under it or within its jurisdiction conform to the standards and specifications laid down for prevention of disasters and mitigation by the National Authority, state Authority and the District Authority;
- (d) carry out relief, rehabilitation and reconstruction activities in the affected area in accordance with the state plan and the District Plan.

(2) The local Authority may take such other measures as may be necessary for the disaster management.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 41 Seeks to specify the functions of the local Authority in regard to disaster management.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 40]

CHAPTER VII

NATIONAL INSTITUTE OF DISASTER MANAGEMENT

42. National Institute of Disaster Management -(1) With effect from such date as the Central Government may, by notification in the official Gazette appoint in this behalf, there shall be constituted an institute to be Called the National Institute of Disaster Management. 1. National Institute of Disaster Management has been constituted with effect from 30.10.2006 vide S.O. 1862 (E), Dated 30 th October, 2006.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 42]

(2) The National Institute of Disaster Management shall consist of such member of members as may be prescribed by the Central Government.

(3) The term of Office of, and vacancies among, members of the National institute of Disaster Management and manner of filling such vacancies shall be such as may be prescribed.

(4) There shall be a Governing Body of the National Institute of Disaster Management which shall be constituted by the Central Government from amongst the members of the National Institute of Disaster Management in such manner as may be prescribed.

(5) The governing body of the National Institute of Disaster Management shall exercise such powers and discharge such functions as may be prescribed by regulations.

(6) The procedure to be followed in exercise of its powers and discharge of its functions by the governing body, and the term of office of, and the manner of filling vacancies among the members of the governing body, shall be such as may be prescribed by regulations:

(7) Until the regulations are made under this section, the Central Government may make such regulations; and any regulation so made may be altered or rescinded by the National Institute of Disaster Management in exercise of its powers.

(8) Subject to the provisions of this Act, the National Institute of Disaster Management shall function within the broad policies and guidelines laid down by the National Authority and be responsible for planning and Promoting training and research in the area of disaster management, documentation and.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 42]

Development of national level information base relating to disaster management policies, prevention mechanisms and mitigation measures. (9) Without prejudice to the generality of the provisions contained in subsection (8) the national institute for the discharge of its functions, may-

(a) develop training modules, undertake research and documentation in disaster management and organise training programmes;

(b) formulate and implement a comprehensive human resource development plan covering all aspects of disaster management

(c) provide assistance in national level policy formulation;

(d) provide required assistance to the training and research institutes for development of training and research programmes for stakeholders including Government functionaries and undertake training of faculty members of the state level training institutes;

(e) provide assistance to the state Governments and state training institutes in the formulation of state level policies, strategies, disaster management framework and any other assistance as may be required by the state governments or state training institutes for capacity- building of stakeholders. Government including its functionaries, civil society members, corporate sector and people's elected representatives; (f) develop educational materials for disaster management including academic and professional courses,

(g) promote awareness among stakeholders including college or school teachers and students, technical personnel and others associated with multihazard mitigation, preparedness and response measures;

(h) undertake, organise and facilitate study courses, conferences, lectures, seminars within and outside the country to promote the aforesaid objects;

(i) undertake and provide for publication of journals, research papers and books and establish and maintain libraries in furtherance of the aforesaid objects;

- (j) do all such other lawful things as are conducive or incidental to the attainment of the above objects; and
- (k) undertake any other function as may be assigned to it by the Central Government -

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 42]

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Section 42 seeks to provide for the constitution of the National institute of disaster Management by the Central Government and seeks to lay down the responsibility and possible functions of the Institute.

43. Officers and other employee of the National Institute - The Central Government shall provide the National Institute of Disaster Management with such Officers, consultant and other employees, as it considers necessary for carrying out its functions.

COMMENTS

As per Notes on clauses of the Bill

Section 43 seeks to enjoin upon the Central Government to provide the National Institute with Officers, consultants and other employees for carrying out its functions.

CHAPTER VIII

NATIONAL DISASTER RESPONSE FORCE

44. National Disaster Response Force-

(1) There shall be constituted a National Disaster response force for the purpose of specialist response to a threatening disaster situation or disaster.

(2) Subject to the provisions of this Act, the Force shall be constituted in such manner and the conditions of service of the members of the Force, including disciplinary provisions therefore, be such as may be prescribed.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Sill

Section 44 seeks to provide for the constitution of the National Disaster response Force for the purpose of Specialist response to a threatening disaster situation or disaster.

45. Control, Direction etc. - The General Superintendence, direction and control of the Force shall be vested and exercised by the National Authority and the command and supervision of the force shall vest in an officer to be appointed by the Central Government as the Director General of the National Disaster Response Force.

COMENTS

As per Notes on Clauses on the Bill

Section 45 seeks to vest the General superintendence, Direction and Control of the National Disaster Response Force in the National Authority and the command and supervision of

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 48]

The Force in an Officer to be appointed by the Central Government as the Director General of the National Disaster Response Force:-

CHAPTER IX

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

46. National Disaster Response fund (1) The Central Government may, by notification in the official Gazette, constitute a fund to be called the National Disaster Response fund for meeting ay threatening disaster situation or disaster and three shall be credited thereto-

(a) an amount which the Central government may, after due appropriation made by parliament by law this be half behalf provide;

(b) any grants that may be made by any person or institution for the purpose of disaster management.

(2) The National Disaster Response Fund shall be made available to the for emergency response, relief and rehabilitation in accordance with the guidelines laid down by the Central Government in Consultation with the National Authority.

COMMENTS

As Per Notes on Clauses of the Bill

Section 46 seeks to provide for the constitution of the National Disaster response fund.

47. National Disaster Mitigation Fund- (1) The Central Government may, by Notification in the official Gazette, Constitute a fund to be called the National

Disaster Mitigation fund for projects exclusively for the purpose of mitigation and there shall be credited thereto such amount which the central Government may, after due appropriation made by parliament by law in this behalf, provide.

(2) The National Disaster Mitigation fund shall be applied by the National Authority

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 48]

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill-

Section 47 seeks to provide for the constitution of the National Disaster Mitigation fund.

48. Establishment of funds by state Government: (1) The State Government shall, immediately after notifications issued for constituting the state Authority and the District Authorities, establish for the purposes of the Act the following funds namely:-

(a) the fund to be called the state Disaster Response fund;

(b) the fund to be called the District Disaster Response fund;

(c) the fund to be called the state Disaster Mitigation Fund;

(d) the fund to be called the District Disaster Mitigation Fund.

(2) The State Government shall ensure that the funds established:

(i) under clause (a) of sub-section (1) is available to the state Executive committee;

(ii) under sub-clause (c) of sub-section (1) is available to the state Authority;

(iii) under clauses (b) and (d) of sub-section (1) are available to the District Authority

COMMENTS

As per Notes on Causes of the Bill

section 48 seeks to provide for the establishment of the state Disaster response Fund, the District Disaster Response fund, the state Disaster Mitigation fund and the District Disaster Mitigation Fund.

49. Allocation of funds by Ministries and Departments: (1) Every Ministry or Department of the Government of India shall make provisions, in its annual budget, for funds for the purposes of carrying out the activities and programmes set out in its disaster management plan. (2) The Provisions of sub-section (1) shall mutatis, apply to Departments of the Government of the state.

COMMENTS

As Per Notes on Clauses of the Bill

Section 49 seeks to enjoin upon every ministry or Department of the section 49 seeks to enjoin upon every Ministry or Department of the Government of India to

make provision of funds in its annual budget for the purposes of carrying out the activities or programmes set out in its disaster

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 48]

Management plan, it seeks to lay down a similar obligation for Departments of the state Government 50. Emergency procurement and accounting-

Where by reason of any threatening disaster situation or disaster, the National Authority or the state Authority or the District Authority is satisfied that immediate procurement of provisions or materials or the immediate application of resources are necessary for rescue or relief,- (a) it may authorise the concerned Department or Authority to make the emergency procurement and in such case, the standard procedure requiring inviting of tenders shall be deemed to be waived;

(b) a certificate about utilisation of provisions or materials by the controlling officer authorised by the National Authority, state Authority or District Authority, as the case may be shall be deemed to be a valid document or voucher for the purpose of accounting of emergency, procurement of such provisions materials.

CHAPTER X

OFFENCES AND PENAL TIES

51. Punishment for obstruction, etc: (1) Whoever, without reasonable case:

(a) obstructs any Officer or employee of the Central Government or the state Government, or a person authorised by the National Authority or state Authority or District Authority in the Discharge of his functions under this Act; or

(b) refuses to comply with any direction given by behalf of the Central Government or the state Government of the National Executive Committee or the state Executive committee or the District Authority under this Act, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine, or with both, and if such obstruction or refusal to comply with directions results in loss of lives or imminent danger thereof, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 57]

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Sections 51 to 58 Seeks to lay down what will constitute an offence in terms of obstruction of the functions the Act, false claim of relief, misappropriation of relief material or funds, issuance of false warning, failure of an officer to perform the duty imposed on him under the Act without due permission of the Act, the clauses also provide for penalties for these offences.

52. Punishment for false claim: Whoever Knowingly makes a claim which he knows or has reason to believe to be false for obtaining any relief, assistance, repair, reconstruction or other benefits to disaster from any officer of the Central Government the state Government, the National Authority, the state Authority or the District Authority shall, on conviction, be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

53. Punishment for misappropriation of money or material etc. : Whoever, being entrusted with any money or materials, or otherwise being, in custody of, or dominion over, any money or goods, meant for providing relief in any threatening disaster situation or disaster, misappropriates or appropriates for his own use or disposes of such money or materials or any part thereof or willfully compels 'any other' person so to do. shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

54. Punishment for false warning : Whoever makes or circulates a false alarm or warning as to disaster or its severity or magnitude, leading to panic shall on conviction be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine.

55. Offences by Departments of the Government: (1) Where an offence under this Act has been committed by any Department of the Government, the head of the department shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly unless he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. (2) Notwithstanding anything contained in sub section (1) where an offence under this Act has been committed by a Department of the Government and it is provided that the offence has been committed with the consent or connivance or, or is attributable to any neglect on the part, any

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 57]

Officer, other than the head of the Department, such Officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be Proceeded against and punished accordingly.

56. Failure of Officer in duty or his connivance at the contravention of the provisions of this Act.: any Officer, on whom any duty has been imposed by or under this Act and who ceases or refuses to perform or withdraws himself from the duties of his office shall, unless he has obtained the express written permission of his official superior or has other lawful excuse for so doing, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine.

57. Penalty for contravention of any order regarding requisitioning: if any person contravenes any order made under section 65, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 58]

58. Offence by companies: (1) Where an offence under this Act has been committed, by a company or body corporate, every person who at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company, for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be

deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly provided that nothing in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without this knowledge or that he exercised due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub section (1) where an offence, under this Act has been committed by a company, and it is provided that the offence was committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company such director, manager, secretary or other officer shall also, be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly, Explanation, - For the purpose of this section-

(a) "Company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 58]

(b) "direction" in relation to a firm, means a partner in the firm. 59. Previous sanction for prosecution-No Prosecution for offences punishable under section 55 and 56 shall be instituted except with the previous sanction of the Central Government or the State Government, as the case may be, or of any Officer authorised in this behalf, by general or special order, by such Government. 60. Cognizance of offences- No court shall take cognizance of an offence under this Act except on a complaint made by-

(a) the National Authority, the state Authority, the Central Government, the state Government, the District Authority or any other Authority or officer authorised in this behalf by that authority or, Government, as the case may be; or

(b) any person who has given notice of not less than thirty days in the manner prescribed, of the alleged offence and his intention to make a complaint to the National Authority, the state Authority, the central Government, the State Government the District Authority or and other Authority or officer Authorised as aforesaid.

CHAPTER XI

MISCELLANEOUS

61. Prohibition against discrimination: while providing compensation and relief to the victims of disaster, there shall be no discrimination on the ground of sex, caste, community, descent or religion.

COMMENTS

As per. Notes on Clauses of the Bill

Section 61. seeks to prohibit discrimination in the distribution of compensation and relief to victims of disaster on the ground of sex, caste, community, descent or religion.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec 65]

62 Power to issue. Direction by Central Government: Not Withstanding anything contained in any other law for the time being in force, it shall be lawful for the Central Government to issue direction in writing to the Ministries or Departments of the Government of the Government of India, or the National Executive committee or the State Government state Authority, state Executive committee, statutory bodies or any of its Officers or employees as the case may be, to facilitate or assist in the disaster management and such ministry or

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 65]

Department of Government or Authority, Executive Committee, Statutory body, officer or employee shall be bound to comply with such direction.

COMMENTS

As Per Notes on Clauses of the Bill

Sections 62 to 69 seeks to deal with the power to issue directions by the Central Government obligation of any officer or Authority of the Union or a state to make available Officers and employees to perform any of the Functions in connections with disaster prevention or mitigation; power to seek amendment of any rules, regulations instructions etc. for the purpose of prevention or mitigation of disasters; power to requisition resources, premises, provisions, vehicles, etc for rescue operations or rehabilitation; payment of compensation for the resources so requisitioned; settlement of disputed relating to the amount of compensation of entitlement thereto; giving of directions to media for communication of warning regarding a threatening disaster situation or disaster; authentication of orders or decisions; delegation of powers; and preparation of annual report by the National Authority an its laying on the table of both houses of Parliament.

63. Powers to be made available for rescue operations: Any officer or Authority of the Union or a state, when requested by the National executive committee, any state Executive committee or District Authority or any person authorised by such committee or Authority in this behalf, shall make available to that committee or authority or person, such Offices and employees as requested for to perform any to the functions in connection with the prevention of disaster or mitigation or rescue or relief work.

64. Marking or amending rules, etc in certain circumstances: subject to the provisions of this Act. if It appears to the National Executive committee, State Executive committee or the District Authority, as the case may be, that provisions of any rule, regulation, notification, guideline, instruction, Order, scheme or bye laws as the case may be are required to be made or amended for the purposes of prevention of disasters or the mitigation thereof, it may require the amendment of such rules regulation, notification, guidelines, instruction, Order scheme or bye - laws as the case may be, for that purpose, and the appropriate department or authority shall take necessary action to comply with the requirements

65. Power of requisition of resources provisions, vehicles, etc. for rescue operations. etc. : (1) If appears to the National Executive committee, state

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 65]

Executive Committee or District Authority or any officer as may be Authorised by it in this behalf that-

(a) any resources with any Authority or person are needed for the purpose of prompt response;

(b) any premises are needed or likely to be needed for the purpose of rescue operations; or

(c) any Vehicle is needed or is likely to be needed for the purposes of transport of resources from disaster affected or transport of resources to the affected area or transport in connection with rescue, rehabilitation or reconstruction, such Authority may, by Order in Writing, requisition such resources or premises or such Vehicle, as the case may be and may make such further orders as may appear to it to be necessary or expedient in connection with the requisitioning. (2)

Whenever any resource, premises or vehicle is requisitioned under subsection

(1) The period of such requisition shall not extend beyond the period for which such resource, premises or vehicle is required for anyof any purposes mentioned in that sub-section.

(3) In this Section, -

(a) "resources" includes men and material resources;

(b) "service" includes facilities;

(c) "premises" means any land, building or part of a building and including and includes a hut, shed or other structure or any part thereof;

(d) "Vehicle" means any vehicle used or capable of being for the purpose of transport, whether propelled by mechanical power or otherwise.

66. Payment of Compensation (1) Whenever any committee, Authority or officer, referred to in sub section (1) of section 65, in pursuance of that section requisitions any premises, there shall be paid to the persons interested

compensation the amount of which shall be determined by taking into consideration the following namely:-

- (i) the rent payable in respect of the premises or if no rent is so payable, the rent payable for similar premises in the locality;
- (ii) if consequence of the requisition of the premises the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses (if any) incidental to such change:

The Disaster Management Act, 2005 (Sec 65)

Provided that where any person interested being aggrieved by the amount of compensation so determined makes an application within the thirty days to the Central Government or the state Government, as the case may be for referring the matter to an arbitrator the amount of compensation to be paid shall be such as the arbitrator appointed in this behalf by the central Government or the state Government as the case may be, may determine: Provided further that where there is any dispute as to the title to receive the compensation or as to the apportionment of the amount of compensation, it shall be referred by the Central Government or the state Government as the case may be, to an arbitrator appointed in this behalf by the Central Government or the state Government as the case may be for determination, and shall be determined in accordance with the decision of such arbitrator, Explanation: In this sub-section, the expression "person interested" means the person who was in actual possession of the premises requisitioned under section 65 immediately before the requisition, or where no person was in such actual possession, the owner or such premises.

(2) Whenever any committee, Authority or officer, referred to in subsection (1) of section 65 in pursuance of that section requisitions any vehicle, there shall be paid to the

The Disaster Management Act 2005 (Sec. 70)

Owner thereof compensation the amount of which shall be determined by the
The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 70]

Owner thereof compensation the amount of which shall be determined by the central Government or the State government, as the case may be the basis of the fares or rates prevailing in the locality for the hire of such vehicle: Provided that where the owner of such vehicle being aggrieved by the amount of compensation so determined makes an application within the prescribed time to the Central Government or the state government as the case may be, for referring the matter to an arbitrator the amount of compensation to be paid Government or the state Government, as the case may be, may determine: provided further that where immediately before the requisitioning the vehicle or vessel was be virtue of a hire purchase agreement in the possession of a person other than the owner, the amount determined under this sub section as the total compensation payable in respect of the requisition shall be apportioned between that person and the owner in such manner as they may.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 70]

agree upon, and in default of agreement, in such manner as the arbitrator appointed by the Central Government, as the case may be, in this behalf may decide.

67. Direction to media for communication of warnings, etc: The National authority, the State Authority, or a District Authority may recommend to the Government to give direction to any Authority or person in control of any audio or audio visual media or such other means of communication as may be available to carry any warning or advisories regarding any threatening disaster situation or disaster, and the said means of communication and media as designated shall comply with such direction.

68. Authentication of Orders or decisions: Every order or decision of the National Authority of the National Executive committee, the State Authority, or the state Executive committee or the District Authority, shall be authenticated by such officers of the National Authority or the National Executive committee or, the state Executive committee, or the District Authority, as may be authorised by it in this behalf.

69. Delegation of powers: The National Executive committee, state executive committee, as the case may be general or special Order in writing, may delegate to the chairperson or any other member or to any officer, subject to such conditions and limitations, if any as may be specified in the Order, such of its powers and functions under this Act as it may deem necessary.

70. Annual report: (1) The National Authority shall prepare once every year, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year and previous year and copies thereof shall be forwarded to the central Government and that Government shall cause the same, to be laid before both houses of parliament within one month of its receipt.

(2) The state Authority shall prepare once in every year in such form and at such time as may be prescribed an annual report and full account of its actives during the previous year and copies. thereof shall be forwarded to the state Government and that Government shall cause the same to be laid before each house of the legislature where it consists of two houses, or where such legislature consists of one House, before that house.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 71]

71. Bar of jurisdiction of court: No. court (except the supreme court or a High Court) shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of anything one, action taken, Orders made, direction, instruction or guidelines issued by the Central Government, National Authority, State Government, state Authority or District Authority in pursuance of any power conferred by, or in relation to its functions, by this Act.

COMMENTS

As Per Note on Clauses of the Bill

Sections 71 to 73 seeks to contain provisions, regarding bar on jurisdiction of courts in regard to action taken or directions issued in pursuance of the powers conferred or functions assigned by the Act; overriding effect to the Act; and immunity from legal process for action taken in good faith under the provisions of the Bill.

72. Act to have overriding the Provisions of this Act, shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

73. Action taken in good faith: No suit or prosecution or other proceeding shall lie in any court against the Central Government or the National Authority or the state Government or the state Authority or the District Authority or local Authority or any officer or employee of the Central government or the National Authority or the state Government or the central Government or the National Authority or the State Government or the State Authority or the District Authority or local Authority or any person working for on behalf of such Government or Authority in respect of any work done or purported to have been done or intended to be done in good faith by such Authority or Government or such officer or employee or such person under the provisions of this Act or the rules or regulations made there under.

74. Immunity from legal Process: officers and employees of the Central Government, National Authority, National Executive committee, State Government, state Authority state Executive committee or District Authority shall be immune from legal process in regard to any warning in respect of any impending disaster communicated or disseminated by them in their official capacity or any action taken or direction issued by them in pursuance of such communication or dissemination.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 71]

75. Power of Central Government to make rules: (1) The Central Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the composition and number of the members of the National Authority under sub section (2) and the term of office and conditions of service of members of the National Authority under sub-section (4) of section 3; (b) the allowances to be paid to the members of the Advisory Committee under sub-section (2) of section 7;

(c) the powers and functions of the chairperson of the National Executive committee under sub-section.

- (3) of section 8 and the procedure to be followed by the National Executive
The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 77]
 committee in exercise of its powers and discharge of its functions under sub-section (4) of section 8;
- (d) allowance to be paid to the persons associated with the subcommittee constituted by the National Executive committee under sub section (3) of section 9;
- (e) the number of members of the National institute of Disaster Management under sub-section (2) the term of the office and vacancies among members and the manner of filling such vacancies under subsection.
- (3) and the manner of constituting the Governing Body of the National Institute of Disaster Management under subsection 44;
- (g) the manner in which notice of the office and of the intention to make a complaint to the National Authority, the state Authority, the Central Government, the state Government or the Authority or officer under clause (b) of section 60;
The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 77]
- (h) the form in which and the time within which annual report is to be prepared under section 70;
- (i) any other matter which is to be, or may be prescribed, or in respect of which provision is to be made by rules.

COMMENTS

As per Notes on Clauses of the Bill

Sections 75 to 76 seeks to provide for making of rules and regulations by the central Government.

76. Power to make regulations: (1) The National Institute of Disaster Management, with the previous approval of the Central Government may, by notification in the official Gazettee, make regulations consistent with this Act and the rules made there under to carry out the purposes of the Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for, all any of the following matters namely:-

- (a) powers and functions to be exercised and discharged by the governing body;
- (b) procedure to be followed by the governing body in exercise of the powers and discharge of its functions;
- (c) any other matter for which under this Act provision may be made by the regulations.

77. Rules and regulations to be laid before parliament: Every rule made by the Central Government and every regulation made by the National institute of disaster Management under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of parliament, while it is in session, for a total period of thirty day which may be comprised of one session or in two or more successive sessions or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation or both houses agree that the rules or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect

that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulations.

The Disaster Management Act, 2005 [Sec. 77]

by notification in the official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the composition and number of the members of the State Authority under sub-section (2), and the term of Office and conditions of service of the members of the state Authority under subsection (5), of section 14;

(b) the allowances to be paid to the members of the advisory committee under sub section (2) of section 17;

(c) the powers and functions of the chairperson of the state Executive committee under sub-section (3), and the procedure to be followed by the state Executive of its powers and discharge of its functions under sub-section (4) of section 20;

(d) allowances to be paid to the persons associated with the sub committee constituted by the state Executive. Committee under subsection (3) of section 21;

(e) the composition and the number of members of the District Authority under sub-section (2) and the powers and function to be exercised and discharged by the chief executive officer of the district Authority under sub section (3) of Section 25;

(f) allowance payable to the persons associated with any committee constituted by the District Authority as experts under sub section (3) of section 28;

(g) any other matter which is to be, or may be, prescribed, or in respect of which provision is to be made by rules.

(3) every rule made by the state government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each house of the State Legislature where it consists of two houses, or where such Legislature consists of one House before that House.

79. Power to remove difficulties: (1) If any difficulty arises in giving effect to provisions of this Act, the Central Government or the state Government, as the case may be, may, by notification in the official Gazette, make order not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to it to be necessary or expedient for the removal of the difficulty: Provided that no such order shall be made after the expiration of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each house of Parliament or the legislature, as the case may be.

THE DISASTER MANAGEMENT NATIONAL EXECUTIVE COMMITTEE (PROCEDURE AND ALLOWANCES) RULES, 2006

In exercise of the powers conferred by clauses (c) and d) of sub-section (2) read with sub-section (2) of section 75 of the disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement-

(1) These rules may be called the Disaster Management National Executive committee (Procedure and Allowances) Rules, 2006

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. Definitions:-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005);

(b) "Chairperson" means the member of the National Executive committee under clause (a) of subsection (2) of section 8;

(c) "member" means the member of the National Executive committee under subsection (2) of section 8;

(d) "section" means a section of the Act;

(e) "Subcommittee" means a sub committee constituted by the National Executive committee under sub section (1) of section 9.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Procedure to be followed by the National Executive Committee:-

(1) The chairperson of the National Executive committee may, as and when required, in the implementation of the directions of the central Government, seek guidance from the National Authority as to the modalities of such implementation.

(2) The chairperson of the National Executive committee shall, in case of emergency, have the power to exercise all or any of the powers of the National Executive committee but exercise of such powers shall be subject to ratification by the National Executive committee.

(3) The Chairperson of the National Executive committee shall preside over the meetings of the National executive committee: Provided that in the case of his inability to preside over any meeting of the National Executive committee, he shall nominate one of members of the National Executive committee to preside over the meeting.

(4) The chairperson of the National Executive committee may nominate vide order G.S.R. 597 (E), Dated 27 th September, 2006 one or more officers:- (a) to assist him in the performance of his functions as the chairperson of the National Executive committee;

(b) to maintain proper records relating to the meetings of the National Executive committee;

(c) to take follow up action to ensure that the decisions taken in the meetings of the National Executive committee are implemented in time; and

(d) to perform such other functions as the chairperson may desire them to perform.

(5) The chairperson of the National Executive committee shall decide the day, time and place of a meeting of the National Executive committee.

(6) The National Executive committee shall meet as often as necessary but at least once in three months.

(7) The National Executive committee shall give notice of its meeting and circulate on occurrence of a major disaster or a situation of such a threatening

disaster, when the National executive committee shall meet at the earliest to ensure a smooth and efficient response.

(8) The National Authority may, invite any member of the National Executive committee whenever required, to assist it in discharge of its functions.

(9) The National Executive committee shall invite the secretary or Additional secretary, as the case may be, of the National Authority, as a special invitee to attend its every meeting.

(10) The National Executive committees shall forward the minutes of every meeting to the National Authority

4. Allowance to be paid to a person associated as an expert with a subcommittee of the National executive committee- A member of the subcommittee constituted under subsection (1) of section 9, shall be paid traveling and daily allowances as are admissible to non officials attending the meetings of committees set up by the Central Government, as specified in Appendix 2 to Supplementary Rule 190.

THE DISASTER MANAGEMENT (NATIONAL INSTITUTE OF DISASTER MANAGEMENT) RULES 2006

In Exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) read with subsection (1) of section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, Namely:-

1. Short title and commencement -

(1) these rules may be called the Disaster Management (National Institute of Disaster Management) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005);

(b) "Chairperson" means the chairperson of the governing body;

(c) "executive director" means the executive director of the institute appointed by the Central Government;

(d) "governing body" means the governing body of the institute;

(e) "Institute" means the National institute of Disaster Management;

(f) "president" means the president of the Institute;

(g) "Secretary" means the secretary of the Institute and the governing body;

(h) "section" means a section the Act;

(i) "vice president" means the vice chairperson of the governing body of the institute;

(j) "Vice-president" means the vice president of the Institute;

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them the Act.

3. composition of the Institute-

(1) The Institute shall consist of the following members, namely:-

[Rule 3

The Disaster Management (National Institute of Disaster Management) Rules, 2006

(i) the minister in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of disaster management, who shall be the president, ex officio;

(ii) the Vice-Chairperson of the National Authority who shall be the Vice president, ex officio;

(iii) one member of the national Authority;

(iv) Chairperson of the National Executive committee, that is, the Secretary to the Government of India in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of disaster management, ex officio;

(v) the secretary to the Government of India in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of expenditure, ex officio;

(vi) the Secretary to the Government of India in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of agriculture, ex officio;

(vii) the secretary to the Government of India in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control External Affairs, ex officio;

(viii) the secretary to the Government of India in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of health, ex officio,

(ix) the Secretary to the Government of India in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of science and technology, ex officio;

(x) the secretary to the Government of India in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of atomic energy, ex officio;

(xi) the secretary to the Government of India in charge of the Ministry or department of the Central Government having administrative control of space, ex officio;

[Rule 3

The Disaster Management (National Institute of Disaster Management Disaster Management) Rules, 2006

(xii) the secretary to the Government of India in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of ocean development ex officio;

(xiii) the secretary or special secretary additional secretary or Joint secretary, as the case may be to the Government of India dealing with disaster management in the ministry or department of the Central Government having administrative control of disaster management, ex officio;

- (xiv) the additional secretary and financial advisor or Joint Secretary and Financial Advisor, as the case may be to the Government of India dealing with finance of the ministry or department of the Central Government having administrative control of disaster management, ex officio;
- (xv) the Secretary or Additional secretary, as the case may be, of the National Disaster Management Authority, ex officio;
- (xvii) the Deputy chief of integrated Defense staff, Doctrine organisation and Training (DOT), Head Quarters integrated Defence staff, Ministry of defense ex officio;
- (xviii) Two secretaries of state Government in charge of disaster management
- (xix) one vice Chancellor from the universities;
- (xx) the Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussorie
- (xxi) the Director, Sardar Vallabh Patel National Police Academy, Hyderabad;
- (xxii) the Director General, India Meteorological Department, ex officio;
- (xxiii) two Directors, one each, from any Indian Institute of Management and any Indian Institute of Technology;
- (xxiv) the director of Indian institute of public administration, ex officio;
- (xxv) the director of Indian-Institute of Public Administration, ex officio;
- (xxvi) the Director General of Indian council of Agriculture Research, ex officio;
- (xxvii) One Director General from the Administrative Training Institutes or state Institutes of Rural Development;

[Rule 3

The Disaster Management (National Institute of Disaster Management) Rules, 2006

- (xxviii) the Director General of Indian council of Medical Research; ex officio;
 - (xxix) two Eminent persons in the field of disaster management, public administration, information technology, medicine etc;
 - (xxx) two experts, one each from banking and insurance sector;
 - (xxxi) two presidents or heads, by whatever name called, from industry associations or federations of all India-level which in the opinion of the Central Government are capable of representing the industry, trade or commerce;
 - (xxxii) two presidents or heads by whatever name called, from non Governmental organisations which in the opinion of the General Government are active and effective in the disaster management activities; or are capable of representing such activities;
 - (xxxiii) one Head from science and technology institutions;
 - (xxxiv) one Head from medical or health institutions;
 - (xxxv) one professor of the National Institute of Disaster Management;
 - (xxxvi) the Executive Director of the Institute, a officio.
- (2) The Central Government shall nominate the members of the Institute, other than the ex officio members in such manner as it may consider appropriate.
 - (3) The Vice-Chairperson of the National Authority shall nominate the member of the National Authority for the Institute.
 - (4) save as otherwise provided in this sub-rule, the term of Office of-

- (a) an ex officio member of the institute shall continue so long as he holds the Office by virtue of which he is such a member; and
- (b) a Nominated member of the institute shall be two years from the dated of his nomination:- provided that a member other than an ex officio member of the Institute may resign from the Office of such member, by writing under his hand addressed to the Central Government, but he shall continue in Office until his registration is accepted by that Government.

[Rule 4

The Disaster Management (National Institute of Disaster Management) Rules, 2006

- 4. Filling up of Vacancies: All vacancies by reason of resignation, death or otherwise among members (other than ex officio members) of the Institute shall be filled as soon as may be after the occurrence of the vacancy by a fresh nomination.
- 5. Meetings of the Institute.- The institute shall hold its first meeting at such time and place as may be appointed by the Central Government and observe such rule of procedure in regard to the transaction of business at the first meeting as may be laid down by that Government and thereafter the institute shall meet at such times and place and observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be determined by regulations-
- 6. Governing Body of the institute (1) The Governing Body of the Institute shall consist of the following members, namely;
 - (i) The Vice- Chairperson of the National Authority who shall be the chairperson, ex officio;
 - (ii) the Secretary to the Government of India in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of disaster management, who shall be the vice- chairperson, ex officio;
 - (iii) the Secretary or special Secretary or Additional Secretary or Joint-Secretary, at the case may be, to the Government of India dealing with disaster management in the Ministry or department of the Central Government having administrative control of disaster management ex officio;
 - (iv) the secretary to the Government of India in-charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of expenditure ex officio;
 - (v) the secretary or Additional Secretary, as case may be, the National Authority; ex officio:-
 - (vi) The Additional secretary and Financial Advisor or Joint-secretary and Financial Advisor, as the case may be, to the Government of India dealing with finance of the ministry or Department of the Central

[Rule 4

The Disaster Management (National Institute of Disaster Management) Rules, 2006

- Government having administrative control of disaster management, ex officio;
- (vii) one member from amongst the members of the Institute representing the State Governments;

- (viii) one member of the Institute representing the university;
- (xi) two members of the Institute representing the Indian Institute of Technology and the Indian Institute of Management;
- (x) one members of the Institute representing a science and technology institution;
- (xi) two members from amongst the members of the Institute representing the Department of space, the Department of Atomic Energy, the Department of science and Technology, the Central Water commission and the Indian council of Agriculture Research; and
- (xii) the Executive Director of the Institute, a officio.

[Rule 8

The Disaster Management (National Institute of

Disaster Management) Rules, 2006

2) The Government body shall be the Executive committee of the Institute and shall exercise such powers and perform such functions as the Institute may, by regulations made in this behalf, confer or impose upon it.

(3) The Procedure to be followed in the exercise of its powers and performance of its functions by the governing body, and the term of office of, and the manner of filling up vacancies, among the members of the Governing body, shall be such as may be made by regulations.

7. Executive Director of the Institute (1) there shall be an Executive Director of the Institute who shall be appointed by the Central Government. (2) The Executive Director of the Institute shall act as the Secretary to the Institute as well as the governing body of the Institute.

8. Powers and functions Executive Director: The Executive Director of the Institute shall exercise such powers and perform such functions as may be made by regulations.

THE DISASTER MANAGEMENT (TERM OF OFFICE AND CONDITIONS OF SERVICE OF MEMBERS OF THE NATIONAL AUTHORITY AND PAYMENT OF ALLOWANCES TO MEMBERS OF ADVISORY COMMITTEE RULES, 2006

In exercise of the powers conferred clauses (a) and (d) of subsection (2) read with sub section (1) of section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005) the Central Government hereby makes the following rules, namely-

1. Short title and commencement- (1) These rules may be called the Disaster Management (Term of office and conditions of Service of Members of the National Authority and payment of Allowance to Members of Advisory committee) Rules, 2006 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions: (1) In these rules, unless the context otherwise requires,- (a) "Act" means the Disaster Management Act 2005 (53 of 2005);-

(b) "Advisory Committee" means the Advisory committee constituted by the National Authority under sub-section (1) of Section 7;

(c) "member" means a member of the National Authority nominated by the Chairperson of the National Authority under clause (b) of subsection (2) of section 3;

(d) "section" means a section of the Act;

(e) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson designated by the Chairperson of the National Authority under sub-section (3) of section 3.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Pay and service conditioner: (1) A person nominated as a member of the National Authority shall exercise his option to choose either,-

(a) Pay (less Pension in the case of a retired Officer), dearness allowance, accommodation, medical facilities, traveling allowance, leave travel concession as admissible to a secretary to the Government of India and leave as admissible to a Government servant under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972; or

(b) pay, daily allowance as admissible to a Union Minister to State and pension (without dearness relief in the case of retired Officer), accommodation, medical facilities, traveling allowance as admissible 1. Vide' G.SJZ 598 (E) Dated 27 th September, 2006, published the Gazette of India, Extra, pt. II Sec. 3Q) Dated 27 th September, 2006

Rule 7)

The Disaster Management (Term of Office and Conditions of Service of members of the National Authority and Payment of Allowances to Members of Adversary Committee) Rules, 2006

to a Union Minister of State in accordance with the provision of the Ministers (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Rules, 1957, made under the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952) and leave as admissible to a temporary Government servant under the Central Services (Leave) Rules, 1972, but without the facility of leave travel concession: Provided that the option once exercised shall be final.

(2) A number of the Natural Authority, who is designated as the Vice Chairperson of the National Authority under sub-section (3) of section 3, shall be entitled to pay and daily allowance, as admissible to a Union Minister, who is a member of the cabinet, and pension (Without dearness relief) and in the case of member of the cabinet, and pension (Without dearness relief) and in the case of member who is a retired Officer, accommodation, medical facilities and traveling allowance as admissible to a union Cabinet Minister in accordance with the Provisions of the Ministers (Allowances, Medical Treatment and Other Privileges) Rules; 1957, made under the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952)

4. Disqualifications: No person shall be a member of the National Authority, who:

(a) is, or at any time has been, adjudged insolvent; or

(b) is declared to be of unsound mind by a competent court; or

(c) becomes incapable of acting as a member; or

(d) is, or has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government involves moral turpitude;

(e) is or has been removed or dismissed from the service of the Government or a body corporate owned or controlled by the Government.

5. Resignation: Any member of the National Authority may resign from the Office of member of the National Authority by giving a notice in writing under his hand to that effect to the Chairperson of the National Authority and such resignation shall take effect from the date on which such notice is accepted by the Chairperson of the National Authority.

6. Vacancies: Where a vacancy occurs in the Office of a member of the National Authority by reason of resignation, disqualification, death or otherwise, the vacancy may be filled by fresh nomination.

7. Allowances to be paid to a member of the Advisory committee constituted by the National Authority: A members of the advisory committee constituted under sub-section (1) of section 7 shall be paid such traveling allowances, room rent, daily allowances and conveyance allowance as are admissible to a member of the high Power committee as specified in appendix 2 to supplementary Rule 190.

THE NATIONAL INSTITUTE OF DISASTER MANAGEMENT REGULATIONS, 2006

In exercise of the powers conferred by sub section (7) of section 42 read with section 76 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following regulations, namely:-

(1) Short title and commencement: (1) These regulations may be called the National Institute of Disaster Management Regulations, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions: In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005);

(b) "chairperson" means the chairperson of the governing body;

(c) "Executive Director" means the executive Director of the Institute. appointed by the Central Government;

(d) "governing body" means the governing body of the institute;

(e) "Institute" means the National Institute of Disaster Management;

(f) "President" means the president of the Institute;

(g) "secretary" means the secretary of the Institute, or as the case may be, the governing body.

3. Composition of the Institute and the Governing Body: The Institute and the governing body shall consist of such members as are provided under sub rule (1) of rule (3) and sub-rule (1) of rule 6 respectively of the Disaster Management (National Institute of Disaster Management) Rules, 2006.

4. Meetings of the Institute: (1) The president, or in his absence, the Vice-president, shall preside over the meetings of the Institute.

(2) The Institute shall meet at such times and places as may be considered necessary by the president for the transaction of the business of the institute: Provided that the institute shall meet at least once in every year.

(3) (a) The Secretary shall give a notice specifying the place, date and time of an ordinary meeting of the Institute at least twenty-one days prior to the date of such meeting.

(b) The agenda shall also be sent along with the notice of the meeting and where it is not possible, the agenda shall be sent at least seven days before the meeting.

(4) The president may call an extraordinary meeting of the institute at any time for the transaction of urgent business of the Institute.

The National Institute of Disaster Management Regulations, 2006 Reg. 5]

(5) The National Institute of Disaster Management Regulations, 2006 Reg. 5]

(5) The Secretary shall give a notice to all the members specifying the place, date and time of the meeting for an extraordinary meeting at least seven days before the date of the meeting along with the agenda.

(6) (a) The Institute shall call an extraordinary meeting within thirty days of a written request of not less than twelve members of the Institute.

(b) The members of the Institute shall indicate the purpose of the request for the meeting referred to in clause (a).

(7) The quorum for a meeting of the Institute shall be ten.

(8) The President may include in the agenda at any time before or during a meeting of the Institute-

(i) any fresh item or items of business; or

(ii) any item supplementary to those included in the agenda, and such item shall be taken up for consideration.

(9) A notice may be served upon any members of the Institute either personally, by email, fax, telegram or by post by under certificate of posting in an envelope addressed to such member and such notice shall be presumed to have been properly delivered.

(10) No subject disposed of by the institute at a meeting shall be brought up again for consideration until after the expiry of one year except in a case where the president or the central Government certifies that the Subject requires further consideration in the interest of the institute.

(11) a Decision given by the president of the meeting on a point of order raised by a member of the institute shall be final.

(12) All members submitted to a meeting of the Institute shall be decided by a majority of the members of the Institute person presiding shall have a casting vote, in addition to the vote to which he may be entitled as a member of the Institute.

5. Transaction of business by circulation. of papers : (1) Any business of the Institute which may be necessary for the Institute to transact may, if the president so directs, be dealt with by circulation of agenda papers along with a draft resolution incorporating the decision required among all the members of the institute at their usual address and any draft resolution so circulated and approved by the majority of the members of the institute signing shall be as effectual and binding as if the resolution had been passed at a meeting of the institute provided that at least twelve members of the Institute have recorded their views on the resolution.

The National Institute of Disaster Management regulations. 2006 Reg. 5]

(2) A members shall give reply within twenty one days from the date of issue of the notice of such business and if no reply is received from a member of the institute within the said period, he shall be deemed to have supported the draft resolution.

(3) If a draft resolution is circulated, the result of the circulation shall be communicated to all members of the institute and the resolution shall also be placed before the next meeting of the institute for confirmation.

The National Institute of Disaster Management Regulations. 2006 [Reg. 6

6. Recording of business- (1) A record shall be maintained of all business transacted by the institute.

(2) All decisions of the Institute shall, as far as possible, be recorded in the form of resolutions and an entry of such decision in the book of proceedings of the institute shall be conclusive evidence of the fact that such decisions were taken by the Institute.

(3) The proceedings of every meeting of the Institute shall be circulated among its members within thirty days of the meeting and if any comments are received within a stipulated time they shall be incorporated suitably subject to the approval of the president and re issued as final proceedings.

7. Delegation of functions to governing body or Executive Director- The Institute may, by general or special order in writing, delegate to the governing body or the Executive Director, subject to such conditions and limitations, if any as may be specified in the Order, such of its functions which it considers, conducive or incidental to the attainment of the objects specified under subsection (9) of section 42.

8. Term of Office- (1) The term of Office a member of the governing body shall continue as long as he is a member of the Institute.

(2) The term of Office of a nominated member of the governing body under clauses (vii), (viii), (ix) or (x) of sub-rule (1) of rule 6 of tile Disaster Management (National Institute of Disaster Management) Rules, 2006 shall cease as soon as he ceases to be member of the institute or till is replaced by the central Government, whichever is earlier.

9. Powers and functions of the governing body- (1) The governing body shall be responsible for carrying out the decisions of the Institute.

(2) In Particular and without prejudice to the generality of the foregoing functions, the governing body may perform all or any of the following functions, namely:-

The National Institute of Disaster Management Regulations, 2006 [Reg. 6

(a) ensure compliance of broad polices and guidelines laid down for the Institute by the National Authority;

(b) consider and recommend such proposals as are required to be submitted to the Institute for its approval;

- (c) consider and approve such programmes and activities as may be taken up as interim till these are approved by the Institute;
- (d) consider and approve such change in the approved annual activities of the Institute as may be considered necessary, subject to ex-post-facto approval of such changes by the institute;
- (e) consider and approve such new activities not included in the approved annual activities of the Institute as may be required to be taken up, subject to ex post facto approval by the Institute.
- (f) appoint such committees and sub committees as considered appropriate for the discharge of its functions;
- (g) perform all such acts and do all such things as may be necessary for the proper management of the properties of the Institute; and
- (h) perform all such functions as may be delegated by the Institute.

The National Institute of Disaster Management Regulations, 2006 Reg. 14]

10. Time and place of meeting of the governing body-The governing body shall hold its meetings at such place and times as the chairperson of the governing body from time to time, determine: Provided that the chairperson of the governing body shall convene a meeting if a requisition for that purpose is presented to him in writing by not less than four members of the governing body specifying the subject matter proposed to be discussed in the meeting:

Provided further that the governing body shall meet at least once in three months.

11. Notice for meeting of governing body- (1) Not less than fourteen days notice for every meeting of the governing body shall be given to each member of the governing body.

(2) A Notice may be served upon any member of the governing body either personally, by email, fax, telegram or by post by under by under certificate of posting in an envelope addressed to such member and such notice shall be presumed to have been properly delivered.

The National Institute of Disaster Management Regulations, 2006 Reg. 14]

(3) Notwithstanding anything contained in sub regulation (1), a meeting of the governing body at which any matter which is considered urgent by the Chairperson has to be taken up, may be called at a shorter notice.

12. Quorum- (1) No. Business shall be transacted at a meeting of the governing body unless at least five members of the governing body are present.

(2) Quorum -(1) No Business shall be transacted at meeting of the governing body unless at least five members of the governing body are present.

(2) If within half an hour of the time appointed for holding the meeting of the governing body, quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to another day and notice of such adjourned meeting shall be given to each member of the governing body by e-mail, fax, teiegrm, post or special messenger, as the case may require. Provided that a meeting so adjourned shall be held within twenty one days of the date on which it was originally proposed to be held.

(3) If at any such adjourned meeting also, the quorum is not present within half an hour from the appointed for holding the meeting the members of the overning body present at the meeting shall from the quorum.

13. Presiding over the meetings of governing body- (1) The Chairperson of the governing body shall preside over meeting of the governing body.

(2) If the Chairperson of the governing body is not present at any particular meeting, the vice-chairperson shall preside over the meeting of the governing body.

(3) If the Chairperson and the Vice chairperson of the governing body are not present at any particular meeting, the members of governing body present shall choose one from among themselves to chair that meeting.

14. Transaction of business by circulation of papers-(1) Any business which may be necessary for the governing body to transact, may, if the chairperson or in his absence, the Vice chairperson so directs, be dealt with by circulation of the papers to all the members of the governing body at their usual address, and any resolution so circulated shall be as effectual any binding as if the resolution has been passed at a meeting of the governing body, provided

The National Institute of Disaster Management Regulations, 2006 [Reg. 14
at least five members of the governing body have accorded their approval to the resolution. 7

(2). If a resolution is circulated the results of circulation shall be communicated to all the members of the governing body and shall also be placed before the governing body at its subsequent meeting for confirmation.

The National Institute of Disaster Management Regulations, 2006 Reg. 14]

15. Voting - All matters submitted to meeting of the governing body shall be decided by a majority of the members of the governing body present and voting thereat, and in case of an equality of votes the chairperson of the governing body or the person presiding shall have a casting vote, in addition to the vote to which he may be entitled to as a member of the governing body.

16. Recording of business - (1) record shall be maintained of all business transacted by the governing body.

(2) All decisions of the governing body shall, as far as possible, be recorded in the form of resolutions and an entry of such decisions in the book of proceedings of the governing body shall be conclusive evidence of the fact that such decisions were taken by the governing body.

The proceedings of every meeting shall be circulated to the members of the governing body within twenty one days of the meeting of the governing body.

17. Allowances to the members of the institute and the governing body- (1) The members of the institute and the governing body may be paid travelling allowances, daily allowances, conveyance allowances and room rent as admissible under the supplementary Rules.

18. Powers and Functions of Executive Director -(1) The Executive Director shall be responsible for implementation of the decisions of the Institute, its governing body and the board policies and guidelines of the National Disaster Management Authority and perform such other functions as may be assigned by the Central Government.

(2) The Executive Director shall be in charge of the administration of the institute and shall allocate duties to officers and employees provided to the institute and exercise such supervision and executive control as are necessary.

(3) The Executive Director shall exercise the powers of the head of the department as specified in the fundamental Rules, Supplementary Rules and the Delegation of Financial Power Rules.

(4) The Executive Director shall-

(a) Discharge the functions of disciplinary Authority in respect of the officers and employees of the Institute below the rank of Associate Professor and equivalent posts;

(b) decide the venue of the trainings and workshops and invite resource persons for various programme; subject to such guidelines as may be laid down by laid down by the institute or its governing body;

The National Institute of Disaster Management Regulations, 2006 Reg. 14]

(c) engage consultants for performance of specific jobs subject to such guidelines as may be laid down by the institute or its governing body;

(d) make such short term changes in the training programmes, workshops and other activities of the Institute as may be necessary due to exigencies of situations;

The National Institute of Disaster Management Registrations, 2006 Reg. 18]

(e) approve publication of documents, reports etc;

(f) permit air travel to non-entitled officers for reasons to be recorded in writing;

(g) correspond with the central Government and State Governments on any matter pertaining to the Institute;

(h) Discharge such other functions as may be delegated to him by the institute or its governing body.

(Chapter) अध्याय-2

जिले की विपदा, जोखिम की संवेदनशीलता जोखिम से निपटने का आंकलन Hazard, Vulnerability, Capacity and Risk Assessment

2.1 भौगोलिक स्थिति

जालोर जिला राजस्थान राज्य में वर्ष 1949 में सम्मिलित किया गया था। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में 24°37' उत्तरी अक्षांश से 25°35' उत्तरी अक्षांश तथा 71°58' पूर्वी देशान्तर से 73°34' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जिले का क्षेत्रफल 10640 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जिले की कुल जनसंख्या 1828730 है। जिले की उत्तर पश्चिम सीमा बाड़मेर जिला, उत्तर पूर्वी सीमा पर पाली जिला, दक्षिण पूर्व सीमा पर सिरोही जिला तथा दक्षिण में गुजरात राज्य की सीमा लगती है।

जिला जालोर वर्ष 1973, 1975, 1990, 1992, 1994, 2006, 2015 व 2017 की बाढ़/ अतिवृष्टि तथा वर्ष 1998 व 2023 के चक्रवात से सम्पूर्ण जिला प्रभावित हुआ था। इन विपदाओं से निपटने के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ-साथ विभिन्न विभागों उपखण्ड अधिकारियान् तहसीलदारान् एवं विकास अधिकारियान् के अथक प्रयास एवं स्थानीय दानदाताओं, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं भामाशाहों से ज्यादा से ज्यादा सम्पर्क स्थापित उन्हें आग्रहपूर्वक प्रोत्साहित किया जाकर आपदा से निपटने के प्रयास किये गये।

2.2 जिले की भौगोलिक स्थिति :-

जालोर जिला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में 24.37 डिग्री अक्षांश से 25.35 डिग्री अक्षांश तथा 71.58 से 73.34 डिग्री पूर्व देशान्तर के बीच स्थित है। जिले के पूर्व दिशा में सिरोही, पाली, उत्तर में बाड़मेर तथा दक्षिण में गुजरात व पश्चिम दिशा में कच्छ की खाड़ी व गुजरात राज्य का भाग स्थित है जिले का क्षेत्रफल 1056602 हैक्टेयर है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जिले की कुल जनसंख्या 1830151 है। इसमें 135030 जनसंख्या शहरी एवं 1695121 लाख जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र की है। जिला जालोर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ब्रेड गेज रेलवे प्रणाली से पड़ोसी जिलों एवं गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है।

जालोर जिला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में 24°37' उत्तरी अक्षांश से 25°35' उत्तरी अक्षांश तथा 71°58' पूर्वी देशान्तर से 73°34' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जिले का क्षेत्रफल 10640 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जिले की कुल जनसंख्या 1828730 है। जिले की उत्तर पश्चिम सीमा बाड़मेर जिला, उत्तर पूर्वी सीमा पर पाली जिला, दक्षिण पूर्व सीमा पर सिरोही जिला तथा दक्षिण में गुजरात राज्य की सीमा लगती है। जिले की जन संख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1828730 है। जिनमें पुरुष जनसंख्या 936634 एवं महिला जनसंख्या 892096 है। जिले में कुल 896 आबाद 889 एवं गैर आबाद 07 राजस्व ग्राम है। जिले में कुल 304 ग्राम पंचायत मुख्यालय है। जिले में 9 उपखण्ड कार्यालय क्रमशः जालोर, सायला, आहोर, भीनमाल, बागोडा, जसवंतपुरा, रानीवाडा, सांघोर, चितलवाना है। इसी तरह 10 तहसीलें क्रमशः जालोर, सायला, आहोर, भाद्राजून, भीनमाल, बागोडा, जसवंतपुरा रानीवाडा, सांघोर एवं चितलवाना है, उपतहसील

जीवाणा, रामसीन है तथा 10 पंचायत समिति मुख्यालय क्रमशः जालोर, सायला, आहोर, भीनमाल, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, सांचौर, चित्तलवाना सरनाऊ, एवं बागोडा है।

2.3 प्रशासनिक संरचना

जालोर जिला निम्नलिखित 9 उपखण्डों एवं 10 तहसीलों में विभाजित है:-

क्र.स.	अति. कलेक्टर	उपजिला कलेक्टर	तहसील	पंचायत समिति	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की कुल संख्या
1	जालोर	जालोर	जालोर	जालोर	
2		आहोर	आहोर	आहोर	
3			भाद्राजून	सायला	
4		सायला	सायला	भीनमाल	
5	भीनमाल	भीनमाल	भीनमाल	जसवंतपुरा	
6		जसवंतपुरा	जसवंतपुरा	रानीवाड़ा	
7		रानीवाड़ा	रानीवाड़ा	बागोडा	
8		बागोडा	बागोडा	सांचौर	
9	सांचौर	सांचौर	सांचौर	चित्तलवाना	
10		चित्तलवाना	चित्तलवाना	सरनाऊ	
योग					

जिले में एक जिला परिषद, 10 पंचायत समितियाँ, 305 ग्राम पंचायतें एवं 2 नगर परिषद व 3 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनका विवरण निम्नसार है:-

जिला परिषद का मुख्यालय जालोर में स्थित है। पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार :-

क्र.स.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	प.स. के सदस्यों की संख्या
1.	जालोर	29	17
2.	आहोर	40	23
3.	सायला	44	25
4.	भीनमाल	21	21
5.	जसवंतपुरा	25	19
6.	रानीवाड़ा	32	27
7.	सांचौर	32	25
8.	चित्तलवाना	37	17
9.	बागोडा	28	23
10.	सरनाऊ	17	15
	योग:-	305	212

शहरी स्थानीय निकायों का विवरण

क्र.स.	स्थानीय निकाय	शहर/कस्बा
1.	नगरपरिषद	जालोर/सांचौर
2.	नगरपालिका	भीनमाल/आहोर/सायला

जिले में 5 विधान सभा क्षेत्र – जालोर, आहोर, भीनमाल, रानीवाडा सांचोर है। जालोर (अ.जा.) के लिए आरक्षित है। जिला जालोर एवं सिरोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (सामान्य) में आता है।

2.4 भौतिक स्वरूप

क्षेत्रफल:-

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले का कुल क्षेत्रफल 10640 वर्ग कि.मी. है। इसकी जनसंख्या 1828730 है तथा घनत्व 172 व्यक्ति प्रति कि.मी. है।

मृदा (मिट्टी) :-

जिले की सामान्य: मिट्टी उपजाऊ है एवं कृषि योग्य है। जिले के पूर्व में पहाड़ी इलाका है।

भूमि उपयोग:-

जिले का कुल क्षेत्रफल 1056611 हैक्टर है। जिसमें से 45179 हैक्टर भूमि कृषि योग्य उपलब्ध है। इस सिंचित क्षेत्र में से 7761 हैक्टर भूमि में सिंचाई सुविधा बांधों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है।

क्र. स.	भूमि का उपयोग	क्षेत्रफल
1	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	1056611
2	जंगलात (वन एवं पहाड़)	46141
3	भूमि जो कृषि के अति. काम में ली गई	45179
4	ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि	55652
5	कुल कृषि अयोग्य भूमि	100831
6	स्थाई चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि	47252
7	वृक्षों के झुण्ड तथा बाग	50
8	कुल जोत रहित भूमि	19817
9	अन्य पड़त भूमि	91490
10	चालू पड़त भूमि	66824
11	कुल पड़त भूमि	158314
12	वास्तविक बोया हुआ क्षेत्रफल	684206
13	समस्त बोया गया क्षेत्रफल	1067122
14	एक बार से अधिक बोया क्षेत्रफल	382916

जलवायु:-

जिले की जलवायु सामान्य एवं स्वास्थ्यवर्धक है। जनवरी महीने के मध्य अधिकतम तापमान का क्रम 23 सै. रहता है जबकि मध्य दैनिक न्यूनतम तापमान का क्रम 8 सै. रहता है। मार्च के महीने से तापमान क्रमश बढता जाता है। सामान्यतः मई उष्णतम महीना होता है जबकि माध्य दैनिक अधिकतम तापमान का क्रम 40 सै. रहता है। दिनों में पृथक रूप से दिन का तापमान अधिक से अधिक 47 सै. तक जा सकता है। नवम्बर मध्य से जनवरी तक मौसम ठंडा रहता है। मानसून में जो कि जून के तृतीय सप्ताह से प्रारम्भ होकर सितम्बर माह के मध्य तक चलता है, वातावरण आर्द्र रहता है। तथा मौसम खुशनुमा रहता है।

वर्षा:-

जिले की गत वर्ष की औसत वर्षा 483 एवं जिले की गत दस वर्षों की औसत वर्षा 575 कुल वार्षिक की लगभग 85 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर के महीने में होती है। इनमें से जुलाई व अगस्त भारी वर्षा के होते हैं। जनवरी एवं फरवरी माह में भी यदा कदा वर्षा होती है।

नदियां, बांध तालाब:-

नदिया:- जवाई नदी, बाण्डी नदी सागी नदी सूकडी नदी बाण्डी नदी खारी नदी आकोली नदी, जैतपुरा नदी, बड़गांव नदी और लूनी नदी जिले की प्रमुख नदियां हैं।

बांध:- जिले के प्रमुख बांध:- बांकली बांध, बीठन बांध बाण्डी सणधरा बांध, बणधर बांध जेतपुरा बांध, बालसमंद बांध, है एवं इनके अतिरिक्त 126 बांध और हैं जिनकी क्षमता 1917.00 मिलियन घनफुट है।

2.4 आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति :-

प्रमुख फसल:-

जिले में रबी की फसलें प्रमुख हैं तथा साथ में खरीफ एवं जायद की फसलें भी बोयी जाती हैं।

रबी:-गेहूँ, जीरा चना सरसों, तारामीरा, मैथी, अरण्डी, सौंफ इसबगोल आदि। खरीफ:- बाजरा, ज्वार, मूंगफली तिल, उड़द मूंग मोठ आदि। इसके अतिरिक्त जिले में व्यावसायिक दृष्टि से फल और सब्जियों बोई जाती हैं। पपीता, नींबू और आम के पेड़ आमतौर पर पाये जाये जाते हैं। नदियों के पेटे में सब्जियां जैसे खरबूजा, ककड़ी, टमाटर खूब पैदा किये जाते हैं। फल व सब्जियां प्रचुर मात्रा में नहीं होने से अन्य जिलों से आयात किये जाते हैं।

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

क्र.स.	फसलों का नाम	वर्ष (कि.ग्रा. प्रति हैक्टर)
1	ज्वार	4100
2	बाजरा	27885
3	मक्का	29
4	गेहूँ	43650
5	जी	230
6	चना	6015
7	सरसों	113450

प्रमुख उद्योग

वर्तमान में जिले में उद्योग बड़े तथा मध्यम श्रेणी के कई उद्योग उत्पादनरत हैं। जिले के खनिज पदार्थों की अधिकता होने के कारण खनिज आधारित उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। बड़े उद्योगों में ग्रेनाइट है। जालोर जिले में ग्रेनाइट उद्योग पूर्णतया विकसित अवस्था है जालोर शहर के 3 अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों में आज लगभग 800 ग्रेनाइट

इकाईया है वही विशनगढ़, भागली, बागरा, सियाणा, आकोली व रामसीन में गैर व मान्यता प्राप्त लगभग 100 अतिरिक्त ग्रेनाईट इकाईया स्थापित हैं जिसमें कुल अनुमानित 2 हजार करोड़ का निवेश हो रहा है। जालोर में ग्रेनाईट की विभिन्न किस्म की टाईल्स तैयार की जाती है।

क्र.सं.	उद्योग का नाम	कुल संख्या
1	उद्योग विभाग द्वारा पंजीकृत सूक्ष्म उद्योग	9457
2	उद्योग विभाग द्वारा पंजीकृत लघु उद्योग	12
3	औद्योगिक क्षेत्र	06
4	बड़े एवं मध्यम उद्योग	04

संचार एवं यातायात :-

जालोर जिला मुख्यालय रेल लाईन से जुड़ा हुआ है। जिले में से रेल लाईन गुजरती है उत्तरी रेलवे की जोधपुर-अहमदाबाद -वाया भीलडी बड़ी लाईन पर बालवाडा, विशनगढ़, जालोर, बागरा, बाकरा रोड़, मोदरा, भीमपुरा, भीनमाल, कोडी, मालवाडा, रानीवाडा, रतनपुरा रेलवे स्टेशन स्थित है।

जिले में वायुयान सेवा उपलब्ध नहीं हैं। जिला मुख्यालय पर ही वायुयान उतरने के लिये हवाई पट्टी नून में बनी हुई है।

जिले में एक राष्ट्रीय राजमार्ग 15 नवम्बर है जो जिले को बाडमेर सांचोर गुजरात से जोड़ता है।

जनसंख्या :-

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जालोर जिले जिले की जनसंख्या के आंकड़े निम्नसार है :-

क्र. सं.	वर्ष	पुरुष	स्त्री	योग	कमी/वृद्धि
1	1981	465067	438006	903073	35.20
2	1991	588457	554106	1142563	26.52
3	2001	737880	711060	1448940	26.81
4	2011	936634	892096	1828750	26.21

जन संख्या का घनत्व

क्र. सं.	वर्ष	घनत्व		योग	कमी/वृद्धि
		ग्रामीण	शहरी		
1	1981	79	1073	85	(+) 35.20
2	1991	100	1745	107	(+) 26.52
3	2001	104	1750	136	(+) 26.81
4	2011	152	1755	147	(+) 26.21

ग्रामीण एवं शहरी जन संख्या का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. स.	तहसील	1991			2001			2011		
		ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
1	जालौर	247213	33650	280863	174551	44830	219381	210342	54081	264423
2	आहोर	176184	0	176184	207961	0	207961	239642	0	239642
3	सायला	0	0	0	137804	0	137804	176682	0	176682
4	भीनमाल	252521	30731	283252	182226	39280	221506	97670	47954	145624
5	जसवंतपुरा	0	0	0	0	0	0	155762	0	155762
6	बागोडा	0	0	0	130895	0	130895	151141	0	151141
7	रानीवाडा	123125	0	123125	163349	0	163349	206871	0	206871
8	सांचौर	260312	18827	279139	342120	25884	368004	249868	25884	275752
9	चितलवाना	0	0	0	0	0	0	211069	0	211069
	योग	1059355	83208	1142563	636364	368004	662248	1699047	127919	1826966

जनगणना: के आंकड़ों के अनुसार जिले की जनसंख्या की स्थिति निम्न प्रकार है:-

	जनगणना 2001	जनगणना 2011
1. पुरुष	737880	936634
2. स्त्री	711060	892096
3. योग	1448940	1828750
4. ग्रामीण	1338946	1676975
5. शहरी	109994	151755
6. जनसंख्या घनत्व	109994	172
7. कुल साक्षरता दर	26.81	54.86
अ. पुरुष	68.67	70.67
ब. स्त्री	37.53	38.47
8. कुल जनसंख्या में नगरीय जन संख्या	109994	151755
9. 1000 पुरुष पर महिला	963	952
10. जन संख्या की 10 वार्षिक वृद्धि पर (1991-2001)	33.22	26.21
11. जन संख्या की 10 वार्षिक वृद्धि पर (2001-2011)	0	(-) 0.60

वर्ष 2011 में अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. स.	तहसील	अनु. जाति			अनु. जनजाति		
		पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
1.	जालौर	31377	28613	59990	15819	14190	30009
2.	आहोर	26685	25892	52577	15880	14789	30669
3.	सांचौर	50787	46433	97220	12546	11353	23899
4.	चितलवाना						
5.	भीनमाल	25577	24173	49750	19747	18046	37793
6.	जसवंतपुरा						
7.	रानीवाडा	21508	19518	41026	16581	15356	31937
8.	सायला	18676	17377	36053	5672	5084	10756
9.	बागोडा	10732	9848	20580	7045	6611	13656
	योग	185342	171854	357196	93290	85429	178719

2.5 सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां

जिले में आयोजित अधिकांश मेले सामाजिक एवं धार्मिक प्रकृति के होते हैं जो विशिष्ट समय पर लगते हैं तथा इनका व्यापारिक महत्व होता है। ये मेले मनोरंजन एवं लोगों को एकत्रित होने के प्रमुख साधन हैं। इनके अतिरिक्त स्थानीय निकायों को आगदनी भी सुलभ कराते हैं जिले में कुल 4 मेले आयोजित किये जाते हैं। इनमें शितला माता, मेला जालोर में, सेवाडीया, पशु मेला रानीवाड़ा में आपेश्वर महादेव का शिवरात्री मेला रामसीन में रघुनाथ पशु मेला सांचौर में प्रमुख है।

ऐतिहासिक एवं धार्मिक केन्द्र :-

पौराणिक काल से यह केन्द्र ऋषियों, मुनियों तपस्वियों एवं चिंतकों का केन्द्र रहा है। वशिष्ठ ऋषि का आश्रम, दत्तात्रेय का गुरुशिखर पांडवों की गुफा, भीम गुफा, राजा हरिश्चन्द्र की गुफा, भूर्तहरि की गुफा राजा गोपीचन्द्र की गुफाएं इसके प्रमाण हैं।

सुधामाता मन्दिर :- इस जिले में सुधा पर्वत पर सुधामाता का अति प्राचीन प्रसिद्ध मन्दिर है वहां पर राजस्थान का प्रथम रोपवे भी दर्शनार्थियों के लिए उपलब्ध है।

क्षेमकरीमाता मंदिर :- इस क्षेत्र भीनमाल शहर के पास क्षेमकरीमाता का अति प्राचीन प्रसिद्ध मन्दिर है।

जैन मंदिर :- जैन मंदिरों में 72 जिनालय भीनमाल में विश्व प्रसिद्ध मन्दिर हैं।

माण्डवला में जहाज मन्दिर स्थित है। माडोली जैन प्रसिद्ध मन्दिर है। जालोर दुर्ग पर चार जैन मन्दिर उपलब्ध हैं एवं साथ ही जिले में राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा तीन संरक्षित स्मारक घोषित किये गये हैं। जिसमें जालोर का ऐतिहासिक दुर्ग (स्वर्णगिरि दुर्ग) जो कि 1200 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा नगर के मध्य तोपखाने के नाम से जाना जाता है, इसे परमार राजा भोज ने अपने शासन काल के दौरान आठवीं शताब्दी में यहां बनवाया था, जो कि कालान्तर में राठौड़ों के समय तोपें रखे जाने के कारण तोपखाना हुआ और तीसरा भाद्राजून की कलात्मक छतरियाँ हैं। इसके अतिरिक्त तहसील भीनमाल में स्थित कोटकारस्ता दुर्ग भी एक प्राचीन धरोहर है।

जालोर में कनकाचल पर्वत पर सिरे मंदिर प्रमुख है। अन्य दर्शनीय स्थलों में सेवाड़ा (रानीवाड़ा) का पातालेश्वर महादेव मंदिर, रामसीन में आपेश्वर महादेव मंदिर, मोदरा में आशापुरी माताजी का मंदिर, भीनमाल में वराहश्याम का मंदिर, क्षेमकरी माताजी का मंदिर व सांचौर का सती दाक्षायणी मंदिर, गोलासन का हनुमान मंदिर, जालोर के पास जागनाथ महादेव मंदिर, बिसनगढ़ का कैलाश धाम, भाद्राजून की पहाड़ियों पर सुभद्रा माता का मंदिर (धुम्बड़ा) एवं विष्णु की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा (सांचौर) आदि प्रमुख हैं।

भीनमाल:- नगरी माघ कवि का जन्म स्थल है।

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, संत्रास, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्वास्थिति में आने कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रुकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व अंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों बुजुर्गों, महिलाओं,

नि:शक्तजनों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञान किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

संभावित विपदाओं की पहचान

आपदा प्रबंधन पर घटित उच्च स्तरीय कमेटी ने 31 तरह की आपदाओं को चिन्हित किया है जिन्हें मुख्यतः पांच भागों में विभक्त किया है।

- जलवायु सम्बन्धित— बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, गर्म और ठंडी हवायें, तूफान एवं बिजली का गिरना।
- भूगर्भ सम्बन्धित— भूकम्प, भूस्खलन, बांध का टूटना, खान में आग लगना।
- रसायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धित— रसायनिक एवं औद्योगिक विपदा एवं परमाणु विपदा।
- दुर्घटना सम्बन्धित— आग, बम विस्फोट, वायु, सड़क एवं रेल दुर्घटना, खान में बाढ़ आना, मुख्य भवनों का ढहना।
- जैविक आपदाएँ— महामारी टिड्डी दल आक्रमण, जानवरों की महावारी इत्यादि।

सिराही जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों ने जिला आपदा प्रबंधन योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला में जिले में होने वाली संभावित आपदाएँ, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया।

कार्यशाला में जिले में संभावित 10 आपदाएँ चिन्हित की गयीं। इनमें से मुख्य पाँच विपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एवं अन्य विपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी। पाँच मुख्य विपदाएँ निम्न हैं।

1. सूखा
2. बाढ़
3. दुर्घटनाएँ
4. आग
5. भूकम्प

व अन्य 5 विपदाएँ साम्प्रदायिक दंगे, ओलावृष्टि, बांध टूटना, रासायनिक एवं औद्योगिक विपदाएँ तथा (लू) व शीतघात हैं।

संवेदनशीलता

किसी भी स्थान की संवेदनशीलता वहाँ के लोगों के जीवन स्तर, वहाँ की स्थिति, रहने के स्थान व घटना के समय पर निर्भर करती है। लोग, स्थिति, स्थान समय घटना

(1) भौतिक संवेदनशीलता

भवन, आधारभूत ढांचा जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार जन सुविधाओं आवश्यक जन सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृषि, भौतिक साधन हैं जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आकलन किया जाता है।

घरों को उनकी बनावट तथा भवन सामग्री के आधार पर चार मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं।

(अ) मिट्टी की दीवार ढालू कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर

(ब) पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर

(स) सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढांचों के साथ

(द) हल्के, लकड़ी पत्तों आदि की झोपड़ियाँ

(य) मिट्टी की दीवार ढालू कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर

(र) पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर

(ल) सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढांचों के साथ

(व) हल्के, लकड़ी पत्तों आदि की झोपड़ियाँ

जिले का लगभग 15 प्रतिशत भाग संशोधित सरकारी मापक के अनुसार VII (MKS) तक तीव्रता के भूकम्प आने के मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र में आता है। जिले में पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थरों के बने घरों को अत्यधिक नुकसान वाले सम्भावित क्षेत्र मध्यम होने की संभावना है। इस तरह के घरों को कम नुकसान होने की संभावना है अर्थात् भूकम्प की दृष्टि से कुछ हद तक इन्हें ठिक कहा जा सकता है। हल्के भवन निर्माण के घर जैसे झोपड़ियाँ हल्के लकड़ी, पत्तों आदि की सामग्री से बने हुए हैं जो भूकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित है लेकिन तेज हवाये अगर 47 एम /सैं. से चलती है तो इन घरों में अत्यधिक नुकसान की संभावना है। हल्के भवन निर्माण के घर जैसे झोपड़ियाँ हल्के लकड़ी, पत्तों आदि की सामग्री से बने हुए हैं जो भूकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित है लेकिन तेज हवाये अगर 47 एम /सैं. से चलती है तो इन घरों में अत्यधिक नुकसान की संभावना है।

आर्थिक, सामाजिक संवेदनशीलता

जिले में किये गये अध्ययन के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या काफी अधिक है। हानि, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, गौण प्रभाव गरीबी, संसाधनों की कमी।

खतरा

भौतिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिक आदि कमजोर संरचनाओं को खतरा अधिक होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विपदा की प्रचण्डता कितनी थी और असुरक्षा की स्थिति कितनी थी। खतरा, विपदा और संवेदनशीलता पर निर्भर करता है।

आपदा के दौरान प्रबन्धन हेतु सामान्य कार्य योजना:-

जिले में घटित होने वाली प्रत्येक आपदा के प्रबन्धन हेतु जिला कलेक्टर ही उत्तदायी होता है। इसके लिए जिला कलेक्टर आपदा के समय अपनी आपात कालीन शक्तियों का उपयोग करके कोई भी निर्णय ले सकता है तथा किसी भी विभाग को आपात कालीन सेवा प्रदान करने का दिशा निर्देश दे सकता है। जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में

अतिरिक्त जिला कलेक्टर अथवा सहायक जिला कलेक्टर जिला आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगे।

आपदा के दौरान कलेक्टर की भूमिका

- जिला कलेक्टर संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवाना
- उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों को नियुक्ति करना तथा आदेश देना। इससे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज सम्भाल लेंगे।
- जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना जो कि 24 घंटे कार्यरत होगा।
 - नियंत्रण कक्ष जिला, कलेक्ट्रेट, तहसील मुख्यालय तथा विभिन्न विभागों में स्थापित करना।
 - नियंत्रण कक्ष में तीन पारी में नियुक्ति करना (दो व्यक्ति हर पारी में)
 - नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नं. होंगे।
 - नियंत्रण कक्ष के फोन नं. आसान व याद रखने योग्य होने चाहिए। अगर हो सके तो तीन अंकों का नम्बर दिया जा सकता है ताकि व्यक्ति सूचना आसानी से दे सकें।
 - सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंध का आदेश देना।
 - आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
 - आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग-अलग काउन्टर बनाना।
 - आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
 - सभी विभागों में समन्वय करना समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतु सूचनाएं व आंकड़े तैयार रखवाना।
 - आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना। रेलवे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वय करना।
- प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना।
- विभिन्न बचाव कार्यों के लिए धन तथा वितरण की रूपरेखा तैयार करना।
- दान वी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रूपरेखा तैयार करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत व जानकारी आदि के लिए अलग-अलग काउन्टर बनाना।
- जरूरत पड़ने पर सेना से सहायता लेना।
- उपरोक्त अलावा निम्नांकित विभागों का सहयोग भी जिला कलेक्टर लेंगे :-

पुलिस विभाग

राजस्व विभाग के बाद पुलिस की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमले, सिविल अनरेस्ट तथा सड़क दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल विभाग होता है। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, आग या कोई भी दूरघटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

- आपदा प्रभावित स्थल पर पहुँचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
- खोज, बचाव व स्थानों की खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना।
- लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना।
- बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।

नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी

आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष नागरिक सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टी आदि रद्द करके उन्हें आपदा स्थल पर तुरन्त पहुँचने का आदेश देंगे। नागरिक सुरक्षा बल के जवान आपदा में फंसे लोगों को ढूँढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करेंगे।

चिकित्सा विभाग की भूमिका

- विभाग में नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- अस्पताल में घायलों को भर्ती करने हेतु जगह का इंतजाम करना।
- आवश्यक दवाइयों का स्टॉक तैयार रखना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करना ताकि घायलों को तुरन्त प्राथमिक उपचार दिया जा सके।
- एम्बुलेंसों की व्यवस्था करना।
- अन्य निजी अस्पतालों व उनके पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा से निपटने के लिए संपर्क करना।
- जिले में उपलब्ध मोबाइल यूनिटों में घायलों की सहायता हेतु आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- ब्लड बैंकों को आपदा स्थल व अस्पतालों में रक्त पहुँचाने के लिए संपर्क करना।
- मृतकों का निस्तारण हेतु नगर पालिका/परिषद /निगम की मदद लेना।

जल संसाधन विभाग

आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
 रिहायशी क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी हेतु आवश्यक कदम उठायेगा (जैसे पम्परोटो की व्यवस्था आदि करना)
 बाढ़ के पानी की शीघ्र निकासी हेतु उचित मार्ग बनाना व अवरोधों को हटाना।
 बचाव व राहत कार्यों के लिए नावों की व्यवस्था करना।
 गोताखोरों एवं तैराकों से सम्पर्क कर उनकी सेवाएं लेना।
 कंकड़ पत्थर और मिट्टी से भरे थैलों से बहाव को रोकना।
 बांधों व तालाबों में आई दरारों को बन्द करने हेतु तत्काल व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- आपदा स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाड़ियों का तुरन्त इन्तजाम करना।
- विभागाध्यक्षों द्वारा ठेकेदारों से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सहायता लेना।
- आपदा के दौरान टूटे सड़क मार्गों की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारु रूप से हो सके।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलदाय विभाग

- जल की सुरक्षा निश्चित करना।
- टूटी हुई पाईप लाईनों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाने हेतु विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करना व ठेकेदारों को नियुक्त करना।
- जरूरत पड़ने पर अग्निशमन साधनों तथा अस्पतालों के लिये समुचित जल की व्यवस्था करना।

राजस्थान राज्य विद्युत निगम

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोड़ना व बिजली की सप्लाई आपदा स्थल तक पहुँचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना।

दूर संचार विभाग

- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम, उपलब्ध कराना (वायरलेस, मोबाईल, होटलाईन)
- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुँचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालु करना।

नगर पालिका/परिषद्/पंचायत समितियाँ

- मृत पशुओं आदि का निस्तारण करना।
- महामारी से बचाव हेतु डी.डी.टी. अथवा अन्य दवाईयों का छिड़काव तथा सफाई की व्यवस्था करना।
- आग जैसी आपदा के समय तुरन्त प्रभाव से अग्निशमन सेवाएँ प्रदान करना।
- (अग्निशमन यन्त्र, अग्निशमन वाहन आदि)

परिवहन विभाग

- आपदा स्थल तक आने जाने हेतु जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार वाहन उपलब्ध करवाना।

खाद्य एवं रसद विभाग

- खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व कerosिन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें मदद के लिए सूचना देना।

पशुपालन विभाग

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी दवाईयों की व्यवस्था करना।
- जानवरों के डॉक्टर उपलब्ध करवाना।
- पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम करना।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना।

स्वयंसेवी संगठन

- हर तरह की आपदा से निपटने हेतु जिला प्रशासन की मदद करना।

जिले में मुख्य अन्य सम्भावित आपदाएं व कार्य योजना :-

सूखा

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पड़ता है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर बढ़ती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है— प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है जबकि सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परीभाषा कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

सूखा एक धीरे-धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमें निपटने का काफी समय देती है। जल का उचित प्रबन्धन न होने के कारण समय के साथ साथ इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है।

सूखे के सामान्य संकेतक

जलाशयों में पानी का अभाव
वर्षा का कम होना या समय पर न होना या कम जल संग्रहण
भू जल स्तर का कम होना।
फसलों का नष्ट होना

सूखे के प्रकार

- मौसम विज्ञान संबंधी सूखा:- अपर्याप्त वर्षा, अनियमितता, पानी का असमान वितरण
- जल विज्ञान संबंधी सूखा:- पानी का अभाव, भूजल स्तर का निम्न होना, जल स्रोतों का अवक्षय, तालाबों कुओं तथा जलाशयों का सूखना
- कृषि संबंधी सूखा :- फसल अथवा चारे की कमी, मृदा की नमी में कमी।

राजस्थान एवं सूखा एक दूसरे के समानार्थक है। पिछले 50 वर्षों में औसतन हर दूसरा वर्ष सूखे की समस्या से प्रभावित वर्ष रहा है। जालोर जिला सूखे की समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र है अगर जिले के अकाल ग्रस्त वर्षों का आंकलन करें तो 1985 भीषणतम रहा है। सन् 1965, 1968, 1972, 1980, 1984, 2000, 2009, 2014, 2015 भी अकाल से प्रभावित रहें हैं। जिसके परिणाम स्वरूप कई गांव की चपेट में आ गये। जिसके कारण इन गाँवों में फसल खराब होने पर राज्य सरकार द्वारा अकालग्रस्त घोषित किया गया:-

सूखे की कार्ययोजना

राजस्थान के परिपेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या है परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं अथवा इसके विकरालता को कम कर सके हैं।

दीर्घकालीन उपाय

- वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना संरक्षण करना।
- पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
- पानी के परम्परागत स्रोतों का पुनर्जीविकरण।
- अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
- पानी के संग्रहण एवं भू-कूपों का पुनर्भरण।
- मिट्टी व नमी का संरक्षण।
- अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
- फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
- फसलों में फव्वारा पद्धति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
- कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
- स्वयंसहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।
- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण
- चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हीकरण
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयार करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्य आदि की विकास योजना तैयार करना।

सूखे के समय कार्य योजना

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं में लेना।

जिला प्रशासन

- सहायता विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा।
- राहत कार्य की शुरुआत कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्रोतों का संवर्धन
- निजी कुओं को किराये पर लेना
- हैंडपम्पों की मरम्मत करवाना
- परम्परागत जल स्रोतों जैसे बावड़ी, टांकों आदि का पुनः जीविकरण
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण

- खाद्य सामग्री पर मूल्य नियंत्रण
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं मध्याह्न योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन
- पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना।
- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना।
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यों हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- प्रभावित जनसामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना।
- मौसमी बीमारियों/सक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये चिकित्सकीय एवं पैरोमेडीकल स्टॉफ की उचित व्यवस्था
- राहत कार्य के स्थलों पर मेडीकल किट एवं स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना

पशुपालन विभाग

- मवेशियों के लिए शिविर लगाना
- सक्रामक रोगों की, रोकथाम के लिये पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना।
- बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु रोकने के लिए पशु चिकित्सक कर्मी, दवाईयां एवं समय पर उनका संचालन करना।
- पशुओं के लिए चारा तथा पानी उपलब्ध कराना।
- पशुओं को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी

- प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करना।
- पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टैंकर्स, कैनवस बैग व हैण्ड पाईप लाइन की व्यवस्था करना।
- ग्रीष्म ऋतु आपात योजनाओं का प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
- समाज के कमजोर तबके के समूह के बचाव हेतु अन्त्योदय अन्न, अन्नपूर्णा अन्न योजना, गरीबी की रेखा से नीचे वाले तबके सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन
- काम के बदले अनाज योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन स्वयं सेवी संगठन
- राहत कार्यों एवं पेयजल आपूर्ति में स्वयं संगठनों की भागीदारी
- इस विपत्ति हेतु जिला प्रशासन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना

समेकित बाल विकास सेवाएं

- बच्चों एवं गर्भवती माताओं हेतु समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
- राहत कार्य स्थलों पर पूरत पोषाहार उपलब्ध कराना।

सिंचाई

- सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाना
- राहत कार्यों के अन्तर्गत जल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

कृषि विभाग

- खेती के लिए बीज तथा कीटनाशक दवाईयाँ उपलब्ध कराना।
- फसलों का चक्रानुक्रम नर्सरी तथा कृषि निवेशों की व्यवस्था करना।

वन विभाग

वन भूमि में चरागाह उपलब्ध कराना।
ईंधन आदि के लिए पेड़ों की सूखी टहनियाँ उपलब्ध कराना।

विद्युत विभाग

- विद्युत की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति का प्रबन्ध सुखे से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें।
- लगातार समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करें।
- पानी की बचत करें तथा उसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें तुरन्त नल को बंद करें।
- गिलास में एक बार में उतना ही पानी ले जितनी आपको प्यास हो। पूरा गिलास भरकर पानी लेकर व झूठा छोड़ने से पानी बरबाद होता है, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाए तो उसे पेड़ पौधों में डालें।
- पाईप लाईन अथवा टंकी से पानी लीक होती ही उसे ठीक करवायें, ताकि बून्द-बून्द करके पानी बेकार न बहता रहे।
- कही भी पाईप लाईन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करें तथा लिकेज को रोकने के प्रयास करें।
- घरों में वे ही पौधे लगावें जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। घास में दो दिन में एक बार पानी दें। फल, सब्जी व कपड़े धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधों में डालें।
- जल संग्रहण हेतु बनाये गये कुओं, तालाबों आदि की सफाई रखें।
- सोने से पहले घर के सारे नलों को अच्छी तरह से बन्द करें।

- ब्रश अथवा मन्जन करते समय नल खुला न छोड़े बल्कि एक मग अथवा गिलास में पानी भरकर दांत साफ करें।
- नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग करके नहाएं क्योंकि फव्वारे व टब बाथ से पानी अधिक बर्बाद होता है।
- शेविंग करते समय नल खुला न रहने दे। जब मुंह धोने की जरूरत हो तभी नल खोलें व पानी का उपयोग करें।
- हाथ साफ करते के लिए पहले साबुन लगाये व बाद में नल खोल कर हाथ धोयें।
- अपनी गाड़ी को साफ करने के लिए पानी के पाईप का प्रयोग न कर गीले तथा सादे कपड़े का प्रयोग करें।
- फर्श साफ करने के लिये घरों को धोने के बजाय पोंछा लगाकर साफ करें।
- कम से कम बर्तनों को प्रयोग कर हम बर्तन को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचा सकते हैं।
- जल संरक्षण के लिए किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।
- वर्षा के जल को टांके में संग्रहित करना।

बाढ़

जिले में मुख्य नदियाँ जवाई, आकोली, बांडी, सांगी, खारी, जैतपुरा बडगांव और लूनी अधिकांश नदियाँ बरसाती है परन्तु जैतपुरा, बडगांव और सांगी नदियों में वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है। जिले में वर्षा अधिकांश जून से सितम्बर माह के बीच होती है और वार्षिक औसतन 538.0 मिमि है वर्षा का 90 प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। जिले में 1951 से 2016 तक वर्षा के आंकड़ों का अवलोकन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जिले में प्रति तीसरे वर्ष में अधिक वर्षा के कारण जिले में बाढ़/अतिवृष्टि की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस दृष्टि से बाढ़ की स्थिति में विशेष गंभीरता बरती जाती है।

प्राकृतिक जल चक्र का एक अंग भी है। जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वर्षा से है एवं यह जल प्रबन्धन को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है, तो नदियाँ असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती है और बाढ़ की उत्पत्ति होती है। इस विकट पर्यावरणीय परिस्थिति का प्रभाव उक्त क्षेत्र की परिस्थितिकी पर भी पड़ता है। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है—विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। यद्यपि बाढ़ के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी है लेकिन मानवीय क्रियाकलाप भी कम उत्तरदायी नहीं हैं।

भारत वर्ष बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। जिसमें राजस्थान का यह जिला भी है। इस जिले में वर्ष 1973, 1975, 1990, 1992, 1994, 2006, 2015, 2017 एवं 2023 में बिपरजॉय चक्रवात से बाढ़ से प्रभावित हुआ था। जिसके कारण जन धन एवं कृषि प्रभावित होती है।

जिले में बाढ़/अतिवृष्टि अथवा बादलों के यकायक फटने के कारण उत्पन्न होती है। जिले की मुख्य नदी जवाई नदी है, जो तहसील, चितलवाना से बाडमेर मार्ग पर स्थित गांधव पुल के पास लूनी नदी में मिल जाती है। लूनी नदी एवं

जवाई नदी के अधिग्रहण क्षेत्रों में हुई एवं पड़ौसी जिला, सिरौही, पाली एवं जोधपुर में अधिक वर्षा के कारण इन नदियों में जल स्तर बढ़ जाता है और जल का तेज बहाव रास्तों, किनारों को काट देता है। जिससे कि वह कभी भी परम्परागत मार्ग बदल देता है, जिससे निकटस्थ क्षेत्र की जनता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। जिले में बहने वाली नदियों और उसके बाद की स्थिति में जल पलायन से जिले की आहोर, जालोर, सायला, बागोडा और सांचोर, चितलवाना क्षेत्र का अधिकांश भाग और भीनमाल के कुछ हिस्से विशेष रूप से प्रकोप क्षेत्र में स्थित हैं।

बाढ़ के मुख्य कारण

- अत्यधिक वर्षा
- बांध का टूटना
 - उष्ण कटिबंधीय व विक्षोभ
 - बादल का फटना

बाढ़ कार्य योजना

बाढ़ के कारण होने वाली जान हानि व माल को संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कदम उठाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है। संरचनात्मक कदमों से बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचने वाले स्थानों पर जाने से रोका जाता है तथा गैर संरचनात्मक उपायों से नुकसान सम्भावित क्षेत्रों में से बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाता है।

संरचनात्मक उपाय

- जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।
- प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना।
- बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।
- मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास, तथा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाउस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।
- नदी के बान्ध में छिद्रान्धेषी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना।
- तटबन्ध पर बनाये गये स्थानीय बान्धों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।

गैर संरचनात्मक उपाय

पारस्परिक इंजीनियरिंग विधियों से पूर्ण रूप से बाढ़ नियन्त्रित नहीं की जा सकती परन्तु जन सहभागिता से बाढ़ के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

- बाढ़ के मैदान का पटीकरण व भू उपयोग को नियन्त्रित करना
- बाढ़ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी देना।

- संवेदनशील क्षेत्रों का साईन बोर्ड प्रदर्शित करना।
- बाढ़ से बचने के लिए जन चेतना शिविरों का आयोजन।
- बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिए क्या करें क्या न करें को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे रेडियो, अखबार दूरदर्शन तथा बुकलेट से लोगों तक पहुंचाना।
- भू उपयोग को नियमों के माध्यम से नियन्त्रित करके जान, माल तथा भौतिक संसाधनों का खतरा कम किया जा सकता है।
- आपदा सम्भावित क्षेत्रों में दूर्घटना में घायल या मृत लोगों का सीधा सम्बन्ध जनसंख्या घनत्व से होता है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करना चाहिए तथा अगर पहले से लोग बसे हुए हैं तो भू उपयोग नियन्त्रण करके नियमों को पालन करें। संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते हैं, अतः इन क्षेत्रों में जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिए। उच्च बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति व पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों पर वनों के लिए आरक्षित करना।
- हल्के भवन निर्माण सामग्री का बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए तथा मिट्टी के बने घरों को केवल उन क्षेत्रों में अनुमति दी जानी चाहिये जहां पर बाढ़ नियन्त्रण के उपाय कर लिये गये हैं। बचाव हेतु एस्केप रूट का चयन तथा उच्च स्थानों का चयन पहले से निर्धारित होना चाहिए।
- कंट्रोल रूम

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, जयपुर में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग भवन में स्थापित किया जाता है तथा जिला / तहसील मुख्यालय पर भी स्थापित किया जाता है। यह कार्यालय वायरलेस एवं टेलीफोन दोनों से ही जुड़ा हुआ होता है एवं चौबिस घण्टे कार्यरत रहता है। बाढ़ से निपटने हेतु 15 जून से 15 सितम्बर तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिस पर चौबिस घण्टे बाढ़ एवं वर्षा संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान जारी रखा जायेगा।

विभागवार दायित्व

जल संसाधन विभाग

- सुरक्षित स्थानों का चयन
- सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबन्धन
- वाहनों की उपलब्धता निश्चित करना
- सिविल डिफेन्स विभाग को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिये जाते हैं एवं होमगार्ड को आपातकालीन स्थिति में सहायता करने हेतु हमेशा तैयार रहने के निर्देश दे दिये जाते हैं।
- संचाई विभाग बांधों के पानी से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण जल पलायन की स्थिति में नोडल एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करेगा।
- अतिवृष्टि की स्थिति में परिस्थिति में निपटने हेतु सामग्री तैयार रखना।
- तैराकों की सूची

चिकित्सा विभाग

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी होता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर चिकित्सा संसाधन/सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है। चिकित्सालयों तथा चिकित्सकों की सूची आपात कालीन सेवाओं के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले तथा ब्लॉक स्तर पर भी एक-एक रेपिड रेसपोन्स टीम का गठन करेंगे

- | | |
|-----------------------|----|
| 1. चिकित्सा अधिकारी | 01 |
| 2. स्वास्थ्य निरीक्षक | 01 |
| 3. मेल नर्स | 01 |
| 4. एमपीडब्ल्यू | 01 |
| 5. वार्ड बॉय | 01 |

वाहन चालक मय वाहन 01

आपदा की सूचना प्राप्त होते ही रेस्पोंस टीम तुरन्त प्रभावित स्थल पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करायेगी, गंभीर रोगियों को प्राथमिक उपचार पश्चात् अस्पताल में भेजेगी एवं आवश्यकता होने पर (महामारी के समय) रोकथाम की कार्यवाही करना आदि। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पेरामेडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किया जायेगा।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई जो 24 घण्टे कार्यरत रहेंगे।
- संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- पेयजल के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में क्लोरीनिंग पाउडर उपलब्ध कराना।
- समस्त अधिशासी अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं, कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाएंगे।

जिला रसद विभाग

जिला रसद विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा केरोसिन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा।

पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग

- संभावित आपदा से प्रभावित पशुओं में संक्रमक रोग, कुपोषण एवं अन्य उत्पन्न विकृतियों से बचाव हेतु जिला चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- मोबाइल टीम, आपदाओं के कारण पशुओं में संभावित संक्रमक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु मांग अनुसार अनुमोदित औषधियां उपलब्ध करायेगी।
- तहसील मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी तहसील स्तर के जोन प्रभारी के रूप में तैनात करना।

- जोन प्रभारी संबंधित तहसील में आउट ब्रेक अथवा अन्य पशु विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु पशु पालन जिला नियंत्रण कक्ष, विकास अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी से सम्पर्क में रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी से सम्पर्क में रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को क्षेत्र विशेष में भिजवाने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है तथा प्रत्येक स्थिति के नियंत्रण हेतु जोन प्रभारी को उत्तरदायी बनाया गया है।
- जोन प्रभारी ही क्षेत्र की सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु प्राधिकृत है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, पशुधन सहायक को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर आपदा से उत्पन्न विकृतियाँ/समस्याओं से निपटने के लिए जोन प्रभारी एवं जिला पशुपालन नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क में रह कर कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

विद्युत विभाग

जिले में विद्युत का संरचनात्मक ढांचा स्थित होने के कारण इनके रख रखाव एवं सही संचालन हेतु पूर्ण व्यवस्था है फिर भी यदा कदा, आंधी, तुफान, भारी वर्षा अथवा अन्य प्राकृतिक घटनाओं को कारण बिजली के तार टूटना या अन्य तरह की दूर्घटना घटित होना स्वाभाविक है।

- वृत्त स्तर पर आपदा निवारण प्रकोष्ठ रथाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियन्ता स्तर का अधिकारी प्रकोष्ठ प्रभारी होंगे।
- विद्युत लाईनों/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाईनों में विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जावे तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।
- आवश्यकता पड़ने पर कंट्रोल रूम में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथवा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

पुलिस विभाग

- आपदा के वक्त जिला पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
- आपदा से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा।
- कन्ट्रोल रूम की संचार व्यवस्था वायरलेस, टेलीफोन, डी/आर बल को परिवहन हेतु छोटी-बड़ी गाड़ी अच्छी स्थिति में दूरस्त होनी चाहिये।
- कन्ट्रोल रूम में 24 घण्टे की सेवाये कार्यरत होगी तथा आरएएफ, आरएसी की टुकड़ियाँ तैनात रहेगी।
 - ये टुकड़िया लाठी, ढाल, गैस, गन हथियारों से सुसज्जित हो
 - एन.सी.सी/एन.एस.एस.
- आपदा के समय एनसीसी कैडेट्स व संबंधित स्टाफ घर-घर जाकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाकर जन जीवन को राहत पहुंचाने में मदद करेगा।

सड़क दुर्घटना

विज्ञान व तकनीकी विकारा ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है जिसके फलस्वरूप आज दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने असावधानी व तकनीकी खराबी के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते हैं उनमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते हैं। स्थिति की भयावहता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घंटे में 10 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु का ग्रास बनते हैं एवं इनसे चार गुना अर्थात् 40 व्यक्ति घायल होते हैं, जिनमें बहुत से उम्रभर के लिये अपंग हो जाते हैं।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत देश के समस्त हिस्सों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं पर रोक लगाएं ताकि इसमें मरने वालों के आंकड़े में कमी भी की जा सके।

सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण:

- गाड़ी चलाने में लापरवाही
- यातायात नियमों का पालन न करना
- खराब सड़कें
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड़ गाड़ियों का अनुचित रखरखाव
- रेल दुर्घटनाएँ
- जालोर जिले के बालवाड़ा स्टेशन से रेल्वे लाईन प्रविष्ट होती है तथा रतनपुर स्टेशन से बाहर जाती है। जिले में रेल की लम्बाई करीब 135 किलोमीटर है। गत वर्षों में यहां कई रेल दुर्घटना हुई है।

जालोर जिले में कुल सड़कों की लम्बाई करीब 1250 कि.मी. है। यहां सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण यातायात के नियमों की जानकारी नहीं होना, जिससे सामने से आने वाले वाहनों को समय पर नजर नहीं आता, तथा वाहनों के द्वारा क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना है।

दुर्घटना कार्य योजना

दुर्घटनाएं कही भी किसी भी रूप में घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्ता आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा 100, 101 व 102 पर तुरन्त सूचना दें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं।

दुर्घटना से पूर्व

संरचनात्मक उपाय— दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिह्निकरण करना तथा जरूरत के अनुरार वहां गति अवरोध राइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

गैर संरचनात्मक उपाय— सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए

- सड़क नियमों का पालन करें।
- शराब पीकर गाड़ी न चलाये।
- हेलमेट पहने, शीट बेल्ट बांधे।
- बाईं तरफ से ओवरटेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुड़े।
- दाईं व बाईं ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें।
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हेडलाईट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।

दुर्घटना के दौरान

- जिला प्रशासन का कर्तव्य
- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुंचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्ध
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- हानि का आकलन करना।

चिकित्सा विभाग

- जिले में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की सूची है।
- एम्बुलेंस का प्रबन्धन करना।
- दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

पुलिस विभाग

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा उपलब्ध कराना।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

रेल्वे विभाग

जनता तक सही सूचना पहुंचाने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
चिकित्सा व्यवस्था करना।
एक्सीडेंट वैन की व्यवस्था करना।
खोज व बचाव दल, का प्रबन्ध करना।
पीड़ितों की पहचान करना तथा उन्हें आर्थिक मदद देना।

परिवहन विभाग

घायलों को पहुंचाने हेतु यातायात साधनों का प्रबन्ध करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

वैकल्पिक रूट की व्यवस्था

क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, टेक्टर, डम्बर एल.एन.टी आदि की व्यवस्था।

नगर परिषद/पालिका/पंचायत

टैंकों की व्यवस्था। टैंक हाउस की सूची परिशिष्ट 31 पर है।

पानी के टैंकों की व्यवस्था।

अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था।

जनरेटर्स की व्यवस्था।

मृतकों के अन्तिम संस्कार हेतु प्रबन्ध।

दुर्घटना स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था करना।

रसद विभाग

खाद्य सामग्री तथा भोजन के पैकेटों की व्यवस्था करना।

केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि की व्यवस्था करना।

स्वयंसेवी संगठन

राहत व बचाव के कार्यों में प्रशासन की मदद करना।

पीड़ित लोगों के उपचार की सेवाओं की व्यवस्था कराना।

जनता का कर्तव्य

दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने स्तर पर पीड़ित। व्यक्ति की जांच करें तथा उसको शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये। उच्च न्यायालय के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों का कर्तव्य है कि घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करें तथा घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़तात न की जाये।

अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो—

- आवाज देकर, गाल पर थपकी देकर, कान को चुटकी से दबा कर आंख खुलवाने की कोशिश करें।
 - आंख न खोलने पर पता लगाएं की छाती अथवा पेट पर सांस चल रही है या नहीं।
 - इसके लिए नाक या मुंह के सामने हाथ रखकर या कान को मुंह के पास ले जाकर महसूस करें तथा हाथ या गर्दन की नब्ज देखें।
- (ये सभी कान पूरे शरीर पर सरसरी निगाहें दौड़ाते हुए जल्द से जल्द छी कर लें, नहीं तो घायल पूर्ण बेहोशी (कोमा) में चला जाएगा)

सांस व दिल की धड़कन चलाने के लिए

- सबसे पहले घायल को पीठ के बल सख्त जमीन या तख्ते पर लिटा दें। तथा उसके कपड़ों को ढीला कर दें।
- सिर को पीछे की ओर करें जिससे जबान की रुकावट खत्म हो जाए।
- ठोड़ी को आगे ले आएँ जिससे रुकावट खुल जाए।
- जबड़े का नीचे का हिस्सा उपर की ओर उठाकर आगे कर दें।
- इसी के साथ दोनों पैर एक-डेढ़ फीट उंचे करें। इससे पैरों का खून मस्तिष्क में जाएगा तथा उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी।
- यदि इतने पर भी सांस चलना शुरू न हो तो मुंह से मुंह लगाकर एक मिनट में 15 से 18 बार सांस दें। यदि पेट में हवा भरती नजर आए तो हाथ से नाभि के उपर के हिस्से को दबाकर हवा निकाल दें।
- मुंह से नाक द्वारा अथवा एयरवे या एम्बू रीससिटेटर से भी सांस दी जा सकती है। यदि दिल की धड़कन रुक गई हो तो बंद मुट्ठी के निचले हिस्से से छाती के बीच में एक मुक्का मारें अथवा 4-5 सेमी का दबाव डालते हुए एक मिनट में 60-80 बार दबायें।

यदि एक्सीडेंट में घाव हो गए हैं और खून बह रहा हो तो

- रोगी को बिठा या लिटा दें ताकि खून कम बहे।
- घाव पर साफ कपड़े की पट्टी लगा कर हथेली से दबाव डालें तथा दबाव बनाए रखें।
- घायल भाग को स्थिर रखें।
- बहते खून को रोकने के लिए हाथ तथा पैर पर रबड़ बैंड या कपड़े से बंध लगा दें तथा उसे हर 30 मिनट बाद ढीला करके फिर लगाएं। ताकि आगे का हिस्सा काला न पड़े।

यदि घायल को मानसिक आघात (सदमा) लगा हो जैसे—

- चक्कर तथा शिथिलता
- उल्टी होना
- ठंडी व गीली त्वचा
- बेहोशी
- धमनी की धड़कन क्षीण तथा तीव्र होना
- शरीर की जीवन आवश्यक क्रियाएं मंद हो जाना

तो खून को बहने से फौरन रोकें। खून की कमी से होने वाली जटिलताओं के अलावा इसको देखकर घायल व्यक्ति का मानसिकता सदमा विशेष रूप से बढ़ता है।

- रोगी को तसल्ली दें तथा उसका डर दूर करें।
- पीठ के बल लिटा दें। सिर नीचा करके एक ओर झुका दें।
- रोगी को कम्बल में लपेट दें।
- प्यास लगे तो पानी के घूँट, चाय, कॉफी या तरल पदार्थ दें।
- जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएँ।

जलते हुए व्यक्ति का बचाव

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़े या गॉज से ढक दें तथा रोगी को तुरन्त अस्पताल पहुँचाये।

अग्नि दुर्घटना

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग स्थान महत्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण हैं।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएँ प्रायः सामान्य बात हो गई हैं घरों में या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अगर आग लग जाये तो वह अनियन्त्रित हो जाती है क्योंकि वहाँ पर लकड़ी, कपड़े रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपैल-मई स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड़ देते हैं। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भवाता बढ़ जाती है। ज्वलनशील घास-पत्ती, लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिनगारी पड़ने पर एवं कभी-कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकाण्ड मानवजनित होते हैं। बिजली सॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन-हानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को काफी क्षति होती है।

जालोर जिले में अधिकतर आग काष्ठकारों के द्वारा कड़वी (चारा) इकट्ठे करने वाले स्थानों पर बीड़ी या सियरेट की चिंगारी से लगती है।

जालोर जिले में आग से प्रभावित होने वाला संभाव्य क्षेत्र— शहर में रिको औद्योगिक क्षेत्र, पेट्रोल पम्प, छविग्रह, निजी इमारतें, कटला आदि आग से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं।

पेट्रोल पम्पों, छवि ग्रहों तथा गैस एजेंसियों की सूची संलग्न है।

अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएँ

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएँ ऐसी भी हो सकती हैं, जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्याधिक भयंकर रूप ले सकती हैं— यथा—वे औद्योगिक इकाईयां जहाँ अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का भण्डारण अथवा प्रयोग होता है।

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

आग से बचने सम्बन्धी सावधानियाँ

बिजली

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी भी डाईरेक्ट लाईन से ना लें।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना लें।
- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें।
- बिजली या किसी प्रकार का वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हो।
- बिजली के स्टोव में टू पिन का ही प्रयोग करें।
- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली ही आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखें।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेड़खानी ना करें।

रसोई घर:-

- रसोई घर में जलने वाले पदार्थों का भण्डारण नहीं करना चाहिये।
- गैस सिलेण्डर या नलकी को समय-समय पर गैस कम्पनी से चेक करवायें, गैस की नलकी आई.एस.आई मार्का ही होनी चाहिये।
- साड़ी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ों का ध्यान रखें।
- रसोई खुली व खिड़कीदार हो।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्युलेटर को ऑफ करना ना भूलें।
- अगर नलकी में आग लग रही हो तो रेग्युलेटर को बन्द करें। अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।
- गैस ज्यादा लिकेज हो तो ऊपर मजिल वालों को सूचित करते हुये रसोई के सारे खिड़की दरवाले खोल दें।
- रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बन का उपयोग करें।

गांवों व जंगल की आग के बचाव

- कभी भी चूल्हे को खुला ना रखें।
- धिमनी, लालटेन, लेम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
- बीड़ी सिगरेट आदि के टुकड़ों को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फेंके।
- पिकनिक मनाते समय आग अगर जलाई हो तो पूर्ण रूप से बुझाकर आवें।
- जंगल से रेल, बस या कार आदि से गुजरते समय जलती बीड़ी सिगरेट के टुकड़े ना फेंके।
- घास खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनाये जिससे की स्पॉन्टेनिकस कम्बसन से आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना।

- ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हो।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना हो।
- गांवों में अधिक बाड़े आदि नहीं होने चाहिये।
- बाड़ या फूस आदि पर कांच के टुकड़े आदि नहीं फैंकने चाहिये।
- खलिहानों या कच्चे छप्परों के पास आतिशबाजी नहीं करें।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें।
- कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।
- गांवों में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनका समय-समय पर ट्रेनिंग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहिये।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर की स्थापना जैसे घण्टी (साईरन) बीटर्स, फावड़े बैलवे कापा हुक, बाल्टी, टार्च स्टेम्प नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि होना।
- अग्नि लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना।
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना।

हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह जरूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बड़ी गाड़ियां आराम से चारों तरफ घूम सकें।
- बिल्डिंग में दो स्टेपर केस (सीढ़ी) होना अतिआवश्यक होना।
- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।
- उसमें आग बुझाने के यंत्रों जैसे स्प्रिंकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेंट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेंट में रहने वालों का वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर की ट्रेनिंग होना।
- फायर सर्विस से एन.ए.सी. लेकर ही पेट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेंट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे। जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़ियां भी पहुंच सकें।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पेट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रीयों आदि में समय समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।

आग लगने पर कार्यवाही

यदि सूचना सीधे स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेगा। सूचना की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित जिला कलेक्टर स्वयं स्थल पर शीघ्र पहुंचेंगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देंगे। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार जो भी वरिष्ठतम

अधिकारी उपलब्ध होंगे यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुंचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रताशीघ्र स्थल पर पहुंचेंगे। स्थिति की गंभीरता के मूल्यांकनोपरान्त साइट इमरजेन्सी डाइरेक्टर यह निर्णय लेंगे कि जनपद मुख्यालय से किरा प्रकार की और कितनी राहायता प्राप्त की जानी है और तदनुसार जिला कंट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष, "समेकित आपदा प्रबन्ध समिति" को सूचित करेंगे।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम को प्राप्त होती है तो कंट्रोल रूम जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं। यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कंट्रोल रूम तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को देगा।

आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका

जिला कलेक्टर

समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण

सूचना की प्रमाणिकता की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता
विधि एवं शांति व्यवस्था संबंधी समस्याएं

अग्निशमन केन्द्र:- नियंत्रक कक्ष

- जिला मुख्यालय पर नगरपरिषद 2 अग्निशमन केन्द्र कार्यरत है जिसमें वर्तमान में 2 अग्निशमन वाहन उपलब्ध है एवं साथ जिला मुख्यालय पर नागरिक सुरक्षा विभाग जालोर के पास अग्निशमन वाहन उपलब्ध है। नगरपालिका भीनमाल व सांचोर में अग्नि शमन वाहन उपलब्ध है। जिनका उपयोग अग्निकाण्ड के दौरान निपटने के लिए किया जाता है। आग की स्थिति से निपटने के लिए 101 पर तुरन्त फोन किया जा सकता है।
- सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं/प्रमुख सेवा संस्थाओं से भी मदद लिया जाता है।

अग्निशमन वाहनों व कर्मियों की उपलब्धता

अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन

समीपवर्ती जिलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसियेशन, पुलिस नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव।

अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जेकेट, ऑक्सीजन सिलेण्डर सीढ़ी, मिट्टी के थैले आदि।

रेडक्रास लायन्स क्लब एवं अन्य गैर राजकिय संस्थानों से समन्वय।

अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता।

नागरिक सुरक्षा

प्रशासन एवं जनता के साथ त्वरित, संचार व्यवस्था
प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना
प्रभावित क्षेत्र समीप से जनता/जनसामान्य को हटाना
अग्नि शमन हेतु प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की सहायता लेना।
डिविजन एवं पोस्ट एवं सेक्टर वार्डन को सूचित करना
वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना।

पुलिस

कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।
जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था।
प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना।

विद्युत

विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल
अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- नियमित एवं अन्य स्त्रोंतों से जल की उचित आपूर्ति
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

- प्राथमिक उपचार
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना (सूची परिशिष्ट 3, 4)
- पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुंचाना
- औषधियों की व्यवस्था करना।
- मेडिकल स्टोर/थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क करना (सूची परिशिष्ट 6)
- चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता (सूची परिशिष्ट 4,5)

गैर राजकीय संगठन

- प्रतिबद्ध स्वयं सेवकों की उपलब्धता कराना
- राहत शिविर लगाना
- सहायता सामग्री का विवरण

पशुपालन

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों को कार्यरत करना

नगर परिषद्

- राहत शिविर (रेन बसेरा) का प्रबन्धन
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना (सूची पारिशेष्ट 31)
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्यकर स्थितियों की देखभाल
- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की सूची

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- व्यापारियों व हलवाइयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना
- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का विवरण
- राहत सामग्री हेतु स्वयं सेवकों के साथ समन्वय
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना

• आग लगने पर क्या करें, क्या न करें :-

- आग लगने पर फोन नम्बर 101 पर तुरन्त अग्निशमन विभाग को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बन्द कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खेले स्थान पर पहुँच जायें।
- अगर संभव हो तो नाक व मुँह को गीले कपड़े से ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालन करें।
- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो यहाँ तक कि उसे बाथरूम की भी जाँच कर लेनी चाहिए।

क्या न करें:-

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

परिवार के सभी सदस्यों को आग से निपटाने के लिए प्रशिक्षण दें।

भूकम्प

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुचन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सागान्यः भूगर्भित चट्टानों के विद्योघ के रत्रोंत से उठने वाली लहरदार कम्पन्न को भूकम्प कहते हैं। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से चारों ओर भू-तरंगे प्रवाहित होती हैं। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 किमी की गहराई का उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं, उसे उद्गम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं। इस उद्गम केन्द्र के ठीक उपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है।

भूकम्प के कारण जहाँ एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुँचती है, जिसको पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था। यह विगत 150 वर्षों में सर्वाधिक भीषणतम भूकम्प था। जिसका केन्द्र भुज से 60 किमी दूरी पर था। इस भूकम्प से लगभग 20000 लोग काल का ग्रास बन गये 33000 से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30 हजार करोड़ की सम्पत्ति नष्ट हो गयी। इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 गांव पूर्ण रूप से तबाह हो गये तथा 16000 लोग मारे गये।

भूकम्प के मुख्य कारण

- ज्वालामुखी क्रिया भ्रंशन
- भूसंतुलन में अव्यवस्था जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी

भूकम्पों की तीव्रता

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोसन काउंसिल (BMTPC) ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्से तैयार कर इसे पाँच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक (MSK) पर IV-V तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग किमी में महसूस होते हैं जबकि IX-X तीव्रता भूकम्प 50000 वर्ग किमी क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

1) क्षेत्र V :- इस क्षेत्र में संशोधित मर्करी मापक के अनुसार IX या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प सम्भावित है। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहा जाता है।

2) क्षेत्र IV :- इस क्षेत्र में संशोधित मर्करी मापक पर सम्भावित है इसे उच्च नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।

3) क्षेत्र III :- इस क्षेत्र में मर्करी पर MM VII की तीव्रता भूकम्प आ सकता है इसे माध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।

4) क्षेत्र II :- क्षेत्र में सम्भावित तीव्रता MM VII है इसे संशोधित सरकारी मापक पर निम्न नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं

5) क्षेत्र I :- इस क्षेत्र के लिए संशोधित मरकरी स्केल पर MMV या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प संभावित है। इसे अत्यधिक नुकसान क्षेत्र भी कहते हैं।

भूकम्पों की तीव्रता	तीव्रता के लक्षण भूकम्पों का प्रभाव	रिक्टर मापक परिणाम
यान्त्रिक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है।	0
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3.5
अल्प	आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव	4.2
साधारण	चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं का कम्पन	4.3
आद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं।	4.8
प्रबल	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती हैं।	4.9-5.4
अतिप्रबल	दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5.5-6.1
विनाशात्मक	ऊँची इमारतें गिर जाती हैं, मकानों में दरार पड़ जाती है पाईप लाईने टूट जाती है	6.2
विनष्टकारी	मकान धँस जाते हैं। भूमि में दरारे पड़ जाती हैं। पाईप लाईने टूट जाती हैं।	6.2-6.9
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारे पड़ जाती हैं। ढालों में भूस्खलन होता है।	7.0-7.2
अतिविनाशी	पुल, रेलवे लाईने टूट जाती हैं। महान् भू-स्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7.4-8.1
प्रलयकारी	सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते हैं। धरातल में धँसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं।	8.1 से अधिक

जालोर जिले को भूकम्पीय खण्डों की भारतीय मानक स्पेसिफिकेशन के अन्तर्गत खण्ड IV में रखा गया है एवं भूकम्प के विगत वर्षों के आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि हाल के कई वर्षों में यहां कोई विनाशकारी भूकम्प नहीं आया है। किन्तु बढ़ते शहरीकरण जो ऊँची इमारतों एवं खरीददारी के परिसरों के रूप में बढ़ रहा है। चिंता का मुख्य विषय है। परिसरों हेतु आवश्यक मानकों का पालन यहां नहीं किया जाता है। जालोर जिले में भूकम्प आने पर जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। एजेंसी द्वारा भूकम्प से प्रभावित होने वाले सम्भावित क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण इमारतें ऐतिहासिक स्थल, बांध इत्यादि तथा जोखिम सम्भावित एवं उनकी संरचना को प्रारम्भिक रूप से चिन्हित कर लिया गया है।

कार्य योजना

भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी:

जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।

- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाएं रखना।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचाना।

नागरिक सुरक्षा बल, एन सी.सी. एन.एस.एस तथा स्काउट्स एण्ड गाईड्स

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।

पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुँचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जाँच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुँचाना।

चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध कराना (सूची परिशिष्ट 4, 5, 6)
अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाएँ, नगर परिषद् विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।
क्या करें क्या न करें।

भूकम्प पूर्व

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि गंभीर भूकंप के फलस्वरूप अधिकांश समस्याएँ गिरती हुई वस्तुओं जैसे, छत का प्लास्टर विद्युत उपकरण आदि से होती हैं, भूमि की क्षति से नहीं।
- अलमारियों से सिर से ऊँचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखे। भारी गमलों वाले पोथों को झुलने हेतु नहीं लटकाए। किताब रखने की अलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएँ पलट कर गिर सकती हैं।
- खिड़की तथा भारी वस्तुएँ जो गिर सकती हैं उन्हें बिस्तर से दूर रखे। बिस्तर के ऊपर दर्पण, पिकचर
- फ्रम आदि नहीं लटकायें।
- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्युत लाईन को क्षति पहुँचा सकते हैं उन्हें मजबूती प्रदान करें।

- लटकाने वाले बिजली के सामान मजबूती के साथ छत पर लगावें। तथा निकास के रास्ते में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।
- आपातकालीन सामग्री (जल, दीर्घ अवधि तक रहने वाला तुरंत तैयार योग्य भोजन प्राथमिक उपचार किट, दवाईयां, आग बुझाने के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा कार में सुगम पहुंच हेतु उपलब्ध रखें।

आपदा के दौरान व पश्चात्

- शांत रहे, घबराएं नहीं।
- कांच खिड़की अलमारी केबिनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज पलंग आदि मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जाएं व अपना सिर एवं शरीर अपने हाथों, तकिया, कम्बल किताबों आदि से ढक लें ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वयं की रक्षा कर सकें।
- बाहर की तरफ तक न भागे जब तक सुनिश्चित हो जाये कि जहां से निकल रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढ़ियों का उपयोग न करें संभवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। सीढ़ियों की ओर न भागे, क्योंकि ये घरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकता है।
- कभी भी मुख्य द्वारा से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खड़े न हों क्योंकि सामान्यतः यह असुरक्षित स्थान है।
- जब आप बाहर हैं तो भूकम्प की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेड़ों एवं विद्युत तारों से दूर रहें। खुले क्षेत्र में तब तक रुकें जब तक कपन खत्म न हो।
- अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी को भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहें। यद्यपि कपन विस्तृत रूप से आ सकते हैं। किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लिये सुरक्षित स्थान है। पत्थर की संरचनाओं अथवा ऊंची इमारतों टूटे अथवा घंसे हुए रास्तों एवं पुलों को अवश्य देखें।
- भूकम्प झटके रुकने पर मलबे में फसे लोगों को निकलवाने में मदद करें।
- चोट की जांच करें, तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें। पुलिस 100/अग्निशमन केन्द्र 101/रोगी वाहन 102 को सूचना दें।
- आग की जांच करें।
- गैस के लीक की संभावना से इमारत को खाली करें। गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलायें।
- आपातकालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें।
- भीषण भूकम्प के कुछ दिनों बाद तक भूकम्प के पश्चात् के झटकों के लिये तैयार रहें जो सामान्यतः बड़े भूकम्प के बाद आते हैं, एवं ये पहले से ही क्षतिग्रस्त/कमजोर ढांचों को अतिरिक्त हानि पहुंचा सकते हैं।

साम्प्रदायिक तनाव

भारत देश में अनेक धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता एवं सामाजिक विद्वेषों के कारण छोटे-छोटे झगड़े कई बार साम्प्रदायिक तनाव का रूप ले लेते हैं। जिसके कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव होने तथा प्रतिकूल प्रक्रिया होने की संभावना बनी रहती है। उपद्रव होने पर जन-धन राष्ट्रीय सम्पत्ति का काफी नुकसान होता है।

साम्प्रदायिक तनाव व दंगों को कम करने हेतु जिला प्रशासन अपने स्तर पर शांति सभाओं का आयोजन करते हैं। जिनमें वह सभी समुदायों के प्रभावशाली लोगों को बुलाते हैं तथा उनसे अपने समुदाय के लोगों को समझाने हेतु अनुरोध करते हैं।

ओलावृष्टि

ओला वृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आंकलन पूर्व में नहीं किया जा सकता है। इस जिले में वर्ष 2009 व 2015 में ओलावृष्टि हुई थी यह प्रकृति का प्रकोप है जो आँधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता तथा यह हवा के रुख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षति ग्रस्त करते हुए निकलता है।

ओलावृष्टि के कारण व्यक्तियों, पशुधन एवं सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट होती है। ओलावृष्टि से अनावश्यक व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आँकलन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को तत्काल निर्देशित करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

ओलावृष्टि से बचने के उपाय एवं व्यवस्थाएँ—

यद्यपि ओलावृष्टि आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप है, जो किसी भी क्षेत्र में कम-ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय किया जाना ही संभव हो सकता है। फसलों के नुकसान का आँकलन भी तात्कालिक ही सम्भव है। ऐसे क्षेत्र में जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार दौरा कर क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीड़ित गाँवों को चिन्हित करते हुए फसलों को हुए नुकसान की बाबत किसानों को राहत पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं।

रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ

तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। कुछ बड़ी दुर्घटनाएँ जैसे भोपाल गैस कांड और अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएँ अहम हैं।

सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएँ भारत में होती हैं। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाओं बननी चाहिए तथा साथ साथ ही मॉक ड्रिल का होना भी आवश्यक है।

प्रभाव:—

औद्योगिक दुर्घनाओं के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैं।

जान की क्षति

- घाव होना अथवा आग से जलना।
- जहरीले द्रवों/गैसों से बीमार होना
- माल की क्षति

साथ ही इससे रोडवेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभाव बड़े में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर पर आपदा से निपटे।

तापघात (लू)

राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनों प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएं यहाँ की जलवायु के कारण देखी जाती हैं साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेषता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्रों का निर्माण करने के फलस्वरूप गर्म व तीव्र हवाएँ प्रवाहित होती हैं जिसे स्थानीय भाषा में 'लू' कहते हैं वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक ठण्ड पाई जाती है।

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्ष का सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है। मई में माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 39.70 से और माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 24.3 से रहता है। जून में रात्रि का तापमान मई की अपेक्षा अधिक होता है। गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं जिससे बेचैनी बढ़ जाती है व गर्मी बहुत भीषण हो जाती है। किसी-किसी दिन अधिकतम तापमान 44 से या 45 से तक पहुँच जाता है।

तापघात के लक्षण

- अत्यधिक पसीना आना
- सिरदर्द होना
- उल्टी होना
- जी मिचलाना
- आलस्य और थकान
- शरीर के तापमान का बढ़ जाना

तापघात से बचाव के उपाय

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाये।
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्र लपेट लें।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, मूखे पेट न निकलें।

- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारो तरफ गिल्ली पट्टी लपेट दें व पंखा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियाँ करे या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।

कम खाना खाये और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आंतरिक तापमान को बढ़ाता है। जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है। यदि तबीयत ज्यादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें। अधिक प्रोटीन वाले खाने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते हैं। खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

लोगों को तापघात के लिए जाग्रत बनाने कि इसका प्रभाव क्या होता है तथा क्या करें, क्या ना करें की जानकारी प्रदान करें, जो ऊपर बतायी गयी है। चिकित्सा संस्थाओं को तापघात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना। संचार माध्यम के जरिये जनता को शिक्षित करना। दोपहर के समय होने वाले समारोहों, जहाँ अधिक लोग एकत्रित हो, को रोका जाना चाहिए। तापघात में क्या करें, क्या ना करें हेतु लोगों को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृत करें।

शीतघात

माह नवम्बर से बाद जनवरी तक दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में, जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 22.0 से व माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 5.8 से रहता है। शीतकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती हैं तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है।

बचाव के उपाय

लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए। ज्यादा तहों के कपड़े पहने और अपने सिर को ढक कर रखें। पतले कपड़ों की ज्यादा परतें, एक गर्म कपड़े की बजाए ज्यादा गर्म होता है। गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिर को ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आप कौंपने लगे या थकान महसूस करें, या आपकी नाक, अंगुलियों, एडियों ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर जाएँ। मौसम की स्थिति से सावधान रहें।

पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें। पानी का इंतजाम करें। सर्दी में ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती हैं।

अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।

राग्य पर भोजन करें। भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।

संक्रमण रोकने के लिए पेय लें। गर्म पेय जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें। केफिन व मदिरा से परहेज करें।

- अत्यधिक ठंडी श्वास से बचने के लिए नुँह को ढक कर रखें, गहरी सांस न लें और कम बोलें।
- सूखे रहें। गीले कपड़े तुरन्त बदल लें क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते हैं।
- गर्म कंबल या चद्दर इस्तेमाल करें।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- जरूरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं उनको जिला प्रशासन शरण स्थल दें।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टैंड, रेल्वे स्टेशन बाजारों आदि खुले स्थानों पर शरण लेते हैं उन्हें गर्म स्थानों में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखे, और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें।
- कंबल और भोजन बांटे।
- गश्त पर मोबाइल टीम लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सकें।

आतंकवाद

आज के युग में दुनियाभर में आतंकवाद चरमसीमा पर है। आतंकवादियों द्वारा आतंक फैलाने के लिए आमतौर पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है "बम विस्फोट"। इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य लोगों में आतंक फैलाना तथा जान माल को हानि पहुंचाना है। ये विस्फोट अधिकतर ऐसे इलाकों में किये जाते हैं जहां अधिक लोग एकसाथ इकट्ठे होते हैं। सितम्बर 2002 को गांधीनगर में तीन आतंकवादियों ने स्वामीनारायण मन्दिर में 37 श्रद्धालुओं की जा ले ली। मुम्बई वर्ष 1993 में होटल में बम विस्फोट, 11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर व 13 दिसम्बर, 2001 को भारतीय संसद पर हुए हमले भी इसी तरह की कार्यवाही के उदाहरण हैं। स्थानीय बम विस्फोट की धमकियाँ आजकल आम बात हैं। अतः यह जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि आम आदमी को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या करना चाहिए।

बम विस्फोट के प्रकार

बम को तीन प्रमुख हिस्सों में बांटा जा सकता है:

1. विस्फोटक पदार्थ: जैसे RDX, C3/C4, PEK, प्लास्टिक, आदि।
2. डेटोनेटर: इलेक्ट्रिक या नॉन इलेक्ट्रिक होता है और ऊर्जा देयक से जुड़ा हुआ होता है, जैसे बैटरी, सेल या डायनोमों।

3. स्वीच : जैसे खींचने वाला, दबाव से काम करने वाला या विच्छेद होकर काम करने वाला, ये रासायनिक, यांत्रिक या देर से समयबद्ध (time Delayed) हो सकते हैं।

सामुदायिक स्थानों, भवनों व कार्यस्थलों की बम विस्फोट से सुरक्षा की तैयारी

1. परिसर में आने जाने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड रखें एवं ड्राइवर का नाम, अन्दर आने का समय, बाहर जाने का समय आदि नोट करें तथा अगर हो सके तो एक टोकन जारी किया जावे।

2. सुरक्षा कर्मियों द्वारा परिसर के अन्दर आने जाने वाली सभी तरह की गाड़ियों की जाँच पड़ताल की जानी अत्यन्त आवश्यक है, जैसे उनका बोनट, डिकी एवं अन्दर के हिस्से को टटोला जाना चाहिये।

3. कार्यालय की गाड़ियों के ड्राइवर को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वे अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करने से पहले जाँच करें। इसी क्रम में कार्यालय की गाड़ियों की पार्किंग सुरक्षित एवं अधिकृत स्थान पर करने की हिदायत दी जाए।

4. ऐसी चीजें जो पहले परिसर में नहीं देखी गईं जैसे ब्रीफकेस, बैग व बिजली का तार आदि को देखकर अनदेखा न करें।

5. ऐसी जगह जहाँ पर आना-जाना कम हो उस जगह का खास ख्याल रखते हुए निरीक्षण करें।

6. स्टॉफ के लोगों की गतिविधियों एवं उनके चाल चलन पर नजर रखें एवं निरीक्षण करें।

7. ऐसे कर्मचारी (स्टॉफ) जो कि असंतुष्ट हों, उनपर खास तौर से नजर रखें।

8. ऑफिस समय के बाद व छुट्टी के दिन किसी को भी परिसर में घुसने की इजाजत न दें।

9. स्टॉफ व आगन्तुकों के लिए वाहन पार्किंग स्थल अलग-अलग जगह पर निश्चित करें। और ऐसी जगह बनायें जो मुख्य भवन से दूरी पर हो। किसी भी वाहन को मुख्य भवन या कार्यस्थल के नजदीक न खड़ा करने दिया जावे।

बम की सूचना मिलने पर सुरक्षा से संबंधित किये जानेवाले कार्य: जन साधारण एवं प्रशासन हेतु।

1. जब भी बम की सूचना मिले तो अपना धैर्य व शान्ति बनाये रखना चाहिये।

2. किसी भी सूचना या धमकी को अफवाह या झुठा करार न दें। सूचना मिलते ही तुरन्त नजदीकी पुलिस स्टेशन को दूरभाष नम्बर 100 को सूचित करें।

4. हर सूचना व धमकी को सही मानकर सूचना देने वाले से निम्न तरह की जानकारी हासिल करने की कोशिश करें:

- (क) सही स्थल जहाँ बम को रखा है
- (ख) विस्फोटक के फटने का सही समय
- (ग) विस्फोटक के चलाने का तरीका
- (घ) विस्फोटक की पहचान
- (ङ) विस्फोटक का पदार्थ
- (च) विस्फोटक लगाने का उद्देश्य
- (छ) विस्फोटककर्ता संगठन का नाम

5. अगर सूचना देने वाले के नाम का पता चल जाये तो निम्नलिखित रिकॉर्ड तैयार करें:

- (क) सूचना देने की तारीख व समय

- (ख) भाषा जिसमें बोल रहा है
- (ग) आदमी, औरत या बच्चा है, की जानकारी
- (घ) भाषा बोलने का ढंग, जैसे खड़ी, रुक-रुक कर, आदि।
- (ङ) बोलने का तौर तरीका, जैसे गुरुरो शांत, खुशी, धीरे, तेज या घबराहट आदि।
- (च) टेलीफोन पर पीछे से अगर कोई आवाज आ रही हो तो ध्यान से सुनें।

6. अगर सूचना देने वाले ने बम के रखे होने के स्थान के बारे में नहीं बताया हो तो निम्नलिखित स्थानों पर खोज की कार्यवाही करें:

- (क) ईट या लकड़ी का बुरादा
- (ख) हटा हुआ कारपेट या जमीन पर बिछावना
- (ग) तेल से सना हुआ या चिकनाहट वाला कागज
- (घ) ऐसा स्थान जहां पर नया प्लास्टर किया हुआ दिखे
- (ङ) ऐसे टेबल जिनकी दराज आधे खुले हों
- (च) बाथरूम, सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा एवं भण्डार स्थल
- (छ) बाथरूम, सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा एवं भण्डार स्थल

7. कभी भी यह ना सोचें कि सिर्फ एक ही बम हो सकता है। यह सब निरीक्षण के लिए पुलिस पर छोड़े जिसे वे सूघकर कुत्तों द्वारा करती है। अपने उच्चधिकारियों, पुलिस स्टेशन, पुलिस कंट्रोल रूम (फोन नं. 100), एम्बुलेन्स (फोन नं. 102) फायर (फोन नं. 101) आपदा नियंत्रण कक्ष (फोन नं. 1070) को अविलम्ब सूचित करें।

9. अगर कोई बड़ी मशीनरी परिसर में चल रही हो तो बन्द कर दें, जैसे ए. सी. जनरेटर आदि।

10. बम को ढूँढने का कार्य, स्थिति को नजर में रखते हुए पुलिस पर छोड़े व जज्ञासावर्ष स्टॉफ को इस कार्य में रुचि नहीं लेने दें, इससे नुकसान की अपेक्षा बढ़ जाती है।

11. किसी भी सूरत में ऐसी अपरिचित वस्तु, बम/विस्फोटक (यदि दिखाई देती हो) या अन्य संदेहात्मक वस्तु को न छुएं, न उठाये, न खोले, न ही उसे पानी में डालें, क्योंकि इन सभी तरीकों से अलग-अलग बनाये हुए यंत्रों में विस्फोट हो सकता है।

12. परिसर छोड़ते अथवा सर्वे टीम को अपरिचित सामान को पहचानने में मदद मिल सके और कम वस्तुओं का निरीक्षण करना पड़े।

13. अगर विस्फोटक का स्थान पता हो तो परिसर खाली करते समय विस्फोटक के नजदीक से न गुजरें न ही उसके आसपास रेडियो सेट, वायरलेस सेट, मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करें।

14. कभी भी संदेहात्मक वस्तु या बम पर सीधी फ्लैश, लाईट या टार्च की रोशनी नहीं डालें, इससे प्रकाश इनिशियटर द्वारा विस्फोटक फट सकता है।

15. सभी कर्मचारियों को एक सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा होने की हिदायत दें, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

16. जब कर्मचारी अपना परिसर छोड़ दें तो यह सुनिश्चित करें कि बिजली के तमाम स्वीच बन्द हों।

17. मिट्टी के भरे बोरे उपलब्ध हों तो उन्हें विस्फोटक के चारों तरफ लगा दें ताकि विस्फोटक से होने वाली क्षति को कम किया जा सके।

18. जब मिट्टी के भरे बोरे उपलब्ध न हो तो मैट्रेस, गद्दे, दरियां कारपेट इत्यादि को विस्फोटक के चारों तरफ लगा दें।

19. परिसर छोड़ते समय यह यकीन करें कि तमाम खिड़कियाँ, आलमारियाँ, दरवाजे, खुले हुए हों ताकि बम के फटने की स्थिति में कम नुकसान हो।
20. असहाय/अपाहिज व्यक्ति को मदद देकर परिसर से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाये।
21. जब तक रांटेहालगक वस्तु या बग परिरार या भवन रो हटा न लिया जावे लोगों को वापिस परिसर में न आने दें। अगर बम फट गया हो तो जन साधारण व प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही
 1. जहाँ बम विस्फोट हुआ है वहाँ से चारों तरफ दूरी बनाये रखें।
 2. घटना स्थल पर किसी प्रशिक्षित एवं योग्य अधिकारी को घटना अधिकारी नियुक्त करें।
 3. हताहतों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करायें।
 4. उन्हें अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था करें।
 5. एक बम विस्फोट के तुरन्त बाद उसके आस-पास दूसरा बम विस्फोट भी हो सकता है, इसलिए सक्रिय रहें।
 6. घटना की सम्पूर्ण सूचना तुरन्त अपने उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन को दें। पुलिस/प्रशासन की स्वीकृति के बिना विस्फोट स्थल पर न जायें। मलबा हटाने की व्यवस्था करें।
 7. पुलिस/प्रशासन की स्वीकृति के बिना विस्फोट स्थल पर न जायें।
 8. मलबा हटाने की व्यवस्था करें।
 9. मलबे में दबे हताहतों को निकालने के लिए बचाव दल तक स्थानीय लोगों की मदद से कार्यवाही करें।
 10. आग पर नियंत्रण रखें व फायर ब्रिगेड को सूचना दें।
 11. बचाव दलों को घटना स्थल के बारे में सही जानकारी दें जिससे बचाव कार्यवाही अतिशीघ्र की जा सके।
 12. बचाव दलों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट भिजवाने की व्यवस्था करें।
 13. सूचना केन्द्र पर हताहतों की सम्पूर्ण एकत्रित करें। पर हताहतों की सम्पूर्ण सूचना एकत्रित करें। युद्धकाल या आतंकवादकाल एकता बनाये रखें।
 1. आन्तरिक एकता बनाये रखें।
 2. अफवाहों पर ध्यान न दें तथा न ही उन्हें फलायें।
 3. हमले से बचाव के नियमों का पालन करें।
 4. बड़े सामाजिक सम्मेलन न करें।
 5. यातायात के साधनों को गतिमय बनाये रखें।
 6. सम्पत्ति को नष्ट न होने दें वरन् उपज बढ़ाएं।
 7. वस्तुओं की कीमतों पर नियन्त्रण रखें।
 8. वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक संग्रह न करें।
 9. सुरक्षा कोष में अधिक से अधिक संग्रह न करें।
 10. घायलों को प्राथमिकता चिकित्सा प्रदान करें।
 11. अधिक से अधिक मात्रा में रक्तदान करें।
 12. सशस्त्र सेनाओं, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा, एन.सी.सी. में भर्ती हो कर देश व देशवासियों की सेवा करें।
 13. अपनी वस्तुओं को अपने पड़ोसियों व अन्य साथियों के साथ बांट कर काम में लें।
 14. युद्ध स्थल में गए हुए जवानों के परिवार की सहायता करें।
 15. शत्रु के गुप्तचरों से सावधान रहें।

(Chapter) अध्याय-3

Institutional Arrangements for DM

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- जिला मुख्यालय प्राकृतिक आपदा केन्द्र (EOC) स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- राहत स्थलों का निर्धारण करना तथा सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचाना।
- शासन से प्राप्त परिपत्रों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाना।
- प्रभावितों को सहायता राशि का तत्काल वितरण करवाना।

(Chapter) अध्याय-4

Prevention and Mitigation Measures

किसी भी प्राकृतिक आपदा अथवा मानव निर्मित आपदा को नियंत्रण करना संभव नहीं होता है क्योंकि इन घटनाओं के होने की कोई पूर्व जानकारी नहीं हो जाती है तथा घटना घटित होने के बाद सरकार द्वारा जारी निर्देशों एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रभावितों को तत्काल लाभ पहुँचाना आवश्यक हो जाता है। इस कार्य को जनहित में जितना जल्दी निपटाया जा सके उतना प्रयास अवश्य करना चाहिये। जिसके लिए सरकारी मशीनरी के साथ आमजन, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि का सहयोग लेने भी तत्परता बरतनी चाहिये। यह जिला प्रशासन के स्तर पर तत्काल क्रियान्वयन हो सकता है।

(Chapter) अध्याय-5

Preparedness and Mitigation Measures

राज्य सरकार के स्तर से आपदा के दौरान समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना तत्परता से करने हेतु जिला प्रशासन के साथ-साथ उपखण्ड स्तर पर उतनी ही तत्परता से पालना की आवश्यक है। इसके लिए सरकार के स्तर से पूर्व से ही राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, उपखण्ड स्तरीय तथा ग्राम स्तरीय कमेटीयों का गठन कर

रखा है। जिसके अनुसार प्रत्येक स्तर की गठित कमेटी अपना कार्य तत्परता दिखाते हुए प्रारंभ कर प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट कमोत्तर यथा ग्राम स्तरीय कमेटी उपखण्ड स्तरीय कमेटी को तथा उपखण्ड स्तरीय कमेटी जिला स्तरीय कमेटी को सर्वे रिपोर्ट अग्रेषित करेगी। जिला स्तरीय कमेटी को प्राप्त सर्वे रिपोर्ट का आंकलन जिला स्तरीय कमेटी से अनुमोदन पश्चात् राज्य सरकार को तत्काल भिजवाई जावेगी ताकि प्रभावितों के लिए शासन स्तर पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जा सकेगा।

राज्य शासन से प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत तथा बजट उपलब्ध करवाने पर तत्काल सहायता मापदण्डान्तर्गत प्रभावित परिवार को उपलब्ध करवाने का एक मात्र लक्ष्य जिला प्रशासन से उपखण्ड एवं तहसील प्रशासन तक रहना चाहिये। इसे सर्वोच्च मानवीय दृष्टिकोण माना जाना चाहिये।

उपरोक्त के अलावा निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है :-

1. गत वर्षों के प्लान यथा बाढ़ कन्टीजेंसी आदि को सामरिक रूप से समय पर अपडेट करवाना।
2. आपदा के पश्चात् वीआईपी विजिट के दौरान आवश्यक पुख्ता प्रबन्धन करना तथा सही जानकारी उपलब्ध करवाना।
3. मिडिया आदि को तत्काल एवं सही सूचना आमजन हितार्थ उपलब्ध करवाना।

(Chapter) अध्याय-6

Capacity Building and Training Measures

कमेसीटी बिल्डिंग एवं प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न संगठनों के माध्यम से आपदा के बारे में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। जिसमें संबंधित विभागीय अधिकारी को भाग लेकर प्रशिक्षित होना चाहिये ताकि किसी भी आपदा के दौरान उस प्रशिक्षण का उपयोग जनहित में हो सकेगा। इस राज्य में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेषतः हरिश् चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के माध्यम से आयोजित किये जाते हैं। इस संस्थान द्वारा प्रशिक्षण के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में नोट बुक तथा पेम्पलेट भी छपवाये जाकर समस्त जिला को आमजन हितार्थ उपलब्ध करवाये जाते हैं।

(Chapter) अध्याय-7

Response and Relief Measures

किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने का दायित्व जिला प्रशासन के साथ राज्य सरकार के प्रत्येक संबंधित विभाग को संयुक्त होता है। आपदा के दौरान उनका यह कर्तव्य जनहितार्थ और भी बढ़ जाता है। अतः सभी विभागों को संयुक्त रूप से टीम भावना से कार्य करने की महत्ती आवश्यकता के साथ-साथ जिला प्रशासन तथा राज्य शासन को सहयोग करना जनहितार्थ उससे भी बढ़कर होना चाहिये। प्रभावितों के बचाव के

साथ-साथ उन्हें हर तरह की सहायता तत्काल पहुँचाने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिये। इस हेतु उपखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय गठित कमेटियों की आवश्यकतानुसार तत्काल बैठकों का आयोजन कर उसमें लिये गये निर्णय की तत्काल पालना सुनिश्चित करनी चाहिये। इन कमेटियों के माध्यम से एकत्रित एवं अनुमोदित सूचना तत्काल राज्य सरकार को भिजवाना चाहिये ताकि राज्य स्तर पर इस बारे में निर्णय लिया जाकर जनहित में तत्काल कार्यवाही की जा सकेगी। राज्य सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णय की जानकारी मिडिया के माध्यम से आम जन तक पहुँचानी आवश्यक होती है ताकि आम जन को किसी तरह की कोई शंका नहीं रहे तथा पूर्ण पारदर्शिता से कार्य करने की शासन प्रशासन दृष्टिकोण होना आवश्यक है।

(Chapter) अध्याय-8

Reconstruction , Rehabilitation and Recovery measures

किसी भी प्राकृतिक आपदा होने पर उससे निपटने के लिए राज्य सरकार के स्तर से राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, उपखण्ड स्तरीय तथा ग्राम स्तरीय कमेटियों को गठन पूर्व से ही किया गया है। इन कमेटियों के माध्यम से जो-जो कार्य किया जाना है तथा उसकी रिपोर्ट किस स्तर पर भिजवाई जानी होती है। उसके बारे में भी निर्धारित प्रक्रिया है। इसके साथ ही प्रभावितों के लिए बचाव, विस्थापितों को पुनर्वास आदि के बारे में भी प्रक्रिया पूर्व से ही निर्धारित है। प्राकृतिक आपदा के मामलों में वर्तमान में एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 8.4.2015 से जारी नियम/निर्देश प्रभावशील है। जिसके अंतर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रभावितों को आपदा के दौरान आवश्यक मदद पहुँचाई जा सकती है। इस आर्थिक सहायता हेतु आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से आवश्यकता अनुसार बजट की मांग करने पर तत्काल बजट उपलब्ध करवाया जाता है ताकि बजट अंतर्गत प्रभावितों को तत्काल राहत पहुँचाई जा सकेगी। पूर्ण सर्वे रिपोर्ट सहित राज्य सरकार से बजट मांग करने के निर्देश हैं।

(Chapter) अध्याय-9

Financial , Resources for implementation of DDMP

प्राकृतिक आपदा के मामलों में वर्तमान में एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 8.4.2015 से जारी नियम/निर्देश प्रभावशील है। इन नियमों के तहत प्रभावितों को देय सहायता राशि का आंकलन कर ग्राम स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट उपखण्ड स्तरीय कमेटी के अनुमोदन पश्चात् जिला कलेक्टर कार्यालय को प्राप्त होने पर उसको जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष रखा जाकर कमेटी के अनुमोदन पश्चात् देय राशि के अनुसार बजट की लिखित तथा ऑन लाईन मांग जिला कलेक्टर कार्यालय के माध्यम आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को भिजवाई जाती है। जिस पर निर्णय पश्चात् आवंटन होने पर कोषालय के माध्यम से आहरण कर वितरण तथा संभाव्य प्रभावितों के खातों में राशि शासन निर्देशानुसार खातों हस्तान्तरित भुगतान सम्पन्न किया जाता है।

(Chapter) अध्याय—10

Procedure and methodology for monitoring evaluation, updatation and maintenance of DDMP

किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकार के स्तर से समय-समय प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार निर्धारित प्रक्रियान्तर्गत उसके लिए अधिकृत प्राधिकारी के स्तर पर युद्ध से संचर्न करवायी जाती है तथा निर्धारित प्रक्रियान्तर्गत आवश्यक प्रस्ताव तैयार का उच्चाधिकारियों को भिजवाये जाने की प्रक्रिया निर्धारित है। इस हेतु वर्तमान में ग्राम स्तरीय समिति, उपखण्ड स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति तथा राज्य स्तरीय समितियाँ गठित हैं। इन समितियों को सौंपे गये दायित्वों का समिति स्तर पर निर्धारित समयावधि में प्रक्रिया पूर्ण कर प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं। इसी तरह सरकार से अनुमोदित प्रस्तावों एवं उसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति पश्चात बजट आवंटन करने पर जनहितार्थ कार्य मौके पर तत्काल प्रारंभ करवाये जाकर निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाया जाता है। जिसकी मोनिटरिंग जिला स्तर पर जिला कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर पर की जाती है। प्रत्येक विभाग के पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने विभाग से संबंधित दायित्वों को अपने स्तर पर पूर्ण मोनिटरिंग करते हुए पूर्ण करवाया जाता है। साथ ही आपदा से प्रभावित परिवारों को उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदारान के माध्यम से तत्काल उनके रहवास,भोजन,वस्त्र आदि की सुविधा यथा संभव जन सहयोग, स्वयंसेवी संस्थानों,सामाजिक एवं दानदाताओं के माध्यम से तात्कालिक रूप से की जाती है। तत्पश्चात् सरकार से बजट प्राप्त होने से नियमानुसार देय सहायता राशि का भुगतान सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना निर्धारित समयावधि में मानसून से पूर्व यथा संभव बाढ़ आदि से निपटने के लिए प्रति वर्ष अपडेट किया जाता है। इसी तरह अन्य आपदा यथा ओलावृष्टि,भूकम्प,अग्नि आदि के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाना संभव नहीं होने से घटना घटित होने के तत्काल बाद राहत ऑपरेशन प्रत्येक विभाग के स्तर पर प्रारंभ कर दिया जाता है। जिसकी मोनिटरिंग सीधे राज्य सरकार के स्तर से की जाती है। आपदा से नुकसान का मौके पर सर्वे करवाकर रिपोर्ट सरकार को भिजवाई जाती है।

(Chapter) अध्याय—11

Coordination Mechanism for implementation of DDMP

जिला आपदा प्रबन्धन प्लान के अनुसार समस्त विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर प्रबन्धन को मूर्तरुप दिया जाता है। सभी विभागीय स्तर पर अपने अपने विभाग से संबंधित दायित्वों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है। आवश्यकतानुसार जिला कलेक्टर के स्तर पर समस्त विभागाध्यक्षों की बैठक आयोजित कर आंकलन किया जाता है तथा आवश्यक निर्णय लेकर आपदा के निर्वहन हेतु कार्यवाही युद्ध स्तर पर प्रारंभ की जाती है। आपदा राहत को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु आमजन,स्वयं संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं आदि का भी आवश्यकतानुसार सहयोग लिया जाता है। इस प्रकार सरकारी मशीनरी के साथ-साथ जन सहभागिता भी आपदा प्रबन्धन प्लान को मूर्त रूप दिये जाने में अपनी महत्ती भूमिक निभाई जाती है। इस प्रकार आपदा एवं आपदा से निपटने के कार्य को पूर्णरूप से पारदर्शिता रखते हुए निपटाया जाता है।

(Chapter) अध्याय-12

Standard Operating Procedures (SOPs) and checklist

मानव सम्मता के साथ प्राकृतिक प्रकोप हमेशा से आम जन के जीवन को प्रभावित करते आये है। आदिकाल से प्रक्रिया निरन्तर चलती रही है। मानव सम्मता के विकास के साथ साथ इन आपदाओं से निपटने के तौर तरीके भी बदलते रहे है। पूर्व सालों में किसी तरह की मशीनरी सुविधा नहीं होने से आम जन अपने स्तर से ग्राम मुखिया के निर्देशानुसार आपदा आने पर ढोल बजाकर, झूड़ी पिटवाकर आमजन का सतर्क किया जाता था। इसके अलावा युद्ध आदि के दौरान भी इस परिपाटी को अपनाया जाता था। लेकिन मशीनरी युग के दौरान ज्यों ज्यों संचार साधनों का विकास हुआ त्यों त्यों मानव ने उनका उपयोग करना शुरु किया। जैसाकि वर्तमान में समय टेलीफोन,मोबाईल,टी0वी0,रेडियो,अलार्म सिस्टम आदि कई तरह के उपकरणों का उपयोग कर आमजन को सतर्क किया जाता है तथा वाहन आदि का उपयोग का प्रभावितों को तत्काल प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित क्षेत्रों में शिफ्ट कर दिया जाता है। जहाँ तक चैक लिस्ट का प्रश्न है प्रत्येक सर्वे रिपोर्ट सरकार से प्राप्त निर्देशों तथा उसके अन्तर्गत दी गयी प्रक्रिया के अनुरूप सूचना निर्धारित प्रपत्रों में तैयार करवाई जाती है तथा उस पर संयुक्त हस्ताक्षर भी करवाये जाते है। जिससे किसी को किसी तरह का संचय नहीं रहे एवं न ही किसी प्रभावित के साथ किसी तरह का भेदभाव बरतने की भावना भी मन में उत्पन्न नहीं होती है। उसी चैकलिस्ट के अनुसार प्रभावित को नियमानुसार देय राशि की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसी तरह सार्वजनिक सम्पत्ति आदि के नुकसान के लिए भी निर्धारित प्रक्रियान्तर्गत प्रस्ताव तैयार करवाये जाते है तथा प्रस्ताव ग्राम स्तरीय,उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमोदन पश्चात् जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष भिजवाये जाते है। इस प्रकार नियमों में वर्तमान में प्रत्येक प्रक्रिया पारदर्शी है। चैक लिस्ट का नमूना निम्नानुसार है :-

LIST OF DISASTER IDENTIFIED BY THE HIGH POWERED COMMITTEE

1 Water and Climate Disaster Relief Department

1. Flood and Drainage Managemet
2. Cyclones
3. Torndes and Hurricanes
4. Hailstorm
5. Cloud Burst
6. Thunder and Lighting
7. Snow Avalanches
8. Heat Wave and Cold Wave
9. Send Erosion
10. Droughts
- II. Geologicaly related Disasters

1. Earthquakes Relief Depatements
2. Landslides and Mudflows
3. Dam Bursts Water Resources Departments
4. Mine Fires Mines Department

III Chemical, Industrial & Nuclear Disasters

1. Chemical and Industrial Disasters Secretary Industries
2. Nuclear Disasters Home Departments (Civil Defence)

IV Accident related Disasters

1. Urban Fires UDH Department
2. Village Fire Revenue Depoartment
3. Forests Fire Forest Departments
4. Electrical Disasters & Fires Energy Departments
5. Serial Bomb Blasts Home Departments
6. Oil Spill
7. Festival Related Disasters Home Departments
8. Aix, Road, & Rail Accidents Home Departments
9. Boat Capsizing Revenue Departments
10. Mine Flooding Mines Departments
11. Major Building Collapse P.W.D. Departments

V. Biology Related Disasters

1. Biological Disasters and Epidemics Medical & Health Departement
2. Pest Attacks Agriculture departments
3. Cattle Epidemics AH Departments
4. Food Poisoning Medical & Health department

(Chapter) अध्याय—13

MISCELLANEOUS

Preventing Flood Zoning Authority from doing an act be an offence:

Any person, who prevents the Flood Zoning Authority in discharging any act imposed on such Authority by or under this act, shall be deemed to have committed an offence under section 186 of the Indian penal Code (Central Act 15 of 1860)

Flood Zoning Authority and other officers to be public servants;

The Flood Zoning Authority and other officers and employees authorised under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal code (Central Act 45 of 1860)

Protection of action taken in good faith:

(1) No Suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the state Government or any Authority or person exercising any power or performing any duty under this Act for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act or an order made there under.

(2) No. Suit or other legal proceeding shall lie against the state Government for any damage caused or likely to be caused for any thing which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made there under.

Recovery of fine: AH fines imposed under this act shall be recovered in the manner provided in the code of criminal procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974)

Power of Court: A Civil Court shall have jurisdiction to settle decide or deal with any question with is by or under this Act required to be settled, decided or deal with by the Flood Zoning Authority or such other officer as is authorised by the state Government in this behalf.

Power to make rules:

(1) The State Government may, by notification in the official Gazette make rule to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such rules may provided for-

P(a) The manner in which charts and records shall be maintained;

(b) The form and manner in which application under section 20 shall be; made and the manner in which such application shall be disposed of;

(c) Any other matter which has to be, or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made before the house of the State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or two or successive sessions and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive session aforesaid the House agrees in making any modification in the rule, or the house agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect as

the case maybe so, however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Secretary to the Government

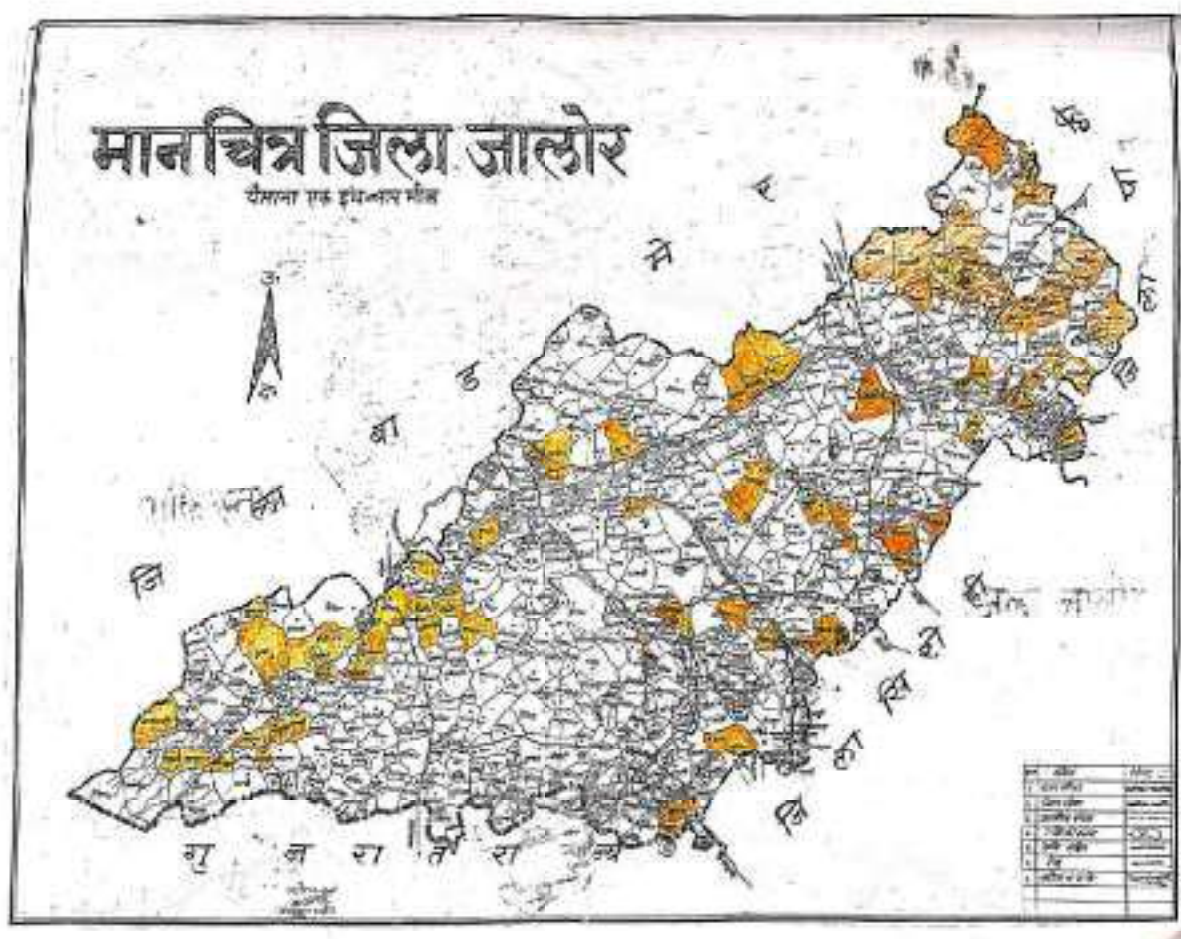
Annexure

आपदा प्रबन्धन से संबंधित कुल 55 परिशिष्ट 1 से 55 संलग्न है।

आपदा से संबंधित विभागवार संलग्नक है।

Maps

जिले का मानचित्र राजनैतिक तथा भौगोलिक रूप से संलग्न है।



प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति

क्र.सं.	पंचायत समिति क्षेत्र	प्रभारी अधिकारी	सहायक प्रभारी अधिकारी
1	जालोर	उपखण्ड अधिकारी, जालोर	तहसीलदार व विकास अधिकारी
2	सायला	उपखण्ड अधिकारी, सायला	"
3	आहोर	उपखण्ड अधिकारी, आहोर	"
4	भीनमाल	उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल	"
5	जसवंतपुरा	उपखण्ड अधिकारी, जसवंतपुरा	"
6	भाद्राजून	उपखण्ड अधिकारी, आहोर	"
7	सांचौर	उपखण्ड अधिकारी, सांचौर	"
8	चितलवाना	उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना	"
9	बागोडा	उपखण्ड अधिकारी, बागोडा	"
10	रानीवाडा	उपखण्ड अधिकारी, रानीवाडा	"

परिशिष्ट -2

ई.ओ.सी. प्रयोजनार्थ उपलब्ध सामग्री का विवरण

क्र.सं.	नाम सामग्री	मात्रा	सामग्री जहाँ उपलब्ध है
1	2	3	5
1	कम्प्यूटर	1	ई.ओ.सी. लियन हैल्यलाईन मार्फत एन.आई.सी.
2	MFFप्रिन्टर	1	" "
3	LCD T.V.	1	" "
4	पोर्टेबल जनरेटर	1	कलेक्ट्रेट केम्पस
5	SDN Tel line	2+1=3	V.C.Roomकलेक्ट्रेट मार्फत एन.आई.सी.
6	L.I.टेलीफोन गय ब्रॉडबैंड इंटरनेट	1	ई.ओ.सी. लियन हैल्यलाईन/एन.आई.सी.
7	मोबाईल टेलीफोन	1	एन.आई.सी. कलेक्ट्रेट
8	वायरलेस मय हैण्डसेट बैटरिज	1	ई.ओ.सी. लियन हैल्यलाईन/उपखण्ड स्तर
9	कैमरा	1	एन.आई.सी. कलेक्ट्रेट
10	ड्रेमन लाइट	10	तहसील स्तर पर
11	रस्सी	680 मीटर	35 मीटर कलेक्ट्रेट स्तर तथा 9"1" उपखण्ड /तहसील स्तर
12	U.P.S- KVR On line	1	V.C.Roomकलेक्ट्रेट मार्फतएन.आई.सी. कलेक्ट्रेट

परिशिष्ट -3

रेत के कट्टों की व्यवस्था

क्र. सं.	परियोजना का नाम	पंचायत समिति	कुल भराव क्षमता mcf.	खाली कट्टों की संख्या	रेत से भरे कट्टों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बांकली बांध	आहोर	1220.00	4000	1000
2	चवरछा बांध-1	आहोर	280.00	250	250
3	नोसरा नहर	आहोर	290.63	2500	0
4	खेडा सुमेरगाड बांध	जालोर	45.92	250	250
5	सरदारगड बांध	जालोर	115.44	250	250
6	कलापुरा बांध	सायला	120.00	250	250
7	बीठन बांध	जसवंतपुरा	225.62	1000	1000
8	वाण्डी सणधरा बांध	जसवंतपुरा	1013.00	2500	1500

क्र. सं.	परियोजना का नाम	पंचायत समिति	कुल भराव क्षमता mcf.	खाली कट्टों की संख्या	रेत से भरे कट्टों की संख्या
1	2	3	4	5	6
9	जेलपुरा बांध	रानीवाडा	88.83	2000	2000
10	बणधर बांध	रानीवाडा	143.00	1000	500
11	आकोली बांध	जालोर	60.80	750	250
12	उप खण्ड कार्यालय जालोर मय पुलिस थाना	जालोर		3750	250
13	उप खण्ड कार्यालय भीनमाल मय पुलिस थाना	भीनमाल		2500	250
		योग		21500/-	8000/-

परिशिष्ट -4

बाढ़ से प्रभावित होने वाले प्रमुख सड़क मार्गों का विवरण :-

1. जालोर से बालोतरा सड़क।
2. जालोर से बांडमेर वाया सायला सड़क।
3. जालोर से सिरौही वाया सियाणा सड़क।
4. जालोर से जोधपुर सड़क।
5. जालोर से गुजरात वाया भीनमाल रानीवाडा सड़क।
6. जालोर से रेवदर सड़क।
7. जालोर से बागोडा सड़क।
8. भीनमाल से सांचोर वाया करडा सड़क।
9. रानीवाडा से सांचोर सड़क।

बाढ़ अतिवृष्टि के समय अवरुद्ध होने वाले यातायात सड़कों की सूचना:-

क्र. सं.	तहसील	सड़क का नाम	लोकेशन	विशेष विवरण
1	आहोर	बालोतरा-मोकलसर-साण्डेराव सड़क (एन.एच.325)	किमी 108	सांकरणा गांव जवाई नदी
2	आहोर	बालोतरा-मोकलसर-साण्डेराव सड़क (एन.एच.325)	किमी 114	भैसवाडा गांव
3	जालोर	जालोर-भीनमाल-रानीवाडा (एस.एच.31)	किमी 24	आकोली गांव
4	जालोर	जालोर-भीनमाल-रानीवाडा (एस.एच.31)	किमी 35	सुमेरगढ
5	जालोर	रोहट-आहोर वाया भादाजून (एस.एच.31)	किमी 66	गुडा रामा गांव
6	सायला	जालोर रेवतडा सायला सड़क (SH-16 B)	किमी 36 (वीराणा)	जवाई नदी
7	आहोर	उम्मेदपुर-हरजी सड़क	किमी 4	पचवना गांव जवाई नदी
8	सायला	सिण्ड प्याऊ-जोड विराणा	किमी 2	ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित रपत
9	आहोर	भैसवाडा ऊण	किमी 2	जवाई नदी
10	आहोर	सम्पर्क सड़क भैसवाडा	किमी 1	जवाई नदी का डायवर्सन
11	जालोर	केशवना उम्मेदाबाद	किमी 5(उम्मेदाबाद)	जवाई नदी
12	आहोर	कवराडा-नोरवा	किमी 1	कवराडा (भूति नदी)
13	आहोर	सम्पर्क सड़क भूति-कंवला	किमी 3 भूति	भूति नदी
14	आहोर	कानीवाड-हरजी	किमी 16	चवरछा बांध का ओवर

			(ववरण)	पल
15	आहोर	अजीतपुरा-जोगनीखेडा	किमी 2	स्थनीय नाला
16	आहोर	आहोर-छिपडवाडा	किमी 2 व 3	जवाई नदी
17	जालोर	सियाण चान्दणा	किमी 1 (चांदना रपट)	चांदना रपट
18	जालोर	चांदणा भेटाला	किमी 4	चांदणा रपट
19	जालोर	सांथू नून रपट	किमी 1(सांथू)	आकोली नदी
20	जालोर	नून सरत फाटा	किमी 1 (सरत)	आकोली
21	जसवंतपुरा	मालवाडा जसवंतपुरा सडक (ओडीआर-4)	किमी 14 राजपुरा	FCW
22	जसवंतपुरा	जसवंतपुरा से सुन्धामाता सडक (एमडीआर-26ए)	किमी 6 बेकला, किमी 8 किल्ला, किमी 11 दातलावास	FCW FCW FCW
23	भीनमाल	भीनमाल पुनासा थोबाउ सडक (एमडीआर-174)	किमी 15 नोहरा नदी	FCW
24	भीनमाल	रेवदर जसवंतपुरा भीनमाल बागोडा रंगाला चौकवा फाटा (स्टेट हाईवे-16ए)	किमी 78 जेरण	FCW
27	चितलवाना	खेजडियाली से सिन्धियो की ढाणी	किमी 1 मे रपट	FCW
28	चितलवाना	खासरवी टाप्पी वाया पावटा	किमी 2 रपट	FCW
29	चितलवाना	सुथडी सुचारन्द	किमी 1 रपट	FCW

परिशिष्ट -5

बाढ/अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विस्थापित स्थल :-

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	विस्थापित किए जाने वाले स्थान
1	जालोर (जिला मुख्यालय)	1.सीनियर हायर सैक, स्कूल एवं महाविद्यालय 2.जैन मन्दिर व धर्मशाला 3.समस्त राजकीय भवन / पंचायत समिति / तहसील/नगर परिषद रेन बेसरा / छात्रावास
2	जालोर ग्रामीण क्षेत्र	प.स./तहसील क्षेत्र में सम्बन्धित गांवों में स्थित राप्तावि/उ.प्रा.वि. /समावि/रासीमावि/ग्रा.प.भवन एवं अन्य सरकारी भवन ,ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित अटल सेवा केन्द्र भवन
3	सायला	" "
4	आहोर	" "
5	भीनमाल	" "
6	जसवंतपुरा	" "
7	रानीवाडा	" "
8	सांचोर	" "
9	चितलवाना	" "
10	माझाजून	" "

परिशिष्ट -6

जिला जालोर के नजदीकी जिलों में प्राइवेट क्षेत्र में उपलब्ध नावों का विवरण

जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा जिला मुख्यालय पर 1 नाव मोटर इंजन से संचालित होती है। नावों के संचालन हेतु विभाग के पास चालक उपलब्ध नहीं है। एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जालोर के पास एक नाव उपलब्ध है। जो जिला मुख्यालय के साथ अन्य आवश्यकता होने अन्य जगह के लिए भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही जिला जालोर के नजदीकी जिलों में मत्स्य विभाग के अधीन नावों एवं नाव चालकों की सूचना उपलब्ध नावों का विवरण निम्नानुसार है :-

मत्स्य विभाग के अधीन नावों एवं नाव चालकों की सूचना

क्र. सं.	नाव मालिक का नाम व पता	नाव चालकों का नाम पता	नावों की संख्या	नाव उपलब्ध होने का स्थान
1	धीरेन्द्रसिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह शक्तावात निवासी सावर अजमेर मो.न. 7014556697	मत्स्यखेट पार्टी के सदस्य	10	बंद बाण्डी सिंघरा(जालोर)
2	श्री जावेद खान पुत्र अब्दुल खान निवासी लुनियापुरा आबूरोड मो. 7425044974	—do—	02	बंद चेकला (जालोर)

बाढ़ राहत हेतु मत्स्य विभाग के नोडल अधिकारी

क्र.सं.	अधिकारी का नाम व पद नाम	जिला	दूरभाष नम्बर	मोबाईल नम्बर
1	श्री राजू राम म.वि.अ.	पाली/जोधपुर/सिरोही	02972-220712	8104138835

परिशिष्ट -7

होम गार्ड्स (गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र) एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीन तैराकों का विवरण

क्र. सं.	नाम	पता	तैराक / गोताखोर	मोबाईल नंबर
1.	श्री रघुवीरसिंह 08	सूरजपोल पुराना बिजलीघर के पास जालोर	तैराक	9024052621
2.	श्री रमेशकुमार 32	सिरे मंदिर रोड, बेरा पंगलिया वाला, जालोर	तैराक	9461869305
3.	श्री अमजद खान 37	हन्सियों का मौहल्ला, जालोर	तैराक	9413500581
4.	श्री बाबूलाल 42	मालनाथ की दाणी, जालोर	तैराक	9660661553
5.	श्री जबराराम 55	ग्राम, सांफाडा तह. जालोर	गोताखोर	9982757564
6.	श्री खेताराम 71	एकलव्य कॉलोनी, घवला रोड, भील छात्रावास के पीछे, जालोर	गोताखोर	9809720763
7.	श्री दशरत सिंह 78	आदर्श नगर, रेल्वे स्टेशन के पास, जालोर	तैराक	7877110022
8.	श्री रुस्तम अली 80	के.जी.एन. कॉलोनी, जालोर	तैराक	8769601525
9.	श्री प्रकाश दास 85	दूदावा जाव, गोडीजी, जालोर	तैराक	9982170050
10.	श्री विजेश कुमार 87	सूरजपोल के अन्दर, हरिजन बस्ती जालोर	तैराक	6377255641
11.	श्री अरविन्द कुमार 91	सूरजपोल के अन्दर, वाल्मिकी कॉलोनी, जालोर	तैराक	9784129780
12.	श्री जगदीश कुमार 96	इन्द्रापुरी कॉलोनी, बागोडा रोड, जालोर	तैराक	9782740740
13.	श्री जितेन्द्र कुमार 100	एकलव्य कॉलोनी, घवलारोड, भील छात्रावास के पीछे, जालोर	तैराक	9783132196
14.	श्री नरेन्द्र कुमार 124	पूर्व विधायक की गली, रामदेव कॉलोनी, जालोर	तैराक	8387824110

15.	श्री रताराम 137	मु.पो.सनवाडा तह. आहोर, जिला जालोर	तैराक	9649840084
16.	श्री लेहराराम 138	मु.पो. लेटा, तहसील व जिला जालोर	तैराक	8949159065
17.	श्री नारायणलाल 153	एफ.सी.आई. गोदाम के पीछे, ढोलियों की गली, जालोर	तैराक	9649954467
18.	श्री कानाराम 155	रामपुरा कॉलोनी, जालोर	तैराक	9772411066
19.	श्री पप्पाराम 167	तासखाना बावडी के आगे, धर्मकाटा के पास, जालोर	तैराक	9166035695
20.	श्री राजूराम 181	आसन की गोल के पास, बागू नगर कॉलोनी, जालोर	तैराक	9610090409

नागरिक सुरक्षा विभाग के तैराक

क. सं.	नागरिक सुरक्षा सदस्य का नाम मय बल्लियत	पता	तैराक / गोताखोर	स.सं.	मोबाईल नंबर
1	छगननाथ पुत्र मोहरनाथ	निवासी जालोर	तैराक	02	9782609070
2	राजू खां पुत्र अकरम खां	निवासी जालोर	तैराक	04	9460146946
3	कूयाराम पुत्र पोलासात	निवासी जालोर	तैराक	05	9828792117
4	लक्ष्मण कुमार पुत्र रतनलाल	निवासी जालोर	तैराक	06	6375829253
5	बहादुर पुत्र थानाराम	निवासी जालोर	तैराक	10	8107008540
6	किशन कुमार पुत्र दूदाराम	निवासी जालोर	तैराक	11	9166720287
7	श्री जोगाराम पुत्र मोहनलाल	निवासी जालोर	तैराक	12	7742208398
8	श्री शोहेल खां पुत्र शहजाद खान	निवासी जालोर	तैराक	17	7425947658
9	श्री मोहनलाल पुत्र शंकरलाल	निवासी जालोर	तैराक	51	7611007160
10	श्री खुशाल कुमार पुत्र भंवरलाल	निवासी जालोर	तैराक	53	8123204324
11	हीरालाल पुत्र शंकर लाल	निवासी जालोर	तैराक	55	8952051431
12	जावेद अली पुत्र राजम अली	निवासी जालोर	तैराक	56	8387020229
13	प्रवीण कुमार पुत्र वगताराम	निवासी जालोर	तैराक	57	9772531325
14	अशोक महलोत्त पुत्र रणछोडराम	निवासी जालोर	तैराक	60	8432365722
15	हर्षन कुमार पुत्र गलवाराम	निवासी जालोर	तैराक	61	8107126848
16	मदनलाल पुत्र लादूराम	निवासी जालोर	तैराक	63	9636212121
17	श्री अरुण कुमार पुत्र सवाराम	निवासी जालोर	तैराक	65	9521354164
18	शान्तिलाल पुत्र बाबूलाल मीणा	निवासी दयालपुरा	तैराक	66	9784575302
19	ताराराम पुत्र नेती जी	निवासी जालोर	तैराक	68	9460093979
20	शैलेश पुत्र बाबूलाल मीणा	निवासी दयालपुरा	तैराक	70	8441930821
21	हनुमानाराम पुत्र मोहनलाल माली	निवासी जालोर	तैराक	71	9057958873
22	छगनलाल पुत्र लादाराम	निवासी जालोर	तैराक	95	8529533509

परिशिष्ट -8

ग्रामीण स्तर पर तहसीलवार तैराकों का विवरण :-

क. सं.	नाम तहसील	गांव का नाम	तैराक का नाम एवं पूर्ण पता	सम्पर्क सूत्र मोबाईल नंबर
1	2	3	4	5
1	आहोर	रोडला	श्री हुक्मसिंह राजौड नि. गुडा इन्द्रपुरा	9983110654
		कवराडा	श्री प्रेमराम कुम्हार नि. कवराडा	6441544297
		आहोर	श्री भंवरलाल सुथार आहोर	9982746052
			श्री नाथुसिंह/उकसिंह रावणा राजपुत	9829136966
			श्री दलपतसिंह/अमरसिंह रजपुत	8107033522
			श्री सतवीरसिंह सोनगरा	9414867645
		हरजी	श्री उके खां मुसलमान	9413270017
			श्री नन्दलाल सोनी	8440003713

		भैसवाडा	श्री मेघाराम चौधरी, भैसवाडा	9414674921
			श्री होजीराम / हेमाजी मेघवंशी	9962731763
		भूती	श्री छोमाराम / जसाजी माली	9829277532
			श्री जेठाराम / जसाजी माली	9829277532
		चान्दराई	श्री खेताराम / परखाराम	7357463072
			श्री भंवरलाल / सकाजी मीणा	7665668414
2	भाद्राजून	रामा	श्री कपुराराम	9799773525
			दीपाराम	9928685390
		घाणा	दीपाराम चौधरी	9828484349
			हीमताराम मेघवाल	7568907603
		बाला	नैनाराम	9602493737
		निम्बला	छत्राराम	7837697693
		भोरडा	सोनाराम	9799547818
		सेलडी	भवसाराम	9929081737
			अमराराम	
		कोराणा	चैनाराम मीणा	8769212218
			दुर्गाराम	7014204517
		भाद्राजून	श्री भंवरसिंह जोधा	7425027034
3	जसवन्तपुर I	झाक	बेनाराम / अणदाराम कलबी	9460073081
			भीमराज पुरोहित	9460478113
		केकला	हिरसिंह / किशनसिंह	
		केकला	भूनाराम / मसराराम सेन	
		माण्डोली	कल्याणसिंह	9772636675
		सिकवाडा	वचनपुरी गोस्वामी	9001945576
		गोला	रामाराम	9950901274
		कलापडु	गुमानभारती / मोहनभारती	
		कीलवा	श्री सूरसिंह राजपुत	9828500766
			श्री भगवानसिंह पुत्र सगतसिंह	9928204865
4	सांचौर	कीलवा	श्री जालमसिंह राजपुत	
5	वितलवाना	बालेरा	गणपतराम / प्रेमराम पुरोहीत	9819333375
		केरिया	बाबुलाल / हंजाराम ब्राह्मण	954900471
		केरिया	मोहनलाल / पुनमाराम कुम्हार	8003835562
		गलीफा	कालाराम / वोहताराम कोली	9783019687
		देवडा	नानजीराम पुराहीत	9983642010
			अशोक कुमार / भुराराम	9772862354
		झाब	वलीखान / मिश्रीखान	9772762768
		आकोली	गणपतसिंह	9828885350
		केसूरी	सेधा / घमराराम	7665411450
		सुथडी	जोगसिंह / सगतसिंह राजपुत	9549595028
		रिडीयाघोरा	दीपाराम / धुडाराम विश्णोई	
		डी.एस.ढाणी	सदराम / सुण्डाराम विश्णोई	
		रिडीयाघोरा	मिश्रीमल / हरचंदराम विश्णोई	
		भादू गोयतो की ढाणी	भारमलराम / कोजाराम विश्णोई	
		खानदेवडा	जालम खान / हाजी	8890270242
		डाउकिया डीएस ढाणी	लाधुराम / रायचन्दराम	9784229697

		मेलावास	पुनमाराम / मुलाराम कलबी	8355920060
		केसूरी	हकाराम/ कालाराम मिरासी	8875912115
		केसूरी	मस्तान/ कालाराम मिरासी	8875912115
6	राणीपाडा	सामराणी	श्री मुकेश कुमार, शारीरिक शिक्षक	9413240546
		वणधर	श्री पृथ्वीसिंह	9983929876
		जोडवास,	श्री करणाराम देवासी	9983651628
7	बागोडा	बागोडा	श्री दीपसिंह/ रणछोडसिंह	9983564995
		राउता	श्री छैलसिंह/ जुठसिंह	9828527133
			श्री पुराराम/ हराजी कलबी	9610721857
			श्री अमराराम/ छोगाराम भील	
		मोरसीम	श्री गफुरखां/ तइबखां	7742301515
		नई मोरसीम	श्री सुजाराम/ ताराजी पुरोहित	9983698647
			श्री नारायणसिंह/ सरदारसिंह	9829716304
		देवदा का गोलिया	श्री शंकरदास/ प्रागदास	9982668543
		खारवा	शून्य	
		चैनपुरा	श्री बगदाराम/ वेंलाजी भील	9828371943
			श्री मुबीनखां/ गीगेखां	9828184324
			श्री बेसराराम/ नवाजी मेघवाल	
		नया चैनपुरा	श्री मोडसिंह/ भीमसिंह राजपुत	9828486166
			श्री रूपसिंह/ चगतसिंह राजपुत	9983763291
		पाता की ढाणी	श्री गोविन्दसिंह/ सुजानसिंह	9828802892
			श्री जयसिंह/ रगनाथसिंह राजपुत	9929936462
			श्री जगतसिंह/ जवानसिंह राजपुत	9828925139
		लाखणी	श्री दिलिपसिंह/ नारायणसिंह राजपुत	9413266590
			श्री सांवलाराम/ चेनाजी माली	9828481578
			श्री उग्मेदसिंह राजपुत	9413410255
		धुम्बडिया	श्री मंगाराम/ लखमाजी माली	
			श्री बाबुराम/ तगाजी माली	9549575727
		हुंगरवा	श्री गीरुखां	9587637740
		कालेटी	श्री बाबुखां/ दीनेखां	9610670166
		दामण	श्री सदीकखां/ हाजीखां मोयला	
			श्री जोगसिंह/ दलपतसिंह	9784385340
			श्री देवीलाल/ लालचंद खत्री	9950822923
			श्री आलमखां/ हबीबखां	9461452556
		सेवडी	श्री मोहम्मदखां/ बादरखां	
			श्री रमजानखां/ बादरखां	
		बाली	श्री नरसी/ त्रिकमा कलबी	
			श्री जोइता/ घर्मा पुरोहित	
			श्री रघुवीरजी सरपंच बाली	8875319219
		भालनी	श्री रूपा/ मेघा माली	9783064412
		हापु की ढाणी	श्री सुग्रीवराम/ रामलाल	
			श्री चोखाराम/ जामता जी बिर्नोई	

7. तहसील भीनमाल

क्र.सं.	नाम ग्राम	तैराक का नाम	सम्पर्क नम्बर
1	दांतीवास	श्री सुजाणाराम/भूराजी चौधरी	9413854398
2		श्री नारणाराम/बादराजी भील	9799706190
3		श्री सार्वलाजी/माधवाजी चौधरी	8094030423
4		श्री सुरेश/जोराजी चौधरी	9830503051
5		श्री रायचन्द/बगदाजी मेघवाल	9783898637
6		श्री अर्जुन/पीथाजी चौधरी	9351978457
7		श्री रेवाराम/माधवाजी चौधरी	9897503090
8	नासोली	श्री तलसाराम/धूसाराम राणा	9950570851
9		श्री भीमसिंह/कालूसिंह	9783006104
10	भागलसेप्ता	सुरेशकुमार/बलवन्ता पुरोहित	7019764681
12	थोबाउ	श्री रूपाराम/सवाराम देवासी	9649041560
13		श्री हरचन्द्रराम/किस्तुराराम भील	9784762508
14		श्री तालबख्ता/अहमदखां मोयला	9784826596
15	निंबोडा	श्री बादशराम/हरजीराम भील	9587787764
16		श्री वचनाराम/प्रभूराम मेघवाल	9783112689
17		श्री नाराणाराम/मोतीरामदेवासी	9983813051
18		श्री जोशराम/सुजाणारामदेवासी	9963937168
19		श्री पंगराराम/आशाराम जोगी	9680907635
20	किरवाला	श्री पीराराम/रणछोडाराम कलबी	9983813051
21		श्री हीराराम/नेथीराम कलबी	7665517997
22	नोहरा	श्री भूताराम/लखाराम कलबी	9772184325
23		श्री दरगसिंह/समसिंह राजपूत	8955456137
24		श्री बगतराम/केवाराम मेघवाल	9982081422
25		श्री मोहनलाल/वसूराम भील	9950118087
26		श्री जीताराम/मांगाराम हरिजन	9024564016
27	बोरटा	श्री पेपसिंह/सवसिंह राजपूत	9982077192
28		श्री सताराम/केसाराम भील	8890637579
29	खेडाबोरटा	श्री वेलाराम/रूपाराम मेघवाल	9799818893
30		श्री निसारखां/सुल्तानखां मोयला	7231838715
31		श्री सुमारखां/सुल्तानखां मोयला	9352782551
32		श्री पट्टाईखां/सुल्तानखां मोयला	8094232956
33	भीमपुरा	श्री रायमलराम/भीमाराम रेबारी	9983762792
34	पूनासा	श्री रडमाराम/देवीजी पुरोहित	9785575740
35	कोटकारता	श्री मंशाराम/पूनमाराम भील	9660373798
36		श्री बगाराम/बाबराराम भील	9929637945
37		श्री देवाराम/भेराराम मेघवाल	9602578437
38		श्री भंवरलाल/मूलाराम माली	9829269366
39	घासेडी	श्री डायाराम/मोलाराम माली	9982344209
40	लेदरमेर	श्री नवाराम/हरजीराम वागरी	8690641469
41	भीनमाल	श्री गजेन्द्रसिंह/बुद्धसिंह राजपूत निवासी दासपा	9672987979
42		श्री गोविन्दराम/कमाजी भील	8094982552
43		श्री शोकतअली/गफुरखांजी कोटवाल	9414425566
44	जुंजाणी	श्री खेताराम/भगराज दर्जी	9982585911
45		श्री हीरालाल/सावलाजी दर्जी	7357113419
46		श्री कासरखां/राधुखां मोयला	9982202386
47	निम्बावास	श्री बतसिंह/मोहनबतसिंह राजपूत, मामाजी धान के पास	9982527710

48		श्री घेवाराम/तलछाराम मेघवाल,	9772440961
49	भागलभीम	श्री जवाराराम/प्रतापाराम पुरोहित, पुरोहितों का वास	9694758115
50	भागलभीम	श्री गोविन्द कुमार /कमाराम भील	7568094515
51	राह	श्री नसीर खा/शुमार खां मुसलमान	7877419239
52	राह	श्री हमास खा/उम्मेद अली मुसलमान	9783862615
53	जेरण	वरदाराम /जोड़ताराम रेबारी	8094267229
54	जेरण	धर्माराम /कालाराम रेबारी	7665155242
55	लूणावास	विक्रमकुमार /जेसाराम भील	7357111820
56	लूणावास	रमेशकुमार/मलाराम भील	8486097192
57	मिण्डावास	जीतूदान/गवरदान	9051573456
58	कावतरा	गजेन्द्रसिंह चम्पावत	9694895647
59	मीरपुरा	शैतानसिंह/	9928614706
60	दासपा	सादाराम / देलाराम मेघवाल	9772441179
61	दासपा	महीपालसिंह /वनेसिंह राजपूत	9783093520
62	फागोतरा	दूदाराम भील	9828183694

8. तहसील जालोर

क्र. सं.	नाम	पता	तैराक/ गोताखोर	मोबाईल नंबर	वर्तमान पता
1	श्री कुकराम/चूनाराम	रामदेव कोलोनी, जालोर	तैराक	8852993600	सांचीर
2	श्री रघुवीरसिंह/महेन्द्रसिंह	सूरजपोल पुराना बिजलीघर के पास	तैराक	9782407775	सांचीर
3	श्री रमेशकुमार/पुराराम	सिरे मंदिर रोड, बेरा पंगलिया बाला, जालोर	तैराक	9461869305	सांचीर
4	श्री अमजदखान/लियाकत	हलियाँ का मोहल्ला, जालोर	तैराक	9413500581	आहोर
5	श्री बाबूलाल/पूनमा राम	एफसीआई गोदाम के पास, जालोर	तैराक	8239451942	सांचीर
6	श्री जबराराम/मांगी लाल	ग्राम, सांफाडा तह. जालोर	गोताखोर	9982757564	सायला
7	श्री खेताराम/जीवाराम	न्यू रामदेव कोलोनी, जालोर	गोताखोर	9828381335	आहोर
8	श्री प्रकाशदास/मोहनदास	गौडीजी, जालोर	तैराक	9982170050	जालोर
9	श्री विजेशकुमार/भंवर लाल	हरिजन बस्ती, जालोर	तैराक	9636135370	जालोर
10	श्री अरविन्द/गोपाराम	सूरजपोल के अंदर हरिजन बस्ती, जालोर	तैराक	9784129780	जालोर
11	श्री सुरेशकुमार/भंवर लाल	शांतिनगर मौजों का वास, जालोर	तैराक	9001167482	जालोर
12	श्री रताराम/गिरधारी राम	ग्राम, सनवाडा तह. आहोर	तैराक	9649840084	जालोर
13	श्री लेहराराम/गलबा राम	मेघवालों का वास, लेटा	तैराक	9828472076	जालोर
14	श्री नारायणलाल/गुरा राम	एफसीआई कोलोनी, जालोर	तैराक	9649954467	सायला
15	श्री कानाराम/हंसाराम	रामपुरा कोलोनी, जालोर	तैराक	9772411066	सांचीर
16	श्री नरेन्द्रकुमार/मगा राम	रामदेव कोलोनी, जालोर	तैराक	8387824110	सांचीर
17	श्री पणाराम/खसा राम	तासखाना बावडी भीनमाल रोड, जालोर	तैराक	9166035695	जालोर
18	श्री दशरथ सिंह/बजरंग सिंह	आदर्श नगर, जालोर	तैराक	9413584222	जालोर
19	श्री जितेन्द्र/खेताराम	राणा प्रतापनगरन्यूरामदेव कोलोनी, जालोर	तैराक	9783132196	रामसीन
20	श्री रुस्तम अली/सनवर अली	तिलकद्वार के अन्दर, सरावास, जालोर	तैराक	9936170563	रामसीन
21	श्री जगदीशकुमार/भीमाराम	इन्द्रापुरी कोलोनी, जालोर	तैराक	9782740740	रामसीन
22	श्री हंसाराम राणा	नारणावास	तैराक	9828765573	आहोर
23	श्री मोह. हुसैन	जालोर	तैराक	—	सांचीर
24	श्री मांगेखां पुत्र सुकरखां	दीगांव	तैराक	9166224826	दीगांव
25	श्री जोराराम पुत्र कुईयाराम	दीगांव	तैराक	8890310684	दीगांव
26	श्री भरतपुरी पुत्र भंवरपुरी	नबी	तैराक	9799677795	नबी

वाटर टैंकर्स मालिकों की सूची
वाटर टैंकर्स मालिकों की सूची उपखण्ड जालोर

क्र.सं.	टैंकर मालिकों का नाम एवं पता	टैंकर होल्डर का मोबाईल/ फोन नं.	टैंकर की क्षमता
1	मदनलाल शंकरलाल सिरें मन्दिर रोड जालोर	9001740012	4000 लीटर
2	खसाराम भीकाजी सिरें मन्दिर रोड जालोर	9414375274	4000 लीटर
3	जयन्तीलाल डाईट के पास जालोर	9413120989	4000 लीटर
4	मोहनलाल तोलाराम रामदेव कोलोनी जालोर	9783346019	4000 लीटर
5	मकनाराम बेलाजी चौधरी नया रामा	9680459977	4000 लीटर
6	मसराराम देवासी गांव दूदिया	9828072596	4000 लीटर
7	श्री पदमाराम निवासी सामतीपुरा	9828028074	4000
8	श्री चम्पालाल/हीराराम रुपनगर, जालोर	9560073174	4000
9	श्री राकेश भंसाली शिवाजी नगर जालोर	9414274086	4000
10	मै. श्री उज्जैनी वीर एन्टरप्राइजेज, झाब	6378452100	4000 ली0
11	मै. श्री जम्भेश्वर कन्स्ट्र., अरणाय	9982608328	4000 ली0
12	मै. राधे सप्लायर्स, करडा	9828646837	4000 ली0
13	मै. बालाजी कन्स्ट्र. एण्ड सप्लायर्स, भागलभीम	9602454114	4000 ली0
14	मै. राजरतन इन्फ्रा इंजिनियरिंग, झाब	9660767564	4000 ली0
15	मै. नैनाराम पोकराजी, पुनासा	8104687944	4000 ली0

वाटर टैंकर्स मालिकों की सूची उपखण्ड भीनमाल

क्र. सं.	टैंकर मालिक का नाम व पता	सम्पर्क नम्बर	टैंकर क्षमता (लीटर में)
1	श्री प्रभुराम वजाजी देवासी भीनमाल	9461066296	4000
2	श्री चान्द खां पारस खां टेकरावास भीनमाल	9413655701	4000
3	श्री जोगाराम रेबारी, रेबारियों की ढाणी, करडा रोड, भीनमाल	9414373422	4000
4	श्री अनवर खां खारा कुआ भीनमाल	9414373608	4000
5	श्री नैनाराम पोकराजी पूनासा	9950488094	4000
6	श्री मदनलाल कपूराजी माली कोटकास्ता	9950619751	4000
7	मै. श्री उज्जैनीवीर एन्टरप्राइजेज, झाब	9660767564	4000 ली0
8	मै. श्री जम्भेश्वरकन्स्ट्र., अरणाय	9982608328	4000 ली0
9	मै. राधे सप्लायर्स, करडा	9828646837	4000 ली0
10	मै. बालाजी कन्स्ट्र.एण्ड सप्लायर्स	9602454114	4000 ली0
11	श्री नैनाराम पोकराजी पूनासा	9950488094	4000
12	शंभूसिंह मानसिंह कोटकास्ता	9783305385	4000
13	छैलसिंह अनोपसिंह भीनमाल	9982879845	4000
14	सुरमसिंह अनोपसिंह भीनमाल	9983762586	4000
15	श्रवणकुमार घेवाराम भीनमाल	7849841842	4000
16	पीरा लाला कोटवाल भीनमाल	9672544944	4000

17	सताराम मसराजी कोटकास्ता	9950044152	4000
18	लाधाराम चौधरी दांतीवास	9982875297	4000
19	सांवलाराम चौधरी थोबाउ	8955099740	4000
20	ओमप्रकाश मांजू पूनासा	9664148881	4000
21	कूपाराम रेबारी वियो का गोलिया	9929936826	4000
22	फुआराम नवाराम रेबारी डाबली राठोडान	9982170189	4000
23	बरगदस्वा मोहब्बतस्वा राठ	9549443158	4000
24	आम्बसिंह तगसिंह राजपूत जेरण	8875641527	4000
25	महेन्द्र कुमार घेवाराम देवासी जेरण	9982136572	4000
26	वागाराम अमराराम चौधरी लूणावास	9828276802	4000
27	श्रवणसिंह देवडा कावतरा	9982136521	4000
28	रमेशदास सवादास जेतु	9982171927	4000
29	तगाराम प्रजापत भागलभीम	9772184433	4000
30	लाखाराम प्रजापत भागलभीम	9909319838	4000
31	विक्रम लौहार बोरटा	9079289393	4000
32	गुमानसिंह राठोड खेडाबोरटा	9982107967	4000
33	वचनाराम देवासी भीमपुरा	8117048721	4000
34	दिनेश पुरोहित कोरा	8772863841	4000
35	पदमाराम चौधरी कोरा	9982671127	4000
36	समेलाराम चौधरी रुचियार	9113922952	4000
37	जसवन्तसिंह नासोली	8094517781	4000
38	गोदाराम भागलसेफटा	9672438176	4000
39	वरदाराम वोकाराम देवासी निम्बावास	9828783024	4000
40	ओखसिंह निम्बोडा	8696040376	4000
41	सांवलाराम देवासी नोहरा	9694545694	4000
42	ओखसिंह राजपूत कीरवाला	6376929233	4000
43	अर्जुनसिंह जुंजाणी	9587674311	4000
44	विक्रमसिंह जुंजाणी	6305620539	4000

वाटर टैंकर्स मालिकों की सूची उपखण्ड आहोर

क्र. सं.	टैंकर मालिक का नाम व पता	सम्पर्क नम्बर	टैंकर क्षमता (लीटर में)
1	श्री मानाराम चान्दराई	9680459385	4000
2	श्री जबरसिंह चान्दराई	9672313444	4000
3	श्री हेमाराम/वीरकाराम सुथार आहोर	9414534272	5000
4	श्री भंवरसिंह/जेरुपजी राजपुरोहित गुडाबालोतान	9982203054	5000
5	श्री भुरसिंह/जेरुपजी राजपुरोहित गुडाबालोतान	9414588143	5000

वाटर टैंकर्स मालिकों की सूची उपखण्ड जरावंतपुरा

क्र. सं.	टैंकर मालिक का नाम व पता	सम्पर्क नम्बर	टैंकर क्षमता (लीटर में)
1	शैतानसिंह /चन्दनसिंह निवासी धानसा	9983617511	4000
2	नाथाराम /संग्रामाराम रेबारी निवासी धानसा	9785807039	4000
3	कृष्ण कुमार/अजाराम रेबारी निवासी पंसेरी	9983510331	4000
4	छतरसिंह/मलसिंह राजपूत निवासी पूरण	9414124040	4000
5	कसाराम मेघवाल निवासी गजापुरा	9950016522	4000

6	नरसाराण / खेताजी चौधरी निवासी कारलू	9001585391	4000
7	गीगाराण / रावमाराण चौधरी निवासी कारलू	9784788011	4000
8	प्रमाराण / वागाजी चौधरी निवासी सावीधर	9928890761	4000
9	जबरसिंह/भेरसिंह राजपूत निवासी खानपुर	9928792983	4000
10	गंगासिंह/जूठसिंह जाति राजपूत निवासी खानपुर	9784717723	4000
11	सतसिंह/शिवनाथसिंह निवासी खानपुर	9784246153	4000
12	सतार खाँ	9799169570	4000
13	छेलसिंह / बलवन्तसिंह निवासी थूर	9982464699	4000
14	रामसिंह / भंवसिंह निवासी थूर	9413183520	4000
15	केसाराण / दूदाराण रेबारी निवासी सिकवाडा	9983920682	4000
16	सांवलाराण / जगमालाराण कलबी निवासी तातोल	8875150445	4000
17	अमराराण / डायजी कलबी निवासी मुडतरासिली	9587341799	4000
18	जोताराण/पूनमाजी कलबी निवासी सोमता	9771616679	4000
19	बुटाराण/देवाराण कलबी निवासी सोमता	7745429562	4000
20	ईश्वरसिंह निवासी सिणधरा		4000
21	हराराण / कमाजी कलबी निवासी बुगांव		4000
22	भंवरलाल/रावता निवासी रामसीन	9414994597	4000
23	तोलाराण धांची निवासी रामसीन	9929804291	4000
24	नथाराण / भारता चौधरी निवासी गजीपुरा	9982402210	4000
25	जबराराण / वेलाजी जाति भील निवासी दांतलावास	9571614932	4000
26	किशनसिंह निवासी घेकला	9928459679	4000
27	अचलाराण / सूरताजी चौधरी निवासी पावली	9660728166	4000
28	गणपतसिंह / रतनसिंह निवासी पहाडपुरा	9783607090	4000
29	मानसिंह / नगसिंह राव निवासी मणधर	9982926230	4000
30	बाबूसिंह/हिराजी राव निवासी मणधर	9001460119	4000
31	जोधाराण / जुजाजी चौधरी निवासी राजीकावास		4000
32	मानाराण / भूराजी चौधरी निवासी गोलाणा	9799839632	4000
33	मोनाराण देवासी निवासी जसवंतपुरा	9550037604	4000

वाटर टैंकर्स मालिकों की सूची उपखण्ड जसवंतपुरा

क्र. सं.	टैंकर मालिक का नाम व पता	सम्पर्क नम्बर	टैंकर क्षमता (लीटर में)
1	राजाराण ट्रेडिंग कंपनी (श्री तुलछाराम/राजाराण सांचौर)	4000 ली०	9783617166
2	आशापुरा कन्ट्रक्शन कंपनी (श्री दिलीपकुमार/मंजीराम सांचौर)	4000 ली०	8290924419

वाटर टैंकर्स मालिकों की सूची उपखण्ड बागोडा

क्र. सं.	ग्राम का नाम	डीजल चलीत कुआ/प्राइवेट टैंकर पानी धारको के नाम मय पिता का नाम	विवरण	मोबाइल नम्बर
1	बागोडा	श्री पांचलसिंह/लक्ष्मणसिंह राजपूत	प्राइवेट टैंकर	9413465157
		श्री गणपतसिंह/गोदबन्तसिंह राजपूत	प्राइवेट टैंकर	9983696331
2	मोरसीम	श्री अर्जुनसिंह/शम्भुसिंह	प्राइवेट टैंकर	
3	नई मोरसीम	श्री ओमपुरी/धनपुरी	प्राइवेट टैंकर	9983489864
4	देवदा का गोलिया	श्री हकमपुरी/धनपुरी	प्राइवेट टैंकर	9588828399
5	खारवा	—	—	—
6	चैनपुरा	—	—	—
7	नया चैनपुरा	श्री हिमताराम चौधरी	प्राइवेट टैंकर	9828377964

8	पाता की ढाणी	—	—	—
9	लाखणी	श्री मोडसिंह/जवानसिंह पुरोहित	प्राइवेट टेन्कर	
10	धुम्बडिया	श्री माधाराम/करणा जी कलबी	प्राइवेट टेन्कर	7976040391
		श्री बैचाराराम माली	प्राइवेट टेन्कर	
11	हुंगरवा	श्री दानाराम/रूपाराम रेबारी	प्राइवेट टेन्कर	9783005793
12	बाली	श्री भैराराम/देवराज कलबी	प्राइवेट टेन्कर	9571570356
13	नई बाली	—	—	—
14	भूरिया का गोलिया	श्री नाथुराम/आदुराम सुथार	प्राइवेट टेन्कर	9828609242
15	हापु की ढाणी	—	—	—
16	गांवडी	—	—	—
17	भालनी	—	—	—
18	सेवडी	श्री गुलेखा/अनाडेखा	प्राइवेट टेन्कर	9982731758

परिशिष्ट -10

जनरेटर मालिकों की सूची

क्र. सं.	जनरेटर मालिक का नाम व पता	उपखण्ड क्षेत्र	सम्पर्क नम्बर	क्षमता
1.	श्री शंकरलाल समाजी, सिरै मंदिर रोड बेरा विपली	जालोर	9828668541	11 के.वी.ए..
2.	मैसर्स चामुण्डा टेन्ट हाउस	खारी रोड भीनमाल	9610283638	25, 30 एच.पी
3.	" जालोर टेन्ट हाउस बडी पोल, जालोर	"	02973-222002	11 के.वी.ए..
4.	महादेव लाईट डेकोरेशन हनुमान कोलोन, जालोर	"	02973-223017	11 के.वी.ए..
5.	विक्रम टेन्ट हाउस, जालोर	"	9414152847 9983253243	11 के.वी.ए..
6.	मेहता टेन्ट हाउस, जालोर	"	9414295849	11 के.वी.ए..
7.	रामलाल माली	"	9460511632	11 के.वी.ए
8.	श्री बाबूलाल/समाजी कुम्हार चान्दराई	आहोर	961032044	11 के.वी.ए
9.	श्री नरसिंग राम लोहार गुडा बालोतान	"	9828272033	11 के.वी.ए
10.	मैसर्स मेहता टेन्ट हाउस, खारी रोड, भीनमाल	भीनमाल	02969-220760	30,40 एच. पी.
11.	मैसर्स महालक्ष्मी टेन्ट हाउस, खारी रोड, भीनमाल	"	02969-222644	25,30,40 "
12.	मैसर्स आशापुरा टेन्ट हाउस खारी रोड भीनमाल	"	02969-220318	20,40,60 एच. पी.
13.	श्री बालाजी तिरुपति टेन्ट हाउस	"	9414994422	30-50 एच. पी.
14.	नवीन टेन्ट हाउस	"	9414425406	30-50 एच
15.	रामदेव टेन्ट हाउस	"	9414447965	30-50 एच
16.	श्री अमराराम सुथार पूनासा	"	9783732925	30-50 एच
17.	कानाराम माली निवासी घानसा	जसवन्तापुरा	9460169815	
18.	उमराव खाँ निवासी घानसा	"	9414398310	
19.	रेखाराम/लीलाराम कलबी निवासी पसेरी	"	9587221258	
20.	मफाराम/जेठाजी माली निवासी पूरण	"	9610198441	
21.	गोपाल/रोमाजी चौधरी निवासी कारलू	"	9462879111	
22.	बाबूदास/छगनदास संत निवासी खानपूर	"	9928793091	
23.	मुकेश/हिमताजी लुहार निवासी खानपूर	"	9460833141	

24.	नरपत/महादेवा पुरोहित निवासी भारदडा	"	9828815831	
25.	भोलाराम कलबी निवासी झाक	"	9461452733	
26.	राणसिंह/भेरसिंह निवासी जसवंतपुरा	"	9649019530	
27.	शान्तिलाल/भूराजी सुथार निवासी थूर	"	9983716752	
28.	अनाराम/पीराजी सुथार निवासी थूर	"	9982779309	
29.	चन्दूलाल/जेठाजी सुथार निवासी सिकवाडा	"	9414842386	
30.	रावलाराम/जगमालजी भील निवासी तातोल	"	8875750445	
31.	जवेहरमल/गणेशाजी पुरोहित निवासी मुडतरासीली	"	9828136914	
32.	ईशवरसिंह निवासी सिणधरा	"		
33.	छमनलाल/सावलाजी निवासी बूगाव	"		
34.	रमेश रावल निवासी रामसीन	"	9414448288	
35.	प्रेमभारती महन्त निवासी गजीपुरा	"	9610011008	
36.	मंगला महाराज निवासी दांतलावास	"	9828328112	
37.	महेन्द्रपालसिंह चकला निवासी चकला	"	9001883192	
38.	मोडाराम/विरमाराम लुहार निवासी राजीकावास	"	9001637117	
39.	लालाराम/मानाजी कलबी निवासी मनोहरजी का बास	"	9610195291	
40.	सरदारसिंह/रामसिंह राजभूत निवासी पावली	"	9587848268	
41.	मंगलसिंह राजपुत निवासी गोलाणा	"	9001696071	30-50 एच.पी.
42.	श्री बालाजी तिरुपति टेन्ट हाउस	सांचौर	9414994422	30-50 एच.पी.
43.	नवीन टेन्ट हाउस	"	9414425406	30-50 एच.पी.
44.	रामदेव टेन्ट हाउस	"	9414447965	30-50 एच.पी.
45.	जय चामुण्डा मोटर्स,सांचौर	"	9460458283	30-50 एच.पी.

परिशिष्ट - 11

जिले में सहायता विभाग से प्राप्त खोज एवं बचाव प्रयोजनार्थ "सर्व एवं रेस्क्यू उपकरण "

क्र. सं.	जिला मुख्यालय/तहसील	सामग्री का नाम एवं उपलब्धता का विवरण							
		लाईफ जैकेट	रबर ट्यूब	फेस मास्क	सैफेटी हेलमेट	एल्युमिनियम लेडर	स्टेचर	टार्च	योग
1	तहसील,जालोर	3	1	1	1	1	1	—	08
2	" सायला	4	3	2	2	0	1	—	12
3	" आहोर	4	3	2	2	0	1	—	12
4	" भीनमाल	3	1	1	1	1	1	1	09
5	" जसवंतपुरा	3	1	1	1	0	2	—	08
6	" सांचौर	3	3	0	3	0	0	0	9
7	चितलवाना	4	3	2	3	1	2	0	15
8	" भाद्राजून	—	—	—	—	—	—	—	—
9	रानीवाडा	—	—	—	—	—	—	—	—
10	बागौडा	—	—	—	—	—	—	—	—

	योग	24	15	9	13	3	8	1	73
--	-----	----	----	---	----	---	---	---	----

जिले में सहायता विभाग से प्राप्त पुलिस विभाग के पास उपलब्ध
इमरजेन्सी लाईटिंग सिस्टम उपकरण

क्र.सं.	उपकरण का नाम	मात्रा
1	Portable inflatable emergency lighting system	01 No.
2	Storage Box	01 No.
3	Rain protection cover	01 No.
4	Wind Support	01 No.
5	Tool Kit	01 No.
6	Lamp with requisite control gear	01 No.
7	Blower	01 No.
8	Trolley	01 No.

जिले में सहायता विभाग के बजट से नागरिक सुरक्षा विभाग के
लिए कय किये गये "सर्व एवं रेस्क्यू उपकरण "

क्र.सं.	उपकरण/आपदा सामग्री का नाम	चार्ज पर (कुल मात्रा)
1	Life Jacket	8+14=22
2	Lifebuoy Tube	6+10=16
3	Bob Rope 12Mm (60mtr.each)	3
4	Bob Rope 14Mm (60mtr.each)	1
5	Bob Rope 12Mm (60mtr.each)	5 (300 मीटर)
6	Nylon Rope	4 पेकेट (200) मीटर
7	Repeling Rope 8mm X 200	4
8	Climbing Rope 100mm X 100	1
9	Steel Toe Gum Boot	12+20=32 Pairs
10	Safety Helmet	12+20=32
11	Full body Harness	2
12	Folding Stretcher	2+6=8
13	Spine Board Stretcher	2
14	Blanket Red	6
15	Carabiner	2 जोड़ी
16	Hand Gloves	4
17	Face Mask	2
18	Hand Tool Set	1
19	Dragon Light	2+4=6
20	Megha Phone	2+4=6
21	Bollero Camper	1
22	DVD Player Sony	1
23	Digital Camera Cannon	1
24	Video Camera Sony	1
25	Tape Measuring	2

26	Black Board 600 X 900mm	1
27	White Board 900X1200mm	1
28	Ear plug	10 Nos
29	Safety Goggles	10+10=20 Nos
30	Safety Goggles	10
31	Pullies Single sheave	2 Nos
32	Pullies Double sheave	2 Nos
33	Pullies Triple sheave	2 Nos
34	Knee Pads	10 Pairs
35	Flourescent Jacket Water Proof	10 Nos
36	Scene Tape	1000 Mtrs
37	Safety Torch	2
38	Hydraulic Jack 5 Ton	2
39	Electric Drill Machine Bosch With Set Of Bits	2
40	Medical First Response Kit	1
41	Tarpaulin 8x6 mtr= 48mtr	2
42	PA Eqpt (class) BOSCH Set	1
43	PA Eqpt (open air) BOSCH Set	1
44	Colour TV 29" TFT Panasonic	1
45	Breathing Appartus Set	1
46	Fire Extinguishers Various Type 4KG	3
47	Fire Extinguishers Various Type 6KG	3
48	GAS Mask	5
49	Fire Extinguishers Various Type 9KG	4
50	Pocket Mask (CPR)	2
51	Body Bag	1
52	Smoke Blower/exhauster	1
53	Fire Suit	1
54	Bilai (Bala)	1
55	Rope (सफेद रस्सा)	1
56	Rope (जूट का रस्सा) बड़ा	1
57	Rope (जूट का रस्सा) छोटा	1
58	ANCHOR	1
59	AXE HATCH	1
60	BLANKET	9
61	CAMPING TENT	1
62	CAT HOOK	1
63	CHAIN SAW	1
64	COMPASS AND MAP	1

65	DCP FIRE EXTINGUISHER	3
66	EMERGENCY SPOT LIGHT	1
67	FIRST AID KIT	3
68	GALVANISED BUCKET	3
69	GOGGLE	8
70	GPS E-TREK 10 GARMIN	1
71	GUM BOOT	10
72	INFLATABLE RESCUE BOAT	1
73	LIFE BOUYS	6
74	NAVIGATION LIGHT RED	1
75	BOB ROPE	1
76	ORS AND OARLOCK	2
77	OUT BOARD MOTOR	1
78	PADDLE	2
79	PARK PICKET FENCING	1
80	PERSONAL FLOATING DEVICE	7
81	SAFETY GLOVES	10
82	SAFETY HELMET	8
83	SOLAR RECHARGABLE TORCH	7
84	THROW BAG	1
85	TOOL KIT	1
86	WALKIE TALKIE	2
87	STRETCHER	2
88	Fire Tender	
89	फस्टेड बॉक्स (Medical First Response Kit)	1
90	टूल बॉक्स (कुल 8 रींग, 8 फीक्स, 1 पेस कस, 1 पक्कड , 1 रेतीपाना, 1 हाथौडी, 1 विलपाना.)	1
91	कम्बल (Blanket Red)	1
92	गम बूट (Gum Boot)	1 जोडी
93	सेफटी हेल्मेट (Safety Helmet)	1
94	गेती (geti)	1
95	फावडा (shovel)	1
96	बडी कुल्हाडी (Axe)	1
97	बडा हाथौडा (big hammer)	1
98	मैन्यूल जैक (Jack Device)	1
99	मैन्यूल जैक राड (Jack Device)	2
100	दस्ताना जोडी (Hand Gloves)	1 जोडी
101	फायर एक्स (Fire Axe)	1
102	डोर बैकर्स (Door Backers)	1

103	एफएम (फॉम ड्रम के लिये) ट्यूब	1
104	नोजल (1 London pattern Hand Control Nozzle , 1 Triple purpose Nozzle, 1 Revolving Nozzle)	3
105	सेक्सन कि (Section Key)	2
106	सम्बल (Crobar)	1
107	डीलवरी होज (60 एमएम 6 पाईप)	6
108	सेक्सन होज (100 एमएम 4 पाईप गाडी के ऊपर)	4
109	सीडी (Aluminum Extension Ladder 25 Fit)	1
110	सिलींग हुक (ceiling huk)	1
111	फॉम केन	6

परिशिष्ट –12

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड ,जिला,जालोर के स्थापित केन्द्र एवं उनके पास उपलब्ध सामग्री प्रति केन्द्र पर एकरूपता अनुसार का विवरण

क्र सं.	सामग्री का नाम	मात्रा
1	हेण्डटूल सैट	01
2	लाईफ जैकेट	04
3	एल्यूमिनियम सीडी	02
4	मेगा फोन	02
5	टार्च लाइट	10
6	फेस मास्क	10
7	फावडा	10
8	गेंती	10
9	सोईल फावडा	10
10	कुल्हाडी	10
11	स्ट्रेचर	04
12	कम्बल	10
13	बाल्टी लोहे की	10
14	रिपलींग रोप के रस्से	8 नग
15	कलिबिंग रोप के रस्से	8 नग
16	टेण्ट केनवास	01
17	प्राथमिक सहायता पेटी	01
18	सैफ्टी हेलमेट	10
19	लोहे के बड़े बक्से	02
20	रबड ट्यूब	10
21	चैन पुली सिंगल व चैन पुली डबल	02 व 02
22	गम बुट	05
23	हेण्ड ग्लाउज रबर के	05
24	इमरजेन्सी लाइट	06
25	हेवी चैन 3 मीटर व ताला	01

गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के पास उपलब्ध बाढ़ राहत सामग्री का विवरण

क्र.सं.	नाम सामग्री	तादाद
1	सेफ्टी हेलमेट	06 नग (हेलमेट 140 नग)
2	डेगन लाईट	01

जवाई नदी से प्रभावित होने वाले ग्राम -

क्र. सं.	ग्राम का नाम	नदी का नाम	क्र.सं.	ग्राम का नाम	नदी का नाम
तहसील जालोर					
1.	लेटा	जवाई नदी	6	सीरवी	जवाई नदी
2.	महेशपुरा	"	7.	माण्डवला	"
3.	सांमतीपुरा	"	8	ऐलाना	"
4.	पहाड़पुरा	"	9	उम्मेदाबाद	"
5.	साफाडा	"			
तहसील सायला					
1	खरल	जवाई नदी	7	रेवल	"
2	ओठवाला	"	8	वामन	"
3	तुरा	"	9	धुमाडिया	"
4	सायला	जवाई नदी	10	पान्ता	"
5	आसाना	"	11	मोरसीया	"
6	बोरवाडा	"	12	नात्तीवाल	"
तहसील आहोर					
1.	रसीयावास	जवाई नदी	7.	दयालपुरा	जवाई नदी
2.	पावटा	"	8.	चरली	"
3.	सेदरिया बालोतान	"	9.	आहोर	"
4.	पंचानवा	"	10.	सांकरना	"
5.	अगवरी	जवाई नदी	11	गुडा बालोतान	"
6.	गंगावा	"			
तहसील सांचोर					
1	वागल	जवाई नदी	6	जूनीबाली	जवाई नदी
2	इवादा	"	7	गलीफा	"
3	हेमागुडा	"	8	टाम्नी	"
4	गोसागा	"	9	आगरी	"
5	धितलावा	"			

जवाई बांध/नहर खण्ड के अधीन आने वाले बांध का विवरण -

क्र. सं.	परियोजना का नाम	तहसील	कुल भराव क्षमता mcf.	प्रभावित होने वाले ग्रामों के नाम
1	बांकली बांध	आहोर	1220.000	बांकली, रेवडा कला, तोड़मी, घाणा
2	चवरवा बांध-1	"	280.000	धायला
3	नौसरा नहर	"	290.630	वेडिया, कोटडा
4	खेडा सुमेरगढ़ बांध	जालोर	45.920	पेलदरी, नून, खेडा सुमेरगढ़, नरपडा
5	सरदारगढ़ बांध	"	115.440	सरदारगढ़

क्र. सं.	परियोजना का नाम	तहसील	कुल भरपव लागत mcf.	प्रभावित होने वाले ग्रामों के नाम
6	कलापुरा बांध	..	120.000	बाकस, डकातरा
7	बालसमन्द बांध	भीनमाल	101.880	भीनमाल ग्रामीण क्षेत्र
8	विठन बांध	..	225.620	रामसीन, मालपुरा, सिकवाडा
9	बाण्डी सणधरा बांध	..	1013.00	
10	जेतपुरा बांध	रानीवाडा	88.430	जेतपुरा, धामसीन
11	वणधर बांध	..	119.081	तामलावास, बीरवाडा
12	वितलवाना क्रास बांध	सांघोर	432.130	रामपुरा, रतोडा
13	केसूरी क्रास बांध-I	..	133.568	मलदरा, वरणवा, बालेस
14	डूठवा क्रास बांध	..	120.141	डूठवा, पादरडी
15	डूठवा क्रास बांध-II	..	80.212	डूठवा, टाम्बी
16	सूथडी क्रास बांध-I	वितलवाना	163.957	सूथडी, फोगडवा
17	मीठा की खाल क्रास बांध	..	106.713	कूकडिया, रिडका
18	केरिया क्रास बांध-I	..	288.050	रामपुरा, सुटाकोई
19	रामपुरा क्रास बांध	..	107.910	रामपुरा, शिवपुरा
20	सांकरिया क्रास बांध	..	77.738	सांकरिया
21	हैनागुडा क्रास बांध-I	..	93.992	हैनागुडा, सउ डाउकियों की झणी, मूलावास, रणेदर
22	पन्थुरिया क्रास बांध	..	137.102	केसूरी, गलियों की झणी
23	बालेस क्रास बांध	..	44.522	बालेस, धींगपुरा
24	गलिफा क्रास बांध	..	74.911	गलिफा
25	फोगडवा क्रास बांध	..	72.438	सांकरिया, फोगडवा
26	भादरुण क्रास बांध	..	97.170	जानवी, मैडा, मरठवा
27	कूकडिया क्रास बांध	..	88.339	कूकडिया
28	रतनपुरा क्रास बांध	..	74.911	रतनपुरा, रतोडा
29	वमल क्रास बांध	..	59.399	वमल, झाब, इटावा
30	झाब क्रास बांध	..	81.272	धरणवास, बीरली, झाब
31	होतीगांव क्रास बांध-I	..	69.964	रतोडा
32	टापी क्रास बांध	..	143.462	टापी, पावटा

परिशिष्ट -16

अवरुद्ध होने वाले मार्गों का डाइवर्जन की स्थिति :-

अवरुद्ध होने वाले मार्गों का डाइवर्जन की स्थिति :-

क्र. सं.	सम्भावित अवरुद्ध होने वाले मार्ग	वैकल्पिक मार्ग (डाइवर्जन)
1	आहोर-जालोर(साकरणा लेटा के बीच)	आहोर-सिरोही-सियाणा-जालोर
2	जालोर-भीनमाल-रानीवाडा (किमी 82 कोडी नदी/किमी 98 कोटडा नदी पर)	भीनमाल-जसवन्तपुरा-मालवाडा-रानीवाडा
3	सांचौर-रानीवाडा-मंडार(जेतपुरा नदी)	भीनमाल-जसवन्तपुरा-मंडार
4	टाप्पी दुठवा लूणी नदी	होतीगांव मरठवा

कन्वेक्टर एवं लोडर मशीनरी का विवरण :-

1. जे.सी.बी./केन वाहनों की सूची जालोर क्षेत्र

S. No	Registration No.	Owner Name	Current Address	Model Name	Mobile No.
1	RJ16EA0631	MR JIVA RAM	REBARIYO KA VAS MADALPURA JALOR, BHAGLI, SINDHLAN, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343001	JCB 3DX	6375657702
2	RJ16EA0936	PARAS KANWAR	1125, RAJPUTO KA WAS SANTHOO, JALORE, DISTRICT: JODHPUR, STATE: RJ, PIN CODE: 343025	3DX	6375741550
3	RJ16EA0927	RAMLAL	HADECHA HADECHA JALOR, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343027	3DX	6376617770
4	RJ46EA0290	KAMLESH KUMAR	HARIJAN BASTI JALORE TH JALORE, DIST. , DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343001	JCB 3DX	6376923922
5	RJ16EA0745	BHOLA RAM	SANGANA SANGANA JALOR, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343022	NEW 3DX	6378285006
6	RJ16EA0840	M/S M.D.EENT AND BHATTA UDHYOG	01, KACCHA SAMTIPURA ROAD BADANWADI, TEHSIL AHORE JALORE, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 307029	3DX PLUS-2WD	6378369877
7	RJ46EA0289	ISHWAR SINGH	RAJPUTO KA WAS SIWNA TEH JALOR DIST, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343024	JCB 3DX	6380604044
8	RJ36EA0851	RAJENDRA SINGH	PACHANAWA TEH AHORE DIST, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 307030	424B2 BACKHOE LOADER	6989687987
9	RJ46EA1108	DHIMA RAM	CHAIN NAGAR SESAWA DUTHWA, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343041	JCB 3DX	7014324789
10	RN20957	DILIP SINGH	PLOT-13, 144, GANGA BIHAR COLONY JALORE TH JALORE, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343001	ASHOK LEYLAND CRANE	7014379669
11	RJ16EA0404	RAJU CHOUDHARY	C-12 SANHILL GRANITE, SHIVAJI NAGAR JALORE, DIST. JALORE JALORE, DISTRICT: , STATE: RJ, PIN CODE: 999999	ASHOK LAYLAND CRENE	7014380016
12	RJ16EA0905	KASTURARAM MALI	TILORA, PO: TILODA JALOR, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343032	3DX PLUS-2WD	7019517153
13	RJ16EA0767	MR TEJA RAM CHOUDHARY	0 MODRAN KI DHANI BHINMAL, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343028	SHINRAI PRIME	7023735035
14	RJ16EA0548	SUJA RAM	468 BERE DHANDHALAI ALASAN, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343001	JCB 3DX	7023973737
15	RJ16EA0641	SMT MORI DEVI	RAMA KI DHANI NAYA RAMA TEH AHORE DIST, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 307029	JCB 3DX	7040700016
16	RJ24E0542	HARISH KUMAR	SUBHASH NAGAR BEHIND GODIJI TEMPLE JALORE TH JALORE, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343001	ASHOK LEYLAND CRANE	7062504400
17	RJ16EA0738	M/S HARSHITA ENTERPRISES	84, NAIYO KA VAS BHORDA, TEHSIL AHORE JALORE, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 307029	NEW 3DX	7073734123
18	RJ16EA0561	HIMTA RAM	OTAVALA ROAD REWTARA TEH SAYALA, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343001	JCB 3DX	7229833319
19	RJ16EA0890	SIDHARAJ SINGH JODHA	RAJPUTO KA VAS RAMA JALOR, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 307029	3DX PLUS-2WD	7230000238
20	RJ16EA0771	M/S RAMDEV CONSTRUCTION	NEAR FCI GODAWM JALORE, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343001	3DX PLUS-2WD	7300170556

21	RJ16EA0935	ARIJUN RAM	SOBRAWAS, KORIDHAWECHA, BAGORA, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343032	3DX	7339730773
22	RJ16EA0668	ABDUL KHAN	REBARIYO KA VAS RAMA RAMA, TH AHORE JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	NEW 3DX	7339963363
23	RJ16EA0763	TAGA RAM CHOUDHARY	KUMHARO KA BAS, JOGNI KHERA, KAMBA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	3DX PLUS-2WD	7412065531
24	RJ16EA0768	DEVA RAM	MEENO KA VAS GODAN, JALOR GODAN ,DISTRICT: JODHPUR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	3DX	7412065531
25	RJ16EA0769	IBARA KHAN	JEEVANA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	3DX PLUS-2WD	7412065531
26	RJ16EA0770	PRAKASH KUMAR	BERA LAKHOTYA ALASAN JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS-2WD	7412065531
27	RJ16EA0772	M/S RAMDEV CONSTRUCTION COMPANY	139, VAVARIYO KA BAAS MALGARH, AHORE JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	3DX	7412065531
28	RJ16EA0776	MUKENDRA SINGH	102, RANIWARA KHURD RANIWARA KHURD JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343040	3DX PLUS-2WD	7412065531
29	RJ16EA0782	GEERA RAM	JALAMPURA JEEWANA JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	3DX PLUS-2WD	7412065531
30	RJ16EA0783	PARBAT SINGH	KOMTA JALOR KOMTA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343030	3DX PLUS-4WD	7412065531
31	RJ16EB0636	M/S KARAN SINGH SODHA	WALERA ROAD SAYLA PLOT NO.4, VILLAGE POST SAYLA SAYLA, JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	3DX PLUS-2WD	7412065531
32	RJ16EA0788	HUKAM SINGH	SCHOOL KE PAS GURAINDRAPURA RODLA, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307030	3DX PLUS-2WD	7412065531
33	RJ16EA0818	M/S PARIHAR CONSTRUCTION COMPANY	PARIHAR CONSTRUCTION COMPANY RAJENDRA NAGAR JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS-2WD	7412065531
34	RJ16EA0822	M/S HITESH KUMAR MOHAN LAL	INDRA PURI COLONY BAGODA ROAD JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS-2WD	7412065531
35	RJ16EA0828	SITA RAM	BALDIYO KI DHANI CHOORA, JALOR CHURA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343025	3DX PLUS-2WD	7412065531
36	RJ16EA0831	MOHAN LAL	CHOUDHRIYA KA WAS BHAVARANI TEHSIL AHORE BHAVRANI, BHAWRANI, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343042	3DX	7412065531
37	RJ16EA0836	IBARA KHAN	JEEVANA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	3DX	7412065531
38	RJ16EA0837	BALU SINGH	BHIL GOLIYA RAMSEEN JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307803	3DX PLUS-2WD	7412065531
39	RJ16EA0838	M/S SHREE KARNI MA CONSTRUCTION	KALETI, BAGODA JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343030	3DX PLUS-2WD	7412065531
40	RJ16EA0839	VAGA RAM	BADALI VALI SERI MANDWALA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343042	3DX	7412065531
41	RJ16EA0841	VUAY SINGH	BHUNDAWA BHUNDWA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	3DX	7412065531
42	RJ16EA0842	PRAKASH CHANDRA BISHNOI	DADUSAN, BAWARLA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343041	3DX	7412065531

43	RJ16EA0846	OM PRAKASH	BERA MUNIYAVALA RANCHOD NAGAR JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS-2WD	7412065531
44	RJ16EA0847	M/S BHAGESHWARI ENTERPRISES	O, BHAGAT SINGH STADIUM KE PASS RAWAN CHOK JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX XTRA -2WD	7412065531
45	RJ16EA0849	PRATAP PANWAR	KOLAR, KOLAR KOLAR, JALOR SAFADA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS-2WD	7412065531
46	RJ16EA0850	IBRAHIM KHAN	190, J.A.D. COLONY WARD NO 13 JALORE, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS-2WD	7412065531
47	RJ16EA0854	CHATRA RAM	RAMDEV COLONY RAITHAL, JALOR RAITHAL ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343042	3DX PLUS-2WD	7412065531
48	RJ16EA0855	SAFI MOHAMMED	MU. POST AKOLI, VAYA-BAGRA DIST JALORE, AKOLI JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343025	3DX	7412065531
49	RJ16EA0856	KARAN SINGH	BHATI RAJPUTO KA VAS BABATARA, BABTARA, BABTRA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	3DX PLUS-2WD	7412065531
50	RJ16EA0857	MANOHAR LAL	106 GARUON KA VAS DETA KALAN DETAKALAN JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	3DX PLUS-2WD	7412065531
51	RJ16EA0858	KEVADA RAM	KHETALAVAS KHETLAWAS JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343032	3DX PLUS-2WD	7412065531
52	RJ16EA0859	CHHAIL SINGH	RAJPUTO KA WAS REWATRA, REWATRA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS-2WD	7412065531
53	RJ16EA0860	RAMESH KUMAR	KUMHARO KA VAS, BALWARA BALWRA, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343042	3DX PLUS-2WD	7412065531
54	RJ16EA0879	RAMESH KUMAR	BORAWALA BERA KE PAS SIYANA TAHSIL JALORE, SIYANA, SIANA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343024	3DX	7412065531
55	RJ16EA0880	RANJEET SINGH	KAMBA ROAD AHOR, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	3DX	7412065531
56	RJ16EA0881	JAGADISH BHARTI	1027, PRAJAPATO KA WAS, BHAVARANI TAHSIL AHORE, BHAWRANI JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343042	3DX	7412065531
57	RJ16EA0882	KARPAL SINGH	60, RAJAPUTON KA VAS DHAWALA, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX	7412065531
58	RJ16EA0884	M/S DINESH KUMAR MUKANA RAM MALI	JALORE, SIRE MANDIR ROAD ALORE, JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS-2WD	7412065531
59	RJ16EA0910	SATAR KHAN	594, TIKAVADI, MU. POST-AKOLI VAYA-BAGRA, DIST JALORE AKOLI, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343025	3DX	7568687117
60	RJ22EA1258	KESA RAM	BERA JOD KUMHARO WALA CHURA TH JALORE, DIST. ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	JCB 3DX	7597101302
61	RJ16EA0599	GANPAT LAL	RAJENDRA NAGAR JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	ESCORTS-DIGMAX II	7611007524
62	RJ16EA0759	GAURAV SINGH CHAMPAWAT	RAJPUTO KA VAS, SANDAN TEH AHORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	SFC 407/2750 MM BSH	7611801981
63	RJ16EA0764	BHAVESH DEWASI	SWAMIYO KA WAS KAMBA TEH. AHORE, DISTRICT ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	DOST RLE (BSIV)	7611801981

64	RJ16EA0734	GAURAV SINGH CHAMPAWAT	RAJPUTO KA WAS, SANDAN POST BAORI TEH. AHORE, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 307029	BADA DOST I4TND0 CC	7611801981
65	RJ16EA0902	SHREE VINAYAK ENTERPRISES	PROP: GOVIND KUMAR, SHOP NO 01 EXCEL INDUSTRIES KE PASS NH 68, KAJA KA GOLIYA, SANCHORE, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343041	F250	7665588881
66	RJ16EA0942	PEERA RAM	BHAMBHU, BHOMBHUO KI DHANI DABLI, SAYLA, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343022	15XW	7665588881
67	RJ16EA0851	PEMA RAM	GODARO KI DHANI DABLI, SIRANA, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343042	15XW	7665588881
68	RJ16EA0761	PAL BALAJI SEND STONE MARBLE	PROP: GANGASINGH RAGHUNATH SINGH RAJPUROHIT, AHORE ROAD, BHADRAJUN TEHSIL AHORE, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 307029	14XW	7727085779
69	RJ16EA0665	KEWAL RAM	AAKHRIYA CHOK KORANA, JALOR SUGALIA, JODHA, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 307029	3DX PLUS- 2WD	7738220136
70	RJ16EA0925	AIDANA RAM	SANGANA, SANGANA, JALOR, SANGANA, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343022	3DX XTRA - 2WD	7742391426
71	RJ16EA0755	SURENDRA SINGH	PADARLI, JALOR, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 307030	NEW 3DX	7742509511
72	RJ16EA0779	VAGA RAM	BADLI WALI SERI MANDWALA, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343042	3DX PLUS- 2WD	7742621556
73	RJ16EA0945	VINOD KUMAR	PADARLI, TEHSIL AHORE, PADARLI, JALOR, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 307030	3DX PLUS - 2WD	7742861574
74	RJ16EA0644	MR SURENDRA SINGH	PADARLI JALOR, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 307030	JCB 3DX	7849915012
75	RJ16EA0920	BHUPENDRA SINGH	BERA BOTAL, UMMEDABAD UMMEDABAD, JALOR UMMEDABAD, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343021	3DX PLUS- 2WD	7877707448
76	RJ16EA0933	HUNAR SINGH	B2, RAJPUT V VAGARIYON KA VAS, MANDLA, JALORE, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 307030	3DX PLUS- 2WD	7877820099
77	RJ16EA0901	DIL KANWAR	BADANWARI, BADANWARI BADANWARI, JALOR, BADANWARI, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 306901	3DX	7892385188
78	RJ16EA0914	DASHARATH BHARATI	MADAPAROKA VAS RAJPURIYA SIANA, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343024	SHINRAI PRO	7976161480
79	RJ16EA0587	MR VIRAMA RAM	NAI AABADI SAYLA JALOR, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343022	JCB 3DX	7976864928
80	RJ16EA0939	SHRIPAL SINGH	UPARALA MEDA, SANTHOO, PO: SANTHU, JALOR, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343025	3DX PLUS - 2WD	7976983730
81	RJ16EA0832	PIRA RAM	1954 VERA KANTA DHORA DHANI UMMEDABAD, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343021	EARTHMAST ER SX IV	8000612408
82	RJ16EA0746	SAVA RAM	KHARI, DHAKO KI DHANI SAYLA JALOR, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343022	3DX PLUS- 2WD	8003026181
83	RJ16EA0907	SAVA RAM	KHARI, DHAKO KI DHANI SAYLA, JALOR, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343022	3DX PLUS- 2WD	8003026181
84	RJ16EA0819	M/S MAHAVEER CONSTRUCTION COMPANY	PRATAP HOUSE, BHUNDWA SAYALA JALORE, DISTRICT: JALOR, STATE: RJ, PIN CODE: 343022	3DX PLUS- 2WD	8003076933

85	RJ16EA0617	M/S VIKAS CONSTRUCTION	AAM RASTA BHORDA, TEHSIL : AHORE JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	JCB 3DX XTRA	8003207353
86	RJ16EA0647	M/S VIKAS CONSTRUCTION	AAM RASTA BHORDA TEHSIL AHORE, JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	NEW 3DX	8003207353
87	RJ16EA0567	BHERU SINGH	RAMDEV COLONY BISHANGARH TEH JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343042	CASE 770 EX-55	8003913962
88	RJ46EA0368	SANJAY KHAN	KOTDI KI SERI, SIWNA TEH JALORE DIST ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343024	NEW 3DX	8005801479
89	RJ16EA0943	SADDAM KHAN	SAIYO KI DHANI, JALOR, PO: JALORE ,DISTRICT: JODHPUR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS - 2WD	8005847171
90	RJ16EA0911	BHOMARAM CHOUDHARY	HANAWANTGARH DEVAKI JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	EARTHMAST ER SX IV	8078646830
91	RJ16EA0947	PRAVEEN SINGH	BAWATRA, BAWATRA BAPTARA, BAPTARA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	3DX PLUS - 2WD	8094636561
92	RJ16EA0886	JITENDRA KUMAR PRAJAPAT	AAKHARIYA, OTWALA OTHWALA, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343021	3DX XTRA - 2WD	8094724208
93	RJ16EA0649	M/S SHRI SANTINATHJI CONSTRUCTION	PROP :-MR. ARVIND SINGH RATHORE 302, KOTADI,302, KOTADI POSANA, JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	3DX PLUS- 2WD	8094842323
94	RJ16EA0830	SURESH	125, JALAMPURA JALORE TH SAYALA. DIST. ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	BOLERO PIK-UP SC 119MDI 4WD	8107106465
95	RJ16EA1390	MAHENDAR SINGH	DETA KHURD JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343032	3DX PLUS- 2WD	8107121060
96	RJ16EA0741	ARVIND	BARWAN JALOR, GHANA JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	NEW 3DX	8107409561
97	RJ16EA0610	M/S SHIV SHAKTI MINERALS	0, BISHAN GARH JALORE JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	JCB 3DX	8233278866
98	RJ14EA1110	CHHAIL SINGH	6, RAJPUTO KA WAS BISHANGARH TEH. JALORE, DISTRICT, DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343042	1616	8239333769
99	RJ16EA0592	MITHALAL MEVAVAL	VPO-BEDANA KHURD TEHSIL-AHORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307030	JCB 3DX	8290195458
100	RJ16EA0521	COMMISSIONER NAGAR PARISHAD JALORE	NAGAR PARISHAD JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	TATA ACE FACELIFT HT BS-IV	8290420500
101	RJ16EA0736	SAKA RAM	ELANA, ELANA ELANA, JALOR ELANA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343021	3DX PLUS- 2WD	8290689089
102	RJ16EA0648	DEVA RAM	V/P: DHANPUR TEH DIST ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS- 2WD	8290814525
103	RJ16EA0931	YASHPAL SINGH	RAJPUTO KA VA BHOOTI, JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307030	3DX PLUS- 2WD	8320541490
104	RJ06EA3430	BHARAT KUMAR	PUROHITO KA WAS NAYA UNN TH AHORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	JCB 3DX	8420106077
105	RJ16EA0820	HIRE KHAN	RAIPURIYA JALOR SIANA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343024	3DX	8426810447
106	RJ16EA0588	MADA RAM	BHILO KI DHANI MADALPURA TH JALORE,DIST. ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	JCB 3DX	8529124603
107	RJ16EA0944	ANWAR KHAN	RAMPURA COLONY GODUJI MANDIR KE PICHE JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE:	3DX PLUS - 2WD	8529779723

108	RJ46EA0320	KAMLA DEVI	MEGHWALO KA WAS DHANPUR BHAGLI SIGHLAN JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	JCB 3DX XTRA	8619652411
109	RJ13EA1189	MAYA KANWAR	MAHESPURA SAMTIPURA TH JALORE, DIST. ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	JCB 3DX	8619652411
110	RJ16EA0821	RADHE KRISHNA CONSTRUCTION	OPP SIKAR KHANA FARM HOUSE BERA BORALI SIRE MANDIR ROAD ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	ARGO 3500 NS E4	8619728324
111	RJ16EA0716	VIKRAM SINGH	DANGRA MARG KESHWANA, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS- 2WD	8660199343
112	RJ16EA0778	SAKUR KHAN	SAJANPURA TEJA KI BERI, SAYLA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	3DX PLUS- 2WD	8696579614
113	RJ16EA1011	MR GANGA SINGH	RANIVADA KABA MADGAON MARGAON, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343025	JCB 3DX	8769868647
114	RJ16EA0775	M/S MAA ASHAPURA CONSTRUCTION	HOUSE NO. 185, SHRI VACHAN SINGHI RAJPUT KA GHAR, PANCHAYAT GHAR KE SAMNE, AGWARI, JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307030	3DX	8824272767
115	RJ16EA0739	BHAWARLAL PARMAR	GRAM MANPURA MANPURA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307030	3DX PLUS- 2WD	8839369762
116	RJ16EA0915	MAHADEV STONE CUTTING SUPPLIERS	DABLI PROP. PRABHU RAM, 1, GROUND FLOOR, DABLI JALORE OPP. MAHADEV MANDIR, SINDHARI ROAD ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	HYDRA 14	8875021511
117	RJ16EA0785	MAN SINGH	RAJPUTO KA VASS BALA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	3DX	8875295408
118	RJ16EA0744	NARPAT SINGH	RAJPUTO KA VAS TILODA TILODA , JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343032	3DX PLUS- 2WD	8890305570
119	RJ16EA0827	M/S GOUTHAM COAL DEPOT	KHASRA NUMBER 582/632 TARWARA, TARWARA JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307030	3DX PLUS- 2WD	8949645776
120	RJ16EA0894	POONAM CHAND BHAR MALJI	NEAR APEX SCHOOL N.H.15 THARAD ROAD SANCHORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343041	DD90C	8955009279
121	RJ16EA0608	MIR SHANKAR LAL	KUMHARO KA VAS BALWADA TEH DIST ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343042	JCB 3DX	9001263575
122	RJ16EA0622	MR VIKRAM SINGH	2020 VALERA ROAD KE PAS SAYLA SAYLA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	JCB 3DX	9001434883
123	RJ16EA0658	MR AKRAM KHAN	80, STATION ROAD BAGRA BAGRA, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343025	3DX PLUS- 2WD	9001438781
124	RJ16EA0895	SAYTI DEVI	PURHITO KA VAS DONI, TEHSIL-SAYLA REWATRA, REWATRA, JALOR ,DISTRICT: JODHPUR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS- 2WD	9008484804
125	RJ16EA0824	M/S SIDDH BABA CONSTRUCTION COMP.	MANGILAL VAGTAJI PARJAPAT KE DUKAN 01, MAMAJI KI GALI MEENO KA VAS, CHANDRAJ, JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307030	3DX	9057842506
126	RJ04EA2974	SHRVAN KUMAR	SIRANA TEH SAYLA DIST ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	JCB 3DX	9079803623
127	RJ16EA0575	M/S SURAJ MIN CHEM	PART.-CHHOTU SINGH 1ST FLOOR RAJ CORPORATE HOUSE NR SBI INDUSTRIAL AREA BRACH 3RD PHASE RICCO BHINMAL ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307030	JCB 3DX XTRA	9214915897

128	RJ16EA0885	MAYA KANWAR	MAHESHPURA, SAMATI PURA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS-2WD	9351422084
129	RJ16E0682	ARVIND KUMAR	UGMANAVAS BHINMAL BHINMAL ,DISTRICT: JAISALMER ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343029	ASHOK LEYLAND CRANE	9351803568
130	RJ16EA0937	JAGDISH BHARTI	1027, PRAJAPATO KA WAS, BHAVARANI TAHSIL AHORE, BHAVRANI, BHAWRANI, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343042	3DX	9352106036
131	RJ16EA0652	MR MAHIPAL SINGH	KOMTA, KOMTA TEHSIL SAYLA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343030	NEW 3DX	9370125591
132	RJ16EA0757	PUNA RAM MEGHWAL	MEGHWALO KA WAS NILKANTH TH JALORE, DIST. ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	NEW 3DX	9413625321
133	RJ24EA0504	NAYUM KHAN	SHUBHASH NAGAR COLONY VADIYA TTH JALORE, DIST. ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	JCB 3DX	9413658409
134	RJ16EA0766	GAJENDRA SINGH	RAJPUTO KA VASS KESHWANA JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	424 BACKHOE LOADER - 2WD	9413847868
135	RJ16EA0568	DINESH KUMAR	JODA TEHSIL AHORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307030	JCB 3DX	9414205150
136	RJ22EA0047	SHRIRAM GRANITE MAR,PVT LTD	ODHOGIK SHETRA JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	CRANE	9414273799
137	RJ24EA0223	DEVI DAN SINGH	R/O NABI TEH. DIST. JALORE JALORE (RAJ) ,DISTRICT: ,STATE: RJ ,PIN CODE: 999999	CRANE	9414273977
138	RJ16EA0919	M/S JAY HANUMAN CONSTRUCTION	257, KOITHA BERA, 257 KOITHA BERA, JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS-2WD	9414275197
139	RJ16EA0615	M/S DEVI KRIPA ENTERPRISES	GS COMPLEX BHINMAL ROAD SHOP NO 6 BHINMAL ROAD BHAGLI SINDHLA, JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	JCB 3DX	9414361968
140	RJ16EA0630	MRS MUNG KANWAR	BHAGLI SINGHLAN BHAGLI SINDHLAN JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	JCB 3DX	9414361968
141	RJ16EA0780	GOPAL SINGH	BAKRA ROAD, BAKRA ROAD, BAKARA ROAD JALORE, DAKATARA DAKATRA, JALOR, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343025	3DX	9414421212
142	RJ16EA0883	BHOMRAJ SHAMBHURAM MEGHWAL	C/O PEER SINGH MALPURA TEH. AHORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	ASHOKLEYL AND 1616 IL	9414448975
143	RJ16EA0751	HABBAS KHAN	VISHWAKRMA MANDIR GALI, BAGRA, BAGRA, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343025	3DX PLUS-2WD	9414588530
144	RJ16EA0826	HABBAS KHAN	VISHWAKRMA MANDIR GALI BAGRA, BAGRA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343025	3DX PLUS-2WD	9414588530
145	RJ16EA0646	BABU LAL	BHIL VAS AGAWARI TH AHORE, DIST. ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307030	NEW 3DX	9414588646
146	RJ16EA0556	BHOMA RAM	RAMDEV MANDIRE KE PASS AHORE TEH. AHORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	ESCORTS-DIGMAX II	9414591382
147	RJ16EA0596	MR JHALAM SINGH	H.NO 12 PUROHITON KI DHANIYAN DADAL TEH: SAYALA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343032	JCB 3DX	9414618854
148	RJ16EA0394	HEERA RAM	UGAMNA VAS BAGRA TH-JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	AS1611 (CRANE)	9414834887

149	RJ16EA0612	MR HARI SINGH RAJPUT	RAJPUTON KA WAS RAIPURIYA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343024	JCB 3DX	9414895009
150	RJ16EA0904	PELA RAM SUTHAR	RAMDEV MANDIR KE PASS DOODSI, DOODSI, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343025	3DX	9414895103
151	RJ16EA0661	KHANGARA	BHANVRANI TEHSIL AHORE JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343042	3DX PLUS-2WD	9460016402
152	RJ16EA0773	KHANGARA	BHANVRANI JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343042	3DX	9460016402
153	RJ19EA1212	HEMA	NEAR GODJI MANDIR KE PAAS JALORE TEH DIST ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	ASHOK LAYLAND CRENE	9461134352
154	RJ16EA0560	MOHBAT SINGH	VPO-ASANA TEHSIL-SAYALA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	JCB 3DX	9461363851
155	RJ16EA0938	IQBAL HUSSAIN	NAYAPURA REBARIYO KA WAS, UMMEDABAD, UMMEDABAD, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343021	3DX PLUS-4WD	9461509786
156	RJ16EA0922	HANSARAM	MAMA KHEJADA TASKHANA BAWADI, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS-2WD	9461546685
157	RJ16EA0514	FIROJ KHAN	109 REBARIYO KA WAS BAKRA TEH JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343025	JCB 3DX	9462881031
158	RJ16EA0731	M/S DEGRAY GRANITE	KHASRA NO 600,601,602 PLOT NO. 11 VILL DHANPUR BHAGLI SINDHLAN, JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS-2WD	9468562519
159	RJ16EA0948	BHAGWAT SINGH	NAGNI DOODSI JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343025	3DX PLUS -2WD	9511558522
160	RJ16EA0762	DINE KHAN	KOTAWALO KA WASS UNRI, UNRI JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343023	3DX PLUS-2WD	9521191868
161	RJ22EA1814	OMBA RAM	BHILO KA DHUNA MADALPURA TEH JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS-2WD	9521353396
162	RJ16EA0529	DEEP SINGH	116 , HOMIYO KA WAS POSANA TEH SAYALA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	JCB 3DX	9549045351
163	RJ16EA0619	MR GANI KHAN	DEWADA ROAD RAIPURIYA TEHSIL : JALORE, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343024	JCB 3DX	9549181143
164	RJ16EA0553	KARMI RAM CHOUDHARY	DEODA KA GOLIYA MORSEEM ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343032	JCB 3DX	9549539962
165	RJ16EA0545	JORA RAM	RABARIYON KA VAS THALWAR THALWAD JALOR SAYLA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343023	JCB 3DX	9571439955
166	RJ16EA0801	PUSHPA DEVI	PUROHITO KA WAS MARGAON JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343025	3DX PLUS-2WD	9571864055
167	RJ16EA0844	SAHU BROTHERS CONSTRUCTION COM	BY PASS ROAD RANIWARA JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	EARTHMASTER SX IV	9571868686
168	RJ16EA0717	MR AHAMDE KHAN	KHEJADALA KI DHANI MADALPURA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	NEW 3DX	9587246898
169	RJ16EA0519	ISMAIL KHAN	175 NATO KE GHAR BISHANGADH TEH JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343042	JCB 3DX	9587839680
170	RJ16EA0829	LEELARAM R	MANDOLI NAGAR, MANDOLI MANDOLI NAGAR, JALOR BHINMAL ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307803	3DX PLUS-2WD	9600017335

171	RJ16EA0530	VIKRAM SINGH	886 , RAJPUTO KA WAS SAYALA TEH SAYALA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	JCB 3DX XTRA	9602494080
172	RJ16EA0573	MR RAMESH KUMAR	KUMHARO KA VAS BALWARA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343042	JCB 3DX	9602587137
173	RJ16EA0760	HOSA RAM	NIBDIYA BERA ELANA, ELANA JALOR, ELANA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343021	3DX PLUS-2WD	9602648185
174	RJ16EA0550	JETUN KHAN	KHEJADALA KI DHANI MADALPURA BHAGLI SINDHLAN TH JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	JCB 3DX	9602831611
175	RJ21EA1947	MUKESH SUNDESHA	INDRA NAGAR CO.OP.HOUSING SOCIETY JALORE TH JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	COMET 1612	9602913372
176	RJ16EA0626	MR HUKAM SINGH	SARTAJI VALA BERA DHANSA, JALOR DHANSA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343023	JCB 3DX	9602932379
177	RJ16EA0522	CHAKRAVARTI P RATHOD	DECHU TEH AHORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	JCB 3DX	9610149169
178	RJ16EA0632	MR JOGA RAM	MUTHO KA DHORA SANGANA SANGANA, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	JCB 3DX XTRA	9610388626
179	RJ16EA0748	GANPAT SINGH	POSHANA POSHANA, POSANA JALOR, POSANA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	3DX PLUS-2WD	9610511422
180	RJ16EA0918	BHERA RAM	THUBO KA GOLLIYA BHADRAJUN TEHSIL AHORE BHADRAJUN BHADRAJUN JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	3DX	9610976743
181	RJ16EA0669	MR BHAVARU KHAN KHOKHAR	STATION ROAD BAGRA, BAGRA, BAGRA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343025	3DX PLUS-2WD	9636785299
182	RJ16EA0629	MRS REKHA KANWAR	VPO REWAT BHAGLI SINDHLAN JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	JCB 3DX	9636935311
183	RJ16EA0732	DALPAT SINGH	NIPARA WAS LEDARMER LEDARMER ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343029	NEW 3DX	9649006837
184	RJ16EA0730	GAJENDRA SINGH	RAJPUTO KA VASS KESHWANA KESHWANA, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS-2WD	9649918673
185	RJ16EA0926	GAJENDRA SINGH	RAJPUTO KA VASS KESHWANA, KESHWANA, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX	9649918673
186	RJ16EA0640	MR BHOLA RAM	SANGANA , SANGANA TEHSIL SAYLA JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	JCB 3DX XTRA	9649966466
187	RJ30EA1679	SANJIV CHODHRI	707, ODHOGIK SHETRA, JALORE TEH/DIST. JALORE JALORE ,DISTRICT: ,STATE: RJ ,PIN CODE: 999999	A.L. COMET 3/3	9652415255
188	RJ16EA0552	AIDANA RAM	NAI ABADI SAYALA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	JCB 3DX	9660841501
189	RJ06EA0403	JABBAR SINGH	R/O NOSARA TEH. AHORE DIST. JALORE JALORE ,DISTRICT: ,STATE: RJ ,PIN CODE: 999999	CRANE	9672535793
190	RJ04EA2927	JUNJA RAM	REBARIYO KA WAS CHAWARCHA TH AHORE, DIST. ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	JCB 3DX	9672677525
191	RJ16EA0897	ASIK	C/O MANA RAM S/O SH. THANA RAM DEWASI GALI, RAIPURIYA, TEHSIL JALORE, RAMPURIYA, RAIPURIA, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343024	3DX	9680543646
192	RJ16EA0899	VIKRAM SINGH	RAJPUTO KA MOHLA DEWARA, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343025	3DX	9680941571

193	RJ16EA0752	MITHARWAL GRANITE	B 197A, RIICO INDUSTRIAL AREA, IIIRD PHASE, JALORE RAJASTHAN ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343002	SCE14	9717594224
194	RJ16EA7608	MAHERUBHAI VALIBHAI SUMARA	04 SUMARA VAS NEAR PRATHMIK SCHOOL CHANDISAR BANASKANTHA, GUJARAT A/P C/O GOURAV SINGH R/O SADAN, DT ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	BADA DOST I4TADDB CC	9725309420
195	RJ16EA0607	POSA RAM	REBARI VAS KAILASH NAGAR TEH SHEOGANJ DIST ,DISTRICT: SIROHI ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307801	JCB 3DX	9772083506
196	RJ16EA0789	YUNUS KHAN	BADI POL KE BAHAR, JALORE TEH-JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	BOLERO PICK UP CBC 2WD BS IV	9772981022
197	RJ16EA0845	MADAN LAL	BHEELO KA VAS RODALA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307030	3DX	9773368490
198	RJ16EA0916	JAWANA RAM	KHETALAVAS KHETLAWAS JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343032	3DX	9783895253
199	RJ16EA0616	MR FULA RAM	THUMBO KA GOLIYA BHADRAJON, BHADRAJUN JALOR, AHORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	JCB 3DX	9784326644
200	RJ16EA0765	FULA RAM	THUMBO KA GOLIYA BHADRAJON, BHADRAJUN JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	3DX PLUS-2WD	9784326644
201	RJ16EA0892	M/S SUJA INFRASTRUCTURE	SUJA INFRASTRUCTURE VILL KOLAR, SOFADA, JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS-2WD	9784446829
202	RJ16EA0891	VIKRAM SINGH	RAIPUTO KA WAS SIWNA, JALOR, SAWNA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343024	3DX	9784626616
203	RJ16EA0912	BHAN SINGH CHOUHAN	BHOMIYO KA WAS, TAHSIL-SAYALA REWATRA, REWATRA, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS-2WD	9784759978
204	RJ16EA0893	MARUDHARA AUTOMOTIVE	C/O ASHOK S MOTORS SHREE RAM COLONY, BISHANGRAH ROAD JALORE, DIST ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	BADA DOST I4TADDB CC	9790071004
205	RJ16EA0929	HADAMAT SINGH	RAIPUTO KA VAS, BADANWARI JALOR, BADANWARI ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	3DX	9799292863
206	RJ22EA1249	SAMIN KHAN	RAIPUR SUKETI PO.GULPADA DIST BHARATPUR A/P MEDA UPARLA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	JCB 3DX	9799720610
207	RJ16EA0571	MADHU SINGH	271, RAIPUTO KA VAS CHORAU TEH SAYALA DIST ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	JCB 3DX XTRA	9799907893
208	RJ16EA0749	PRAVEEN KUMAR	MEGHAVALO KA WAS, DANGARA, DANGARA DANGRA, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343021	3DX PLUS-2WD	9799950904
209	RJ16EA0896	M/S VIDYA INFRABUILT PRIVATE	205, 2ND FLOOR, SATYAM SHIVAM SUNDARAM APARTMENTS HADECHA ROAD, SANCHORE, JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343041	3DX PLUS-2WD	9810002682
210	RJ16EA0654	M/S SHREE RAM MEGA STRUCTURE	C-12 SHIVAJI NAGAR COLONY JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	NEW 3DX	9820151243
211	RJ16EA0853	KAILASH MINERAL	FLAT NO. 901 , BLOCK C EKLAVYA TOWER, DHORA DHAL BHINMAL , JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343029	HINDUSTAN 2021E WHEEL LOADER	9825077622
212	RJ16EA0566	KANA RAM	VAVARIYO KA BASS MALGARH AHORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	JCB 3DX	9828111715

213	RJ16EA0602	MR KANA RAM	VAVARIYO KA VAAS MALGARH JALOR, NORWA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	JCB 3DX XTRA	9828111715
214	RJ16EA0558	ARJUN SINGH	V/P PANTHEDI TEH.SAYALA DIST. ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343023	JCB 3DX	9828189028
215	RJ16EA0659	ARJUN SINGH	RAJPUTO KA VAS PANTHEDI PATHERI, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343023	3DX PLUS-2WD	9828189028
216	RJ16EA0636	MR KARAN SINGH	SODHA KARISHI FARM BABTARA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	JCB 3DX	9828238549
217	RJ16EA0569	NENA RAM	SEENKWARA SIKWARA TEH. BHINMAL ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307803	JCB 3DX XTRA	9828269816
218	RJ16EA0758	MR AARIF KHAN	REBARIYO KA VAS BAKRA BAKRA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343025	SHINRAI PRO	9828452310
219	RJ15EA0079	KAILASH SINGH	HANS NIVAS, ADARSH NAGAR BHINMAL BY PASS ROAD JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	HIPPO LEYLAND CRANE	9828509621
220	RJ16EA0908	MORAKI DEVI	THUMBO KA GOLIYA BHADRAJON, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	3DX	9828614776
221	RJ16EA0921	FULARAM CHOUDHARY	THUMBO KA GOLIYA BHADRAJON, BHADRAJUN, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	3DX	9828614776
222	RJ19EA2424	SOKAT KHAN	175, NATO KE GHAR BISHANAGARH TEH DIST ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343042	3DX 2WD SIDE SHIFT EX. LOADER	9828674070
223	RJ16EA0995	SOKAT KHAN	175, NATO KE GHAR, BISHANAGARH BISHANGARH, JALOR, BISHANGARH ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343042	3DX PLUS - 2WD	9828674070
224	RJ16EA0611	MR VIJAY SINGH	167, RAJPUTO KA VAS THALWAR THALWAR , JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343023	NEW 3DX	9828924924
225	RJ16EA0898	VIJAY SINGH	167, RAJPUTO KA VAS THALWAR, THALWAR JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343023	3DX	9828924924
226	RJ16EA0663	CHAMPA LAL	262 VEJAI WALA BERA LETA JALORE DIST ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	14XW	9828961538
227	RJ16EA0813	IMRAN KHAN	RAMSEEN RAMSEEN JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307803	3DX PLUS-2WD	9828976872
228	RJ16EA0923	MADAN SINGH	72, RAVALA, TURA, TURA, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	3DX	9828992438
229	RJ16EA0577	MR PARASMAL RAJPUROHIT	PUROHITO KA VAS UNN TEHSIL: AHORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	JCB 3DX	9829031115
230	RJ16EA0667	PARASMAL RAJPUROHIT	PUROHITO KA VAS OON, UNN JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS-2WD	9829031115
231	RJ16EA0733	OM INDUSTRIES	001, RATHORE KARSHI FORM HOUSE, PETROL PUMP KE PASS, CHANDRAI, ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307030	RHINO90C	9829140273
232	RJ16EA0742	PUNAMA RAM	CHOUHARIYO KA WAS KESHWANA TH JALORE, DIST. ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS-2WD	9829857954
233	RJ16EA0750	SATYAVARDAN SINGH	H NO 495, SODA FARM, BABATARA BABTARA, TEHSIL SAYLA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	NEW 3DX	9829868123
234	RJ16EA0719	LAKSHMI INFRA DEV IND PVT LTD.	SURVEY NO. 391, PACKAGE NO. 7 R/O NIMBU VILLAGE CHITALWANA , TEHSIL JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343040	HINDUSTAN 2021E WHEEL	9848849659

235	RJ46EA0326	MADAN LAL	SIRE MANDIR ROAD JALORE TH JALORE, DIST. ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	JCB 3DX	9856251544
236	RJ22EA0037	MAN SINGH	R/O AGAWARI TEH. AHORE DIST. JALORE JALORE (RAJ) ,DISTRICT: ,STATE: RJ ,PIN CODE: 999999	CRANE	9856251548
237	RJ04E0101	RAM SINGH	RAJENDRA GOODS TRANSPORT JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	ASHOK LEYLAND CRANE	9856251548
238	RJ39EA0629	ISHWAR SINGH	RAJPUTO KA WAS REWAT TH JALORE, DIST ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	JCB 3DX	9856251548
239	RJ46EA0336	DUNGARA RAM	CHONCHAWAN TH SAYALA DIST. ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	JCB 3DX	9856251548
240	RJ16E0587	PAWAN DEEP STONES	C/O RAJDEEP STONES BHAGLI JALORE TH JALORE, DIST. ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	CRANE	9856555555
241	RJ16EA0645	HARCHAND RAM	NAVABERA SANGANA TEH SAYALA DIST JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	NEW 3DX	9875237136
242	RJ16EA0655	AMAR SINGH	RAJPUTO KA WAS TODMI TEH. AHORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	JCB 3DX 2WD	9879999999
243	RJ16EA0048	HARI RAM PUKH RAJ JI	RAMDEV COLONY, JALORE JALORE JALORE ,DISTRICT: ,STATE: RJ ,PIN CODE: 999999	ASHOK LAYLAND CRENE	9887575194
244	RJ26EA0198	GANESH KUMAR	M/S R.K GRANITE BACK SIDE MEHAR PETROL PUMP.KH NO.832/689 MADALPURA TH JALORE, DIST. ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	COMET 1612	9887575194
245	RJ19EA5720	RANJEET	LETA JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	JCB 3DX XTRA	9887575194
246	RJ16EA0605	HANUMAN GRANITE	PROP: CHELA RAM CHOUDHARY C. G1-74, INDUSTRIAL AREA BISHANGARH TEH DIST ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343042	14XW	9928122851
247	RJ16EA0825	M/S MAHADEV STONE CUTTING &	PROP. MR. PABU RAM, GROUND FLOOR 1, OPP. MAHADEV MANDIR SINDHARI ROAD, DABLI, JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	3DX PLUS- 2WD	9928296052
248	RJ16EA0623	MR IMRAN KHAN	SAIYO KI DHANI JALORE GRAMIN, LETA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	JCB 3DX	9928531513
249	RJ36EA0340	BALDEV SINGH	237, RAJPUTO KA MOHALLA, DHANPUR, TEH. DIST.JALORE JALORE ,DISTRICT: ,STATE: RJ ,PIN CODE: 999999	TUSKER SUPER 2214/2S	9928791302
250	RJ16EA0928	RAVI KUMAR	MEGHWALD KA WAS RAIPURIA, RAIPURIYA, JALOR SIANA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343024	3DX	9928943743
251	RJ16EA0743	JABAR SINGH	1125, RAJPUTO KA WAS SANTHOO JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343025	3DX PLUS- 2WD	9929222396
252	RJ16EA0562	KHETA RAM	ODUDHOGIK CITY VIDYALAYA KI PASS , JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	JCB 3DX	9929285015
253	RJ22EA1559	DILIP KUMAR JOSHI	KOTHARI KI SERI SIWNA TH JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343024	NEW 3DX	9929285015
254	RJ16EA0747	SHARIFO BANU	GAGANO KI DHANI TEJA KI BERI TEH SAYLA DIST ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343042	3DX PLUS- 2WD	9929285015
255	RJ16EA0613	MR ASU RAM	DHANDHALO KI DHANI SAYLA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	JCB 3DX	9929374788

256	RJ04EA0036	HINGLAJ DAN	APNAYAT TRANSPORT 3RD PHASE JALORE JALORE ,DISTRICT: ,STATE: RJ ,PIN CODE: 999999	CRANE	9929472191
257	RJ16EA0637	MR RANA RAM	REBARIYON KA WAS SUMERGARH BIBALSAR, JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343025	JCB 3DX	9950014134
258	RJ24EA0477	BHARAT KUMAR RANA	BHIL WAS, AGWARI TEH AHORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307030	JCB 3DX	9950319764
259	RJ16EA0595	CHAMUNDA CONSTRUCTION COMPANY	1 AGAR, POST: GOLASAN TEHSIL SANSHORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343041	ARGO 4000 SLCM	9950615949
260	RJ16EA0790	JABAR SINGH	MOKALSAR ROAD, NOSRA NOSRA, JALOR JALOR, NOSRA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	3DX PLUS-2WD	9950740540
261	RJ16EA0917	JABAR SINGH	MOKALSAR ROAD NOSRA, NOSRA JALORE, NOSRA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	3DX	9950740540
262	RJ16EA0621	M/S DEGRAY GRANITE	KHASRA NO. 600, 601,602 PLOT NO. 11, VILL DHANPUR BHAGLI SINDHLAN, JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	JCB 3DX	9966562519
263	RJ16EA0604	M/S MAHADEV CONSTRUCTION	SARDARGARH SAMTIPURA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	JCB 3DX	9982025997
264	RJ16EA7374	GANGA SINGH	BHUNDWA JALOR MEGHALWA ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	3DX	9982088012
265	RJ16EA0930	CHEL SINGH	ASANA, TEHSIL-SAYLA, ASANA ASANA, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	3DX PLUS-4WD	9982136255
266	RJ16EA0618	MR RATAN SINGH	V/P SERNA SERNA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343028	JCB 3DX	9982525209
267	RJ16EA0781	VIRMA RAM	NEW ABADI, SAYLA SAYLA JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	SCE12	9982596853
268	RJ21EA0304	GANAGOR	GODIJI MANDIR KE PASS JALORE TH JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	ASHOK LEYLAND CRANE	9982663300
269	RJ16EA0642	MR MANGAL SINGH	SURANA JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343032	JCB 3DX	9982912500
270	RJ16EA0633	MR JEEVA RAM CHOUDHARY	JALAMPURA JEEWNA JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343022	JCB 3DX XTRA	9983119112
271	RJ16EA0932	CHOUDHARI TARARAM SADAJI	AAM CHOUHTA VEDIYA DHANI VEDIYA, JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	3DX	9983350555
272	RJ16EA0737	GOVIND SINGH	RAJPUTO KA VAS RAJANWARI UNN JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343001	3DX PLUS-2WD	9983387566
273	RJ16EA0606	MR ACHAL SINGH	32, BEGADON KA VAS BANKALI TEHSIL : AHORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 307029	JCB 3DX	9983508493
274	RJ16EA0564	BHAGA RAM CHOUDHARY	CHOUDHARIYO KA WAS BHAWRANI TEHSIL-AHORE BHAVRANI ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343042	JCB 3DX	9983596559
275	RJ16EA0823	JAGDISH	BHANWARANI, BHANWARANI TEHSIL -AHORE, BHAVRANI JALOR ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343042	3DX	9983596559
276	RJ16EA0653	MADA RAM	SURANA TH SAYALA DIST. ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343032	NEW 3DX	9983695698
277	RJ16EA0833	KAMLA CONSTRUCTION COMPANY	BHADRUNA SANCHORE SANCHORE JALORE ,DISTRICT: JALOR ,STATE: RJ ,PIN CODE: 343029	ROADMASTER G9595 DR IV	9983712929

मुख्य कॉजवे, सबमर्सिबल ब्रीज की सूची :-

क्र. सं.	कॉजवे मुख्य सड़क
1. सानिवि जालौर	
1	जालौर-भीनमाल-रानीवाडा (एस.एच. 31) किमी 35- सुमेरगढ़
2	रोहित-आहोर वाया भाद्राजून (एस.एच. 64) गुडा रामा गांव
3	जालौर-भीनमाल-रानीवाडा (एस.एच. 31) किमी 24 आकोली गांव
4	बालोतरा-मोकलसर-साण्डेराव सड़क (एन.एच. 325) किमी 108 सांकरण गांव जवाई नदी
5	बालोतरा-मोकलसर-साण्डेराव सड़क (एन.एच. 325) किमी 114 भैसवाडा गांव
6	उम्मेदपुर-हरजी सड़क किमी 4 पचावना गांव जवाई नदी
7	आहोर-छिपरवाडा किमी 2 व 3 जवाई नदी
2. सानिवि भीनमाल	
1	जालौर-भीनमाल-रानीवाडा सड़क किमी 43 (रामसीन)
2	जालौर-भीनमाल-रानीवाडा सड़क किमी 82 (गरुडी बाडी नदी)
3	जालौर-भीनमाल-रानीवाडा सड़क किमी 82 (कोडी)
4	जालौर-भीनमाल-रानीवाडा सड़क किमी 98 (कोटडा)
5	सांचौर-रानीवाडा-मण्डार एस एच 11 किमी 41 (झारडा नाला)
6	सांचौर-रानीवाडा-मण्डार एस एच 11 किमी 53 (जाजोदर नाला)
7	भीनमाल-सांचौर-वाया करडा सड़क किमी 82 (कोडी) किमी 7.9 (वणघर, सुथडी नदी)
8	रेवदर-जसवन्तपुरा-भीनमाल सड़क (किमी 26) किमी 49 (ढाकवाला माना)
9	रेवदर-जसवन्तपुरा-भीनमाल सड़क (किमी 26) किमी 39 (डोरडा नाला)
10	रामसीन-जसवन्तपुरा किमी 12 (फेदानी)
11	रामसीन-जसवन्तपुरा किमी 10 (वांदूर)
12	रामसीन-जसवन्तपुरा किमी 17 (पावटी)
3. सानिवि सांचौर	
1	जानवी सुथडी सुराचन्द
2	सुथडी से खेजडियाली
3	खेजडियाली से रेबारियो की ढाणी
4	सम्पर्क सड़क रिडका

9.500 मीटर से अधिक लम्बाई के मुख्य सड़क जो नदियों से क्रॉसिंग है :-

1. रेवदर-जसवन्तपुरा-भीनमाल-बागोडा (किमी 28 से 39 धुम्बडिया बागोडा)
2. भीनमाल-पाथेडी सड़क (किमी 4 से 14)
3. भीनमाल-पुनासा सड़क (किमी 15 से 16)
4. जैरण-पुनासा सड़क (किमी 5 से 6)
5. धुम्बडिया-लाखनी-मोरसीम सड़क (किमी 1, 2 एवं 12)
6. सेवडी-वाडाभाडवी सड़क (किमी 2 से 3)

108 एम्बुलेंस की सेवा

जिले में वर्तमान में 20 स्थानों पर 108 एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध करवायी जा रही है जो निम्नानुसार है.

S.no	Service	Base Location	Status	S.no	Service	Base Location	Status
1	108	PHC KARDA	Off Road	12	108	CHC BHINMAL	On Road
2	108	PHC BAGODA	On Road	13	108	CHC JASWANTPURA	On Road
3	108	PHC KERIYA	On Road	14	108	PHC RAMSIN	On Road
4	108	CHC RANIWARA	On Road	15	108	PHC DASPA	On Road
5	108	PHC BHADRAJUN	On Road	16	108	CHC AHORE	On Road
6	108	CHC SAYLA	On Road	17	108	PHC BHADURNA	On Road
7	108	CHC HADECHA	On Road	18	108	PHC JHAB	On Road
8	108	PHC GUDABALOTAN	On Road	19	108	GH JALORE	On Road
9	108	PHC SARWANA	On Road	20	108	PWD SANCHORE	On Road
10	108	PHC SIRANA	On Road	21	108	CHC Karda	On Road
11	108	PHC CHITALWANA	On Road				

- जिले में वर्तमान में 18 स्थानों पर 104 एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध करवायी जा रही है जो निम्नानुसार है।

S.no	Service	Base Location	Status	S.no	Service	Base Location	Status
1	104	PHC PUNASA	On Road	10	104	PHC SUNTHDI	On Road
2	104	PHC BADANWADI	On Road	11	104	PHC BAGODA	On Road
3	104	PHC MALWADA	On Road	12	104	PHC Chandrai	On Road
4	104	PHC DUNGARI	On Road	13	104	PHC BHORDA	On Road
5	104	PHC JAKHARI	On Road	14	104	PHC KSHWANA	On Road
6	104	PHC MODRA	On Road	15	104	CHC SAYLA	On Road
7	104	PHC SANKAR	On Road	16	104	CHC BHINMAL	On Road
8	104	CHC JASWANTPURA	On Road	17	104	CHC Sanchore	On Road
9	104	CHC SANTHU (SANTHU)	On Road	18	104	CHC AHORE	On Road

- जिले में वर्तमान में 11 स्थानों पर बैस एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध करवायी जा रही है जो निम्नानुसार है।

S.no	Service	Base Location	Status
1	Base	CHC Ahore	On Road
2	Base	CHC Bhinmal	On Road
3	Base	CHC Bhinmal	On Road
4	Base	PMO Jalore	On Road
5	Base	PHC Chitalwana	On Road
6	Base	CHC Sanchore	On Road
7	Base	CHC Jaswantpura	On Road
8	Base	CHC Raniwara	On Road
9	Base	CHC Sayla	On Road
10	Base	CHC Sayla	On Road
11	Base	CHC Hadecha	On Road

जिले में कार्यरत निजी चिकित्सा संस्थानों का विवरण -

S.No.	Centre Name	Centre Address	Centre Owner	Mobile No.	Centre Email
1	Jeevan Dhara Hospital	Shakti Sarai, Near Cbc Hospital Ahore	Vikram Singh	9166305319	hospitaljeevandhara@gmail.com
2	Krishna Hospital General Surgical & Sonography Center	Falna Road Ahore Distt. Jalore	Krishna Ram Choudhary	9001466841	krishnambhinmal@gmail.com
3	Navkar Multispeciality Hospital Jalore	Jodhpur Road, Ahore	Sr. Sonal Kiran Soni	7208501017	nickbarot@gmail.com
4	Shivam Hospital & Sonography Center, Bhadrarjun	Harigita Nagar Jodhpur Road Bhadrarjun Teh. Ahore Distt. Jalore	Manra Ram	9772403626	patelmanohar550@gmail.com
5	Surya Hospital Multispeciality & Sonography Center Ahore	Shakti Saray, Near Govt Hospital Ahore, Tehsil Ahore Distt Jalore	Dheerendra Kumar	9782300558	suryahospital108@gmail.com
6	Bajrang Hospital	Kuda Dhewechha Road Bogoda Dist Jalore	Prahlad Ram	9970660378	prahladchoudhary1987@gmail.com
7	Bhinmal Hospital	Gudamalani Road Bogoda	Dr Vijay Raj Choudhary	8003760321	vi Jay91619@gmail.com
8	Nirmal Hospital Bagoda	Morsim Bagoda Road Bagoda Dist Jalore	Java Ram	9982365867	1990javaramchoudhary@gmail.com
9	Aastha Hospital	Bagoda Road Bhinmal 343029	Aastha Hospital	9739404055	aAsthahospital555@gmail.com
10	bhinmal Hospital And Research Center Bhinmal	Near Shivraj Stadium Bhinmal Dist Jalore	bhinmal Hospital And Research Center Bhinmal	0588912308	gopalderji9737@gmail.com
11	Krishna Hospital & Pathri Niwaran Center, Bhinmal	Near Jhujani Bus Stand Bagora Road, Bhinmal	Deepak Raj Parmar	9414319337	krishnahospitalbhinmal@gmail.com
12	Kushal Clinic & Imagine Center, Bhinmal	Raniwara Road, Bhinmal	Dhukharam Choudhary	9460833160	bchoudhary606@gmail.com
13	Nahar Hospital Bhinmal	Near Kirti Stambh Temple Bhinma Distt Jalore	Dr. Rajive Bhatnagar	7412054718	info@naharhospital.com
14	Navkar Surgical And General Hospital	Opp Railway Station, Bhinmal, Jalore	Jawanaram Choudhary	9460512423	navkarhospital730@gmail.com
15	Raj Hospital Gynac and Laparoscopic Surgery Center	Near Nealkanth Temple Jujani Road, Bhinmal District- Jalore	Ramjiram Choudhary	8741962733	drhemlatadhaka11@gmail.com
16	Sarvodaya Hospital, Bhinmal	Opp. Shivraj Stadium, Bhinmal	Sanjeev Mathur	9414993972	sarvodaya.multi@gmail.com
17	Shri Balaji Hospital Bhinmal	Inside life line Hospital, Bhinmal Dist Jalore	Smt Santosh Geva	8619223053	Shreebalajihospital2017@gmail.com
18	Shri Bharat Nursing Home And Choudhary Laparoscopic Surgery Center, Bhinmal	Opp. Shivraj Stadium, Bhinmal, Distt. Jalore	Dr. Bhupendra Choudhary	9829792245	bchoudhary15@gmail.com
19	Triveni multispeciality hospital, bhinmal	near neelkhanth mahadev temple, narta by-pass road bhinmal distt jalore	smt tina devi	9632042725	trivenihospital 2020@gmail.com
20	ayushi gujrat hospital	Opposite Collectorate, Jalore	Dr. Rajendra Gupta	9414152828	dr.rajendraguptaagh@gmail.com
21	baba ramdev hospital	manpura colony Jalore	r.madan singh	7208501017	babaramdevhospital 88@gmail.com
22	Health Center, Hospital	Bagra	Madan Singh	7208501017	71b446healthcarehospitalibagra@gmail.com
23	Jagdamba Hospital Jalore	In Front Of Police Line, Shiva Ji Nagar Jalore	Shri Soma Ram Mali	9413584198	jagdambahospital98@gmail.com
24	Sanjeevani Mother Care Hospital	Laghu Udhog Colony, Near Roadways Bus Depot Jalore	Sanjeevani Mother Care Hospital	9414313489	Hospitalsanjeevani44@gmail.com
25	Solanki Private Clinic Jalore	Pura Mohalla Jalore	Dr.G.M. Solanki	9414356169	dr.gmsolanki@rediffmail.com

S.No.	Centre Name	Centre Address	Centre Owner	Mobile No.	Centre Email
26	Bhaskar Hospital	Opp. Railway Crossing, Raniwara,	Nanji ram Choudhary	9982775430	bhaskarhospital2015@gmail.com
27	MAA Hospital Raniwara	bhinmal Fatak ke pass raniwara	Dr. Kalyan Desai	9909435698	kalyandesai91@gmail.com
28	Asha General Hospital And Maternity Care Centre	Ganpati Market , N.H.15, Barmer Road Sanchoe	Dr Bhavani Singh	8267960216	drbhavani177@gmail.com
29	Dewasi Sonography Center Sanchoe	Sanchoe Distt, Jalore	Dr. Narsi Dewasi	7665523132	mediplushospitalsanchoe@gmail.com
30	Dr babulal bishnoi bhansali hospital	Inside B Lal Hospital, Kamalpura, N.H.15, Barmer Road, Sanchoe	Dr. Bl Bishnoi	9649064917	drblkhicher@gmail.com
31	DR Bhajan Sonography And Imaging Center	Nh 15 Samrathal Nagar Kamalpura Sanchoe,	Mangali	7742509960	drbhajansonography@gmail.com
32	Dr. Manju Bhuria c/o Sanchoe Hospital, Sanchoe Distt. Jalore	Inside Sanchoe Hospital, Nh 15 Opp. Police Station, Sanchoe	Dr. Manju Bhuria	9413568953	manjubhuria82@gmail.com
33	K K Hospital,	Inside Ganpati Market , N H 68, Barmer Road Sanchoe Distt Jalore	Dr Krishna Kumar	9414785321	krishnachoudhary2411@gmail.com
34	Mahadev Hospital & Research Center Sanchoe	Dabhai Road Sanchoe Dist Jalore	Mahadev Hospital & Research Center Sanchoe	9828219494	Mohansingh1767@gmail.com
35	Mahaveer & I C U Care Sanchoe	Opp. Police station Nh 68 Sanchoe	Mahaveer & I C U Care Sanchoe	9414373774	ashok2k123@gmail.com
36	Mamta Hospital	Pwd.Road Sanchoe Dist. Jalore	Bhanwar Lal Bishnoi	9414373716	Jangushriram85@gmail.com
37	Man Monan Hospital , Sanchoe	N H 15 Barmer Road Sanchoe Distt Jalore	Dr Mana Ram Bishnoi	9929452940	manmonanhospitalsanchoe@gmail.com
38	Mehta Hospital & Research Center, Sanchoe	Hadecha Road Sanchoe	Rajaram	9784257818	Mehtahospital21@rediffmail.com
39	Sagar Hospital Sanchoe	Badsam By Pass Road Sanchoe	Jitendra Purohit	9414589941	purohitjitendra742@gmail.com
40	Sarwati Hospital Sanchoe	Badsam Road Sanchoe	Babu Lal	9929208886	jbbkhichad.29@gmail.com
41	sarvodaya hospital	Upp. Chaudhary Dharmasala, Indra Chowk, Sanchoe	Dr. B. R. Chaudhary	9414373693	Sarvodaya.sanchoe@gmail.com
42	Adarsh Gujrat Hospital, Sayala	Shri Sundha Complex Bagoda, Road Sayala	bheema ram	9001380021	hemantkumarchoudhary04@gmail.com
43	Bajrang Hospital jeevana	bhinmal siyawat Road, Jeevana Teh sayala	Bajrang Hospital jeevana	9602829342	jewanlab@gmail.com
44	Jeevan Jeewana Hospital	Sandhari Road Jeewana Teh sayala Dist Jalore	Jeevan Jeewana Hospital	9602829342	info@jeevanjeewanahospital.com
45	KRISHNA GENERAL HOSPITAL	Bhinmal Road Siyawat, (Posana), Teh- Sayla,	Hanja Ram	9772286601	hanjaram1994@gmail.com
46	Life Care Multispeciality Hospital	Opp. Mali samaj bhawan, Bagoda Road Sayala Jalore	Life Care Multispeciality Hospital	9269282735	hajaram.choudhary10@gmail.com
47	suraj Hospital	Jalore Road Front Of Sbbj Bank, Sayala	Dr. Ramsingh Rajpurohit	9413464731	dr.ramsinghrajpurohit@gmail.com

मेडिकल स्टोर्स की सूची :-

क्र.सं.	नाम तहसील	मेडिकल स्टोर्स की सूची	फोन नंबर	क्षमता
1	जालौर	मूलचंद महेन्द्र कुमार, जालौर	222555	पूरी तरह मेडिसीन
2		नवजीन मेडिकल स्टोर, जालौर	—	" "
3		पुरोहित मेडिकल स्टोर, जालौर	—	" "
4		आर.के. मोदी डॉक्टर, जालौर	—	" "
5		रानी भटियाणी मेडिकल स्टोर, जालौर	225109	" "
6		शांती मेडिकल स्टोर, जालौर	—	" "
7		सोनिया फार्मा, जालौर	—	" "
8		सुरेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी, जालौर	—	" "
9		उर्मिला मेडिकल स्टोर, जालौर	—	" "
10		विजय लक्ष्मी मेडिकल स्टोर, जालौर	—	" "
11		विनय मेडिकल स्टोर, जालौर	223717	" "
12		व्यास ब्रदर्स, जालौर	222828	" "
13		अग्रवाल ब्रदर्स, जालौर	222282	" "
14		अग्रवाल मेडिकल एण्ड जनरल एजेंसी	—	" "
15		अग्रवाल मेडिकल हॉल, जालौर	222512	" "
16		अमर मेडिकल स्टोर, जालौर	—	" "
17		अपना मेडिकल स्टोर, जालौर	223542	" "
18		अरविन्द मेडिकोज, जालौर	223342	" "
19		ए वन डिस्ट्रीब्यूटर्स, जालौर	—	" "
20		आयुषी गुजरात मेडिकल स्टोर, जालौर	—	" "
21		भण्डारी मेडिकल स्टोर, जालौर	224954	" "
22		भूपेन्द्र मेडिकल स्टोर, जालौर	222405	" "
23		दवे मेडिकल स्टोर, जालौर	—	" "
24		दिलीप मेडिकल एजेंसी स्टोर, जालौर	—	" "
25		गांधी मेडिकल स्टोर, जालौर	222191	" "
26		हीरा मेडिकल स्टोर, जालौर	—	" "
27		जे.सी. डिस्ट्रीब्यूटर्स, जालौर	226214	" "
28		जय बजरंग बली मेडिकल स्टोर, जालौर	222925	" "
29		जैन मेडिकल एजेंसी जालौर	223986	" "
30		जय मेडिकल एजेंसी जालौर	223986	" "
31		जालौर सहकारी उपभोक्ता भण्डार जालौर	—	" "
32		जनता मेडिकल स्टोर, जालौर	222407	" "
33		करनी मेडिकल स्टोर, जालौर	—	" "
34		ललित मेडिकल स्टोर, जालौर	223068	" "
35		लाईफ लाईन फूड स्टोर, जालौर	—	" "
36		मूलचन्द अखाजी, जालौर	222225	" "
37		एच.के. साहीसीना स्टोर, जालौर	—	" "
38		आर.के. मेडिकल स्टोर, जालौर	—	" "
39		शांतीलाल सावलाल, सियाणा	240207	" "
40		बालाजी मेडिकल स्टोर, सौधू	—	" "
41		सर्वेसर मेडिकल स्टोर, सरत	—	" "
42		महावीर मेडिकल स्टोर, बिसनगढ़	246708	" "
43		नाकोडा मेडिकल स्टोर, बिसनगढ़	—	" "
44		वर्षा, मेडिकल स्टोर, बिसनगढ़	—	पूरी तरह मेडिसीन
45		गणेश मेडिकल स्टोर, बागरा	—	" "
46		महादेव मेडिकल स्टोर, बागरा	254438	" "
47		राजेन्द्र मेडिकल स्टोर, बागरा	254238	" "
48		आशापुरी मेडिकल स्टोर, बागरा	—	" "
49		मंजू मेडिकल स्टोर, बाकरा रोड	—	" "

50		बी०एल.मीणा डॉ० वादनपाडी	—	—
51		कृष्णा मेडिकल स्टोर, वेडिया	—	पूरी तरह मेडिसीन
52		अर्जुन मेडिकल स्टोर, डूडरी	—	—
53	आहोरा	अम्बिका मेडिकल स्टोर, आहोरा	—	—
54		डॉ० बी.एस. देवासी, आहोरा	—	—
55		गणपति मेडिकल स्टोर, आहोरा	—	—
56		कैलाश मेडिकल स्टोर, आहोरा	222383	—
57		कमल मेडिकल स्टोर, आहोरा	222041	—
58		किशोर मेडिकल स्टोर, आहोरा	222155	—
59		महावीर मेडिकल स्टोर, आहोरा	—	—
60		नाकोडा मेडिकल स्टोर, आहोरा	222319	—
61		रामदेव मेडिकल स्टोर, आहोरा	—	—
62		एस.एस. मेडिकल स्टोर, आहोरा	—	—
63		शिव मेडिकल स्टोर, आहोरा	—	—
64		शिव शक्ति, मेडिकल स्टोर, आहोरा	—	—
65		श्री बालाजी मेडिकल स्टोर, आहोरा	—	—
66		सर्वेसर, मेडिकल स्टोर, आहोरा	222676	—
67		भवानी मेडिकल स्टोर, पादरली	—	—
68		महेन्द्र मेडिकल स्टोर, गुडाबालोतान	227529	—
69		राजेन्द्र, मेडिकल स्टोर, गुडाबालोतान	—	—
70		महालक्ष्मी, मेडिकल स्टोर, हरजी	—	—
71		राजलक्ष्मी, मेडिकल स्टोर, हरजी	229113	—
72		धनलक्ष्मी, मेडिकल स्टोर, चांदराई	—	—
73		शिव, मेडिकल स्टोर, चांदराई	247330	—
74		मल्लीनाथ मेडिकल स्टोर भूति	—	—
75	भीनमाल	आदर्श मेडिकल भीनमाल	220586	—
76		अम्बिका मेडिकल भीनमाल	220891	—
77		आशा मेडिकल भीनमाल	—	—
78		भारत मेडिकल भीनमाल	—	—
79		चामुण्डा मेडिकल स्टोर भीनमाल	221330	—
80		चौधरी मेडिकल स्टोर भीनमाल	220750	—
81		दिपक मेडिकोज भीनमाल	—	—
82		जालोर सहकारी उपभोक्ता मण्डल भीनमाल	220140	—
83		मानस डिस्ट्रीब्यूटर्स, भीनमाल	—	—
84		मानस मेडिकल भीनमाल	221409	—
85		मेहता मेडिकल स्टोर भीनमाल	—	—
86		नूतन मेडिकल स्टोर भीनमाल	222360	—
87		पार्वती मेडिकल स्टोर भीनमाल	—	—
88		रामदेव मेडिकल स्टोर भीनमाल	—	—
89		सत्यम मेडिकल स्टोर भीनमाल	220750	—
90		शर्मा मेडिकल स्टोर भीनमाल	—	—
91		शिवम् मेडिकल स्टोर भीनमाल	221439	—
92		सूर्या मेडिकल स्टोर भीनमाल	222041	—
93		प्रकाश मेडिकल स्टोर सेवदा	—	—
94		स्वामी नारायण मेडिकल स्टोर मोरसीम	—	—
95		मानस ड्रग स्टोर, जुजाणी	—	—
96		हनुमान मेडिकल स्टोर थोबाठ	—	—
97		गायत्री मेडिकल स्टोर सेवडी	—	—
98		गुरुकृपा मेडिकल स्टोर दासपा	—	—
99		मानस मेडिकल स्टोर, दासपा	—	—
100	जसवंतपुरा	आपेश्वर मेडिकल स्टोर रामसीन	223518	—
101		अरिहत मेडिकल स्टोर रामसीन	223025	—

102	भारत मेडिकल स्टोर रामसीन	—	—
103	नेशनल मेडिकल स्टोर रामसीन	223271	—
104	राठीड मेडिकल स्टोर रामसीन	223015	पूरी तरह मेडिसीन
105	रामदेव मेडिकल स्टोर तबाव	—	—
106	गुरुदेव मेडिकल स्टोर माण्डोलीनगर	—	—
107	जय भवानी मेडिकल स्टोर माण्डोलीनगर	—	—
108	अग्रसेन मेडिकल मोदरान	261124	—
109	धामुण्डा मेडिकल स्टोर मोदरान	261376	—
110	गुरुदेव मेडिकल स्टोर मोदरान	261130	—
111	कैलाश मेडिकल स्टोर मोदरान	261215	—
112	अम्बिका मेडिकल स्टोर जसवंतपुरा	261124	—
113	महालक्ष्मी मेडिकल स्टोर जसवंतपुरा	—	—

परिशिष्ट -23

चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों की सूची

तहसील	अस्पताल का नाम, पता, फ़ोन नम्बर	अस्पताल में उपलब्ध संसाधन(एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, मशीन, इत्यादि)				कुल उपकरणों की संख्या
		एम्बुलेंस	स्ट्रेचर	एक्सरे	इसीजी	
सायला	सा.स्वा.केन्द्र सायला-240197	हां	हां	हां	हां	4
	प्रा.स्वा.केन्द्र सुरणा-252760	नहीं	हां	नहीं	नहीं	1
	प्रा.स्वा.केन्द्र सिराणा-	हां	हां	नहीं	नहीं	1
	प्रा.स्वा.केन्द्र माण्डवला-256189	नहीं	हां	नहीं	नहीं	1
	प्रा.स्वा.केन्द्र उम्मेदाबाद-256102	नहीं	हां	नहीं	नहीं	1
	प्रा.स्वा.केन्द्र रेवतडा-260101	नहीं	हां	नहीं	नहीं	1
	प्रा.स्वा.केन्द्र केशवना-265993	हां	हां	नहीं	नहीं	2
	प्रा.स्वा.केन्द्र पाथेडी-	नहीं	हां	नहीं	नहीं	1
आहोर्	सा.स्वा.केन्द्र आहोर्-222242	हां	हां	हां	हां	4
	प्रा.स्वा.केन्द्र गुडाबालीतान-230029	हां	नहीं	नहीं	नहीं	1
	प्रा.स्वा.केन्द्र चांदराई-234154	हां	नहीं	नहीं	नहीं	1
	प्रा.स्वा.केन्द्र हरजी-229324	नहीं	हां	नहीं	नहीं	1
	प्रा.स्वा.केन्द्र पादरली-249153	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0
	प्रा.स्वा.केन्द्र माटाजुन-228436	हां	हां	नहीं	नहीं	2
	प्रा.स्वा.केन्द्र भंवराणी-271264	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0
जालोर	सामान्य चि.जालोर-232296	हां	हां	हां	हां	4
	प्रा.स्वा.केन्द्र सिवाणा-240472	हां	हां	हां	हां	4
	प्रा.स्वा.केन्द्र बागरा-254228	हां	हां	हां	हां	4
	प्रा.स्वा.केन्द्र सरत-281197	नहीं	हां	नहीं	नहीं	1
	प्रा.स्वा.केन्द्र ओडवाडा-245743	नहीं	हां	नहीं	नहीं	1
	प्रा.स्वा.केन्द्र गोदन-258999	नहीं	हां	नहीं	नहीं	1
	प्रा.स्वा.केन्द्र बादनवाडी-257507पीपी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0
	प्रा.स्वा.केन्द्र साधू	नहीं	हां	नहीं	नहीं	1
मीनमाल	सा.स्वा.केन्द्र मीनमाल-220140	हां	हां	हां	हां	4
	प्रा.स्वा.केन्द्र माण्डोलीनगर-223112	नहीं	हां	नहीं	नहीं	1
	प्रा.स्वा.केन्द्र दासपा-	हां	हां	नहीं	नहीं	2
	प्रा.स्वा.केन्द्र बागोडा-264181	नहीं	हां	नहीं	नहीं	1
	प्रा.स्वा.केन्द्र धुम्बडीया-254112	नहीं	हां	नहीं	नहीं	1
	प्रा.स्वा.केन्द्र पुनासा-	हां	हां	नहीं	नहीं	1
	प्रा.स्वा.केन्द्र मोरसीन-274207	नहीं	हां	नहीं	नहीं	1
जसवंतपुरा	प्रा.स्वा.केन्द्र रामसीन-223112	हां	हां	नहीं	नहीं	2
	सा.स्वा.केन्द्र जसवंतपुरा-243334	हां	हां	हां	हां	4
	प्रा.स्वा.केन्द्र मोदरा-261122	हां	हां	नहीं	नहीं	2
	प्रा.स्वा.केन्द्र राजीकावास-	नहीं	हां	नहीं	नहीं	1
	प्रा.स्वा.केन्द्र धानसा-263753	नहीं	हां	नहीं	नहीं	1
	प्रा.स्वा.केन्द्र थुर	नहीं	हां	नहीं	नहीं	1

स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाएँ, जिला, जालोर

क्र. सं.	नाम तहसील	प्रथम स्तरीय पशु चिकित्सालय	पशु चिकित्सालय	श्रीष्वालय	पशु चिकित्सा जगकेन्द्र	जिला वीर निदान प्रयोगशाला
1	जालोर	जालोर	सोथु, सियाणा, बागरा, बाकरागांव, माधवदला, विशनगढ़, उम्मेदाबाद	फैशवना	बालवाडा	जालोर जिला मुख्यालय
2	आहोरे	आहोरे	भवरानी, चावराई, भूति मोरडा, भाद्राजूत गुडाबालोतान	हरजी, गोदन	दयालपुरा, चाणा, उम्मेदपुर, सेदरि या बालोतान, रुमा, देबावास	" "
3	सायला	सायला	रेवतडा, जीवाणा, पोसाना, थलवाड	-	सुराणा, धनापी, खेतलावास, बाबतरा	" "
4	भीनमाल	भीनमाल, जसवंतपुरा	दासपा, धोबाउ, चान्दुर, तबाव, माण्डोली, मोदरा	रामसीन	जुजाणी, नरता, कोटकास्तान, पहाडपुरा, थूर, शोरडा, गजापुरा, दातलवास	" "
5	रानीवाडा	रानीवाडा	गांग, डीगांव, मालवाडा, करडा, बडगांव, धानोला, मौखाररा	कानमाला	दातवाडा, जाखडी, आलडी	जालोर जिला मुख्यालय
6	साघोर	साघोर, चित्तवाना	डूंगरी, सुरावा, झाव, पथमेडा, अरणाप, मालिया का गोतिया, सुथडी	गोलासन, हाडेवा, टोंपी	मालवाडा, एस. वैतरौल, हरियाली, गुन्डऊ, तरनाऊ, बिछावाडी, खेडा बिजरोल, साहु, पडरकिया जी डाणी, भादरुणा	" "
7	बागोडा	-	बागोडा, सेवडी, पुनारता	धुम्बडिया	कावतरा, मेडा, लूणावास	" "

पुलिस जाब्दा

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत
1	पुलिस अधीक्षक	01	01
2	सहायक पुलिस अधीक्षक	-	01
3	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	04	04
4	उप अधीक्षक पुलिस	08	05
5	निरीक्षक पुलिस	26	15
6	उप निरीक्षक पुलिस	39	32
7	सहायक उप निरीक्षक पुलिस	171	85
8	हैड कानि0	212	163
9	कानिस्टेबल	948	871
योग		1409	1176

5- पुलिस वाहन उपलब्धता :-

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	स्वीकृत	मौजूदा	कमी/बैशी
1	कार स्विफ्ट	02	02	—
2	जीप	12	12	—
3	बोलेरो	25	25	—
4	टवेरा	01	01	—
5	टवेरा इन्टरसेप्टर	01	01	—
6	बोलेरो केम्पर	03	03	—
7	टाटा वज्र 207	01	01	—
8	मिनी बस	04	04	—
9	बस	01	01	—
10	ट्रक	01	01	—
11	वाटर टैंकर	01	01	—
12	प्रिजन वाहन	01	01	—
13	महिन्द्रा टीयूवी	06	06	—
14	स्कॉर्पियो	02	02	—
15	मोटरसाइकिल	78	78	—
16	सुप्रीयो वाहन	01	01	—
17	फोर्स ट्रेवलर मिनी बस	03	03	—
18	होण्डा एक्टिवा	07	07	—
	योग	150	150	

पुलिस लाईन जालोर में उपलब्ध राहत सामग्री :-

क्र.सं.	सामग्री	तादाद
1	सर्च लाईट	4
2	रेन कोट	55
3	रस्सा लम्बाई-100 फीट	1
4	रस्सा लम्बाई-50 फीट	2
5	रस्सा लम्बाई-20 फीट	2
6	हवा से भरे/खाली ट्यूब	4
7	फावड़े	15
8	गैती	3
9	तगारी	15
10	रिफ्लेक्टिव जैकेट	20
11	फर्स्ट-एड-बॉक्स	9
12	बेलघा	10
13	छाता	5
14	लोहा बाल्टियॉ	15
15	कुल्हाडी	4
16	खाली प्लास्टिक कट्टे	100

4- ई0ओ0सी0 प्रयोजनार्थ उपलब्ध वायरलेस सेट

ई.ओ.सी. उपयोगार्थ जिले को निम्न वायरलेस सेट प्राप्त हुए हैं।

मोटोरोला 20 वॉट हाईबैण्ड - 1 नग

मोटोरोला 02 वॉट हाईबैण्ड (एच एच) - 5 नग

उपरोक्त 6 नग प्रमारी ई.ओ.सी. कलेक्टर कार्यालय जालोर को दिए हुए हैं।

ई.ओ.सी. के निर्मित वायरलेस सेट पुलिस दूरसंचार कार्यालय प्राप्त हुए हैं।

केनबुड 20 वॉट हाईबैण्ड - 17 नग

11 सैट जिले में विभिन्न थानों/ चौकी/वाहन में संचार व्यवस्था हेतु लगाए तथा 2 सेट खराब जिनको पुलिस दूरसंचार कार्यालय जोधपुर रिपेरिंग हेतु भिजवाया गया है। शेष 4 नग उपमण्डार पुलिस दूरसंचार जालोर में उपलब्ध हैं।

केनबुड 02 वॉट हाईबैण्ड (एच एच) - 7 नग

उपरोक्त 4 नग सेट केनबुड 20 वॉट हाईबैण्ड तथा 7 नग केनबुड 02 वॉट हाईबैण्ड (एच एच) उपमण्डार पुलिस दूरसंचार जालोर में उपलब्ध हैं।

परिशिष्ट-29

जिले में उपलब्ध वायरलेस संचार व्यवस्था :-

क्र.सं.	वीएचएफ स्टेशन का नाम	मोबाईल स्टेशन	स्टैटिक स्टेशन
1.	कंट्रोल रूम जालोर	-	कंट्रोल
2.	सिटी कंट्रोल रूम एसपी ऑफिस जालोर	-	सिटी कंट्रोल
3.	रिपीटर स्टेशन जालोर किला	-	रॉमियो-16
4.	रिपीटर स्टेशन देवी टेम्पल भीनमाल	-	रॉमियो-17
5.	श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर	ईको	ईको
6.	श्रीमान पुलिस अधीक्षक जालोर	टाईगर	टाईगर
7.	श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक सांचोर	टाईगर-2	-
8.	श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक जालोर	ब्रेवो	-
9.	श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक सांचोर	ब्रेवो-1	-
10.	श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक जालोर	ब्रेवो-2	-
11.	श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक त्वरित अनुसंधान सेल जालोर	ब्रेवो-3	-
12.	श्रीमान अति. जिला कलेक्टर जालोर	एडम	-
13.	श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस जालोर	पीटर-1	-
14.	श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस भीनमाल	पीटर-2	-
15.	श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस सांचोर	पीटर-3	-
16.	श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस एससी/एसटी सेल जालोर	पीटर-4	-
17.	श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस रानीवाड़ा	पीटर-5	-
18.	श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस महिला प्रकोष्ठ जालोर	पीटर-6	-
19.	श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस ब्लूट जालोर	पीटर-7	-
20.	श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस आहोर	पीटर-8	-
21.	प्रमारी पु.दू.सं./कार्यवाला जालोर	-	लिमा
22.	आर.आई. पु.ला. जालोर	लिमा-1	-
23.	प्रमारी यातायात पुलिस जालोर	टैगो	-
24.	जिला पेट्रोलिंग पार्टी	चेतक	-

25.	जालोर शहर पेट्रोलिंग पार्टी	चेतक-1	-
26.	पुलिस थाना कोतवाली जालोर	माईक-1	बिटा-1
27.	पुलिस थाना आहोर	माईक-2	बिटा-2
28.	पुलिस थाना नोसरा	माईक-3	बिटा-3
29.	पुलिस थाना सायला	माईक-4	बिटा-4
30.	पुलिस थाना बागरा	माईक-5	बिटा-6
31.	पुलिस थाना बागोडा	माईक-6	बिटा-6
32.	पुलिस थाना रामसीन	माईक-7	बिटा-7
33.	पुलिस थाना जसवंतपुरा	माईक-8	बिटा-8
34.	पुलिस थाना भीनमाल	माईक-9	बिटा-9
35.	पुलिस थाना रानीवाडा	माईक-10	बिटा-10
36.	पुलिस थाना सांचोर	माईक-11	बिटा-11
37.	पुलिस थाना चितलवाना	माईक-12	बिटा-12
38.	पुलिस थाना सरवाना	माईक-13	बिटा-13
39.	पुलिस थाना झाव	माईक-14	बिटा-14
40.	पुलिस थाना करडा	माईक-15	बिटा-15
41.	महिला पुलिस थाना जालोर	माईक-16	-
42.	पुलिस थाना भादाजून	माईक-17	बिटा-17
43.	पुलिस थाना बिषनगढ़	माईक-18	बिटा-18
44.	एडीएफ पोस्ट खेजड़याली (सरवाना)	-	दारा-18
45.	पुलिस चौकी उम्मेदपुर (आहोर)	-	दारा-19
46.	पुलिस चौकी उम्मेदाबाद (जालोर)	-	दारा-20
47.	पुलिस चौकी नोदरा (रामसीन)	-	दारा-21
48.	पुलिस चौकी भादाजून (भादाजून)	-	दारा-22
49.	पुलिस चौकी सियाणा (बागरा)	-	दारा-23
50.	पुलिस चौकी मालवाडा (रानीवाडा)	-	दारा-24
51.	पुलिस चौकी सिवाडा फाटा (चितलवाना)	-	दारा-25
52.	पुलिस चौकी चांदराई (आहोर)	-	दारा-26
53.	सीआईडी जून जालोर	-	दारा-27
54.	पुलिस चौकी सुधा माता (जसवंतपुरा)	-	दारा-28
55.	पुलिस चौकी लालजी की झूमरै (सरवाना)	-	दारा-29
56.	पुलिस चौकी पुनासा (भीनमाल)	-	दारा-30
57.	पुलिस चौकी नरसाणा (बागोडा)	-	दारा-31
58.	पुलिस चौकी साकड़ (सांचोर)	-	दारा-32
59.	पुलिस चौकी बड़गांव (रानीवाडा)	-	दारा-33
60.	पुलिस चौकी अरणाव (सांचोर)	-	दारा-34
61.	सीआईडी आईबी चौकी (सांचोर)	-	दारा-35
62.	गार्ड चैक पोस्ट वेडिया (चितलवाना)	-	दारा-36

थोक एवं रिटेलर के स्तर पर खाद्यान्न, कैंरोसीन एवं गैस एंजेन्सी स्तर पर एल.पी.जी. रिजर्व

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम गैस एंजेन्सी	रखान का नाम	कम्पनी का नाम	मालिक का नाम/पता	सम्पर्क टेलीफोन/मोबाईल नंबर	रिजर्व मात्रा ग्रंथेद्वारे सिलेण्डर
1	जालोर	मैसर्स शुभ लक्ष्मी गैस सर्विस	जालोर	BPCL	श्रीमती लक्ष्मी मीणा पत्नी श्री छगन मीणा निवासी, हरियाली तहसील, जालोर	9828079563 9414151147	50
2	जालोर	मैसर्स जालोर गैस सर्विस	जालोर	BPCL	श्री रघुनाथ पुत्र श्री प्रियंका लाल गोयल निवासी, जालोर	02973-228281, 226282, 226283, 9784097137 9414152721 9587235687	50
3	जालोर	मैसर्स रिद्ध सिद्धी भारत गैस	जालोर	BPCL	श्रीमती बबीता पत्नी श्री मुकेश सोलंकी निवासी, जालोर	02973-225854 9413374854 8769411381	50
4	जालोर	मैसर्स जनहित ग्रामीण गैस वितरक एजेंसी	सियाणा	HPCL	श्री भूषाराम पुत्र श्री ताराशरण मीणा निवासी, सियाणा	9680023782 7568150123	50
5	जालोर	मैसर्स प्राग एचपी गैस ग्रामीण वितरक	उम्मेदाबाद	HPCL	श्री जलित कुमार पुत्र श्री दुदाराण	9694353570	50
7	भीनमाल	मैसर्स हरिओम इण्डेन गैस सर्विस, भीनमाल	भीनमाल	IOCL	श्री विनयकुमार पुत्र श्री हरिपाल सिंह मीणा निवासी, पूतली तहसील कोटपूतली	02969-223438 94144092727	50
8	भीनमाल	मैसर्स शिवसाई भारत गैस ग्रामीण वितरक	निम्बावास	BPCL	श्री नरीनाराम पुत्र श्री राधा राम निवासी, निम्बावास	9413373585 9983888604	50
9	भीनमाल	मैसर्स लीलाधारी इण्डेन गैस एजेंसी	भीनमाल	IOCL	श्री अजय कुमार पुत्र श्री हरिशकुमार परिवार निवासी, भीनमाल	9460980032 9460014216	50
10	भीनमाल	मैसर्स पुनारसा इण्डेन ग्रामीण गैस एजेंसी	पुनारसा	IOCL	श्री सुमानसिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह निवासी, पुनारसा	9929510881	50
11	जसवंतपुरा	मैसर्स अम्बिका इण्डेन ग्रामीण गैस एजेंसी	जसवंतपुरा	IOCL	श्री उत्तम कुमार पुत्र श्री गणेशमल निवासी, जसवंतपुरा	9414335152 9460232091	50
12	जसवंतपुरा	मैसर्स धनलक्ष्मी इण्डेन ग्रामीण गैस एजेंसी	धानसा	HPCL	श्री गीतराम पुत्र श्री दिग्विजय निवासी, धानसा	9414566211	50
13	जसवंतपुरा	मैसर्स राठौड़ एचपी गैस वितरक	रामसीन	HPCL	श्री सुरजपाल सिंह पुत्र श्री शंकरसिंह राठौड़ निवासी, रामसीन	02969-210502 9828655184	50
14	बागोडा	मैसर्स विष्णु एचपी गैस वितरक	भालनी	IOCL	श्री लक्ष्मणकुमार पुत्र श्री नरीनाराम निवासी, भालनी	9982193200 8432282830	50
15	बागोडा	मैसर्स धनलक्ष्मी इण्डेन ग्रामीण गैस वितरक	धुम्बडिया	HPCL	श्री अमरा राम पुत्र श्री जानु राम मेघवाल निवासी, धुम्बडिया	9783853154 9001537001	50
16	बागोडा	मैसर्स खेतलाजी एचपी ग्रामीण गैस वितरक	बागोडा	HPCL	श्री भानुप्रतापसिंह पुत्र श्री विराज सिंह शंखावा निवासी, बागोडा	8239256029	50
17	रानीवाडा	मैसर्स महावीर एचपी ग्रामीण गैस एजेंसी	रानीवाडा	HPCL	श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री रघुनाथ विश्वादेव आदर्श नगर, रानीवाडा	02990-231003 231004 9414325327	50
18	सायला	मैसर्स कैलाशमाला एचपी गैस सर्विस	सायला	HPCL	श्री तेजपाल सिंह पुत्र श्री प्रभातसिंह निवासी, सायला	9549023721	50

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम गैस एजेंसी	स्थान का नाम	कम्पनी का नाम	मालिक का नाम/पता	सम्पर्क टेलीफोन/मोबाईल नंबर	रिजर्व मात्रा गैर हुए सिलेण्डर
19	सायला	गैसर्स मातृकुपा एचपी गैस सर्विस	सुराणा	BPCL	श्री कमलसिंह पुत्र श्री शेरसिंह निवासी सुराणा	9571155874	50
19	आहोरे	गैसर्स शिवमारत गैस सर्विस	आहोरे	BPCL	श्री बांदराम पुत्र श्री टीकुराम निवासी बीकानेर	02987-282777 283777	50
20	आहोरे	गैसर्स नवदुर्गा भारत गैस सर्विस	आहोरे	BPCL	श्री किशोर कुमार पुत्र श्री भवरलाल निवासी, आहोरे	9799455549	50
21	सांचोर	गैसर्स सांचोर गैस सर्विस	सांचोर	IOCL	श्री गेजाराम पुत्र श्री भूसराम निवासी आहोरे	02979-284633 9414534340	50
22	सांचोर	गैसर्स गैमव इण्डेन ग्रामीण वितरक	सांकड़	IOCL	श्री गणपत लाल पुत्र श्री जेताराम निवासी, सांचोर	8058508801 9785249119	50
23	सांचोर	सांचोर गैस सर्विस सांचोर	सांचोर	IOCL	श्री नरेश भाई पुत्र श्री दाव्या भाई रतनपुर तहसील ईंदर सांकरकाटा गुजरात	7567886758 9427494340	50
24	चित्तलवाणा	गैसर्स आशापुरा इण्डेन ग्रामीण गैस वितरक	चित्तलवाना I	IOCL	श्रीमति संतोश कंवर फत्ती श्री प्रवीण सिंह निवासी चित्तलवाणा	9772199977	50
25	चित्तलवाणा	गैसर्स जम्बे इण्डेन ग्रामीण गैस वितरक	रणोदर	IOCL	श्री हनुमान राम पुत्र श्री किसनाराम निवासी रणोदर	9414721748	50

परिशिष्ट -31

4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भण्डारन की स्थिति :-

variety	Specification	Crop year	No. of Bags	Current Stock (MT)
Commodity: Raw Rice				
NA	URS	2025-26	83726	4186.798286
NA	Wheat RMS 2024-25	2024-25	185189	9234.101550
Total			268915	13420.899836
Grand Total			268915	13420.899836

RSWC Jalore

variety	Specification	Crop year	No. of Bags	Current Stock (MT)
Commodity: Raw Rice				
Grade A	KMS 2023-24 Raw	2023-24	1310	64.836085
Total			1310	64.836085
Commodity: Wheat				
NA	URS	2025-26	27403	1370.951160
NA	Wheat RMS 2024-25	2024-25	107800	5419.175969
Total			135203	6790.127129
Grand Total			136513	6854.963214

5. उचित मूल्य दुकानों की स्थिति :-

क्र. सं.	कार्यक्षेत्र	उचित मूल्य दुकानों की संख्या		
		सहकारिता विभाग	प्राइवेट डीलर	कुल
1	नगर परिषद क्षेत्र जालोर	02	13	15
2	नगरपालिका क्षेत्र भीनमाल	0	22	22
3	नगरपालिका क्षेत्र सांचोर	2	11	13
4	नगरपालिका क्षेत्र आहोर	1	7	8
	योग	5	53	58
5	पंचायत समिति क्षेत्र आहोर	34	57	91
6	" " बागोडा	0	47	47
7	" " भीनमाल	4	39	43
8	" " धितलवाना	5	73	78
9	" " जालोर	17	37	54
10	" " जसवंतपुरा	6	41	47
11	" " रानीवाडा	4	57	61
12	" " सांचोर	5	49	54
13	" " सरनाउत	0	28	28
14	" " सायला	18	63	81
	योग	93	491	584
	कुल योग	98	544	642

7. केरोसीन का रिजर्व स्टॉक विवरण

वर्तमान में जिले को केरोसीन आवंटन नहीं होने से जिले में केरोसीन थोक विक्रेता कार्यरत नहीं है।

9. जिले में थोक व्यापारियों का विवरण :-

क्र.सं.	थोक व्यापारी विवरण एवं स्थान	सम्पर्क नंबर
1	सेठ ट्रेडिंग कम्पनी, भीनमाल	02969-220189
2	सानौ ट्रेडिंग कम्पनी, भीनमाल	02969-222184
3	सोमलाल सुरेशकुमार, भीनमाल	02969-220278
4	ए.के. ट्रेडिंग कम्पनी, भीनमाल	02969-220189
5	कोलचन्द एण्ड कम्पनी, भीनमाल	02969-220725
6	लीलचन्द बाबूलाल महेश्वरी सब्जी मण्डी	9414373794
7	गौरी इन्टरप्राइजेज, सांचोर (श्री सुरेश कुमार राठी)	9414501050
8	नन्दलाल गोविन्दराम, सांचोर (श्री जुगल किशोर)	9829456947
9	सुमेरमल चम्पालाल, जालोर	02973-225784
10	शंकरलाल धन्नाजी बंजारा	9413123472
11	श्री बाबूलाल महादेवाराम भाट, सांचोर	9460458594
12	श्री जवानजी फल सब्जी आढतिया समिति, जालोर	9414151481
13	श्री खीमाराम दरगाराम किराणा व्यापारी, जालोर	02973-222586

जालोर जिले में कार्यरत पेट्रोल पम्पों का विवरण

1. तहसील क्षेत्र, आहोर							
क्र.सं.	नाम पेट्रोल/डीजल पम्प	नाम कंपनी					कहा स्थापित है
		B.P.C.	I.O.C.	H.P.C.	ESSAR	रिलायन्स	
1	मै. भाद्राजून फिलिंग स्टेशन भाद्राजून		I.O.C.				भाद्राजून (आहोर)
2	मै. पीपलेश्वर ऑटो मोबाईल्स गुडारागा	B.P.C.					गुडा रागा (आहोर)
3	मै. लक्ष्मी फ्यूल सर्विस, आहोर		I.O.C.				आहोर (आहोर)
4	मै. सिद्धी विनायक पेट्रोलियम आहोर	B.P.C.					आहोर (आहोर)
5	मै. बाबा रामदेव ऑटो मोबाईल्स मैसवाडा			H.P.C.			मैसवाडा (आहोर)
6	मै. डायमण्ड फिलिंग स्टेशन, चांदराई		I.O.C.				चांदराई (आहोर)
7	मै. महादेव पेट्रोलियम, भोरडा				ESSAR		भोरडा
8	मै. हरिओम पेट्रोलियम, भवरानी				ESSAR		भवरानी
9	मै. एच.पी.सेण्टर, मैसवाडा			H.P.C.			मैसवाडा
10	मै. जगदम्बा ऑयल सेन्टर, मैसवाडा			H.P.C.			मैसवाडा
11	मै. राजीव खन्ना पेट्रोलियम, दूदिवा		I.O.C.				छूरिया
12	मै. गणपति फिलिंग स्टेशन, नोसरा		I.O.C.				नोसरा
13	मै. महादेव फ्यूल सर्विस, आहोर			H.P.C.			आहोर
योग			36	4	2	0	
2. तहसील - बागोडा							
14	मै. विशाल सर्विस सेन्टर बागोडा	BPC			H.P.C.L.		बागोडा (बागोडा)
15	मै. उम्रेद पेट्रोलियम मेडा ब्राह्मणान्		I.O.C.	I.O.C.			मेडा ब्राह्मणान् (बागोडा)
16	मै. हनुमान पेट्रोलियम, सेवडी				H.P.C.L.		सेवडी (बागोडा)
17	मै. बाकलगाता पेट्रोलियम घुम्बडीवा			I.O.C.			घुम्बडीवा (बागोडा)
18	मै. हमीर ऑटो फिलिंग स्टेशन, मोरसीम			I.O.C.			मोरसीम (बागोडा)
19	मै. राहुल पेट्रोलियम सेवडी			I.O.C.			सेवडी (बागोडा)
20	मै. स्वाम पेट्रोलियम के.एस.के. डुगरवा			I.O.C.			डुगरवा
21	मै. निरमा फिलिंग स्टेशन, बागोडा				ESSAR		बागोडा
योग			1	5	2	1	
3. तहसील - भीनमाल							
22	मै. जगदम्बा फिलिंग स्टेशन भीनमाल	रिलायन्स				रिलायन्स	भीनमाल(भीनमाल)
23	मै. महावीर पेट्रोलियम जूजाणी				ESSAR		जूजाणी (भीनमाल)
24	मै. भगवती फिलिंग स्टेशन भीनमाल	B.P.C.					भीनमाल (भीनमाल)
25	मै. विश्णु ओटो मोबाईल्स भीनमाल			I.O.C.			भीनमाल (भीनमाल)
26	मै. जे.जे. सेन्टर भीनमाल				H.P.C.L.		भीनमाल (भीनमाल)
27	मै. प्रदीप सर्विस सेन्टर भीनमाल			I.O.C.			भीनमाल (भीनमाल)
28	मै. राजेन्द्र एण्ड कंपनी भीनमाल	B.P.C.					भीनमाल (भीनमाल)

29	मै. कृष्णा पेट्रोलियम पुनासा		I.O.C	I.O.C.				पुनासा (भीनमाल)
30	मै. एसएलवी एसोसिएट भीनमाल				H.P.C.L.			भीनमाल
31	मै. शिवम ऑटो मोबाइल्स भीनमाल			I.O.C.				भीनमाल
32	मै. लक्ष्मी पेट्रोलियम, निम्बावारा		I.O.C.					निम्बावारा
33	मै. सावित्री फिलिंग स्टेशन, खानपुर		I.O.C					खानपुर
34	मै. उम्मेद फिलिंग स्टेशन, भीनमाल		I.O.C.					भीनमाल
35	मै. लोहाना फिलिंग स्टेशन, भीनमाल					ESSAR		भीनमाल
36	मै. पृथ्वी पेट्रोलियम के.एस.के. दातिवास		I.O.C					दातिवास
37	मै. अरविन्द ऑयल भागलसेफटा		I.O.C.					भागलसेफटा
38	मै. अजीत पेट्रोलियम, दासपा					ESSAR		दासपा
39	मै. कजम्बेश्वर हमारा पम्प, जुजाणी				H.P.C.L			जुजाणी
40	मै. भगवती के.एस.के. जुजाणी		I.O.C.					जुजाणी
	योग	2	7	4	3	3		
4. तहसील – जसवंतपुरा								
41	मै. आपेश्वर फिलिंग सेन्टर रामसीन					ESSAR		रामसीन (भीनमाल)
42	मै. झूमरमल पेट्रोलियम रामसीन			I.O.C.				रामसीन (भीनमाल)
43	मै. राजेन्द्र एण्ड कम्पनी रामसीन			I.O.C.				रामसीन (भीनमाल)
44	मै. को.मा.सो.लि. भीनमाल शाखा जसवंतपुरा				H.P.C.L			जसवंतपुरा (भीनमाल)
45	मै. कुलेटी फिलिंग सेन्टर चांदूर			I.O.C.				चांदूर (भीनमाल)
46	मै. मारवाड फिलिंग स्टेशन मोदरा		B.P.C					मोदरा (भीनमाल)
47	मै. देव फिलिंग स्टेशन, बूगांव		B.P.C					बूगांव
48	मै. जयश्री सुन्धामाता पेट्रोलियम, जसवंतपुरा		B.P.C					जसवंतपुरा
49	मै. श्री सुन्धामाता पेट्रोलियम, राजपुरा					ESSAR		राजपुरा
	योग		3	3	1	2		
5. तहसील – जालोर								
50	मै. महादेव फिलिंग स्टेशन जालोर					रिलायन्स		जालोर (जालोर)
51	मै. श्री दाता फिलिंग स्टेशन			I.O.C.				जालोर (जालोर)
52	मै. बाबूलाल/अमृतलाल बिशनगढ़			I.O.C.				बिशनगढ़ (जालोर)
53	मै. उमा पेट्रोलियम सिवाणा			I.O.C.				सिवाणा (जालोर)
54	मै. एस.आर. बदर्स जालोर		B.P.C.L					जालोर (जालोर)
55	मै. हनुमान ऑयल स्टोर बागरा			I.O.C.				बागरा (जालोर)
56	मै. भवानी पेट्रो. रानीवाडा काबा				H.P.C.			रानीवाडा काबा (जालोर)
57	मै. सुमेरमल/चम्पलाल जालोर			O.I.C.				जालोर (जालोर)
58	मै. श्याम सुन्दर प्रेम प्रकाश एण्ड क. जालोर				H.P.C.			जालोर (जालोर)
59	मै. रामदेव किसान सेवा केन्द्र केशवना			I.O.C.				केशवना (जालोर)
60	मै. शुभम पेट्रोलियम बागरा		B.P.C.L					बागरा (जालोर)
61	मै. इन्दू ऑयल स्टोर, बाकरारोड			I.O.C.				बाकरारोड (जालोर)
62	मै. शिवशक्ति पेट्रोलियम, बिशनगढ़					ESSAR		बिशनगढ़ (जालोर)
63	मै. बजरंगसिंह ऑटो मोबाइल्स बागरा				HPC			बागरा (जालोर)
64	मै. चागुण्डा पेट्रोलियम आकोली			I.O.C.				जालोर (आकोली)

65	मै. श्रीनाथ पेट्रोलियम, जालोर				H.P.C.		जालोर
66	मै. तिरुपति ऑयल, डांगरा				ESSAR		
	योग	2	8	4	2	1	
6. तहसील – रानीवाडा							
67	मै. रामदेव मोटर्स करडा	B.P.C.					करडा (रानीवाडा)
68	मै. गौरी ऑटो मोबाईल्स रानीवाडा	B.P.C.					रानीवाडा (रानीवाडा)
69	मै. प्रवीण फिलिंग सेंटर मालवाडा			H.P.C.			मालवाडा (रानीवाडा)
70	मै. वैष्णोदेवी पेट्रोलियम सर्विस (कोको पम्प)			H.P.C.			बडगांव (रानीवाडा)
71	मै. शंकर ऑटोमोबाईल्स रानीवाडा	B.P.C.					रानीवाडा (रानीवाडा)
72	मै. अंजनी पेट्रोलियम मालवाडा		I.O.C.				मालवाडा (रानीवाडा)
73	मै. पी.आर. बोहरा एण्ड ब्रदर्स हीरपुरा		I.O.C.				हीरपुरा (रानीवाडा)
74	मै. विराट पेट्रोल पम्प मण्डारडी	B.P.C.					मण्डारडी (रानीवाडा)
75	मै. पुरोहित ऑटो मोबाईल्स, करडा		I.O.C.				करडा (रानीवाडा)
76	मै. जय श्री सुन्या माता पेट्रोलियम गजापुरा						गजापुरा(जसवंतपुरा)
77	श्री देव फिलिंग सेंटर बुगांव						
78	मै. सतीजी बावजी फिलिंग स्टेशन, बडगांव		I.O.C.				
79	मै. पद्मा पेट्रोलियम के.एस.के. कोडका		I.O.C.				कोडका
80	मै. विराट पेट्रोल पम्प, मण्डारडी	B.P.C.					मण्डारडी
81	मै. हिंगलाज फिलिंग स्टेशन, रानीवाडाकला		I.O.C.				रानीवाडाकला
82	मै. श्री राजाराम पेट्रोलियम, रतनपुर		I.O.C.				रतनपुर
83	मै. भैरवनाथ फिलिंग स्टेशन, जालेशकला		I.O.C.				जालेशकला
84	मै. जयगोमा फिलिंग स्टेशन, धानोल				ESSAR		धानोल
85	मै. भगवती पेट्रोलियम, आलडी		I.O.C.				आलडी
86	मै. राम पेट्रोलियम, गांगा		I.O.C.				गांगा
87	मै. कृष्णा फिलिंग स्टेशन, कोरीचौपावतान्	B.P.C.					कोरीचौपावतान्
88	मै. स्टेल्राईट पेट्रोलियम, भापडी				ESSAR		भापडी
	योग	6	10	2	2		
7. तहसील – सांचोर							
89	मै. रुप श्री पेट्रोलियम विरोल		I.O.C.				विरोल (सांचोर)
90	मै. तिरुपति पेट्रोलियम विरोल	B.P.C.					विरोल (सांचोर)
91	मै. रिलायन्स पेट्रो. मार्केटिंग प्रा.लि. मरडाली					रिलायन्स	मरडाली (सांचोर)
92	मै. महाकाली पेट्रोलियम वडी विरोल			H.P.C.			विरोल (सांचोर)
93	मै. घरणीघर पेट्रोलियम कमालपुरा	B.P.C.					कमालपुरा (सांचोर)
94	मै. ओ.एस.टी.एस. यूनिट-11, मरडाली	B.P.C.L.					मरडाली (सांचोर)
95	मै. सांचोर ऑटो मोबाईल्स सांचोर		I.O.C.				सांचोर (सांचोर)
96	मै. मुकुन्द ऑटो मोबाईल्स सांचोर		I.O.C.				सांचोर (सांचोर)
97	मै. केशव फिलिंग स्टेशन, विरोल		I.O.C.				विरोल (सांचोर)

98	मै. राजस्थान डिजल्स गरडाली			H.P.C		गरडाली (सांचोर)
99	मै. जगत सर्विस स्टेशन सांचोर			H.P.C.L		सांचोर(सांचोर)
100	मै. किसान सर्विस सेन्टर गडराली			H.P.C.L		गडराली (सांचोर)
101	मै. सांचोर हाई-वे पेट्रोलियम कारोला			H.P.C.L		कारोला (सांचोर)
102	मै. गुरलीधर ईश्वरदास गडराली			H.P.C.L		गडराली (सांचोर)
103	मै. एस.एस. एगो सर्विस हरियाली	B.P.C				हरियाली (सांचोर)
104	मै. भास्त पेट्रोलियम कोको गरडाली	B.P.C.				गरडाली (सांचोर)
105	मै. स्वागत कोको गडराली		I.O.C.			गडराली (सांचोर)
106	मै. आशा फिलिंग स्टेशन गरडाली	B.P.C.L.				गरडाली (सांचोर)
407	मै. फूल मुकेश्वर सिलू	B.P.C.L.				होती गांव सांचोर
108	मै. लीलाधारी सर्विस सेन्टर विरोल			H.P.C		विरोल (सांचोर)
109	सैल्स ऑफिसर, आर.एस.ए. गरडाली		I.O.C.			गरडाली (सांचोर)
110	मै. परिहार फिलिंग स्टेशन, हरियाली		I.O.C.			हरियाली (सांचोर)
111	मै. तुलसी मोटर्स, सांकड		I.O.C.			सांकड (सांचोर)
112	मै. महेश फिलिंग स्टेशन सिवाडा सांचोर		I.O.C.			सिवाडा.(सांचोर)
113	मै. धनराज पेट्रोलियम गोलासन					गोलासन (सांचोर)
114	मै. संजय पेट्रोलियम, खारा		I.O.C.			खारा
115	मै. गगन मिलिंग स्टेशन, बडसम	BPCL				बडसम
116	मै. डिवाईन इन्टरप्राइजेज, मौखुपुरा		I.O.C			मौखुपुरा
117	मै. भास्त पेट्रोलियम, विरोल	BPCL				विरोल
118	मै. मै. धरणीधर पेट्रोलियम, विरोल ईकाई- 11	BPCL				विरोल
119	मै. मुकेश पेट्रोलियम, रघुनाथपुरा				ESSA R	रघुनाथपुरा
120	मै. राजाराम फिलिंग सेन्टर, हाडेतर		I.O.C			हाडेतर
121	मै. दुर्गादास देवाराम चौधरी पांचला		I.O.C			पांचला
122	मै. पातालेश्वर पेट्रोलियम, सांकड			H.P.C.L		सांकड
123	मै. बाबुलाल एण्ड सन्स, सांचोर	BPCL				सांचोर
124	मै. जयगाड माता पेट्रोलियम, दांता	BPCL				दांता
125	मै. के.आर बेरवाल एण्ड सन्स, अरणाय	BPCL				अरणाय
126	मै. विजय के.एस.के. अरणाय		I.O.C			अरणाय
127	मै. केलवा फिलिंग स्टेशन, गरडाली		I.O.C			गरडाली
128	मै. मुकुन्द जीटोमोबाल्स, गरडाली		I.O.C			गरडाली
129	मै. किसान डिजल सर्विस, गरडाली			H.P.C.L		गरडाली
130	मै. गुरलीधर ईश्वरदास, गरडाली			H.P.C.L		गरडाली
131	मै. रिलायन्स पेट्रोलियम, मार्केटिंग लि0 गरडाली				Rilance	गरडाली
132	मै. एल.आर. पेट्रोलियम, गरडाली		I.O.C			गरडाली
133	मै. धनराज पेट्रोलियम, गोलासन		I.O.C			गोलासन
134	मै. किसान पेट्रोलियम, प्रतापपुरा				ESSA R	प्रतापपुरा
	योग	13	18	11	2	1

8. तहसील – चितलवाना						
135	मै. बालाजी फिलिंग स्टेशन दूंगरी		B.P.C.			दूंगरी (सांचोर)
136	मै. सातीमाता फिलिंग स्टेशन झाब		I.O.C.			झाब (सांचोर)
137	मै. के.एन पेट्रोलियम आमली		B.P.C.L.			आमली (सांचोर)
138	मै. महेश फिलिंग स्टेशन, सिवाडा		I.O.C.			सिवाडा
139	मै. जे.बी. पेट्रोलियम, सिवाडा			H.P.C.L.		सिवाडा
140	मै. आशापुरा फिलिंग स्टेशन, चितलवाना		I.O.C.			चितलवाना
141	मै. पूजा फिलिंग स्टेशन, तैतरोल		I.O.C.			तैतरोल
142	मै. बन्दे पेट्रोलियम, आमली			H.P.C.		आमली
143	मै. माडव पेट्रोलियम, आमली		I.O.C.			आमली
153		2	5	2		
154						
144	मै. एग्रो सर्विस स्टेशन सायला			H.P.C.		सायला (सायला)
145	मै. मेवाडा मॉडर्न फिलिंग स्टेशन जीवाना			H.P.C.		जीवाना (सायला)
146	मै. जगदम्बा ऑयल सेन्टर पोसाणा			H.P.C.		पोसाणा (सायला)
147	मै. जगतसिंह सायला		B.P.C.			सायला (सायला)
148	मै. आशापुरी ऑयल सेन्टर सायला		I.O.C.			सायला (सायला)
149	मै. भवानी फिलिंग स्टेशन पोसाणा		I.O.C.			पोसाणा (सायला)
150	मै. आपेश्वर ऑटोमोबाईल्स मंगलवा (भाण्डवपुर)		I.O.C.			मंगलवा (सायला)
151	मै. लक्ष्मी सर्विस सेन्टर		I.O.C.			सुराना (सायला)
152	मै. राज फ्यूल स्टेशन, सुराणा		I.O.C.			सुराना (सायला)
153	मै. विजय फिलिंग स्टेशन, बाबतरा				ESSAR	बाबतरा
154	मै. कैलाश फिलिंग स्टेशन, ओठावाला				ESSAR	ओठावाला
155	मै. बाबलाल/अमृतलाल सुराणा		I.O.C.			सुराणा
156	मै. सुन्दर के.एस.के. विराणा		I.O.C.			विराना
157	मै. चौधरी फिलिंग स्टेशन, जीवाणा		I.O.C.			जीवाणा

परिशिष्ट – 36

1. हलवाई

क्र. सं.	नाम तहसील	हलवाई का नाम	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता	सम्पर्क नम्बर
1	जालोर	श्री राजेन्द्र बंसल	सूरज मिष्ठान भण्डार जालोर	02973-223993 9414151993
		श्री उमाकान्त गुप्ता	गुप्ता स्वीट होम, जालोर	9414151251
		श्री पप्पूसिंह राजपुरोहित	महालक्ष्मी मिष्ठान भण्डार जालोर	9414325431
		श्री पूनमचंद अग्रवाल	अग्रवाल मिष्ठान भण्डार	9114151991
2	सायला	श्री शिवसिंह राजपुरोहित	जसोल स्वीट होम, पुराना बस स्टैण्ड के पास, सायला	02977-272804 9413268433
		श्री रमेशकुमार नारायण जी प्रजापत	महालक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, पुराना बस स्टैण्ड के पास, सायला	9929514027
3	आहोर	श्री ललित राठी	राठी स्वीट होम, आहोर	9829151621
		श्री मुकेश राठी	राठी मिष्ठान म0 आहोर	9414151893
		श्री महेन्द्र सिंह	चामुण्डा स्वीट होम, आहोर	9413246902
		श्री रमेश सेठिया	सेठिया स्वीट होम, आहोर	-
		श्री नेनजी	राठी मिष्ठान म0 आहोर	9414151893

		श्री गंगीलाल	मिश्रान भण्डार, भाद्राजून	—
		श्री जगदीश	जगदीश रेस्टो, भाद्राजून	9413126753
4	भीनमाल	श्री चेतनजी	श्यामजी एच मिठाईवाले भीनमाल	02969-220031
		श्री गोपालजी	भगवान मिश्रान भण्डार भीनमाल	02969-220931
		श्री श्यामजी	एलएमबी होटल भीनमाल	02969-220439
		श्री घेवरजी	महावीर स्वीट होम भीनमाल	9461483096
		श्री खेतारामजी	तिरुपति बालाजी, भीनमाल	9460171062
		श्री जोगाराम प्रजापत	शिण्घरी चौराहा, बागोडा	9413123535, 9114873020
5	बागोडा	श्री भानाराम देवासी	बस स्टैण्ड चौराहा, बागोडा	9772150806
		श्री उकसिंह राव	बस स्टैण्ड के अन्दर बागोडा	9772981347
		श्री रतनलाल घांची	जोधपुर लहरीया होटल रानीवाडा	9414609225
6	रानीवाडा	श्री कैलाशचन्द्र / देवराज भाटी	कैलाश होटल रानीवाडा	8094100945
		श्री करणाराम पुरोहित	चामुण्डा होटल चार रास्ता, मालवाडा	9829295454
		श्री चेतन खत्री	चेतन मिश्रान भण्डार इन्दिरा चौक सांचौर	9413656970
7	सांचौर	श्री पन्नालाल खत्री	सोहन स्वीट इन्दिरा चौक सांचौर	02979-283819
		श्री मदनसिंह	निरोज होटल विवेकानन्द सर्किल सांचौर	—
		श्री भीखसिंह राजपुरोहित	लहरिया स्वीट्स रानीवाडा रोड सांचौर	9414398178
		श्री रावताराम चौधरी	जोधपुर मिश्रान भण्डार रानीवाडा रोड सांचौर	9413854541
		श्री भूराराम खत्री	पुरुषोत्तम कोल्ड ड्रीक्स चार रास्ता सांचौर	9414425261
		श्री हस्तीमल नाई	चितलवाना	9483415081
8	चितलवाना	श्री अम्बालाल सेवग	चितलवाना	02979-286406
9	जसवन्तपुरा	गोविन्द नागर, चामुण्डा मिश्रान भण्डार, जसवन्तपुरा	चामुण्डा मिश्रान भण्डार जसवन्तपुरा	
		हिमतराम / ताराराम कुम्हार	निवासी धानसा	9929224797
		नरसाराम / भीखाराम	निवासी धानसा	8094173504
		पुनमाराम / सवाराम प्रजापत	निवासी पंसेरी	9982130041
		मकाराम / जेठाजी माली	निवासी पूरण	9610198441
		बाबूदास / सवनदास संत	निवासी खानपुर	9928793091
		जवाराम / सोनाजी पुरोहित	निवासी भादरडा	
		जोधपुर मिश्रान भण्डार	जोधपुर मिश्रान भण्डार जसवन्तपुरा	
		बाबूरहित / तालसिंह रावणा राजपूत	निवासी भूर	9982914392
		ताखाराम / मोडाजी चौधरी	निवासी चांदणा	
		ओबादाराम / जेपाजी चौधरी	निवासी तातोल	
		अनरसिंह रावणा राजपूत	निवासी शिण्घरा	
		मोहनलाल / जेठाराम	निवासी बुगांव	
		दुलसीराम रावल	निवासी रामसीन	
		लक्ष्मणराम / बुनाजी माली	निवासी पावली	
		अर्जुनदास / सालगरामदास संत	निवासी मण्घर	
		वस्वसिंह / भीखाजी रावणा राजपूत	निवासी राजीकावास	
		वघनाराम / थानाजी लुहार	निवासी मनोहरजी का बास	
		देखाराम वल्द वडाजी प्रजापत	निवासी डोरडा	

परिशिष्ट -37

2. किराणा थोक व्यवसायी

क्र. सं.	नाम तहसील	व्यवसायी का नाम	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता	सम्पर्क नम्बर
1	जालोर	श्री सुमेरमल	सुमेरमल चंपालाल जालोर	02973-205784
		श्री लीमाराम	लीमाराम दरगाजी किराणा व्यापारी जालोर	02973-222586 9001710059
		विद्या टेडर्स	जालोर	—
		अमृत किराणा स्टोर	जालोर	9660613522
		श्री मगनाराम / अखाजी प्रजापत	जालोर	9460884481

		मंडारी गंगलचन्द/गहावीरचन्द	जालोर	02973-223035
		श्री शंकरलाल/दरगाजी	जालोर	9772093737
2	सायला	श्री विमलचंद मांगीलाल जैन	बागोडा रोड, सायला	02977-272161
		श्री जुगराज चतराजी जीनगर	महादेव किराणा स्टोर पुराना बस स्टैंड सायला	02977-273157 9414565644
		श्री बाबुलाल नेमीचंद जैन	ज्योति ट्रैडर्स बस स्टैंड सायला	9414566161
		श्री भंवरलाल मूलचंद माहेश्वरी	बागोडा रोड, सायला	02977-276149
3	आहोर	श्री दरगाजी चौधरी	सुभम किराणा स्टोर, आहोर	9929255705
		श्री रुपाराम चौधरी	कपूर किराणा स्टोर, आहोर	02978-228303
		श्री उकाराम/जेठाजी	आहोर	02978-283448
		श्री डायाराम/मोडाराम	आहोर	02978-282178
		श्री जोगाराम/घुनाराम कुम्हार	आरती किराणा स्टोर, आहोर	-
		श्री सुजाराम	भादाजून	9828348145
4	भीनमाल	श्री भंवरलाल चिरजीलाल अग्रवाल	भीनमाल	02969-220260
		श्री भीखाराम घांवी	भगवती किराणा स्टोर, भीनमाल	9413000865
		श्री दीपचंद धनराज	भीनमाल	02969-222172
		श्री दिनेशकुमार दुलेशराज	" "	02969-220201
		श्री पुखराज माली	परमार टी, भीनमाल	9414925272
		श्री बूगरसिंह राव	मदन ज्योति, भीनमाल	02969-221954
		श्री जबरसिंह	कुलदीप किराणा स्टोर	9828501183
		श्री गुमानमल जुगराज माली	भीनमाल	02969-220965
		श्री देवीचंद भंवरलाल	भीनमाल	02969-221953
		सेन ट्रेडिंग कम्पनी	भीनमाल	02969-206180
		सोनी ट्रेडिंग कम्पनी	भीनमाल	02969-222164
		सोमलाल सुरेशकुमार	भीनमाल	02969-220278
		ए.के. ट्रेडिंग कम्पनी	भीनमाल	02969-220189
		कोलचंद एण्ड कम्पनी	भीनमाल	02969-220725
5	बागोडा	श्री तेजाराम प्रजापत	बस स्टैंड के सामने बागोडा	9982493337
		श्री पदमसिंह चौहान	" "	9783862639
		श्री जबरमल/छगनजी जैन	पुलिस थाने के पास बागोडा	02969-264280
6	रानीवाडा	श्री दीपाराम/गानाराम माली	रानीवाडा	02990-232426
		श्री रमेशकुमार/मिश्रीमल जैन	" "	9414546745
		श्री कैलाशचन्द/गौतमचन्द माहेश्वरी	" "	02990-232514
		श्री अनवर भाई/इबुजी छोपा	मालवाडा	9413854337
7	सांचौर	श्री सुरेशकुमार रावल	गायत्री किराणा स्टोर, दरबार चौक सांचौर	9828929060
		श्री धेवरचंद देसाई	मै. मांगीलाल बनाजी जैन, दरबार चौक सांचौर	9460230966
		श्री प्रकाश रावल	मै. उकचंद रूपाजी जैन, दरबार चौक सांचौर	9414881160
		श्री बाबुलाल जैन	मै. लीलचंद बाबुलाल, सुभाष चौक सांचौर	02979-283022
		श्री लीलाराम पुरोहित	मै. लीलाधर किराणा स्टोर सांचौर	9414882170
		श्री सुरेशकुमार माहेश्वरी	लक्ष्मी कारपोरेशन इन्दिरा चौक सांचौर	9413501050
8	वितलवाना	श्री मांगीलाल जैन	वितलवाना	9783418295
		श्री पूनमदास	शान्ति जनरल स्टोर वितलवाना	9466070700
9	जसवन्तपुरा	नथमल/साकलचन्द जैन	धानसा	9783810240
		भारता/लादाजी रेवारी	धानसा	8503004171
		यमना/प्रभाजी कलबी	पर्सरी	9549316423
		गोविन्द/तलकाराम श्रीमाली	पूरण	9783671691